खण्ड-360, अंक-4
बुधवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(23 फरवरी, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	619–622
प्रश्नोत्तर	623–703
शारदा नहर की हरदोई शाखा के बन्द होने से किसानों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	703–704
रामपुर शहर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा 16 लाख रुपये की ग्रान्ट का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	704
श्री बद्रीनाथ धाम में मल निकासी के स्थान में परिवर्तन की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	704–705
शासकीय अदाता के भ्रष्टाचार के कारण मजदूरों में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	705
कतिपय सदस्यों द्वारा नियम 301 की सूचना दिये जाने का प्रयास	705–708
पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी, श्री चमनलाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	708–710
श्री माता प्रसाद पान्डेय द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर बोलने के लिये समय की मांग ..	710–712
श्री जयपति नाथ, थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर, जिला बस्ती एवं उनके सहयोगी श्री पुद्दन मिश्र, निवासी बिस्कोहर, जिला बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	713–714
खाद्य एवं रसद मन्त्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	715–716
सिंचाई मन्त्री के वक्तव्य के समय उनके अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	717–719
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	719–725
बजट साहित्य समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	725–727

विषय	पृष्ठ-संख्या
1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), तथा अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	727-792
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	792
उत्तर प्रदेश में खेलकूद की स्थिति में प्रगति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	793-810
नत्थियां	811-819

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 23 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—333

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुल्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री ((उर्फ बालराज)(फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णबीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चाद चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, विकल सकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जंराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नरायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेवरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हुसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नरायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)

भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शब्बो रोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराना दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुलतानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल वेहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह श्री (एटा)
राधेश्याम पटेल श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह, एडवोकेट (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुलतानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुलतानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)

रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री
(टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कश्यप, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
बीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नरायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री
(शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)
(गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 23 फरवरी, 1983

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर में सम्पादित कार्य को निविदाएं तथा चयन के आधार पर सम्पादित कार्य

*1--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 तक सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर में निविदा के स्थान पर चयन के आधार पर ऊंचे दरों पर (मूल्य) कार्य सम्पादित कराये गये हैं, जिसके कारण लगभग 50 लाख से अधिक सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? क्या सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराने तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदाओं के द्वारा कार्य कराने का सरकार आदेश देगी ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

जी नहीं ।

गोरखपुर में निविदा के स्थान पर चयन के आधार पर ऊंचें दरों (मूल्य) पर कार्य सम्पादित नहीं किये गये ।

उपरोक्त के कारण कोई धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है अतः किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । दैनिक समाचार पत्रों में निविदाओं के प्रकाशन की यथाविधि कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, निविदा के स्थान पर ऊंचे दरों पर चयन के आधार पर कार्य हुए हैं, उदाहरण के लिए क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि अप्रैल और सितम्बर, 1982 के बीच मुखिलिसपुर कैनाल पर डाक बंगले पर सोनपुर सैन्ड और नौतनवां पत्थर, चयन के आधार पर ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती के प्रथम व द्वितीय उपखण्डों में प्रथम उपखण्ड की अपेक्षा, द्वितीय उपखण्ड में अधिक दर पर आपूर्ति करायी गयी और गोरखपुर में नेतवाघाट पर पत्थर 175 रुपये के बजाय 215 रुपये पर आपूर्ति हुई जब कि निविदा द्वारा 157 रुपये पर कार्य उसी स्थान पर हुआ था ? यदि हां, तो चयन के आधार पर हुए कार्यों की जांच करायी जायगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, वहां पर जो अनुबन्ध किये गये थे, कामों के, उसे पूरा न होने की वजह से, दूसरे, जो बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए और तात्कालिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोल्डर और सप्लाई का कार्य कराया गया । मान्यवर, कोई अनियमितता नहीं बरती गयी ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 तक निविदाएं न कराये जाने का कारण क्या था और क्या अधिकांश कार्य चयन के आधार पर हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर टेन्डर के आधार पर तो काम कराये गये थे, उनमें कुछ ऐसे काम थे, जिनका अनुबन्ध हुआ था, तात्कालिक परिस्थितियों में चयन के आधार पर तात्कालिक परिस्थितियों से बचने के लिए, तत्काल उसे करा दिया था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि चयन के आधार पर कोई कार्य नहीं हुआ । पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि तात्कालिकता के आधार पर, चयन के आधार पर कार्य कराया गया । मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि इस प्रक्रिया में 50 लाख का घोटाला है । उदाहरण के लिये एक ही स्थान पर जब आपको 167 रुपये पर माल सप्लाई करने के लिये तैयार है । तो 215 रुपये पर खरीदा गया है । 50 लाख रुपये इस मामले से सम्बन्धित हैं । मंत्री जी को शायद पूरी फाइल की जानकारी नहीं है । तो मामले की गंभीरता को देखते हुये क्या मंत्री जी सारे तथ्यों की जानकारी करके सदन को पुनः सूचित करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, जो मिट्टी और बोल्डर सप्लाई का कार्य किया गया है वह विभागीय रेट पर किया गया है, अधिक नहीं है । यदि आपको कोई भ्रम है तो शिकायती पत्र दे दें । अवश्य जांच करा ली जायगी ।

[बुधवार, 23 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सन्त कबीर कताई मिल मगहर, बस्ती की 10 सूत्रीय मांगों पर विचार

*1--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्त कबीर कताई मिल बस्ती (मगहर) जिला बस्ती के श्री भाल चन्द्र यादव ने कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में माह दिसम्बर, 81 को एक ज्ञापन प्रबन्ध निदेशक को दिया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मांग पत्र के सम्बन्ध में 12 दिसम्बर, 81 को समझौता हुआ था जिसे जनवरी, 1982 तक पूरा करना था परन्तु 5 जून, 1982 तक पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो कारण क्या है तथा मांगें व समझौता की शर्तें क्या थीं ?

कारागार मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

श्री भाल चन्द्र यादव ने सत कबीर सहकारी कताई मिल मगहर, बस्ती के प्रबन्ध निदेशक को कोई ज्ञापन माह दिसम्बर, 1981 को नहीं दिया था । श्री यादव ने मिल के कर्मचारियों में एक पर्चा (हैण्डआउट) 12 दिसम्बर, 1981 को वितरित किया था ।

मिल द्वारा कोई भी औपचारिक समझौता नहीं किया गया ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि 12 दिसम्बर को वितरित पर्चे में कौन-कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है ?

श्री अब्दुल रहमान खां मश्तर--

मान्यवर, उसमें 10 बिन्दु थे । पहला बिन्दु यह था कि अप्रेंटिसों का पास तत्काल बनाया जाय । 2--मिल दो महीने बन्द रखी गयी लेकिन अभी तक मजदूरों की तनख्वाह का भुगतान नहीं किया गया 3--जिन काश्तकारों की जमीन ली गयी और रोजगार से वंचित हैं । भर्ती तत्काल की जाये । 4--ई0 एस0 आई0 तुरन्त लागू की जाये । 5--मजदूरों को बैठने की व्यवस्था कैंटीन में की जाय । 6--रोलिंग बिल्डिंग का वेतन स्टेट सरकार के मिलों के वेतन के बराबर दिया जाय । 7--आपरेटिव सेड तत्काल खाली किया जाय तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को तुरन्त आवंटित किया जाये । 8--श्रमिक कालोनी के क्वार्टरों का आबंटन वरिष्ठता को तथा श्रमिक की उपयोगिता को देखते हुये किया जाय । 9--श्रमिक कालोनी में बने हुये पार्क को साफ करायी जाये तथा बच्चों के खेल की व्यवस्था की जाय । 10--निलंबित श्रमिकों को तत्काल बहाल किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो 10 प्वाइंट्स बताये तो क्या इनके बेस पर कोई वार्ता हुयी थी । अगर हुयी थी तो उसका अंतिम परिणाम क्या निकला है ?

श्री अब्दुल रहमान खां मश्तर--

मान्यवर, यह पर्चा मजदूरों को बांटा गया था । उसके बाद तत्काल ही जो प्रबन्धक थे, उनसे बात-चीत वह करना चाहते थे तो बातचीत हुयी थी । बातचीत में यह हुआ था कि अप्रेंटिस श्रमिकों की ट्रायल लेने के बारे में 5 जनवरी, 1982 से कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी । इस वक्त अधिकांश व्यक्तियों को ट्रायल लेकर पास दे दिया गया है । दूसरा, इस समस्या को श्रम न्यायालय द्वारा तय किया जाना है । तीसरा, आज भी वांछित काश्तकारों की सूची प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी । कोई भी सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई । चौथी, ई0 एस0 आई0 लागू करने के बारे में प्रबन्ध द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । पांचवा, मजदूरों के बैठने के लिए कैंटीन में व्यवस्था, अगले माह के मध्य तक पूरी हो जाने की आशा है । छठा, इस मांग पर कोई बल नहीं दिया गया, वार्ता के दौरान इस मांग पर जोर नहीं दिया गया । सातवां, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी, इस सेड में श्रमिक ही रहते हैं । आठवां, इस मामले में अगले माह विचार किया जायेगा । नवां, पार्क की सफाई का कार्य तीन-चार दिन में प्रारम्भ कर दिया जायेगा, समय-समय पर सफाई की जा रही है । दसवां, निलम्बित श्रमिकों के मामले में कार्यवाही पहले से ही की जा रही है जिसकी समय-समय पर आपको सूचना दी जाती रही है । जिन श्रमिकों के मामले में जांच कार्यवाही पूरी हो गयी है, उनको कार्य पर ले लिया गया है ।

लाटघाट बाजार के उत्तर में शारदा सहायक नहर पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में लाटघाट निवासियों का प्रार्थना-पत्र

*2--श्री पंचानन राथ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक पर लाटघाट बाजार के उत्तर पुल बनाए जाने से सम्बन्धित लाट घाट के नागरिकों क

प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 4 फरवरी, 1982 के साथ अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ दशम मण्डल, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां ।

लाटघाट बाजार के उत्तर में स्थित दोहरीघाट लिंक नहर के कि0 मी0 55.00 पर पुल निर्माणाधीन है, जिसके जून, 1983 तक पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 4 फरवरी, 1982 का पत्र क्या है, उसमें जिस स्थान पर पुल बनाने की मांग की गयी है, तो क्या उसी स्थान पर यह पुल बन रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, पुल उस स्थान पर बन रहा है, जहां बनना उपयुक्त समझा गया ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आप देखें, सवाल हम लोग कुछ पूछते हैं, जवाब उसका कुछ और आता है । मान्यवर, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है । मैं माननीय मन्त्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो माननीय मन्त्री जी को नागरिकों के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 4 फरवरी, 1982 जो पत्र प्राप्त हुआ और उसमें जहां पुल बनाने की मांग की गयी, तो क्या पुल उसी स्थान पर बन रहा है या मांग के विपरीत कहीं और बन रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, पत्र तो प्राप्त हुआ । पत्र मेरे पास है, कहिये तो पढ़कर सुना दूं । श्रीमन्, दोहरीघाट और लिंक नहर के 55 किलोमीटर पर यह पुल बन रहा है । इसका स्पष्ट पत्र में उत्तर है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में बताया कि दोहरीघाट और आजमगढ़ की सड़क पर पुल बन रहा है । मान्यवर, मैं न्याय चाहता हूं कि सवाल कुछ पूछा जाय और जवाब कुछ दे दिया जाय तो यह उचित नहीं है । इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि लाटघाट बाजार के उत्तर में पुल बनाये जाने से सम्बन्धित लाटघाट के नागरिकों का

प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 4 फरवरी, 1982 के साथ प्राप्त हुआ था, जिसमें इस स्थान पर पुल बनाने की मांग की गयी थी। तो मैंने प्रश्न केवल इतना पूछा कि नागरिकों ने जिस स्थान पर पुल बनाने की मांग की है, क्या उसी स्थान पर पुल बन रहा है या कहीं और बन रहा है ? यदि कहीं और बन रहा है, तो वहां से कितनी दूर बन रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, जनहित के दृष्टिकोण से विभाग ने उस स्थान का सर्वेक्षण किया था, जो मुख्य मार्ग से जुड़ता है। तो वहीं पर पुल बन रहा है, वह उपयुक्त जगह पर बन रहा है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, आप खुद सुन रहे हैं। मैं आपका इसमें संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, अगर यह परम्परा सदन की बनेगी कि सवाल कुछ पूछा जाय, जवाब कुछ आये, तो सवाल पूछना निरुद्देश्य हो जायेगा। मान्यवर, ऐसा लगता है कि किसानों के हित पर सिंचाई विभाग का यह महकमा ध्यान नहीं देना चाहता है। किसान चाहता है कि उनकी खेती के लिए, उनकी सुविधा के लिए पुल बनना चाहिए, तो यह जवाब दे रहे हैं कि उपयुक्त जगह पर पुल बन रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों ने जहां मांग की थी कि अपने गांव के पास खेती के लिए पत्र लिखा है, वहां जनहित में पुल बनाना यदि उचित नहीं पाया गया तो क्या आधार लिया गया ? मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जनता ने कहां मांग की थी और पुल कहां बन रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जो उन लोगों का पत्र है, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। यह पत्र अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड 52, आजमगढ़ को सम्बोधित है--सेवा में निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्राम लाटघाट, परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के निवासी हैं और गांव के उत्तर की तरफ जहां एक नहर जा रही है, एक पुल की आवश्यकता है। इसके आगे लिखा है पुलिया बनवाने की कृपा करें।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, आप संरक्षण दें.. .

श्री अध्यक्ष--

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने कितने प्रश्न किये लेकिन, आप पहले पत्रावली पूरी देख लें और जब हमारा कार्य समाप्त हो जाय, तब उसका पूरा क्लेरीफिकेशन दे दें।

*3--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हरिजन छात्रावासों एवं हरिजन पुस्तकालयों में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर का साहित्य रखे जाने के सम्बन्ध में सुझावात्मक आदेश

*4— श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी पुस्तकालयों और हरिजन छात्रावासों एवं हरिजन पुस्तकालयों में बोधिसत्व बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर का सारा साहित्य सरकार अनिवार्य रूप से अवलम्ब रखने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

जी नहीं । हरिजन छात्रावास एवं हरिजन पुस्तकालय स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं जिन्हें हरिजन कल्याण विभाग अनुदान देता है । स्वैच्छिक संस्थाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे किसी अमुक लेखक की ही पुस्तकें क्रय करें । फिर भी इस सम्बन्ध में निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा सुझावात्मक आदेश निर्गत कर दिया गया है । प्रदेश के अन्य सरकारी पुस्तकालयों का संचालन हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित न होने के कारण उनके बारे में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से कोई आदेश निर्गत करना सम्भव नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मंत्री जी को ज्ञात है कि हरिजन कल्याण विभाग ने बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेदकर की जो किताबें संविद सरकार ने रखवाई थीं 10 मार्च 1970 को, वापस ले ली थीं और 12 सितम्बर, 1970 को एक पुस्तक जब्त कर ली थी, जिससे याचिका दायर होने पर हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया था । तो क्या बाबा साहब का साहित्य अब भी सरकार आपत्तिजनक समझती है ? तो मंत्री जी क्या स्पष्ट करेंगे कि बाबा साहब के साहित्य को आप मानववादी समझते हैं या आपत्तिजनक ?

श्री गुलाब सेहरा—

मानववादी । मैं इसमें विशेष रूप से माननीय सदस्य को बता दूं कि हमारे विभाग की जो संस्थायें हैं, उनको पूरा कोर्स खरीदने के आदेश दिये गये हैं । शिक्षा विभाग की जो संस्थायें हैं, उनको भी इस आशय का पत्र लिखा कि वे भी अपनी संस्थाओं में इस साहित्य को रखने की कृपा करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो पत्र लिखा है, उसको पढ़ कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

सारांश सुना दें ।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं दो लाइन पढ़ देता हूं—6 अगस्त, 1983 को जो पत्र लिखा है विभाग द्वारा सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हरिजन पुस्तकालयों में

रखने हेतु डाक्टर भीम राव अम्बेदकर का सम्पूर्ण साहित्य का होना आवश्यक प्रतीत होता है। सम्पूर्ण साहित्य को भी खरीदने पर विचार किया जाय। सरकारी पुस्तकालयों में जहां तक बात है, तो यह सरकारी नीति का प्रश्न है...

श्री रामस्वरूप वर्मा--

आपने यह कहा है कि सरकारी पुस्तकालयों में इसलिए नहीं रख सकते कि सरकार की नीति का सवाल है। जब आप आपत्तिजनक नहीं मानते, मानववादी मानते हैं, तो सरकार को जब यह नीति है तो सरकारी पुस्तकालयों में इसको रखने में आपत्ति क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया था कि जो हमारी संस्थायें हैं उसमें अनिवार्य रूप से रखा जाये, स्वैच्छिक संस्थाओं को इस आशय का पत्र लिख दिया कि इसका रखना आवश्यक प्रतीत होता है, इस पर विचार कर लें और शिक्षा विभाग के जो पुस्तकालय हैं, शिक्षा विभाग को हमने लिखा है एक पत्र इस आशय का कि बाबा साहब का साहित्य रहे। इसके लिए उनको पत्र लिख दिया है। वहां से उनको जारी होगा।

मुरादाबाद के बर्तन उद्योग के उद्यमियों को कच्चे माल की सुविधा

*5--श्री रियासत हुसैन--

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि मुरादाबाद नगर में इस समय मुरादाबाद बर्तन उद्योग का कच्चा माल केवल उन लोगों को ही दिया जाता है जिनका एक्सपोर्ट 75 लाख रुपये से ऊपर का है ? क्या मध्यम वर्ग के निर्माता जो कम एक्सपोर्टर हैं उनसे यह सुविधा छीन ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी नहीं।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर 15 लाख रुपये की लिमिट नहीं है तो क्या कोई और लिमिट है। जिस धन के ऊपर एक्सपोर्ट होने पर ही कच्चा माल दिया जायेगा। 75 लाख के बजाय क्या कोई और लिमिट है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी नहीं।

*6--श्री केदारनाथ सिंह--

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्मोड़ा जनपद में लघु एवं भारी उद्योग की इकाइयां तथा बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने की योजना

*7--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में लघु एवं भारी उद्योग को वर्तमान समय में कितनी इकाइयां हैं और उनमें कुल कितने

श्रमिक कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि अधिकांश उद्योग कच्चा माल व बिजली के अभाव से मृतप्राय हैं ? यदि हां, तो सरकार इन उद्योगों को कच्चा माल एवं बिजली की आपूर्ति पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

वर्तमान समय में अल्मोड़ा जनपद में 586 लघु तथा लघुतर एवं 3 बृहत्/मध्यम स्तरीय इकाइयां स्थापित हैं जिनमें लगभग 3,800 श्रमिक कार्यरत हैं। अधिकांश उद्योग तो नहीं परन्तु कुछ उद्योगों के, कच्चा माल के अभाव म, बीमार होने की सूचना मिली है। इन बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत, पूर्ण सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह 3 उद्योग कौन-कौन से हैं, जो बीमार हालत में हैं। उनके नाम बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, पहला है मेसर्स जयाल आइरन ऐण्ड स्टील, रानीखेत, दूसरा कालिका उड वर्क्स रानीखेत, तीसरा काशी कन्डर्स्टस् रानीखेत। मेसर्स कुमार ब्रोंज पाउडर लिमिटेड।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन उद्योगों के बीमार होने की सूचना जब शासन को मिली तब भी इतनी देर बाद कच्चा माल उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

यह सात उद्योग हैं, जिनमे 3 की पहले और 4 की सूचना बाद में प्राप्त हुई। मान्यवर, यह 11-10-82 के पत्र के अनुसार कार्यवाही की गई। 20-7-78 से .... मान्यवर, असल में डेट दी हैं ...

श्री अध्यक्ष--

आप बहुत देर से देख रहे हैं, यदि तथ्य नहीं हैं तो सूचना मांगिये।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानते हुए ब्रोंज फैक्ट्री, जो रानीखेत में है, अक्तूबर से बन्द पड़ी हैं। वहां पर एक मधुकर कागज उद्योग है, जो साल भर से बन्द पड़ा है। उसमें एक अन्धा आदमी काम करता है, जिसको सरकार से वेतन भी नहीं मिल रहा है और मधुकर उद्योग वाला सरकार से लाखों रुपया ऐंठता रहता है।

श्रीमन्, मधुकर कागज उद्योग की तरह से कोल बोर्ड उद्योग जो कन्नादोली में है, वह भी बन्द पड़ा है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सूची उन्होंने दी है, वह नहीं है, इसमें इन उद्योगों का कहीं भी नाम अंकित नहीं है जो काफी लम्बे अर्से से बन्द पड़ी है। उसमें कहीं लीसा फैक्ट्री हैं और उसमें कहीं जो वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लागू है जिनको लकड़ी वगैरह मिली हैं, उसकी वजह से बन्द पड़ी हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप फिर से उनकी जांच करा लें ? और किन कारणों से वे बन्द पड़ी हैं उनके ऊपर भी जांच करा लें।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, मैंने जो 7 इकाइयों की सूची प्रस्तुत की हैं, उसके अलावा भी अगर माननीय सदस्य के पास कोई सूची हैं तो वह मुझे दे दें उन पर भी मैं जांच करवा लूंगा।

लखनऊ से बस्ती तथा गोरखपुर मार्गों पर निजी बसों का अनधिकृत रूप से संचालन तथा उसको रोकथाम

*8--श्री मोहन सिंह तथा श्री राम आसरे पासवान (अनुपस्थित) —

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ से बस्ती तथा लखनऊ से गोरखपुर रूट पर निजी बसें बिना परमिट की चल रही हैं, जिससे सरकार का लाखों रुपया का घाटा हो रहा है ? क्या शासन इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

कुछ बसों को अवसर पाकर इन मार्गों पर अनधिकृत रूप से बिना परमिट के चलाने के प्रयास किये जाते हैं। ऐसी बसों की कड़ी चेकिंग की जाती है और उनका नियमानुसार चालान करके मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को दन्डित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या 8, माननीय परिवहन मंत्री...

(परिवहन मंत्री के सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री हुकम सिंह--

व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी को बुलवाइये में दूसरा सवाल लेता हूं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपके आदेशों का उल्लंघन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

यह सदन का अवमान हैं ।

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न में सदस्यों नें रुचि जाहिर की थी । मैंने कहा कि मंत्री जी को बुला लिया जाय । लेकिन मुझे मालूम हुआ हैं कि वे अस्पताल चले गये हैं इसलिये मैं आज इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । यह प्रश्न आगे लिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपके समक्ष मंत्री जी बैठे हुये थे । मैंने इस प्रश्न पर रुचि दर्शाई थी। मान्यवर, आपने उसे स्वीकार कर लिया था ऐसी स्थिति में उनका यहां से चला जाना क्या आपके निर्देशों का और माननीय सदन का अवमान का प्रश्न नहीं बनता हैं । माननीय मंत्री जी खुद जानबूझकर चले गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । माननीय मंत्री जी को इसका स्वयं ध्यान रखना चाहिये था ।

मल्लावां, हरदोई के बुनकरों की शिकायत पर की गई जांच की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

*9--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां के बुनकरों द्वारा की गयी शिकायतों के क्रम में उद्योग अनुभाग 10 के उप सचिव द्वारा 29 जुलाई, 1982 के पत्रांक 3777/18-10-478 (एस) 81 के माध्यम से प्रश्नकर्ता को बताया गया कि जांच करा ली गयी हैं और मामले का निराकण कर दिया गया हैं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या हैं और निवारण किस मामले का कर दिया गया हैं ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर---

जी हां ।

जांच रिपोर्ट मुख्यतः जोड़े के क्रय के सम्बन्ध में हैं जो निराधार पाई गई हैं । भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों के निवारणार्थ, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम द्वारा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वह निगम की नीतियों के अनुसार यह सुनिश्चित करें कि बुनकरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अभी कल ही आपके माध्यम से मल्लावां के बुनकरों की दयनीय स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मान्यवर, इन बुनकरों को कारपोरेशन की यूनिट द्वारा सूत दिया जाता हैं और उसी सूत से वे जनता धोती बनाकर लाते हैं लेकिन उन्हें रिजक्ट कर दिया जाता हैं कि ताना मोटा हैं और

तागा पतला है जबकि उसी कारपोरेशन द्वारा दिये गये सूत से वे जनता धोतियां बनाते हैं। श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा पहले की गई थी, उस सन्दर्भ में जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई थी और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नस्तर--

मान्यवर, उसकी जांच रिपोर्ट श्री राम यज्ञ उपाध्याय, सहायक परियोजना अधिकारी, सधन हथकरघा विकास परियोजना, मल्लावां, हरदोई की तरफ से आयी है और वह जांच कानपुर के मुख्यालय के एक अधिकारी द्वारा कराई गई थी। माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है कि सूत जो बुनकरों को हथकरघा विभाग देता है और उन बुनकरों के द्वारा बिनी हुई धोती नहीं खरीदी जाती है। धोतियों के रिजेक्ट व वापिस किये जाने के कई कारण हैं। इनका मानक है कि धोतियों का वजन 900 ग्राम होना चाहिये यदि धोतियां 900 ग्राम से कम होती हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वह उस मानक के अन्तर्गत नहीं आती हैं। उनकी लम्बाई चौड़ाई, सूत नं0 कंघी नम्बर, वजन इन्डस प्रति इंच एवं पिक्स प्रति इंच से भी ज्यादा होती है तो उसे वापस कर दिया जाता है। यदि किसी धोती का वजन 900 ग्राम है लेकिन उसमें जो पौन्ड सूत लगाना चाहिये व पौन्ड सूत नहीं लगाया जाता है। 2800 जोड़े धोतियां भी इसी कारण से वापस कर दी गई थीं, क्योंकि मानक के अन्तर्गत नहीं आयीं। बुनकरों को सहायता दी जा रही है। जिस समय सवाल किया गया था उस समय धोती जोड़ी की खरीदारी इस परियोजना में अप्रैल में 12,825 जोड़े की थी। आज बुनकरों को सहूलियत देने के लिये 32,786 जोड़े जनवरी में परचेज किये गये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उनको सारी सुविधायें प्राप्त हैं और कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। अगर माननीय सदस्य को ऐसी कोई शिकायत हो कि हथकरघा विभाग बुनकरों के साथ इन्साफ नहीं कर रहा है तो वह लिखकर दे दें, विभाग उसकी जांच करेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने नार्म्स बनाये हैं, जिसके आधार पर धोती ली जाती हैं मेरा यह कहना है कि मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि जो धोतियां ली जाती हैं उसमें बुनकरों से तो कम बल्कि पावरलूम वालों से क्रय करके धोतियों का हिसाब पूरा किया जाता है और जो शिकायत सन् 1982 में मैंने राज्य मंत्री, उद्योग को दी थी, उस पर आज तक कोई जांच नहीं हुई। इसमें इतना व्यापक भ्रष्टाचार है कि अगर अकबरपुर से दो ट्रक की बुकिंग हुई तो एक ही ट्रक लदेगा....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, यह बहुत ही व्यापक सवाल है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मल्लावां के बुनकरों के समान जो उत्तर प्रदेश में इनकी एसोसियेशन हैं, उन्होंने भी एक शिकायती पत्र दिया था कि आज यह माल बुनकरों का इसलिए वापस कर दिया जाता

है कि जो मशीन से बना हुआ माल है, उसके स्थान पर खपत कर दिया जाता है। यह भी शिकायती-पत्र में एक विषय था, क्या शासन ने इसकी जांच करायी है ? अगर हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर---

ऐसी कोई शिकायत मलांवां के सिलसिले में नहीं थी, जो पावरलूम की धोतियों का खरीदारी के विषय पर खासतौर से हो। यह अन्य सवाल है। इसके अलावा भी माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह वजह कि पावरलूम की धोतियां ली जाती हैं इसलिए बुनकरों की धोतियां नहीं ली जायेंगी, इसमें प्रतिबन्ध इसलिए नहीं है कि खरीदारी में कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही धोतियां खरीदी जा सकती हैं और ज्यादा नहीं खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर माननीय सदस्य की ऐसी कोई शिकायती है, तो लिखकर दे देंगे जांच करा ली जायगी।

श्री राम असरे वर्मा---

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, मेरे प्रश्न के उत्तर में अभी यह बताया कि जांच करायी गयी। मेरी ओर से लिखी हुई शिकायत वहां के जो सहायता परियोजना अधिकारी हैं, उसके द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं के सिलसिले में थी और कोई भी अधिकारी जांच कार्यवाही के समय मेरे पास नहीं आया। माननीय मंत्री जी तो अभी आपके माध्यम से इस बात को माना है कि रिपोर्ट भेजी गयी एक श्री उपाध्याय की ओर से। मेरी शिकायत पर आख्या मांग ली गयी सहायक परियोजना अधिकारी से। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि क्या इस बात की स्पष्ट शिकायत कि धोतियों की खरीद में अनियमितायें बरती गयी और इतना ही नहीं वहां के बुनकरों की यह हालत हो रही है कि उनके पानी पीने की जो व्यवस्था थी, वह उखड़वा दी गयी। इस तरह की जाति द्वेष की भावना रखने वाले लोगों को वहां माननीय मंत्री जी ने तैनात कर रखा है और उनके धोतियों के जोड़ों को बेरहमी से फेंक दिया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस समस्त प्रकरण की जांच करायेंगे ? और चूंकि वह प्रश्न मुझ से सम्बन्धित है, इसलिए क्या मुझसे भी सम्पर्क स्थापित किया जायेगा, जांच अधिकारी द्वारा ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर---

माननीय सदस्य ने जिन बातों के लिए जांच के लिए कहा है, उन सब की जांच अवश्य कराई जायेगी और माननीय सदस्य से इस जांच के दौरान सम्पर्क किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---

प्रायः यह देखने में आता है कि जो माननीय सदस्य किसी प्रकार के शिकायती-पत्र देते हैं, उस शिकायत की जांच के दौरान सम्बन्धित माननीय सदस्य से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है। इसलिए शासन इस बात की ओर विशेषतौर पर ध्यान दें कि जिन माननीय सदस्यों की शिकायतें हों, उन्हें भी जांच के दौरान अवगत कराया जाए ?

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, यह जनता जोड़े जनता सरकार के वक्त में चले थे परन्तु इन्हें तो जनता के नाम से इलजीं होने लगी है, इसलिए उन गरीबों को उद्योग प्रोत्साहित करने के कि छोटे उद्योग भी हमारे प्रदेश में पनपे, उस ओर ध्यान न देकर पावरलूम की ओर ध्यान ज्यादा जा रहा है, क्या उनकी इन परेशानियों को दूर करने की कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जरूर करेंगे ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैंने अभी यह निवेदन किया था कि इस प्रश्न से सम्बन्धित एक शिकायत मैंने मई/जून, 1982 में अकबरपुर डिपो के मौजूद अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर की थी, परन्तु इस मामले में अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुयी, परन्तु क्या अब इस विषय पर जांच कराने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे और इस के दौरान मुझे भी सूचित किया जायेगा ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

माननीय, वैसे इस प्रश्न का सम्बन्ध माननीय सदस्यों का इस प्रश्न से नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं दिखवा लूंगा ।

ईंट की रायल्टी में बढ़ोत्तरी समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में उ० प्र० ईंट निर्माता समिति, लखनऊ का ज्ञापन

*10--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० ईंट निर्माता समिति (रजि०) लखनऊ के मंत्री द्वारा रायल्टी कर में 2 गुना वृद्धि को समाप्त करने के विषय में कोई ज्ञापन उन्हें 20-4-82 से 30-4-82 के बीच किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य मांग क्या है ? उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां ।

उक्त ज्ञापन में मुख्य मांग यह थी कि 1.50 रु० प्रति हजार ईंट की रायल्टी में दिनांक 1-4-1982 से 2.00 रु० प्रति हजार ईंट की बढ़ोत्तरी समाप्त की जाय ।

ज्ञापन पर विचार किया गया तथा मांग को स्वीकार किया जाना संभव नहीं पाया गया । तदनुसार समिति को सूचित कर दिया गया ।

नोट :--प्रश्न संख्या 10 श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की रुचि पर लिया गया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के जानना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि मांगों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उनको उचित नहीं पाया गया, तो किस आधार पर उचित नहीं समझा गय जो कि मांगों को अस्वीकार कर दिया ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, 1976 में एक समझौता हुआ उ0 प्र0 ईंट निर्माता संघ से उसमें तय हुआ कि प्रति वर्ष 5 पर्सेंट की वृद्धि की जाती रहेगी। आज 1983 है इस सात साल के अर्से में 5 परसेंट के हिसाब से बढ़ोत्तरी की जाय तो यह दो रु0 कुछ पैसा आता है जब कि केवल इस समय दो रुपया रखे हैं। दूसरी बात यह कि इसमें कहा गया कि 3 गुनी बढ़ोत्तरी कर दी गयी तो मान्यवर, डढ़ रु0 से दो रु0 प्रति हजार वृद्धि की गयी है। इसलिए जो परसेंटेज तय था, उसके हिसाब से बढ़ोत्तरी की गयी जिसकी वजह से मांग उचित नहीं मानी गयी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जिस कमेटी का आधार माननीय मंत्री जी ने कहा है उस समझौते में हस्ताक्षर किसने किये हैं, उनके अधिकारियों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, समिति का नाम तो मैंने अभी बता दिया लेकिन पदाधिकारियों के नाम की जहां तक बात है, उसके लिए सूचना मंगानी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के खड़े होने पर।)

पहले उनका उत्तर आने दें उसके बाद ही आप प्रश्न करेंगे।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

अगर आपकी सूचना को सही मान लें कि कोई समझौता नहीं हुआ जब कि समझौता हुआ है यह बात दूसरी है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी कि उ0 प्र0 ईंट निर्माता संघ का रजिस्ट्रेशन कराते, उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अगर उनकी सूचना को ही आधार मान लें तो हर चार साल में सरकार को रायल्टी का रिवीजन करने का अधिकार है। तो दो रुपया जो किया गया है वह मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति लेकर किया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह जो ईंट भट्ठा के मालिक हैं, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रह गया है कि कितने में वह बेचें ? कहीं ढ़ाई सौ में हजार बिक रहा है, कहीं साढ़े चार सौ में बिक रहा है। तो मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वे एक निश्चित रेट पर ही बेचेंगे जो ज्यादा पर बेचेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा है वह सिद्धान्ततः अच्छी बात है, लेकिन उसका इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ से बचाव की स्थायी योजना की जानकारी

*11--श्री माता प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित) तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आता है तो बाढ़ से बचाने के लिए कोई स्थाई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसे किस आधार पर और कब तक लागू किया जायगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी नहीं, ऐसी कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्थायी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12--श्री जयदीप सिंह बरार--

[15वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आगरा टर्मिनल रजबहा के गांव मलपुरा पर कटाव से फसल की कथित क्षति की पूर्ति

*13--श्री विजय सिंह राना--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में आगरा टरमिनल रजवहा के 2 जून, 1982 को मलपुरा गांव पर कट जाने से किसानों की जायद की फसल को जो क्षति हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

आगरा जनपद में आगरा टर्मिनल रजबहा 1 व 2 जून, 1982 की मध्य रात्रि को मलपुरा गांव के पास कट गया था । रजबहा के कट जाने से किसानों की जायद फसल को कोई क्षति नहीं हुई ।

चूंकि रजबहा का पानी पास में बने मिर्जापुर ट्रेन द्वारा स्वतः निकल गया इसलिए विभाग द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की कार्यवही किए जाने का प्रश्न नहीं होता ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जो अभी माननीय मंत्री जी ने पढ़ी है वह किस अधिकारी द्वारा जांच कर प्रस्तुत की गयी है, दूसरे इस संबन्ध में क्या तहसील स्तर की रिपोर्ट भी प्राप्त की गयी है अथवा नहीं ? यदि प्राप्त की गया है, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह जो रजबहा है, उस रजबहे पर पुल का निर्माण सार्वजनिक निर्माण के जरिये से हो रहा था । इसमें इस तरह के आदेश थे कि वहां पर पाईप डाल दें । पाईप वहां पर उन्होंने डाले जिसके कारण वहां पर कूड़ा फंस गया और इसलिए वहां पर पानी रुका और पानी के भराव से खाड़ी हो गयी । उस समय वहां कोई फसल नहीं थी, वह जून का महीना था उस समय तो कोई फसल होती भी नहीं है । इसलिए उस पानी से कोई फसल नष्ट नहीं हुई ।

श्री विजय सिंह राना--

मेरी स्वयं की जानकारी है, मैं स्वयं वहां गया था आपके डिपार्टमेन्ट के इंजीनियर्स के साथ । वहां पर हरिजनों की बस्ती है, वहां उन लोगों के पूरे घर पानी से भर गये थे । वहां पर पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेन्ट एक पुल का निर्माण कर रहा था, उसमें जानवर फंस गये थे जिसके कारण पानी भरने से वहां पर हरिजन बस्ती के घर पानी से भर गये । उस समय जायद की फसल खड़ी हुई थी । आपके परगनाधिकारी भी निरीक्षण के लिए गये थे उन्होंने भी देखा कि उस समय वहां पर जायद की फसल खड़ी थी । आप इस जानकारी के आधार पर इसकी पुनः जांच करायेंगे और जांच अधिकारी को निर्देश करेंगे कि वह जांच के समय मुझसे भी सम्पर्क स्थापित कर लें ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यदि इस प्रकार की कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर हम विचार कर लेंगे ।

श्री मेंहदी असगर--

जिस प्वाईन्ट पर नहर टूटती है तो वहां से तेजी से पानी निकलता है और सारी तल में अटकी तली तेजी के साथ पानी में बहती है जिससे कि फसल का नुकसान होता है और ऊपर से आप उससे तावन वसूल करते हैं । तो क्या ऐसे क्षेत्रों मे जहा पानी के भराव के कारण फसल नष्ट हो जाती है, वहां का तावान न लगाने का आदेश देंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इसका तो एक वैधानिक प्रक्रिया है, उसी के अनुरूप कार्यवाही होती है ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से एक स्पेसिफिक बात कही थी कि मैं और आपके परगनाधिकारी स्वयं मौके पर गये थे वहां पर जायद की पूरी फसल खड़ी हुई थी इसमें कोई शंका की बात नहीं है तो आप इस जानकारी का आधार मान कर इसकी दुबारा जांच करायेंगे ? क्या माननीय मंत्री जी वहां की दुबारा जाच कराने के आदेश देने का कष्ट करेंगे या नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त होगा तो जांच करा लेंगे ।

श्री विजय सिंह राना---

मैं यहां आपसे शिकायत ही तो कर रहा हूं ।

(मंत्री जी की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया)

देवरिया में छोटी गण्डक के कटान से शाहजहांपुर ग्राम के तीन घरों को क्षति तथा कटान को रोकथाम

*14--श्री नन्द किशोर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत छोटी गण्डक के कटान से अगस्त, 1982 में शाहजहांपुर गांव के तीन घर कट कर नदी में चले गये हैं ? यदि हां, तो क्या गांव को बचाने हेतु ठोकर बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जिला अन्तर्गत ग्राम शाहजहांपुर में तीन झोपड़ियां, जो कि नदी से दक्षिने तट पर स्थित थीं, 1982 की वर्षा ऋतु में छोटी गंडक नदी के कटान से कट गयीं ।

इस ग्राम के निकट नदी द्वारा कटान की कुछ वर्षों से प्रवृत्ति है जिसे रोकने के लिए विभाग द्वारा 4 पत्थर की ठोकरों का निर्माण वर्ष 1981-82 में किया गया था ।

कटान को रोकथाम हुई है, परन्तु कुछ कटान 1982 की बाढ़ में हुआ है । अब पुनः विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है, तदोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा परियोजनाओं के अनुबन्ध

*15--श्री रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)--

क्यों उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के द्वारा जो 44 उद्योग लगाने के अनुबन्ध 81-82 में हुए थे, वे सब समाप्त हो गये ? यदि हां तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने वर्ष 1981-82 में कुल 4 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निजी सह-प्रवर्तकों के साथ अनुबन्ध निष्पादित किए थे, जिनमें से 3 परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी रिबेट का भुगतान

*16---श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि गत 3 वर्षों से प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये रिबेट का पैसा खादी संस्थाओं को नहीं मिला ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और सरकार उक्त रकम का भुगतान कब तक करा देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शासन द्वारा खादी रिबेट के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को जो धनराशि स्वीकृत की गयी थी उससे अधिक रिबेट क्लेम प्राप्त होने के कारण सभी संस्थाओं को खादी रिबेट की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका है । इसके लिए द्वितीय अनुपूरक मांगों में व्यवस्था की जा रही है ।

मड़हा नदी की जलोत्सारण क्षमता बढ़ाने की योजना

*17--श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मड़हा नदी (तमसा) को फैजाबाद में गहरा कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? अग्रिम कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मड़हा नदी की जलोत्सारण क्षमता बढ़ाने की योजना बना ली गई है ।

इस पर राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर तथा धन की व्यवस्था होने पर कार्य आरम्भ कराना संभव हो सकेगा ।

जिलाधीश, जालौन व अधिशासी अभियन्ता, कोठौद साख के तीन मांगों के सम्बन्ध में श्री दलगंजन सिंह, विधायक की नोटिस

*18--श्री दलगंजन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्त्ता ने दि0 9-10-1982 को जिलाधीश, जालौन व अधिशासी अभियन्ता, कोठौद साख को तीन मांगों को लेकर आन्दोलन करने का नोटिस दिया है ? यदि हां, तो मांगों को पूरा न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

नोटिस में उल्लिखित मांगों को पूरा करने हेतु कार्यवाही प्रगति में है ।

मेसर्स पंजाब लाईमन ऐन्ड लाईम स्टोन कम्पनी देहरादून के खनन पट्टे को समाप्त करने की मांग

*19--श्री ओम प्रकाश जिंदल--

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि पंजाब लाईम ऐंड लाईमस्टोन कं0, देहरादून ने अपनी लम्बी धार स्थित माइन के लीजडीड के क्लाम 18 पैरा 7 का उल्लंघन कर इसी वर्ष टिस्को से एक अनुबन्ध करके 40 लाख रुपया अग्रिम धनराशि के रूप में ले लिया ? यदि हां, तो मन्त्री जी उस लीजडीड को समाप्त करने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

सर्वश्री पंजाब लाईम ऐण्ड लाईम स्टोन कं0 द्वारा टिस्को से खनिज आपूर्ति के संबंध में ली गई अग्रिम धनराशि से खनन पट्टे के भाग-7 की शर्त 18 का उल्लंघन नहीं होता है । खनन पट्टे के भाग-2 शर्त (1) के अन्तर्गत पट्टेदार को खनिज का व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है और माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु खरीददार द्वारा सामान्यतः इस प्रकार का अग्रिम दिया जाता है जो बिलों से बाद में समायोजित कर लिया जाता है ।

उपर्युक्त आधार पर लीज समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लीजडीड के क्लाज 18 का पैरा 7 क्या है और दूसरी चीज यह कि टिस्को से जो अनुबन्ध किया गया है, वह क्या है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, पैरा 18 में यह है कि अगर किसी किस्म का जिसके नाम लीज की गयी है, अगर कोई दूसरा अपना कन्ट्रोलर मुकर्रर कर देता है, या फाइनेंस कर रहा है या जैसे कोई शिकमी होता है, वैसा है, तो उस पर हो सकता है । इनका टिस्को से एग्रीमेंट हुआ है वह माल के खरीदने के सिलसिले में एडवान्स पैसे के बारे में है । पंजाब लाईम ऐण्ड स्टोन कं0 को 50,000 टन लाइम स्टोन की आपूर्ति करने हेतु टिस्को से आर्डर प्राप्त हुआ था जिसके एवज में टिस्को द्वारा 36·00 लाख पंजाब लाइम कं0 को अग्रिम के रूप में दिया गया था । यह धनराशि किस्तों में दिनांक 26 जून, 1981 को 6 लाख, दिनांक 12 अक्तूबर, 1981 को 10 लाख तथा दिनांक 14 मई, 1982 को 20 लाख प्राप्त हुई । यह अग्रिम की धनराशि टिस्को द्वारा स्टोन खनिज की आपूर्ति के बाद बिलों में समायोजित कर ली जानी थी और 6 लाख रुपये टिस्को द्वारा बिलों में से काट कर समायोजित कर लिए गये हैं । यह एक कारोबारी एग्रीमेंट है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि डीड का जो क्लाज 18 है, उसकी सेक्शन 7 के अनुसार किसी आदमी से पैसा लिया नहीं जा सकता है अगर लेते हैं तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जायेगा तो मान्यवर, उसका उल्लंघन हो गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि लीज कैंसिल न करने का क्या कारण है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

इसमें मान्यवर, 3 प्वाइंट हैं । जो क्लाज है वह यह है--

'दि लीज शैल नाट बी कन्ट्रोल्ड एन्ड दि लीज/लीजीज शैल नाट एलाऊ दैन सैल्वज टु बी कन्ट्रोल्ड बाई ऐनी ट्रस्ट सिन्डिकेट कारपोरेशन, फर्म आर परसन इक्सेप्ट विद दि रिटेन कनसेन्ट आफ दि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट । दि लीज/लीसीज शैल नाट इन टु आर मेक ऐनी औरजमेन्ट कनट्रैक्ट आर अन्डर स्टैन्डिंग हेयर बाई दि लीजी । लेजीज विल आर मे बी डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली फाइनेन्सड बाई आर अन्डर ह्विच दि लेसीज / लेसीज ओपरेशन आर अन्डरटेकिंग्स विल और में बी कैरोड आन डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली बाई आर फार दि बेनीफिट आफ आर

सबजेक्ट टु दि कन्ट्रोल आफ एनी ट्रस्ट, सिन्डीकेट, कारपोरेशन, फर्म आर परसन अनलेस विद दि रिटेन सैक्सन गिवेन प्रायर टु सच अरेन्जमेन्ट, कन्ट्रैक्ट आर स्टैन्डिंग'

श्री भोखा लाल--

माननीय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री रियासत हुसैन--

अभी 3 दिन पहले आपने रूलिंग दी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

माननीय, 50 हजार टन का लाइम स्टोन का एक एग्रीमेंट हुआ 'टिस्को' से और उसमें यह एग्रीमेंट हुआ कि लाइम के लिए एडवान्स देंगे तो रुपया एडवान्स के रूप में दिया गया । वह खनिज आपूर्ति के सम्बन्ध में है और खनन पट्टे के खंड-2 शर्त (1) के अन्तर्गत पट्टेदार को खनन करे गये खनिज का व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार पट्टों की लीज डीड को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मंत्री जी ने जो पत्र पढ़ा है उसका वह ट्रान्सलेशन नहीं है जिसको वे बता रहे हैं । वे तो सूचना दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप लोग बैठ जायें । मैंने मंत्री जी से कहा है कि जो पत्र उन्होंने पढ़ा है उसका वे सारांश बता दें ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

उसमें उन्होंने माल सप्लाई किया है और 15 प्रतिशत के हिसाब से जो ऐग्रीमेन्ट था, उसके हिसाब से 6 लाख रुपया दिया था वह एडजस्ट हो गया है और बाकी रुपया भी एडजस्ट होता जायेगा।

एक सदस्य--

यह तो अंग्रेजी में मंत्री जी बोले हैं, इसको कटवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं । बहुत से शासन के मंत्री जब कोई प्रश्न किया जाता है तो उसके उत्तर में अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं । उनको स्वयं पहले से ही उसका अनुवाद हिन्दी में तैयार करके या उसका सारांश या अभिप्राय हिन्दी में बता देना चाहिए ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

एक सवाल इस पर पूछना चाहता था ?

श्री अध्यक्ष--

अब मैं आगे बढ़ गया ।

कालेन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों में मास्टर काफ्टसमैन को वेतनमान की स्वीकृति की मांग

*20--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों में जो मास्टर क्राफ्ट्समैन नियुक्त किये गये हैं उनको किन कारणों से नियत (फिक्स) वेतन दिया जाता है ? कोई वेतनमान उनके लिए क्यों स्वीकार नहीं किया गया है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मास्टर क्राफ्ट्समैन की नियुक्ति केवल एक वर्ष की नियत अवधि के लिये की जाती है । इसलिये नियत वेतन का प्राविधान ही उचित है, किसी वेतनमान का नहीं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मास्टर क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनकी क्या योग्यता होती है और उनको कोई निश्चित वेतनमान देने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, ये जितने ट्रेनिंग सेन्टर कारपेट के खोले जाते हैं, यह एक वर्ष के लिये खोले जाते हैं और उसका मापदन्ड भारत सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है । जब एक साल इनका पूरा हो जाता है तो इन्हें प्रोडक्शन सेन्टर में तबदील कर दिया जाता है । इनको एक फिक्स्ड तनख्वाह हर महीने दी जाती है । कोई कंटीनुअस सर्विस इनकी नहीं होती है लिहाजा कोई निश्चित योग्यता अथवा वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मास्टर क्राफ्ट्समैन का अप्वाइन्टमेन्ट कहां से होता है और किस तरह से होता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इनका अप्वाइन्टमेन्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है या डिपार्टमेंटल होता है या वैसे ही अपने आप हो जाते हैं ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, इनका अप्वाइन्टमेंट ट्रेनिंग सेन्टर के लिये किया जाता है और जो यहां पर एक्सपोर्ट कारपोरेशन है वही लोग एक जगह पर इनका परीक्षण करते हैं और उन्हीं से प्रशिक्षण दिलाया जाता है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के वैभागिक आरक्षित पदों पर वैभागिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा स्थायीकरण

**1—फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978 से उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के चयन के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं के आधार पर 50 प्रतिशत विभागीय रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियां करके सम्बन्धित प्रवर वर्ग सहायकों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्रश्न में उल्लिखित विषय उच्चन्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में विचाराधीन एक रिट याचिका संख्या-669/82 में विवादित है । अतएव जनहित में प्रश्न का उत्तर दिया जाना उचित नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि क्या उच्च न्यायालय ने कोई स्थगनादेश उस याचिका में पारित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार के ऊपर उनकी प्राथमिकता के ऊपर कोई रोक लगाई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो इस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि जनहित में उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि स्थगनादेश कोई दिया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसका सूचना नहीं है लेकिन स्थगनादेश नहीं है तब भी मामला सब-जुडिस है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग की ओर से डिपार्टमेन्टल कंफरमेशन के सिलसिले में कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गयी, उसमें कंफरमेशन को रोकने के सम्बन्ध में स्टे आर्डर मिला है कि नहीं ? यदि स्टे आर्डर नहीं मिला तो डिपार्टमेन्टल कंफरमेशन की जो प्रक्रिया थी, उसको न पूरा करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, एक सेलेक्शन हुआ जो कि काज आफ ऐक्शन का कारण हुआ । कोर्ट में यह मामला आ गया । इसलिए इनके प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं कि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । नियमावली के अन्तर्गत जब

मामला कोई न्यायालय में विचाराधीन हो तो जनहित में बताना उचित नहीं होता है, इसलिए इसमें सूचना देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है ?

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सेलेक्शन कब हुआ और उसके बाद में स्थायीकरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू किया है कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य यदि प्रश्न पढ़ें तो उसी में उसका उत्तर लिखा है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, 1982 में याचिका दायर हुई, 1973 में सेलेक्शन हुआ, तो 4 वर्ष में कोई प्रक्रिया स्थायीकरण की शुरू किया कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

किया या नहीं, इसका निर्णय अदालत करेगी ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, जब इनको मालूम था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सदन में उत्तर नहीं दे सकते तो इन्होंने अध्यक्ष महोदय को इस बात की सूचना पूर्व देना उचित क्यों नहीं समझा जिससे सदन का समय नष्ट न होता ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके सन्दर्भ में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो यह विषय विधान सभा की चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था और यदि यह आ गया है और मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है तो मेरा जानकारी मांगने का अधिकार हो जाता है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1982 में मामला न्यायालय में गया और 1978 में सेलेक्शन हो गया था, तो बीच के 4 वर्षों में शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि कोई तथ्य आप लोगों से छिपाया जाए। यह जो बीच का समय था, इसमें हमारे जो इससे प्रभावित कर्मचारी थे, उनमें और शासन के बीच वाद-विवाद चल रहा था। वह कहते थे कि डिपार्टमेन्टल प्रमोशन की संख्या कुछ है और सरकार कहती थी कि कुछ है । इसलिए इस पर निर्णय नहीं हो सका । अतः फरवरी, 1982 में वह कोर्ट चले गए, इसलिए अब मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं सारे तथ्य सदन में रख देता ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्न समाप्त हो गये ।

अतारांकित प्रश्न

गोमती नदी के लामार्टिनियर बन्धे पर बोल्डर पिचिंग कार्य के प्राक्कलन का स्वीकृति तथा निविदा

1--श्री मोहन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी से लामार्टिनियर बन्धे पर बोल्डर पिचिंग के कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत है ? यदि हां, तो इतने बड़े कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्य-स्थल पर ईंटों की गिट्टी कम मात्रा में तथा निम्न श्रेणी की लगाई गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। लामार्टिनियर बन्धे के बोल्डर पिचिंग का एक विस्तृत प्राक्कलन बनाया जा चुका है तथा जिसकी स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 30-4-81 में इन कार्यों के हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुयी थी ।

कार्यस्थल पर ईंटों की गिट्टी की मात्रा मांग करके माप पुस्तिका में अंकित करके लगायी गयी थी एवं भुगतान किया गया था। पुरानी ईंटों की गिट्टी जो ठीक श्रेणी की थी वह लगायी गयी थी।

शारदा नहर लखनऊ में गोमती बांध पर पम्पों की मरम्मत के लिए अनुबन्धित धनराशि का भुगतान

2--श्री मोहन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खंड 2 शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती बन्धे पर पम्पों के मरम्मत हेतु सं0 अ0 द्वारा 12,000 रु0 के लागत का अनुबन्ध किया गया है ? परन्तु अब कुल भुगतान लगभग 50,000 रु0 किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। लखनऊ खंड 2 शारदा नहर लखनऊ में गोमती बांध पर चार पम्पों की मरम्मत के लिए 49,000 रु0 के अनुमानित लागत का अनुबन्ध किया गया है। इस अनुबन्ध के विरुद्ध 24,629 रु0 तक ही अभी तक भुगतान हुआ है। कुल कार्य को लागत माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि के आधार के अनुसार 49,363 रु0 आंकी गयी है।

लखनऊ खंड 2 शारदा नहर के नहरों की सफाई हेतु आमंत्रित निविदा

3--श्री मोहन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खंड 2 शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में नहरों की सफाई के लिए आदेशों के बावजूद भी निविदा आमंत्रित नहीं की गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ खंड 2 शारदा नहर लखनऊ में 88 नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया था। 42 नहरों की सफाई हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी परन्तु निविदा दर विभागीय दर से अधिक थी। इस कारण मंडल के स्वीकृत दरों पर कार्यादेशों के माध्यम से सफाई का कार्य कराया गया।

गोमती बांध के बीच में पड़ने वाले भवनों का मलवा तथा प्राक्कलन

4—श्री मोहन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती बंधों के बीच पड़ने वाले कितने मकान अधिशासी अभियन्ता लखनऊ खण्ड 2 द्वारा तुड़वाए गये ? क्या मकानों के नक्शे तथा प्राक्कलन स्वीकृत कराये गये थे ? तोड़ने से कितना सामान (मलवा) निकला इसका प्राक्कलन क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोमती बांध के बीच में पड़ने वाले 9 भवनों का अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड 2 शारदा नहर, लखनऊ द्वारा तुड़वाये गये थे।

भवनों के प्राक्कलन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये थे।

प्रत्येक भवन के टूटने से निकलने वाले मलवे का अलग से प्राक्कलन बनाना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि भवनों को जैसे हैं व जहां हैं, के आधार पर तोड़ने हेतु निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् बेच दिया गया था।

आजमगढ़ क्षेत्र में कुल कार्यरत चालकों व परिचालकों की संख्या तथा आरक्षण कोटा

5—श्री मोहन सिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ रीजन में इस समय कुल कितने चालक व परिचालक कार्यरत हैं तथा उसमें (हरिजनों) अनुसूचित जाति के क्रमशः कितने चालक व परिचालक कार्यरत हैं ? क्या इसमें आरक्षण का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो सरकार उसे पूरा कराने की व्यवस्था करायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आजमगढ़ क्षेत्र में कुल कार्यरत चालकों की संख्या 475 तथा परिचालकों की 524 हैं जिनमें 15 चालक एवं 75 परिचालक अनुसूचित जाति के हैं।

अनुसूचित जाति के चालकों व परिचालकों का निर्धारित कोटा पूर्ण नहीं है। वर्तमान समय में परिवहन निगम बोर्ड ने नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया है इसलिए भविष्य में जब नियुक्तियां होंगी तो उनमें अनुसूचित जाति के चालकों व परिचालकों का कोटा पूर्ण करना सम्भव होगा।

जनपद कानपुर देहात के ग्राम प्यारेपुर में निर्मित राजकीय नलकूप

6—श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवराजपुर, ग्राम प्यारेपुर तथा राजेपुर में नलकूप बन कर तैयार हैं परन्तु वे अभी तक चालू नहीं किए जा सके हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड शिवराजपुर के ग्राम प्यारेपुर में निर्मित कूप संख्या 35 बिल्हौर ग्रुप वर्ष 1978 से चालू है तथा ग्राम राजेपुर शादीपुर में निर्मित राजकीय नलकूप पर पम्प हाउस बन चुका है। पम्पिंग सेट के अभाव के कारण अभी तक चालू नहीं हो सका है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन की जांच

7--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार गबन आदि की उच्चस्तरीय जांच के सम्बन्ध में श्री राम आसरे वर्मा, एम0 एल0 ए0 के ज्ञापन दि0 27-5-82 तथा 6-8-82 क्रमशः उन्हें 31-5-82 तथा 17-8-82 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों में उल्लिखित आरोपों की जांच किस माध्यम से कराई जा रही है तथा उसके आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां।

आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सौंपी गयी है।

वित्तीय मामलों की सम्परीक्षा विभागीय सम्परीक्षकों द्वारा पूर्ण की गयी और रिपोर्ट के आधार पर संस्था को देय अनुदान से रु0 98,375 की कटौती कर ली गयी है।

गोरखपुर नलकूप खण्ड, प्रथम तथा द्वितीय में नलकूप चालकों के पद

8--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नलकूप खण्ड प्रथम तथा द्वितीय के अन्तर्गत 500 नलकूप चालकों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1980 में 450 चयनित नलकूप चालकों को अभी तक नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो अभी तक नियुक्ति न करने का क्या कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

नलकूप खण्ड प्रथम एवं द्वितीय गोरखपुर के लिये स्वीकृत निर्मित नलकूप चालक के समस्त पद भरे हुए हैं। अंशकालिक नलकूप चालक के पदों पर वर्ष 1980 में इन खण्डों हेतु चयनित 417 अभ्यर्थियों में से 95 को नियुक्त किया जा चुका है।

गोरखपुर मण्डल में महेन्द्रा मिनी बसों द्वारा टैक्सी के रूप में लिया गया मार्ग कर

9–श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर (मन्डल) परिक्षेत्र में चलने वाली महेन्द्रा मिनी बसों द्वारा जनवरी, 82 से मार्ग कर टैक्सी के रूप में जमा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उन मिनी बसों को रोड परमिट टैक्सी रूप में प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो मार्ग कर (टैक्सी) का उनसे जमा कराने का औचित्य क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

शासन की अधिसूचना संख्या 4170 टी/तीस–4–45 के0 एम/79, दिनांक 31 अगस्त, 1981 के अनुपालन में आदेश के होने की तिथि से इस संभाग में महेन्द्रा ठेका गाड़ी (मोटर कैब) अनुज्ञा पत्र दिया जाना अथवा उसे टैक्सी के रूप में पंजीकृत किया जाना बन्द कर दिया गया है ।

अब इस प्रकार की गाड़ियों को उनकी बैठने की क्षमता के आधार पर सीट देकर बस के रूप में पंजीकृत किया जाता है तथा तदनुसार मार्गकर वसूल किया जाता है । उक्त अधिसूचना के पूर्व इस प्रकार की जिन गाड़ियों को ठेका गाड़ी (मोटर कैब) के अनुज्ञा पत्र दिए जा चुके हैं उनसे परमिट की वैधता की तिथि तक टैक्सी के रूप में मार्गकर लिया जा रहा है ।

गण्डक नहर निर्माण खन्ड तृतीय, देवरिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा फर्जी भुगतान की जांच

10–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8–10–82 जिसमें श्री अमरनाथ सिंह द्वारा गन्डक नहर निर्माण खन्ड तृतीय देवरिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा फर्जी भुगतान किए जाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर जांच कराई गई और क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं । जांचोपरान्त ही प्रकाश में आने वाले तथ्यों पर कार्यवाही करना संभव हो सकेगा ।

सरयू कैनाल परियोजना की स्वीकृत लागत तथा पूरी होने की अवधि

11–श्री माता प्रसाद पान्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू कैनाल परियोजना जो उ0 प्र0 सरकार द्वारा चलाई जा रही है कुल कितने रुपए की है तथा उसे कब प्रारम्भ होकर किस वर्ष में पूर्ण होना है ? क्या वह अपने निश्चित अवधि में पूरी हो जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सरयू कैनाल परियोजना की स्वीकृत लागत रुपये 299, 20,00,000 (रुपये दो सौ निन्यानबे करोड़ बीस लाख) है । इस परियोजना का कार्य वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ किया गया था तथा समाप्त कार्य वर्ष 1982-83 में पूर्ण होने की संभावना है । प्रत्येक वर्ष निर्धारित धनराशि के उपलब्ध होते रहने पर, परियोजना के निश्चित अवधि तक पूरी होने की आशा है ।

जनपद बस्ती में हरिजनों के विकास के लिए आवंटित धन तथा व्यय

12-श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में हरिजनों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 82-83 में कुल कितना धन हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित था तथा 30 सितम्बर, 82 तक कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री गुलाब सेहरा--

जनपद बस्ती में वर्ष 1982-83 में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा रु0 1,13,13,795.00 हरिजनों के विकास के लिए आवंटित किया गया था, जिसमें से 30 सितम्बर, 1982 तक रु0 18,65,820.96 व्यय हुआ ।

भदोही मिर्जापुर में कालीन उद्योग की समस्याओं से सम्बन्धित पत्र

निर्यात निगम की कालीन प्रशाखा में कालीन का क्रय एव निर्यात तथा स्टाक का सत्यापन

13-श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही मिर्जापुर कालीन उद्योग की समस्याओं के विषय में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र उद्योग मन्त्री को 15-4-82 को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

किन्तु कालीन उद्योग की कथित समस्यायें केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित हैं । राज्य सरकार द्वारा इन कठिनाइयों के बारे में केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है । मुख्य मन्त्री जी के स्तर से भी इन समस्याओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री जी को लिखा गया था, जिनसे प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार कालीन उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करती रहती है और कठिनाइयों को दूर करने के लिए यथेष्ठ कार्यवाही भी की जाती है ।

14—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 निर्यात निगम ने कालीन निर्यात करने के लिए तथा निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए भदोही मे अपना एक डिपो खोल रखा है और उसके कई अधिकारी भदोही में रहते हैं ? यदि हां, तो कब से निर्यात निगम का कारोबार भदोही में चलाया गया है, कितने रुपयों का कालीन खरीद गया कितना निर्यात किया गया और तब से अब तक निगम का कितना व्यय कालीन के अलावा अन्य मदों पर हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

वांछित विवरण अनुलग्नक में दिया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 811 पर।)

15—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात निगम भदोही में लाखों रुपए का कालीन बिना निर्यात के पड़ा है और सड़ रहा है ? क्या इसका कभी सत्यापन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

31 मार्च, 1982 को 2·43 लाख रु0 के क्षतिग्रस्त कालीनों को मिलाकर प्रशाखा के स्टाक में 18·12 लाख रु0 मूल्य के कालीन थे। स्टाक का सत्यापन प्रतिवर्ष कराया जाता रहा है।

परिवहन निगम रोडवेज वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, रायबरेली में बसें, वर्कशाप के सत्यापन, कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी

16—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम रोडवेज, वाराणसी, रोडवेज जौनपुर, रोडवेज मिर्जापुर, आजमगढ़, रायबरेली, में सन् 1980 में कितनी बसें थीं और अब कितनी चालू हालत में हैं व कितनी खराब हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

17—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पांचों डिपो के वर्कशापों का पिछली बार कब सत्यापन कराया गया था तथा सत्यापन में कितना सामान गायब मिला है ? क्या सरकार उसकी एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

18--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पांचों रोडवेज के वर्कशापों में अलग-अलग कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि सभी वर्कशापों में सामानों की कमी है ? इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही ।

शारदा सहायक खंड 38--बाबतपुर राजबहा, वाराणसी हेतु ली गयी भूमि तथा कृषकों को मुआवजा

19--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक 38 खंड बाबतपुर, राजबहा, जिला वाराणसी में गांव असबारां में जगजोत शिरोमणि अढोवर, बद्री बलभद्र तथा गांव दारापुर, निवासी गिरधर सिंह, नथईपुर की जमीन ली गयी है ? यदि हां, तो इन लोगों को मुआवजा न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार उपरोक्त किसानों की ली गयी जमीन की पैमाइश कराकर उनको जल्द से जल्द मुआवजा देने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में कालोन प्रशिक्षण केन्द्र निर्यात सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास

20--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने कालोन ट्रेनिंग के सेंटर किन-किन जिलों में चलाए जा रहे हैं और उन पर कितना खर्च 1981-82 में किया गया है और कितने ट्रेनिंग कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस समय प्रदेश में कालोन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कुल 58 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनका जनपदवार विवरण संलग्न है ।

केन्द्रों पर वर्ष 1981-82 में 73,74,181·88 रु0 व्यय किये गये ।

लगभग 2,900 अभ्यर्थी इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 812 पर ।)

21—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात किये हुए कालीनों की ठीक से बिक्री न होने से सन् 1980 में 50 करोड़ का तथा 1981 में 13 करोड़ का तथा 1982 में 15 करोड़ का माल विदेशी बन्दरगाहों पर पड़ा है ? यदि हां, तो उद्योग विभाग, उ० प्र० ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के उद्योग विभाग तथा निर्यात (एक्सपोर्ट विभाग) से कोई बात इस कठिनाई को दूर करने के लिए की है ? यदि हां, तो वह क्या है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि निर्यात का विषय केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । कालीन उद्योग की निर्यात सम्बन्धी समस्याओं की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और उनसे प्राप्त सूचनानुसार कठिनाईयों को दूर करने हेतु उनके द्वारा यथावश्यक प्रयास भी किया जाता रहा है ।

ओबरा बांध निर्माण मण्डल ओबरा, जिला मिर्जापुर में सहायक अभियन्ता का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण, मुख्य अभियन्ता द्वारा निरीक्षण तथा टी० ए०, डी० ए० से प्राप्त धनराशि

22—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा बांध निर्माण मण्डल ओबरा, जिला मिर्जापुर में कितने सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जिनको वहां पर कार्य करते हुए 3 वर्ष से ऊपर हो गया है ? क्या सरकार इनके स्थानान्तरण पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

23—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, ओबरा बांध निर्माण के दौरान सन् 1980 व 1981 तथा मई, 1982 तक कितनी बार मण्डल ओबरा में गए और वहां पर किन-किन कार्यों का निरीक्षण किया तथा टी० ए० व डी० ए० पर कितना रुपया लिया ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

ओबरा बांध निर्माण का कार्य वर्ष 1971 में पूरा हो चुका था । मुख्य अभियन्ता (पूर्व) ने वर्ष 1980, 1981 तथा मई, 1982 तक ओबरा बांध निर्माण मंडल ओबरा के कार्यों का निरीक्षण 12 बार किया तथा निम्नांकित कार्यों का निरीक्षण किया :—

1—ओबरा एवं कनहर बांध स्थल का निरीक्षण ।

2—सोन पम्प नहर के कार्यों का निरीक्षण ।

3--डोमनिया नाला के डूब क्षेत्र का निरीक्षण।

4--थेमा पुल कनहर बांध के कार्यों का निरीक्षण।

5--थेमा पुल, अनवार कालोनी एवं घनौरा कालोनी का निरीक्षण।

6--कनहर मंडल के कार्यों का निरीक्षण।

7--ओबरा बांध का निरीक्षण।

8—कनहर निर्माण मंडल के कार्यों का निरीक्षण।

इन यात्राओं हेतु मुख्य अभियन्ता (पूर्व) ने टी0 ए0 तथा डी0 ए0 पर 593·22 रु0 प्राप्त किया।

बाबतपुर रजबहा के निर्माण हेतु ग्राम बरही कलां व बरही नेवादा की ली गयी भूमि तथा मुआवजे का वितरण

24--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक 38वां खण्ड बाबतपुर रजबहा, वाराणसी में गांव बरही कलां व बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, तहसील वाराणसी का जमीन 39 मीटर के हिसाब से ले ली गई है और दो वर्ष पूर्व नहर खोद दी गई है लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? इसका क्या कारण है ? मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद वाराणसी में शारदा सहायक खन्ड 38 के द्वारा बाबतपुर रजवहा के निर्माण हेतु बरही कलां व बरही नेवादा की जमीन 34 से 40 मीटर की चौड़ाई में ली गई है। भूमि अधिग्रहण के अनुसार भूमि अर्जन करके जनहित में नहर चला दी गई थी। ग्राम बरही कलां की भूमि का मुआवजा दिनांक 18-8-1982 को वितरित कर दिया गया है। ग्राम बरही नेवादा का मुआवजा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण नहीं बांटा जा रहा है। स्थगन आदेश के निरस्त होने के पश्चात् मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

100 क्यूसेक क्षमता की औसत ढाल तथा क्रास सेक्शन की नहरों को पक्का करने पर औसतन व्यय

25--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा 100 क्यूसेक डिस्चार्ज क्षमता की औसत ढाल एवं क्रास सेक्शन की नहर को पक्का करने पर प्रति किलोमीटर औसतन कितना व्यय होता है ? क्या ऐसी कच्ची नहरों से जलरिसाव रोकने के कोई और भी उपाय शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं एवं उनके रिसाव रोकने की प्रतिशत क्षमता क्रमशः कितनी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

100 क्यूसेक क्षमता एवं औसत ढाल तथा क्रास सेक्शन की नहरों को पक्का करने (स्तरीकरण) में लगभग 3 से 3 1/2 लाख रुपये की लागत प्रति कि0 मी0 होती है।

नहरों से जल-रिसाव रोकने के लिए कोई अन्य उपाय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में अनधिकृत रूप से चलने वाले वाहनों के लाईसेन्स की रोकथाम

26--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री यह जानते हैं कि प्रदेश में हजारों की संख्या में बसें और मिनी बसें, टैंकर, जीपें बिना लाईसेन्स की चल रही हैं जिनसे प्रदेश को करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं । कुछ वाहनों को अवसर पाकर अनधिकृत रूप से चलाने के प्रयास किये जाते हैं । ऐसे वाहनों की कड़ी चेकिंग की जाती है और उनका नियमानुसार चालान करके मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को दन्डित भी किया जाता है ।

जनपद बुलन्दशहर में स्याना नाले पर मिट्टी का कार्य तथा ठेकेदार को भुगतान

27--श्री छत्तर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना देहरा ड्रेन, जनपद बुलन्दशहर की पटरियां समतल नहीं की गईं तथा उक्त कार्य के पूर्ण हुये बिना पैसा विभाग से ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी पटरियों को समतल कराते हुए मामले की विभागीय जांच कराकर उचित कार्यवाही करवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

स्याना नाले पर मिट्टी का कार्य वर्ष 1979-80 में किया गया था । यह मिट्टी नाले की सफाई से निकाली गई थी और जिसे पटरियों पर डाला गया था । ठेकेदार को जो दर दी गई थी उसमें मिट्टी की खुदाई तथा उसकी ड्रेसिंग का कार्य भी सम्मिलित था, जो उसने किया ।

न तो प्राक्कलन में और न ही दी गई दरों में पटरी को समतल कराने का प्राविधान था । ऐसी दशा में किसी विभागीय जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

बुलन्दशहर में स्याना देहरा ड्रेन एवं बिगराऊ ड्रेन के संगम स्थल पर प्रस्तावित पुल

28--श्री छत्तर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि स्याना देहरा ड्रेन, जनपद बुलन्दशहर में जहां पर ड्रेन बिगराऊ मिलती है, दोनों के संगम स्थल पर चार साल से एक पुल प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण आज तक प्रारम्भ नहीं हो पाया ? विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? पुल कब तक बनवाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां । स्वीना देहरा ड्रेन एवं बिगराऊ ड्रेन के संगम स्थल पर एक पुल प्रस्तावित है । इसके निर्माण हेतु एक कार्यादेश, दिनांक 20 मार्च, 1980 को ठेकेदार के नाम किया गया था । कार्य आरम्भ न करने पर ठेकेदार को नोटिस दिया गया जिसके बावजूद भी ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया । विलम्ब के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अब पुल के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर अनुबन्ध की कार्यवाही प्रगति में है ।

कार्य जून, 1983 से पूर्व सम्पन्न होने की संभावना है ।

मिर्जापुर बेलन-बकहर में अधिकारियों के विरुद्ध जांच तथा श्री हूब लाल सिंह, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच

29--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, सिंचाई में 31-8-82 को एक आदेश संख्या 5214/82-सि0-10 विशेष सचिव को तथा उसकी प्रतिलिप प्रमुख अभियन्ता को संख्या 1214/1/82-23 सि0-10 द्वारा सूचित किया है कि मिर्जापुर बेलन-बकहर में 9 अधिकारियों की जांच की जा रही है इसलिए उन्हें अकार्यकारी पद पर रखा जाय ? क्या यह सही है कि इसमें हूब-लाल सिंह, सहायक अभियन्ता देवकली पम्प नहर, गाजीपुर का नाम भी रख दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों जबकि इनके खिलाफ कोई जांच नहीं है और न तो अब तक कोई अभियोग-पत्र ही दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

श्री हूबलाल सिंह, सहायक अभियंता के विरुद्ध मिर्जापुर के बेलन बकहर नहर के निर्माण कार्यों में हुई कथित अनियमितताओं की खुली सतर्कता जांच प्रचलित है ।

बस्ती जनपद में राजकीय नलकूप संख्या 31 डुमरियागंज के पुर्ननिर्माण की मांग

30--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में नलकूप संख्या 31 डुमरियागंज समूह में कितने दिनों से खराब पड़ा है ? क्या सरकार उसे ठीक करा-कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जनपद में राजकीय नलकूप संख्या 31 डुमरियागंज समूह दिसम्बर, 1968 में विफल घोषित कर दिया गया था । वार्षिक चलित घंटे कम होने के कारण इसका पुर्ननिर्माण स्वीकृत नहीं किया गया बल्कि इस नलकूप का परित्याग कर दिया गया । अतः प्रश्नगत नलकूप के पुनः निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

31—श्री नन्द किशोर सिंह—

[चौथे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

32—श्री हरिवंश सहाय—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र के बर्डघाट डिपो में गबन तथा जांच

33—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र के बर्डघाट डिपो में लगभग एक लाख रुपये के गबन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 24-3-82 उनको मिला है ? यदि हां, तो अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

34—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले की जांच में कौन-कौन से लाभ दोषी पाए गये और उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

35—श्रीमती गौरी देवी—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सिंचाई निर्माण मन्डल, गोरखपुर के लिपिकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा

36—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण मंडल, गोरखपुर में लिपिकों की नियुक्ति के लिए 14 फरवरी, 1981 को परीक्षा होने वाली थी, जिसमें 4 हजार (आवेदनकर्त्ताओं) अभ्यर्थियों को बिना सूचित किए परीक्षा निरस्त कर दी गई ? यदि हां, तो परीक्षा न कराने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

चारबाग डिपो के कनिष्ठ डिपो प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत

37--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र संख्या 360/क 82 दिनांक 17-5-82 को श्री पी0 के0 जैन, डिपो प्रबन्धक, चारबाग डिपो, उत्तर प्रदेश रा0 स0 प0 नि0, लखनऊ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा इसी डिपो के कनिष्ठ डिपो प्रबन्धक के विरुद्ध की गयी शिकायत के सन्दर्भ में लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सतीश चन्द्र मेहरोत्रा, वैयक्तिक सहायक, सिंचाई विभाग के स्थानान्तरण की मांग तथा शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

38--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सतीश चन्द्र मेहरोत्रा, वैयक्तिक सहायक, ई-4, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक ही स्थान पर लगभग 5 वर्ष से अधिक हो गया है ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

वर्ष 1982 के सामान्य स्थानान्तरण के समय इनकी प्रार्थना पर बच्चों की शिक्षा की स्थिति को देखते हुए इनके स्थानान्तरण का प्रस्ताव एक वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया था ।

39--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सतीश चन्द्र मेहरोत्रा, वैयक्तिक सहायक, ई-4, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा बरती जा रही गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 19-7-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य का एक शिकायती-पत्र दिनांक 20-7-1982 प्राप्त हुआ है ।

मेजा तथा मऊआईमा, इलाहाबाद में काटन मिल्स का उत्पादन

40--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में दो काटन मिल्स लगाई जा रही हैं एक मेजा में दूसरा मऊआईमा में ? यदि हां, तो इनमें उत्पादन कब से शुरू हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मेजा मिल में माह जुलाई 1984 से तथा मऊआईमा मिल में अगस्त, 1984 से उत्पादन शुरू किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान एरोनाट्क्स लि0 के लिए अध्याप्त भूमि का कब्जा

41--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एच0 ए0 एल0 का एक अतिरिक्त कारखाना उ0 प्र0 में खुलना था जिसके लिए जमीन अध्यापित करके सरकार को देना था ? यदि हां, तो क्या वह जमीन सरकार ने एच0 ए0 एल0 को उपलब्ध करा दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

अध्याप्त भूमि का कब्जा हिन्दुस्तान एरोनाट्क्स लि0 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 1982 को दे दिया गया है ।

उ0 प्र0 परिवहन निगम के पास बसें तथा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित बस सेवायें

42--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 परिवहन निगम के पास 13-10-82 को कुल कितनी बसें हैं और कितनी चलने की स्थिति में हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास अक्टूबर, 1982 में 5,842 बसें थी उनमें 4,365 बसें चलने की स्थिति में थीं ।

43--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में परिवहन निगम सभी राष्ट्रीय मार्गों पर बसें चला रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेश के सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवायें संचालित कर रहा है । केवल हरिद्वार-लक्सर-पुरकाजी राष्ट्रीयकृत मार्ग का लक्सर से पुरकाजी तक का भाग बस संचालन के योग्य न होने के कारण, इसके हरिद्वार लक्सर भाग पर ही निगम बसें संचालित हैं ।

44--श्री हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री पी० एन० चतुर्वेदी, वरिष्ठ सहायक, सिंचाई विभाग के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

45--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी० एन० चतुर्वेदी, वरिष्ठ सहायक, ई-4(ख), सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र दि० 20-7-82 एवं 22-9-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इन पत्रों में श्री पी० एन० चतुर्वेदी के विरुद्ध किसी विशिष्ट शिकायत के उल्लेख न होने के कारण, अस्पष्ट तथा सामान्य प्रकृति के आरोपों पर, साक्ष्य के अभाव में कोई विभागीय जांच संभव न हो सकी ।

सहकारित क्षेत्र में छोटे-छोटे बिक्री केन्द्र डिपो खोले जाने की योजना

46--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता क्षेत्र में हथकरघा उद्योग की मुख्य समस्या उत्पादित वस्तुओं की बिक्री है, जिसके समाधान हेतु छोटे-छोटे बिक्री केन्द्र डिपो खोले जाने की योजना बुनकरों के लाभ के लिए चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद का कस्बा टांडा बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो टांडा कस्बा में वर्ष 80-81, 81-82 एवं वर्ष 82-83 में अलग-अलग कितने केन्द्र खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जी कोई नहीं ।

यह योजना वर्ष 1981-82 से प्रारम्भ हुई है । वर्ष 81-82 एवं 82-83 में टांडा की किसी भी हथकरघा सहकारी समिति से इस योजना हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम भूलेपुर, इल्तिफातगंज एवं शहर टांडा में कार्यरत हथकरघा सहकारी समितियां एवं उनके आधुनिकीकरण तथा रंगाई की सुविधा के लिए प्रदत्त सहायता

47--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के टांडा तहसील के ग्राम भूलेपुर, ग्राम इल्तिफातगंज एवं शहर टांडा में कौन-कौन हथकरघा सहकारी समितियां कार्यरत हैं ? इन हथकरघा समितियों के आधुनिकीकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम भूलेपुर में कोई समिति कार्यरत नहीं है। ग्राम इल्तिफातगंज मे मेसर्स वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, टांडा कार्यरत है। टांडा में निम्नांकित समितियां कार्यरत हैं :--

1--जनता हैण्डलूम वीवर्स सहकारी संघ लि0, शियाटोला, टांडा।

2--अजन्ता हथकरघा सहकारी संघ लि0, गड़हा पूरब, टांडा।

3--बापू हैण्डलूम बुनकर सहकारी संघ लि0, फत्तू पट्टी, टांडा।

4--नवयुवक हैण्डलूम सहकारी संघ लि0, मुबारकपुर खास, टांडा।

5--करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, प्यारेपुर, मुबारकपुर, टांडा।

6--आदर्श हथकरघा वस्त्र उत्पादन सहकारी संघ लि0, मुबारकपुर, ईस्ट, टांडा।

7--नेहरू नगर हैण्डलूम बुनकर सहकारी संघ लि0, नेहरू नगर, टांडा।

8--हरिजन टोला हैण्डलूम बुनकर सहकारी संघ लि0, सकरावल, टांडा।

9--गड़होपार हैण्डलूम बुनकर सहकारी संघ लि0, टांडा।

10--हरिजन बुनकर सहकारी संघ लि0, मुसहा, टांडा।

11--हैण्डलूम बुनकर सहकारी संघ लि0, गक्खा सराय, टांडा।

12--राजेघाट हथकरघा वस्त्र उत्पादन सहकारी संघ लि0, राजघाट, टांडा।

13--आजाद करघा उद्योग सहकारी संघ लि0, चौहट्टा सकरावल, टांडा।

14--अंसार हैण्डलूम वीवर्स सहकारी संघ लि0, सकरावल, टांडा।

चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी समिति को प्रश्नगत योजनान्तर्गत सहायता प्रदान नहीं की गई, क्योंकि किसी भी समिति का प्रार्थना-पत्र अभी अनुमन्य नहीं पाया गया है।

48--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के शहर टांडा, ग्राम भूलेपुर तथा ग्राम इल्तिफातगंज में कौन-कौन हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां हैं ? इन हथकरघा समितियों के उत्पादन की रंगाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए बुनकर सहकारी समितियों को अलग-अलग कितने धनराशि की सहायता वर्ष 1980-81, 1981-82 और वर्ष 1982-83 में प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद फैजाबाद के ग्राम भूलेपुर, ग्राम इल्तिफातगंज, टांडा शहर में निम्न विवरण के अनुसार हथकरघा समितियां पंजीकृत है :--

ग्राम भूलेपुर :--

1--हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, भूलेपुर नार्थ, पो0 भूलेपुर ।

2--हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, भुलेपुर साउथ, पो0 भूलेपुर ।

ग्राम इल्तिफातगंज :--

1--इल्तिफातगंज कोआपरेटिव हैण्डलूम वीवर्स सहकारी संघ लि0, टांडा ।

टांडा शहर--

1--अंसार हैण्डलूम वीवर्स सहकारी संघ लि0, सकरावल, टांडा ।

2--सकरावल वेस्ट हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, टांडा ।

3--जामदानी करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, टांडा ।

4--मे0 करघा औद्योगिक सहकारी संघ लि0, खासपुर, जिला फैजाबाद ।

5--गड़हीपार हैण्डलूम वीवर्स सहकारी संघ लि0, सकरावल, टांडा ।

6--हरिजन बुनकर उत्पादन सहकारी संघ लि0, मुसहा, टांडा ।

7--हरिजन बुनकर उत्पादन सहकारी संघ लि0, सकरावल, टांडा ।

8--आदर्श हैण्डलूम वीवर्स सहकारी संघ लि0, मुबारकपुर पूर्वी, टांडा ।

9--जनता हैण्डलूम वीवर्स सरकारी संघ लि0, शियाटोला, टांडा ।

10--आजाद करघा बुनकर सहकारी संघ लि0, चौहट्टा, सकरावल, टांडा ।

11--हैण्डलूम वीवर्स सहकारी संघ लि0, गक्खा सराय, टांडा ।

12--करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, प्यारेपुर, मुबारकपुर, टांडा ।

13--नवयुवक हथकरघा सहकारी संघ लि0, मुबारकपुर, टांडा ।

14--राजेघाट हथकरघा सहकारी संघ लि0, राजघाट, टांडा ।

15--नेहरू नगर हथकरघा सहकारी संघ लि0, नेहरूनगर, टांडा ।

16--बापू हथकरघा सहकारी संघ लि0, फत्तू पट्टी, टांडा ।

17—अजन्ता हथकरघा बुनकर सहकारी संघ लि0, गड़ही पूरब, सकरावल, टांडा ।

उपरोक्त समितियों में से निम्नलिखित को वर्षवार रंगाई घर स्थापना की सहायता उपलब्ध कराई गई :—

1980-81—

मे0 अंसार हैण्डलूम वीवर्स को0आपरेटिव सोसाइटी लि0, सकरावल, टांडा । रु0 37,500.00 ।

1980-81—

शून्य—समितियों से सम्पर्क करने पर किसी भी समिति ने रंगाई घर स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र नहीं प्रेषित किया ।

1982-83—

शून्य—समितियों से सम्पर्क करने पर किसी भी समिति ने रंगाई घर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र नहीं प्रेषित किया ।

आदर्श जनता जूनियर हाई स्कूल, टांडा के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवृत्ति हेतु हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को भेजे गये आवेदन-पत्र

49—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82 में पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति के लिए आदर्श जनता जूनियर हाई स्कूल, टांडा (फैजाबाद) के प्रधानाचार्य द्वारा कितने प्रार्थना-पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को भेजे गये थे ? क्या उक्त प्रधानाचार्य द्वारा भेजे गये समस्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके हरिजन समाज कल्याण अधिकारी ने छात्रवृत्ति सभी छात्रों को प्रदान किया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

आदर्श जनता जूनियर हाई स्कूल, टांडा के प्रधानाचार्य द्वारा निम्न आवेदन-पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को भेजे गये थे :—

जाति	वर्ष 1979-80	प्राप्त आवेदन-पत्र 1980-81	वर्ष 1981-82
पिछड़ी जाति	58	39	47
अनु0 जाति	18	30	14
योग ..	76	69	61

जो नहीं । उपर्युक्त वर्षों में उक्त विद्यालय के प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को स्वीकार हेतु जिला हरिजन एवं समाज कल्याण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था परन्तु विचारोपरान्त निम्न वर्षों में केवल निम्नलिखित छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गईं :—

जाति	वर्षवार स्वीकृतियों की संख्या		
	1979-80	1980-81	1981-82
पिछड़ी जाति	13	28	10
अनु0 जाति	6	5	11
योग ..	19	33	21

उक्त स्वीकृत छात्रवृत्तियों का भुगतान उसी वर्ष के वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है ।

चूंकि पूर्वदशम कक्षाओं में सभी प्राप्त आवेदन-पत्रों पर छात्रवृत्ति अनिवार्यरूप से प्रदान करने का प्राविधान योजना में नहीं था । अतएव जिला हरिजन एवं समाज कल्याण समिति विचारोपरान्त जिन उपयुक्त आवेदकों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय करती है उन्हें समिति के अनुमोदनोपरान्त छात्रवृत्ति स्वीकार की जाती है । अस्तु उक्त व्यवस्था के अनुसार ऊपर बताये छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं ।

शारदा सहायक परियोजना खंड-12 की पोषक नहर की पटरी का ऊंचा करने हेतु गांवों की ली गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

50—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शारदा सहायक परियोजना खंड-12 की पोषक नहर की पटरी को ऊंचा करने के लिए उनके किनारे के गांवों जसवासी और मऊ बबुरिया, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के खेतों से मिट्टी निकाल कर उनको नाकाबिल काश्त बना दिया गया था और 15 अगस्त, 1982 तक उसका मुआवजा उन खेतों के किसानों को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या यथाशीघ्र मुआवजा बंटवाने के लिए सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम घोरमऊ एवं बबुरिया की भूमि से कोई मिट्टी नहीं ली गई है । ग्राम जसवासी, जो पोषक नहर के कि0 मी0 138.00 के निकट अवस्थित हैं, में से केवल 9.6 एकड़ भूमि से कुछ मिट्टी पोषक नहर के तटबन्धों का ऊंचा करने हेतु न लेकर, डेन्स के निर्माण हेतु ली गई है । इसमें से 5.1 एकड़ भूमि कृषि योग्य तथा शेष बंजर एवं वन भूमि है । नियमानुसार भूमि का प्रतिकर शीघ्र दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

बिलग्राम से लखनऊ प्राइवेट बस सेवा प्रारम्भ करने की मांग

51—श्री हरीशंकर—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बिलग्राम से लखनऊ प्राइवेट बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु परिवहन आयुक्त, उ० प्र० का पत्र सं० 5-एस० टी० ए०/डी० एम० 82, दिनांक 24-5-82 संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो बस सेवा कब तक प्रारम्भ कर दी जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

बिलग्राम से लखनऊ आने के लिए 3 मार्ग हैं (1) बिलग्राम-हरदोई-लखनऊ, (2) बिलग्राम-माधोगंज-बघौली चौराहा-संडीला-लखनऊ, (3) बिलग्राम-माधोगंज-उन्नाव-लखनऊ ।

इन तीनों मार्गों पर क्रमशः मुन्सिफ, हरदोई तथा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठिका, लखनऊ की निषेधाज्ञा प्रभावी है । अतः वांछित बस सेवा निषेधाज्ञा समाप्त होने पर ही प्रारम्भ की जा सकेगी ।

बेलन-बकहर नहर मिर्जापुर में अनियमितताओं, गबन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच

52—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलन-बकहर नहर मिर्जापुर की अनियमितताओं, गबन, भ्रष्टाचार के बारे में किन-किन अधिकारियों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ? उनके नाम व पद क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्तमान समय में सर्वश्री राम औतर रस्तोगी, दीप चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, पारस नाथ वर्मा, सहायक अभियन्ता, हूब लाल सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता (अब सहायक अभियन्ता) तथा अहमद हसन सिद्दीकी, अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नगत मामले की खुली सतर्कता जांच प्रचलित है ।

जनपद इटावा के प्रखंड निचली गंगा नहर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा जांच

53—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा के प्रखंड निचली गंगा नहर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग आदि के सन्दर्भ में जनवरी, 1982 से माह अगस्त, 1982 तक कितने पत्र शासन व स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुये हैं ? इनमें से कितने आरोप सत्य पाये गये हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद इटावा के प्रखंड निचली गंगा नहर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में 16 शिकायती-पत्र शासन व स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुए। शिकायती-पत्रों की जांच कराई जा रही है। आख्या प्राप्त होने पर ही सत्य पाये जाने वाले आरोपों पर कार्यवाही की जायेगी।

54--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त नहर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भू0 पू0 विधायक श्री राम लखन ने कोई शिकायती-पत्र जनवरी, 1982 में भेजा है ? यदि हां, तो इस पत्र के साथ संलग्न-पत्रों में कौन-कौन शिकायतें हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

पत्र में भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुर्विनियोग तथा फर्जी भुगतान की शिकायतें हैं, जिनकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

लाम बगड़ में विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर प्रस्तावित बैराज का निर्माण

55--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत और सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत लाम बगड़ के पास अलकनन्दा नदी में 56 मीटर लम्बा बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें कितनी मेगावाट बिजली मिलेगी ? सिंचाई के लिए कितना जल उपलब्ध होगा ? किन नदियों का पानी सुरंग द्वारा इन बांध निर्मित तालाब में पहुंचाया जायगा ? इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लाम बगड़ में विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर 56 मीटर लम्बा बैराज (न कि बांध) प्रस्तावित है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना केवल विद्युत परियोजना है। परियोजना निर्माण पूरा होने पर 480 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं है।

परियोजना के अन्तर्गत जल संग्रह का कोई प्राविधान नहीं है। बल्कि बैराज निर्माण कर अलकनन्दा नदी का जल प्रवाह रोका जायेगा एवं नदी का जल लगभग 12 कि0 मी0 लम्बी सुरंग के माध्यम से जोशीमठ के सम्मुख लाया जायेगा जहां पर 947.5 मी0 शिराव का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जायेगा। बैराज से जो छोटा तालाब बनेगा उसमें भ्यंडार गंगा का जल भी 7.5 कि0 मी0 लम्बी 3 मीटर व्यास की सुरंग से पहुंचाया जायेगा। मार्च, 1982 की दरों के आधार पर विष्णु प्रयाग परियोजना पर 266 करोड़ रु0 व्यय होने का अनुमान है।

नलकूप निगम को बाढ़ तथा ओलाग्रस्त क्षेत्रों में नल कूप के निर्माण हेतु दी गयी धनराशि

56--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 में उ0 प्र0 नलकूप निगम को बाढ़ तथा ओला ग्रस्त क्षेत्रों में 80 नलकूप के निर्माण हेतु 2 करोड़ रु0 दिया गया था ? यदि हां, तो प्रस्तावित नल कूपों में से कितने नलकूप 15-10-82 तक निर्मित हुए, उनकी कुल सिंचित क्षमता एवं क्षेत्र क्या है ? अब तक कुल अपूर्ण नलकूपों की संख्या क्या है और उनमें विलम्ब होने का क्या कारण है ? तथा विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

सूचना एकत्रित जा रही है ।

पिछड़ी जति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए स्वीकृत धन तथा वितरण

57--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 81-82 में पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृति देने के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया था और उसमें से कितना धन वितरित किया गया और कितना धन जिलों से वापस आ गया और जिलेवार ब्योरा देने की कृप की जाय और उन कारणों पर प्रकाश डाला जाय जिनकी वजह से पूरे धन का वितरण नहीं किया जा सका ?

श्री गुलाब सेहरा--

वित्तीय वर्ष 81-82 में पिछड़ी जातियों के पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 2,29,55 700 रुपए की धनराशि जिलों को स्वीकृत की गयी और कोई भी धनराशि शासन को समर्पित नहीं की गयी । सम्पूर्ण धनराशि वितरित हुई ?

देशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्र वृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता प्रदान करने हेतु 406·00 लख रुपए की धनराशि जनपदों को स्वीकृत की गयी । इसके विरुद्ध 381.890 लाख रुपए की धनराशि का उपभोग किया गया तथा अवशेष 24.110 लाख रुपए की धनराशि अन्य मदों में नियमानुसार व्यय की गयी, कोई भी धनराशि शासन को समर्पित नहीं की गयी है ।

बरकौता ड्रेन के खुदवाने का प्रस्ताव, प्रगति एवं व्यय

58--श्री भीखा लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, उन्नाव के पत्र संख्या 1/सिंचाई-81-82/एस0 टी0 18-2-82, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खन्ड उन्नाव को भेजा है तथा उसकी प्रतियां सचिव, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 शासन, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, षष्ठम मन्डल, लखनऊ को अग्रसारित की है जिसके माध्यम से सिकन्दरपुर सरोसी विकास खन्ड, जिला उन्नाव में बरकौता ड्रेन को जल्द खुदाने का आग्रह किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी और ड्रेन के खुदवाने की क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

11.5 कि0 मी0 लम्बी बरकौता ड्रेन के खुदवाने का प्रस्ताव बनाया गया था तथा इस कार्य को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कराने का निर्णय लिया गया था । अब तक इसकी खुदाई का 70 प्रतिशत कार्य हो चुका है ।

59—श्री भोखा लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, सिकन्दरपुर, सरोसी, जिला उन्नाव में बरबोता ड्रेन का खुदवाने का प्रस्ताव शासन द्वारा कब स्वीकार किया गया था ? उसके लिये कितने धन का आगणन तैयार किया गया था ? कितना धन स्वीकृत किया गया, कार्य कब प्रारम्भ किया गया ? कितना धन अब तक व्यय हो चुका है ? ड्रेन की प्रस्तावित लम्बाई क्या है और अब तक कितनी बन चुकी है तथा कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त ड्रेन के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अतर्गत खुदवाने की स्वीकृति अप्रैल, 1982 में दी गई थी ।

इसका आगणन रु0 1,26,390 का बनाया गया था । इसके लिये पूरा धन स्वीकृत किया गया ।

कार्य 5/82 में आरम्भ किया गया । अब तक 95,140 रुपये व्यय हो चुके हैं ।

ड्रेन की प्रस्तावित लम्बाई 11–5 कि0 मी0 है । अब तक 6–5 कि0 मी0 की खुदाई हो चुकी है । कार्य 6/83 तक पूर्ण होने की आशा है ।

जनपद जौनपुर विकास क्षेत्र जलालपुर में राजकीय नलकूप

60—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर में कुल कितने नलकूप हैं ? इनमें से कितने नलकूप पूर्ण रूप से और कितने आंशिक रूप से बिगड़े हुये हैं ? क्या यह सत्य है कि इन नलकूपों की खराबी के कारण इस वर्ष खरीफ की अधिकांश फसल इन क्षेत्रों में सूख गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर में कुल 19 राजकीय नलकूप हैं जिनमें से 3 पूर्ण रूप से विफल हैं । एक नलकूप का पुनः छिद्रण भी किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है । आंशिक रूप से कोई भी नलकूप बिगड़ा नहीं है ।

जी नहीं ।

जनरल मैनेजर श्री एच0 एन0 सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

61--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की इकाई सूती मिल, सण्डीला, जनपद हरदोई के वर्तमान जनरल मैनेजर (श्री एच0 एन0 सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं ऐय्याशी के सम्बन्ध में कोई शिकायतें वर्ष 1982 के आरम्भ से अब तक प्राप्त हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता की सूचना के आधार पर किसी राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों की जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

श्री एच0 एन0 सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, चारित्रिक दोष के सम्बन्ध में वर्ष 1982 में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर उच्च अधिकारी से एक विस्तृत जांच करायी गयी थी तथा शिकायती-पत्र में लगाये आरोप असत्य एवं आधारहीन पाये गये ।

दिल्ली-बरेली राजमार्ग पर चलने वाली अधिकांश ट्रकों एवं बसों द्वारा मोटर यान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन

62--श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली-बरेली राजमार्ग पर चलने वाली अधिकांश ट्रकों एवं उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन निगम की अधिकांश बसों ने मोटर यान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करके अधिकृत हेड लाइटों के अतिरिक्त काफी ऊंचाई पर बहुत तेज एवं अनधिकृत लाइटें लगा रखा हैं जिससे रात्रि के समय इस सड़क पर गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक काम हो गया है और अक्सर गम्भीर दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस अधिनियम एवं नियमों का पालन कराने हेतु कठोर कार्यवाही तत्काल करने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली-बरेली राजमार्ग पर चलने वाली ट्रकों एवं उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन निगम की बसों में मोटर यान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करके अधिकृत हेड लाइटों के अतिरिक्त, अनधिकृत लाइटें नहीं लगा रखी हैं । फिर भी परिवहन निगम ने मेरठ, बरेली व मुरादाबाद क्षेत्रों के अधिकारियों को तथा परिवहन आयुक्त ने अपने सम्बन्धित चेकिंग अधिकारियों को ऐसी लाइटों की कड़ी चेकिंग करने के आदेश दे दिये हैं ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड, भरावन में लघु उद्योग लगाने की मांग

63---श्री रामलाल वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड, भरावन में कोई उद्योग लगाकर ग्रामीण बेरोजगारों का रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामवासियों का नगरों की ओर पलायन रुक सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद हरदोई के भरावन विकास खण्ड में दो लाख की लागत का लघु उद्योग लगाने हेतु अभी कोई उद्यमी परिलक्षित नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयास किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ द्वारा ग्राम बीकामऊ के हरिजनों को स्वीकृत अनुदान

64--श्री धर्मवीर सिंह--

क्या समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ द्वारा ग्राम बीकामऊ, तहसील पुरवा, विकास खण्ड असोहा, जिला उन्नाव के पांच हरिजनों के नाम वर्ष 1980-81 में कृषि अनुदान स्वीकृत हुआ था, जिसकी सारी विभागीय अर्हताएं समय के अन्तर्गत पूरी करा ली थीं ? यदि हां, तो उक्त पांच व्यक्तियों को अनुदान विभाग द्वारा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ वर्ष 1980-81 में ग्राम बीकामऊ, तहसील पुरवा, विकास खण्ड असोहा, जिला उन्नाव के पांच हरिजनों (1) श्री कल्लू पुत्र श्री गुसई, (2) श्री अंगनू पुत्र श्री महावीर, (3) श्री कल्लू पुत्र श्री मक्का, (4) श्री तुलई पुत्र श्री लोकई, (5) श्री गंगा राम पुत्र श्री मोहन को रुपया 1,000 प्रति व्यक्ति की दर से कृषि अनुदान स्वीकृत किया गया था परन्तु इनके द्वारा अनुदान की शर्तों के अनुसार बाण्ड फार्म, प्रतिभू प्रतिज्ञा पत्र आदि पूर्ण नहीं किये गये । इसके कारण स्वीकृत अनुदान का भुगतान नहीं किया जा सका था ।

श्री विनोद कुमार वर्मा विकलांग, जनपद हरदोई का रोजगार के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

65--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री विनोद कुमार वर्मा, विकलांग जनपद हरदोई को सेवा का अवसर प्रदान किये जाने के सिलसिले में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 मई, 1982 का उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

श्री विनोद कुमार वर्मा का नौकरी/रोजगार के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र को आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को अग्रसारित कर दिया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर में एस0 एस0 आई0 से ऋण लेने हेतु प्रार्थना-पत्र

66--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील व क्षेत्र तिलहर से माह जून, 1982 से 15 अगस्त, 1982 तक एस0 एस0 आई0 से ऋण लेने हेतु किन-किन लोगों के प्रार्थना-पत्र जनरल मैनेजर, उद्योग केन्द्र शाहजहांपुर को प्राप्त हुए तथा उनमें से किन-किन लोगों को एस0 एस0 आई0 द्वारा ऋण प्रदान कर दिया गया तथा किन-किन लोगों को अभी तक ऋण नहीं दिया गया और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद शाहजहांपुर की तहसील व क्षेत्र तिलहर से माह जून, 1982 से 15 अगस्त, 1982 तक एस0 एस0 आई0 ऋण लेने हेतु चार उद्यमियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनका विवरण निम्नवत् है :--

1--मेसर्स गुप्ता आईस कैन्डी, पोटरगंज, तिलहर, शाहजहांपुर ।

2--श्री लड्डन पुत्र श्री नवी, मेसर्स लड्डन वुडेन वर्क्स, कच्चा कटरा, तिलहर, शाहजहांपुर ।

3--श्री राम निवास मिश्रा, तेल उद्योग, ग्राम जौरा खुर्द, बरा प्रसाद्धीपुर, तिलहर, शाहजहांपुर ।

4--श्री सुशील कुमार गुप्ता, तिलहर, शाहजहांपुर ।

एस0 एस0 आई0 कोई वित्तीय संस्था नहीं है जिसके द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता हो ।

उद्योग केन्द्र, शाहजहांपुर के नये जनरल मैनेजर द्वारा कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि

67--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग केन्द्र शाहजहांपुर के नये जनरल मैनेजर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । उन्होंने दिनांक 17 दिसम्बर, 1982 को कार्यभार गहण कर लिया है ।

अल्मोड़ा तथा नैनीताल में नवीन सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

68--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1982 तक जनपद अल्मोड़ा तथा नैनीताल में अलग-अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग को नवीन सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन आवंटित किया गया तथा कौन-कौन सी सड़कें कितने-कितने कि0 मी0 निर्मित हुयीं, कितनी निर्माणाधीन हैं तथा उनके कब तक निर्मित होने की आशा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत अवधि में नवीन सड़कों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अल्मोड़ा तथा नैनीताल वृत्तों को क्रमशः 357.20 लाख रु0 तथा 4 66'32 लाख रु0 आवंटित किया गया ।

शेष वांछित सूचना† संलग्न तालिकानुसार है ।

अल्मोड़ा जनपद के मानिला स्थान पर पर्यटक आवास-गृह बनाने की योजना

69--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मानिला जनपद अल्मोड़ा में पर्यटन आवास-गृह बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कितने शैय्याओं की है तथा कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

अल्मोड़ा जनपद के मानिला नामक स्थान पर 20 शैय्याओं के पर्यटक आवास-गृह के निर्माण की योजना थी, जो पेयजल की सुविधा इस स्थान पर उपलब्ध न होने के कारण स्थगित कर दी गई है ।

जनपद अल्मोड़ा में मानिला पेयजल योजना की स्थिति

70--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के मानिला पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मानिला पेयजल योजना के प्रकल्प के विरचन का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है । यह कार्य मार्च, 1984 तक पूर्ण होने की संभावना है । योजना की वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् योजना का निर्माण कार्य जल निगम द्वारा किया जायेगा । योजना के निर्माण कार्य पूरा करने में लगभग 3 वर्ष का समय लगने की संभावना है ।

जनपद अल्मोड़ा में जैनल चमखला-डोटियाल मोटर मार्ग का निर्माण

71--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में जैनल-चमखला-डोटियाल मोटर मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था ? उक्त मार्ग को यातायात हेतु कब तक खोल दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद अल्मोड़ा में जैनल-चमखला-डोटियाल नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

†छापी नहीं गई ।

इलाहाबाद जनपद के मेजा एवं करछना के चट्टानी क्षेत्रों में मशीनों की व्यवस्था

72- श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में जैसे करछना, मेजा, इलाहाबाद में सतह में पत्थर निकल आये हैं वहां ऐसी मशीनों की व्यवस्था करेंगे जो पत्थर को छेदकर बोरिंग कर सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इलाहाबाद जनपद के मेजा एवं करछना के चट्टानी क्षेत्रों में भूगर्भ स्ट्रेटा व जल की स्थिति अनिश्चित होने के कारण राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु कोई मशीन भेजने का अभी प्रस्ताव नहीं है ।

श्री जगदीश प्रसाद, सहायक जेलर, जिला कारागार झांसी की सेवा मुक्ति

73---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री --

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री राजेन्द्र गुप्त, विधायक द्वारा श्री जगदीश प्रसाद, सहायक जेलर, जिला कारागार, झांसी को सेवा मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 12 अक्तूबर, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां । नियुक्ति अधिकारी कारागार महानिरीक्षक से अनुज्ञा प्राप्त की गई । उससे पता चला कि नियुक्ति-पत्र आदेश में उल्लिखित शर्तों के पूरा न होने के कारण श्री जगदीश प्रसाद, सहायक जेलर को सेवा मुक्त किया गया ।

ग्राम मवई मुक्ता में राजकीय नलकूप लगाने हेतु अनुरोध

74---श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 6-10-1982 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें हरिजनों की भूमि पर ट्यूबवेल लगाए जाने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 6-10-1982 का पत्र प्राप्त हुआ है । इस पत्र द्वारा ग्राम मवई मुक्ता में प्रस्तावित राजकीय नलकूप को श्री जगन्नाथ चमार के खेत में ही लगाने हेतु अनुरोध किया गया था ।

सर्वेक्षण व जिला स्थल चयन समिति के अनुमोदन के उपरान्त इस ग्राम में नलकूप का छिद्रण खेत संख्या 495 में माह 9 82 में कर दिया गया है । इस स्थल में स्थापित नलकूप द्वारा प्रश्नगत हरिजनों की भूमि की सिंचाई की व्यवस्था भी है ।

बेंगुल नदी, तहसील सितारगंज में बाढ़ तथा कटाव की कथित घटना

75--श्री बिहारी लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेंगुल नदी, शक्ति फार्म, तहसील सितारगंज (नैनीताल) में पिछले दिनों आई बाढ़ से भूमि का कटान हुआ है ? क्या सरकार इस कटान को नियंत्रित करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । सितारगंज तहसील के शक्ति फार्म क्षेत्र में वर्ष 1982 के वर्षाकाल में बेंगुल नदी से कोई उल्लेखनीय बाढ़ तथा कटाव की घटना नहीं हुई है । अतः कटान को नियंत्रित करने हेतु कोई वैकल्पिक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76--श्री बिहारी लाल--

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

77--श्री झिलमिट राम तथा श्री साहब सिंह--

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री राम पाल सिंह, स्टोनो टोन्स सिविल निर्माण मण्डल प्रथम, देहरादून के विरुद्ध आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायत तथा डाक पत्थर स्थित फ्लैट के आवंटन को जारी रखने का औचित्य

78--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामपाल सिंह स्टोनो, जो टोन्स सिविल निर्माण मण्डल प्रथम, देहरादून में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय से सम्बद्ध हैं के विरुद्ध उनकी पत्नी श्रीमती मंजूलता द्वारा अपने गुजारे के लिए हरदोई के मुंसिफ मजिस्ट्रेट, पश्चिमी की अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो यह सही है कि श्री रामपाल सिंह को उक्त मुकदमे की पैरवी में 31 अगस्त, 1979, 10 सितम्बर, 1979, 5 अक्तूबर, 1979, 5 नवम्बर, 1979, 11 जनवरी, 1980, 29 जनवरी, 1980, 13 फरवरी, 1980, 25 अप्रैल, 1980, 12 जून, 1980, 25 जून, 1980, 26 जून, 1980, 26 जुलाई, 1980, 16 अगस्त, 1980, 19 अगस्त, 1980 को हरदोई जाना पड़ा ? क्या यह भी सही है कि उक्त सन्दर्भित तारीखों को फर्जी यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उक्त श्री रामपाल सिंह ने कार्यालय द्वारा लिया ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उनके विरुद्ध इस आर्थिक धोखाधड़ी के आधार पर कोई कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी विस्तृत जांच करवाकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

76--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम पाल सिंह, स्टोनो, जो टोन्स सिविल निर्माण मण्डल प्रथम जमुना भवन, देहरादून में अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय से सम्बद्ध हैं, को डाक पत्थर स्थित जमुना कालोनी का क्वार्टर नं0 II-97 उस समय आवंटित किया गया था जब वह डाक पत्थर में कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त फ्लैट को किराये पर उठाकर उससे अवैध कमाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो श्री राम पाल सिंह को अक्षीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में सम्बद्धता के बाद डाक पत्थर स्थित उक्त फ्लैट के आवंटन को जारी रखने का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपदवार नलकूपों का आवंटन तथा आवंटन का आधार एवं मानक

80--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में जनपदवार नलकूपों को आवंटन के अतिरिक्त किन-किन जिलों में विशेष कोटे से अतिरिक्त नलकूप लगाने की स्वीकृति दी गयी थी ? और उन आवंटन के आधार एवं मानक क्या थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वित्तीय वर्ष 1981-82 में जनपदवार नलकूपों के आवंटन से अतिरिक्त इटावा, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, बांदा, रायबरेली, अलीगढ़, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुलतानपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोरखपुर, बस्ती तथा इलाहाबाद जिलों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नलकूपों का आवंटन किया गया था।

नलकूपों का आवंटन विभिन्न जनपदों में क्षेत्र के पिछड़ेपन, सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें, भूगर्भ जल की उपलब्धि एवं अन्य प्रस्तावित योजनाओं पर विचार करने के उपरान्त किया जाता है ।

परिवहन डिपो, फैजाबाद से संचालित बसें तथा ब्रेक डाउन का संख्या

81---श्री मित्रसेन--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक परिवहन डिपो, फैजाबाद से संचालित बसों की प्रतिमाह चलने वाली बसों और उनके ब्रेक डाउन की संख्या क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

परिवहन डिपो फैजाबाद से प्रश्नगत माहों में प्रतिदिन औसत संचालित बसों की संख्या एवं माह में हुए ब्रेक डाउन का विवरण निम्नवत् है :--

क्र0 सं0/माह	माह की औसत संचालित बसों की संख्या	माह में हुये ब्रेक डाउन की कुल संख्या
	बसें	
1--जनवरी, 82	48	55
2--फरवरी, 82	54	74
3--मार्च, 82	55	43
4--अप्रैल, 82	54	39
5--मई, 82	55	50
6--जून, 82	48	50

सरयू परियोजना के निर्माण कार्य में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत

82--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में चल रहे सरयू परियोजना के निर्माण कार्य में आर्थिक अनियमितताओं के कारण लगभग 5 लाख रुपए के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या इस गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत उ0 प्र0 सिंचाई कर्मचारी संघ ने वर्तमान वर्ष 1982 में की है ? यदि हां, तो आरोप-पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ? और अब तक की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजनों के वजीफे हेतु स्वीकृत धनराशि

83--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि हरिजनों के वजीफे के लिए हरिजन कल्याण विभाग ने कितने पैसे की व्यवस्था सन् 1980-81 में की और कितनी 1981-82 में व्यवस्था की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

पूर्वदशम कक्षाओं में (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययन करने वाले हरिजनों (अनुसूचित जातियों) के वजीफे के लिए वर्ष 80–81 में 456.674 लाख रुपए और 81–82 में 541.838 लाख रुपए तथा दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11 एवं इससे ऊपर की कक्षाओं में) वर्ष 80–81 में 15,04,82,600 रु0 और 81–82 में 15,29,24,600 रुपए की व्यवस्था हरिजन कल्याण विभाग द्वारा की गयी थी ।

प्रदेश में निर्मित नल कूप

84—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि सन् 80-81 में कितने नलकूप प्रदेश में लगने थे और कितने लग चुके हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1980–81 में प्रदेश में 1120 नलकूप लगने थे तथा यह सब लग चुके हैं ।

85—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[5 वें बुधवार के लिए स्थगित]

लक्ष्मी स्पन पाइप इंडस्ट्रीज सोरांव, इलाहाबाद में लगी पूंजी, निर्मित माल की विभागों को आपूर्ति

86—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी स्पन पाइप इंडस्ट्रीज सोरांव, इलाहाबाद में 15 अक्तूबर, 82 को कुल कितनी पूंजी लगी है, कितने ऋण द्वारा कितनी निजी पूंजी फैक्ट्री मालिक ने लगाई है ? 15 अक्तूबर, 82 तक मालिक ने किन-किन विभागों से कितना रुपया अग्रिम भुगतान प्राप्त किया ? अब तक कुल कितना माल तैयार हुआ और 15 अक्तूबर, 82 तक कितना-कितना माल किस-किस विभाग को सप्लाई किया ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

87—श्री विजय सिंह राना—

[दिनांक 9–2–83 को तारांकित प्रश्न संख्या 19 द्वारा उत्तरित]

88—श्रीमती गौरी देवी—

[6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बाढ़ को रोकने व नियन्त्रित करने हेतु तराई क्षेत्र में जलाशय की योजना का प्रस्ताव

[89—श्रीमती गौरी देवी—]

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वी उ0 प्र0 में बाढ़ को रोकने व नियंत्रित करने के लिये तराई क्षेत्र में जलाशय बनाने की कोई योजना है ? यदि हां तो उसका प्रारूप क्या है और कुल कितने जलाशयों का निर्माण होगा ? इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ को रोकने व आंशिक रूप से नियंत्रित करने हेतु तराई क्षेत्र में 12 जलाशयों का निर्माण तथा 12 पुरानों का ऊंचा किया जाना प्रस्तावित है ।

12 नये जलाशय गोण्डा, बहराइच तथा बस्ती में बनाये जायेंगे तथा 12 पुराने जलाशयों को ऊंचा किया जायेगा ।

इनके बनाने पर लगभग रु0 96.00 करोड़ खर्च होने का अनुमान है ।

गोरखपुर में थारू जनजाति को मिलने वाली सहायता में अनियमिततायें

90—श्रीमती गौरी देवी—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में थारू जनजाति को मिलने वाली सहायता में गड़बड़ी व अनियमितता की जांच रिपोर्ट उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, गोरखपुर द्वारा अगस्त, 1982 में जिला अधिकारी, गोरखपुर को भेज दी गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और अब तक कोई कार्यवाही न होने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के लेखाकार श्री मोहन नायर के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

91—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के लेखाकार श्री मोहन नायर के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दो पत्र दिनांक 6-8-82 व 10-8-82, निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम में रीजनल एकाउन्ट्स आफिसरों के रिक्त पद

92--श्री झिलमिट राम--

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में रीजनल एकाउन्ट्स आफिसर्स के कितने पद इस समय रिक्त हैं ? तथा कब तक इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में रीजनल एकाउन्ट अफसरों के दो पद रिक्त हैं जिन्हें भरने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

मथुरा बस स्टैन्ड के पास रेलवे की भूमि का कथित अधिग्रहण

93--श्री सरदार सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13-5-82 को प्रश्नकर्ता द्वारा मथुरा बस स्टैन्ड के पास रेलवे की जमीन के अधिग्रहण के सम्बन्ध में मन्डलीय मन्त्री, आगरा मण्डल, आगरा को दिये गये शिकायती-पत्र जिसे कि उन्होंने उचित कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, मथुरा को उसी माह में भेज दिया था, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मथुरा बस स्टैन्ड के पास रेलवे की किसी जमीन के अधिग्रहण का कोई मामला निगम में विचाराधीन नहीं है और न ही सदस्य महोदय का कथित शिकायती-पत्र निगम में प्राप्त हुआ है ।

श्री आर० पी० एस० चौहान, अधिष्ठान लिपिक, कारागार महानिरीक्षक कार्यालय, लखनऊ का स्थानान्तरण न करने का औचित्य

94--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या कारागार मन्त्री को पता है कि श्री आर० पी० एस० चौहान अधिष्ठान लिपिक, कारागार महानिरीक्षक कार्यालय, लखनऊ लगभग 20 वर्षों से मुख्यालय में हैं ? क्या यह सत्य है कि श्री चौहान का तबादला आदेश जुलाई, 1982 में हुआ था ? यदि हां, तो किन कारणों से रोका गया ? क्या शासन निकट भविष्य में श्री चौहान को मुख्यालय से हटाने की कृपा करेगी ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां ।

श्री चौहान का तबादला नहीं हुआ था । कारागार महानिरीक्षक का कार्यालय संवर्ग के कर्मचारी होने के कारण श्री चौहान को मुख्यालय से नहीं हटाया जा सकता । अतएव उन्हें मुख्यालय से बाहर भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बरेली से बहेड़ी जाने के लिए नैनीताल मार्ग पर मिनी बस हेतु दिये गये परमिट

95--श्री चेतराम गंगवार--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली से बहेड़ी जाने के लिये नैनीताल मार्ग पर कुल कितनी मिनी बसें (मेटाडोर) टाटा आदि को प्राइवेट सेक्टर में सवारी लाने और ले जाने हेतु परमिट दिए गए हैं? तथा इन बसों के रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है? क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर बहुत सी गाड़ियां बिना आज्ञा के अनियमित तरीके से चलाई जा रही हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

(1) संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली द्वारा मिनी बसों को ठेकेगाड़ी के कोई भी परमिट जारी नहीं किये गये हैं।

(2) समस्त उत्तर प्रदेश में चलने वाली मिनी बसों के ठेके गाड़ी के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिये जाते हैं। इस प्रकार से जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों से आच्छादित मिनी बसें जो बरेली संभाग में संचलित हैं, की सूची निम्नवत् है:

1--यूटीजी-5365।

2--यूएसई-5274।

3--यूटीडी-2787।

4--यूटीटी-7023।

5--यूएसई--7925।

6---यूएसई-7725।

7---यूटीएल---1418।

8---यूएलएन-7382।

9---यू0पी0ओ-2497।

10--यूटीजे-6302।

11--यूटीआई-327।

12--यूएसई-7124।

13--यूएसई--7888।

14--यूएसई--8409।

15--यूटीटी-7192।

16--यूटीई-3515।

17--यूपीई-2195।

18--यूटीटी--7010।

(3) बरेली बहेड़ी मार्ग पर अनियमित रूप से चलने वाली मिनी बसों के पिछले तीन वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है :

बिना परमिट चलने वाले वाहनों के चालान		अन्य अनियमितताओं के साथ चलने वाले वाहनों के चालान	
1981-82	1982-83	1981-82	1982-83
2	2	14	10

सिंघईया नाले पर पुल के पुनर्निर्माण की मांग

96--श्री चेतराम गंगवार--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बरेली में ग्राम पढेरी के समीप बरौर पर सिंघईया नाले पर अंग्रेजी शासनकाल का सिंचाई विभाग द्वारा बना पुल अभी हाल ही में टूट गया और उससे अनेक जानवर तथा आदमी मर गये ? यदि हां, तो सारा विवरण क्या है ? इस विषय में शासन ने ग्रामीणों की क्या सहायता की तथा पुल निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के राजकीय नलकूपों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर कार्य

97--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत पड़ने वाले नलकूपों के रखरखाव व मरम्मत पर वर्ष 1980 से सितम्बर, 1982 तक (वर्षवार) कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि उक्त नलकूपों, नालियों और सम्पर्क मार्गों को इन वर्षों में मरम्मत न कराकर धन का दुरुपयोग किया गया ? क्या सरकार इस अनियमितता की जांच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत पड़ने वाले राजकीय नलकूपों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर वर्ष 1980 से सितम्बर, 1982 तक वर्ष वार व्यय का विवरण निम्नवत् है :

वर्ष	व्यय
	रु0
1980-81	40,270·00
1981-82	39,379·00
1982-83 (माह सितम्बर, 1982 तक)	19,656·00

यह सत्य नहीं है कि उक्त नलकूपों, नालियों और सम्पर्क मार्गों की इन वर्षों में मरम्मत न कर धन का दुरुपयोग किया गया। अतः अनियमितता की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रायबरेली में पूरे गौतम नामक ड्रेन पर स्वीकृत पुलों का निर्माण

98--श्री छत्तर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलोई के ग्राम पूरे गौतम से पूरे भीष्म शाह होते हुए जो ड्रेन बनाई जा रही है उसका व उस पर प्रस्तावित पुलों का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत पूरे गौतम नामक ड्रेन तथा उस पर स्वीकृत पुलों का निर्माण किया जा चुका है।

पहाड़ों के खनन कार्य हेतु लीज पर न देने का विचार

99--श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

क्या सरकार देहरादून जनपद में पहाड़ों की रक्षा हेतु वहां के पहाड़ों की पाइन हेतु प्राइवेट पार्टियों को लीज पर न देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खनन कार्य से यदि पहाड़ों को रक्षा का भय होता है तो उस क्षेत्र को खनन कार्य हेतु लीज पर किसी को नहीं दिया जाता है।

उन्नाव खंड शारदा नहर के अन्तर्गत माधोगंज कोठी पर सम्पन्न कराये गये कार्य तथा उन पर व्यय

100--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 में उन्नाव खंड के अन्तर्गत आने वाले माधोगंज एवं कटिया भिखारीपुर कोठियों के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य सम्पन्न कराए गए और इन कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1981-82 में उन्नाव खन्ड, शारदा नहर के अन्तर्गत आने वाले माधो गंज कोठी की पुताई, रंगाई, पेन्टिंग तथा पालिशिंग के कार्य कराये गये तथा उन पर रुपये 862·00 मात्र व्यय किये गये।

कटिया भिखारीपुर नाम की कोई कोठी नहीं है। ग्राम कटिया भिखारीपुर के समीप सुल्तानपुर कोट निरीक्षण गृह है, जिस पर 1981-82 में कोई कार्य नहीं कराया गया।

शारदा नहर की मौरावां ब्रांच के अन्तर्गत समाधा रजबहा से सीकरी रजबहा के निर्माण की याजना तथा सिचाई

101--श्री भोखा लाल--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव की तहसील पुरवा में शारदा नहर की मौरावा ब्रांच के अन्तर्गत समाधा रजबहा से सीकरी रजबहा निकाली जाने की याजना शासन ने स्वीकार की थी ? यदि हां, तो यह योजना कब स्वीकार की गई थी तथा इसके अन्तर्गत सीकरी रजबहा कहां से निकाला जाने वाला था ? सीकरी रजबहा के निर्माण का कार्य कब आरम्भ हुआ कब समाप्त हुआ और उसके निर्माण पर कुल कितनी रकम खच हुई ? क्या उक्त सीकरी रजबहा वास्तव में निर्मित हो चुका है ? यदि हां, तो उससे अलग-अलग गांव में कितनी-कितनी भूमि को सिचाई होती है ?

श्री वीर बहादुर सिह--

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत (डी0 आर0 डी0 ए0) द्वारा औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में यह योजना माह जनवरी, 1983 से कार्यान्वित की जा रही है । 2-2 कि0 मी0 लम्बी सीकरी माइनर समाधा माइनर के कि0 मी0 2·80 (बाईं पटरी)से निकाली गई है । इसका निर्माण कार्य जनवरी, 1983 में शुरू किया गया और इसके जून, 1983 तक पूर्ण होने की आशा है । इस कार्य को कराने में लगभग 60 हजार रुपये व्यय होने का अनुमान है इसके पूर्णतया निर्मित होने पर ग्राम सिकरी, सिमरी व समाधा में क्रमशः 470 एकड़, 400 एकड़ तथा 425 एकड़ भूमि को सिचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

बदायूं जनपद के सलारपुर के औद्योगिक आस्थान के निर्माण का प्रस्ताव तथा प्लाटों का आवंटन

102--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में ब्लाक सलारपुर के निकट उद्योग विभाग द्वारा कोई इन्डस्ट्रियल स्टेट का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब स्वीकृत हुआ एवं कब इसकी जमीन खरीदी गयी और निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और यह कार्य कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी हां । बदायूं जनपद के सलारपुर में औद्योगिक आस्थान के निर्माण का प्रस्ताव जून, 1977 में स्वीकृत किया गया तथा 20 दिसम्बर, 1978 को भूमि पर अधिकार प्राप्त किया गया । 16 मार्च, 1982 से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा अप्रैल/मई, 1983 में पूर्ण होने की आशा है ।

103--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इसमें कितने प्लाट बनाए जा रहे हैं एवं कितनी श्रेणी रखी गयी हैं ? उद्योग कार्यों के लिए इनका आवंटन कब और किस आधार पर किया जायेगा ? क्या सरकार पूर्ण विवरण देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

औद्योगिक आस्थान में 63 प्लाट बनाये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :--

ए0 श्रेणी	9
बी0 श्रेणी	20
सी0 श्रेणी	15
डी0 श्रेणी	19
योग ..	63

औद्योगिक आस्थान के पूर्ण होने के बाद मूल्य निर्धारण के पश्चात् एवं उद्यमियों के प्रार्थना-पत्रों के आधार पर आवंटन किया जायेगा । पूर्ण विवरण ऊपर दिया गया है ।

परिवहन निगम को बसों के चालानों को न्यायालयों में भेजने का विचार

104--श्री मोहम्मद अबरार अहमद---

क्या परिवहन मन्त्री परिवहन निगम की बसों के चालानों को निगम के अधिकारियों को न भेजकर निजी बसों के चालानों की भांति सम्बन्धित न्यायालयों में भेजने हेतु प्राविधान करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मामला शासन के विचाराधीन है ।

मिर्जापुर की हिनौती बन्धी के ब्लास्टिंग करके कंकरीटिंग का कार्य

105--श्री कल्लूराम तथा श्री अजहर ईमाम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर में स्थित हिनौता बांध जिसके तलहटी में दरारें हैं, प्रतिवर्ष 90,000 रु0 की मिट्टी डाली जाती है फिर भी दरारें बन्द नहीं होती हैं और पानी रिस जाता है तथा बाँध में पानी की क्षमता कम हो जाती है ? यदि हां, तो क्या बांध की तलहटी में ब्लास्टिंग के पश्चात् कंकरीटिंग करवाई जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । जनपद मिर्जापुर की हिनौती बन्धी की तलहटी में न तो दरारे हैं और न ही प्रतिवर्ष उनमें 90,000 रुपये का मिट्टी ही डाली जाती है ।

यह बन्धी फिसर्ड राक के ऊपर निर्मित है अतः रिसाव की प्रवृत्ति रहती है जिससे बांध में पानी कम हो जाता है ।

तलहटी में ब्लास्टिंग करके कंकरीटिंग करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है ।

106--श्री सरदार सिंह--

[4थे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जौनपुर से पुरेव तथा भुइली भदेवरा मार्गों पर बस सेवा चालू करने सम्बन्धी पत्र

107--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 1-10-1982 उन्हें एक पत्र बयालसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाली जौनपुर से पुरेव, राजेपुर एवं भुइली भदेवरा का स्थानीय बस सेवाओं के पुनः चालू किए जाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र इन बस सेवाओं को चालू करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जौनपुर से पुरेव तथा भुयली भदेवरा मार्गों पर पुनः बस चलाने के विषय में सदस्य महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत पत्र में जौनपुर से राजेपुर सेवा का उल्लेख नहीं है ।

प्रश्नगत स्थानीय मार्ग मिर्जापुर-आजमगढ़ वाया जौनपुर व जौनपुर-वाराणसी राष्ट्रीकृत मार्गों के नवनिर्मित शाखा मार्ग हैं ।

जौनपुर-पुरेव मार्ग पर सेवा कुछ समय तक बस सेवा बेडे की स्थिति ठीक न होने के कारण बन्द रही है । वर्तमान में सेवा नियमित रूप से संचालित है ।

जौनपुर-राजेपुर मार्ग का सरकोनी से राजेपुर नवनिर्मित भाग वर्ष 1981 बाढ़ से खराब है । जब तक मार्ग बस संचालन के योग्य नहीं हो जाता है पुनः संचालन सम्भव नहीं है ।

जौनपुर-भुथली भुइवरा वाया गौरा बादशाहपुर मार्ग पर दिनांक 7-2-1982 से 15-4-1982 तक बस सेवा संचालित की गयी किन्तु मार्ग की दशा खराब होने के कारण बस सेवा बन्द कर देनी पड़ी । मार्ग अभी भी ठीक नहीं है ।

श्री वेद प्रकाश सेवा निवृत्त, अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही तथा पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

108--श्री सुरेन्द्र कुमार--

द्वितीय सत्र 1982 के 1ले बुधवार (दि0 25-8-1982) के अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय पुस्तिका के मूल नियम 18 में कोई ऐसा प्राविधान है जिसके अनुसार स्वीकृत अवकाश पर बिताई गई अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जा सकता है ? यदि हां, तो इस विषय में श्री वेद प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता

(सेवा निवृत्त) द्वारा मुख्य अभियन्ता को लिखे गये पत्र दिनांक 3-5-73, 29-6-76, 24-5-77, 15-11-77, 27-3-78, 20-12-78, 30-1-79 व 15-2-79 पर इनके प्राप्त होने के तुरन्त बाद आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और इनका उचित समय पर उत्तर क्यों नहीं दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

स्वीकृत अवकाश की अवधि को अनधिकृत अनुपस्थित मानने का प्राविधान नियम 18 में नहीं है । श्री वेद प्रकाश अधिशासी अभियन्ता (सेवा निवृत्त) के पत्र दिनांक 24-5-77, 27-3-78 तथा 20-12-78 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को प्राप्त हुये थे । इन पत्रों पर प्रमुख अभियन्ता ने शासन के आदेश की अपेक्षा की थी । शासन द्वारा विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-3696-23-सि0-1-81-500/74, दिनांक 25-7-81 में आदेश प्रसारित कर दिये गये कि श्री वेद प्रकाश, अधिशासी अभियंता (सेवा निवृत्ति) की दिनांक 24-5-72 से 18-4-78 तक की अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि को नियमित किये जाने अथवा अवधि में असाधारण अवकाश स्वीकृति किये जाने का कोई औचित्य नहीं है इस आदेश की एक प्रतिलिपि श्री वेद प्रकाश अधिशासी अभियन्ता (सेवा निवृत्त) के गाजियाबाद के पते पर भी भेज दी गई थी ।

109--श्री सुरेन्द्र कुमार--

द्वितीय सत्र 1982 के 1ले बुधवार के (दि0 25-8-82) अता0 प्र0 सं0 58 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेद प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता (सेवा निवृत्त) के विरुद्ध जांच के आदेश किस दिनांक को दिए गये थे और इस जांच को किस दिनांक को निरस्त किया गया है ? इस जांच के कारण शासनादेश दिनांक 15-11-1980 द्वारा इस अधिकारी की अन्तिम पेंशन व ग्रेच्युटी के भुगतान को रोक दिया गया था ? यदि हां, तो इस विषय में संशोधित आदेश अब तक पारित क्यों नहीं किये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं थी । श्री वेद प्रकाश की पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

सरऊ नाला, जिला शाहजहांपुर की खुदाई तथा प्रगति

110--श्री सत्य पाल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 13-12-81 मंत्री जी को माह जनवरी, 1982 में प्राप्त हुआ जिसमें सरऊ नाला जिला शाहजहांपुर की खुदाई कराने के विषय में अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त गम्भीर समस्या के निदान की कार्यवाही में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप खंड प्रथम व द्वितीय में स्थायी स्वीकृत पद

111--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड प्रथम, बदायूं नलकूप खंड द्वितीय, बदायूं में स्थायी नलकूप चालक की कितनी जगह शासन द्वारा स्वीकृत हैं क्या उक्त दोनों खंडों में स्थायी स्थानों को पूर्ण रूप में भर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त स्थायी रिक्त स्थानों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खंड-प्रथम व द्वितीय बदायूं में क्रमशः 327 व 34 कूप चालकों के स्थायी पद स्वीकृत हैं । इन पदों के विरुद्ध क्रमशः 308 व 30 कूप चालक स्थायी हैं । शेष स्थायी रिक्त पदों पर कूप चालकों को नियमानुसार स्थायी करने हेतु कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

नलकूप खंड द्वितीय, बदायूं में कार्यरत अस्थायी कूप चालकों को स्थायी किए जाने की मांग

112—श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि नलकूप खंड II, बदायूं में कितने कूप चालक अस्थायी रूप में कार्यरत हैं ? क्या सरकार कार्यरत अस्थायी कूप चालकों को स्थायी करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खंड द्वितीय, बदायूं में 219 कूप चालक अस्थायी रूप से कार्यरत हैं । स्थायीकरण हेतु पर्याप्त स्थायी पदों के अभाव में इन सभी नलकूप चालकों को स्थायी किया जाना सम्भव नहीं है ।

राजकोय परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं की जांच

113--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र के साथ श्री रामकुमार गुप्त, भूतपूर्व अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति, ओयल ढेखवा (खीरी) जो राजकोय परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं अव्यवस्था के बारे में है, दिनांक 1-10-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । मामले में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा जांच की जा रही है । उनकी जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

केन नदी पर ग्रेटर गंगऊ बांध बनाने पर विचार

114--प्रोफसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 अक्तूबर, 1982 को मध्य प्रदेश में उ0 प्र0 एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक में केन नदी पर ग्रेटर गंगऊ बांध बनाने पर विचार हुआ था ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखंड में भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए निर्गत किए गए लेटर आफ इन्डेन्ट

115--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड में भारी एवं मध्यम उद्योग लगाने के लिए वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में किन-किन उद्योगपतियों को लेटर-आफ-इन्टेन्ट दिए गए ? 15 अक्तूबर, 1982 तक इनमें से कितने उद्योग लगने प्रारम्भ हो गए हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बुन्देलखंड में भारी एवं मध्यम उद्योगों के स्थापनार्थ भारत सरकार द्वारा 9 लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किए गए हैं जिसकी सूची संलग्न है ।

मेसर्स यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स, कानपुर तथा यू0 पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन, कानपुर द्वारा कार्यशाला निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 814 पर ।)

गहलइया माइनर के निर्माण पर व्यय

116--श्री जयदीप सिंह बरार --

प्रथम सत्र 1981 के पांचवें बुधवार के अता0 प्र0 सं0 28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गहलुइया माइनर के निर्माण पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है और शेष निर्माण हेतु भूमि अर्जन सम्बन्धी क्या कार्यवाही आज तक की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गहलुइया माइनर के निर्माण पर अब तक कुल रु0 40,254 व्यय हो चुका है । शेष निर्माण कार्य के लिए भूमि अर्जन हेतु शासन द्वारा धारा 4 व 6 के अधीन विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 27-2-82 तथा 8-9-82 को अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट में प्रकाशन हेतु भेजी गई है ।

आर0 एस0 रघुवंशी, अवर अभियन्ता, नलकूप मंडल आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

117--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एस0 रघुवंशी, अवर अभियन्ता, नलकूप मंडल आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र 20 अप्रैल, 1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करा ली गई है ।

ग्राम दधिका, जिला कानपुर (देहात) के हरिजन छात्रावास एवं स्वीकृत धनराशि

118--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दधिका, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर में जो हरिजन छात्रावास है उसे खोले जाने से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी सहायता विभाग द्वारा दी गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

हरिजन छात्रावास नहीं वरन् ग्राम दधिका, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर (देहात) में अस्वच्छ पेशे में लगे हुए किसी भी जाति के व्यक्तियों के बच्चों को कक्षा 6 से 10 तक आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान करने की केन्द्र द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत कृष्णा छात्रावास संचालित है, यह छात्रावास एक रजिस्टर्ड सोसायटी कृष्णा साइंस कालेज समिति, कानपुर द्वारा संचालित है। यह छात्रावास वर्ष 1981-82 से प्रारम्भ हुआ है और इसे केवल एक वर्ष अर्थात् 1981-82 के लिए 81,578·90 रु0 (इक्यासी हजार पांच सौ अठहत्तर तथा नब्बे पैसे) मात्र की धनराशि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई है ।

जनपद गोरखपुर के मधुबनी शाखा के अधिशासी अभियन्ता श्री जैदी के विरुद्ध जांच

119--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के मधुबनी शाखा के अधिशासी अभियन्ता (श्री जैदी) के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का कोई तार अक्तूबर, 82 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया, गाजीपुर, बलिया तथा आजमगढ़ में विशेष बस सेवायें

120–श्री मोहन सिंह तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय––

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ जिले में दिनांक 28, 29, 30 अक्तूबर, 1982 को कितनी विशेष बसों की व्यवस्था की गई और इन बसों से विभाग को कितनी आमदनी हुई और इन विशेष बसों के उपयोग में लाने का विशेष कारण क्या था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

देवरिया, गाजीपुर, बलिया तथा आजमगढ़ जनपद में उक्त तिथियों में परिवहन निगम द्वारा विशेष बस सेवायें नहीं चलाई गई ।

कूप चालकों का स्थायीकरण

121––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग में कूप चालक की कनफर्म पोस्ट 1974 से होने के बावजूद भी योग्य कूप चालकों को कनफर्म नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी नहीं ।

पद की उपलब्धि के आधार पर समय-समय पर कूप चालकों का स्थायीकरण किया जाता है ।

नलकूप खन्ड बरेली के नलकूप चालकों को प्राविडेन्ट फण्ड की पास बुकें

122–श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग के बरेली खन्ड के किसी भी नलकूप चालक को प्राविडेट फन्ड की पासबुक आज तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या मन्त्री जी तुरन्त इन पासबुकों को जारी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

नलकूप खन्ड बरेली के नलकूप चालकों का जी० पी० फंड लेजर की पोस्टिंग पिछले कई वर्षों से अपूर्ण थी जिसके फलस्वरूप पास बुकों में प्रविष्टियां नहीं की जा सकी । लेजर व पास बुकें अविलम्ब पूर्ण करके कर्मचारियों के अवलोकनार्थ दिए जाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं ।

नलकूप खन्ड बरेली में कार्यरत पतरौलों को स्वीकृत साइकिल भत्ता

123–श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग के बरेली खन्ड में पतरौलों को उनको देय साईकिल एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है ?

यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या मन्त्री जी इस एलाउन्स के भुगतान के लिए तुरन्त आदेश जारी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

नलकूप खन्ड बरेली में कार्यरत उन पतरोलों को नियमानुसार मायकिल भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है ।

उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम गोरखपुर द्वारा विभिन्न सामानों के मंगान में ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को दिया गया डेमरेज

124-श्रीमती गोरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम गोरखपुर ने 15 जुलाई, 80 से रेक्टीफाइन क्लाय, टायरों, ट्यूबों सहित विभिन्न सामानों के मंगाने में 7 मई, 82 तक सामानों को समय से न छुड़ाने के कारण 5,998 रुपया डेमरेज के रूप में ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह डेमरेज अधिकांशतया बैंक इन्टीमेशन तथा प्रोफार्मा इन्वाइस के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण क्रय आदेश के विरुद्ध फर्मों द्वारा अधिक दर पर मूल्य लिए जाने, बैंक द्वारा बैंक कमीशन तथा ब्याज मांगे जाने एवं कुछ मामलों में आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण व कुछ सामानों में डाकूमेन्ट्स में किसी प्रकार की कमी के कारण उनके निराकरण में समय लगने से डाकूमेन्ट्स छुड़ाने में विलम्ब होने के कारण भुगतान करना पड़ा ।

गोरखपुर संभाग में निजी बसों को परमिट दिए जाने की मांग

125--श्रीमती गोरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संभागीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर में निजी बसों की मांग परमिट न जारी करने के कारण अब तक कुल कितने आवेदन-पत्र अनिस्तारित पड़े हुए हैं ? क्या यह सच है कि अन्य संभागों में निजी बसों को चलने का मार्ग परमिट दिया जा रहा है ? यदि हां, तो गोरखपुर संभाग में निजी बसों को मार्ग परमिट न जारी करने का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, गोरखपुर के क्षेत्राधीन निजी बसों के मार्गों पर प्राधिकरण को गत विभिन्न बैठकों द्वारा समय-समय पर परमिट जारी किए जाते रहे हैं । इस समय केवल एक मार्ग के लिए 16 आवेदन-पत्र अनिस्तारित शेष रह गए हैं जिसका निस्तारण प्राधिकरण की अगली बैठक द्वारा हो जाने की संभावना है । इस प्रकार गोरखपुर संभाग में निजी बसों को मार्ग परमिट न जारी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसी परिस्थिति में अन्य संभागों के विषय में सूचना देने का भी प्रश्न नहीं उठता ।

126–श्रीमती गौरी देवी––

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विक्रमजोत से खड़गपुर तक बाढ़ बचाव हेतु ठोकरें बनाने की योजना

127––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में घाघरा नदी के बायें तट पर विक्रमजोत से खड़गपुर तक बाढ़ बचाव के लिए ठोकर लगाने के लिए 76 लाख रुपया की योजना स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो ठोकरों के निर्माण कराने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

बस्ती जनपद मे विक्रमजोत से खड़कपुर तक घाघरा नदी के बायें तट की बाढ़ से कटान की सुरक्षा की कोई योजना पृथक से 76 लाख रु0 की स्वीकृत नहीं की गई है ।

परन्तु नदी के इस बीच में 17 कि0 मी0 लम्बाई में जहां बाढ़ से कटाव हो रहा था उसके लिए 9 परियोजनायें जिनकी कुल लागत 114.15 लाख रु0 है, स्वीकृत की गई । इन योजनाओं के अन्तर्गत 153 ठोकरें बनाकर सुरक्षा प्रदान की गई है ।

विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ रोडवेज द्वारा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को टायर छुड़ाने में दिया गया डैमरेज

128––श्री खैरूल बशर––

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसपोर्ट में आजमगढ़ रोडवेज का चार सौ टायर कई महीने से आकर पड़ा है जिसे अभी तक छुड़ाया नहीं गया है ? यदि हां, तो टायर न छुड़ाने पर रोडवेज आजमगढ़ को कितना डैमरेज देना पड़ा ? टायर के अभाव में गाड़ियों के चलने से रोडवेज की आय में कितनी कमी आयी ? क्या परिवहन मन्त्री दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

नवम्बर, 1982 में 170 टायर सेट का मूल्य बैंक को भुगतान कर ट्रांसपोर्ट कम्पनी से छुड़ाने में 11,250,00 रु0 डैमरेज आजमगढ़ क्षेत्र को देना पड़ा । इन टायरों को वित्तीय अभाव के कारण तत्काल नहीं छुडाया जा सका । केवल टायर के अभाव में आजमगढ़ क्षेत्र में कोई गाड़ी खड़ी नहीं रही तथा कोई आय की कमी नहीं हुयी ।

समय से टायर न छुड़ाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें तथा नई गाड़ी क्रय करने की योजना

129--श्री खैरुल बशर--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 प0 नि0 के पास इस समय कुल कितनी बसें हैं तथा इनमें से कितनी चलने योग्य नहीं हैं ? क्या सरकार के पास नई बसों को खरीद कर परिवहन विभाग को जनता की सेवा योग्य बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास इस समय 5,884 बसें हैं । इनमें से 1,086 गाड़ियां चलने योग्य नहीं हैं क्योंकि यह अपने जीवनकाल का निर्धारित कि0 मी0 पूरा कर चुकी हैं । 1983-84 में 709 नई गाड़ियों के क्रय करने की योजना है ।

चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री की डस्ट से ग्राम नुआंव की रक्षा किये जाने विषयक पत्र

130---श्री रामचरण सिंह---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, तह0 चुनार में नुआंव ग्राम की सीमेंट फैक्ट्री के डस्ट से नुकसान विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र 15 मार्च, 1982 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

चुनार सीमेंट फैक्ट्री की डस्ट से ग्राम नुआंव की रक्षा किये जाने विषयक माननीय सदस्य का 15 मार्च, 1982 का पत्र माननीय उद्योग मंत्री को प्राप्त हुआ था । धूल से बचाव के लिए फैक्ट्री में स्थिर विद्युत प्लान्ट पहले से स्थापित है किन्तु यंत्र नियोजित किये जाने के समय उसमें कतिपय दोष उत्पन्न हो गये थे, फलतः वह सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था । अब इस प्लान्ट के समस्त दोष दूर कर दिये गये हैं और वर्तमान समय में कोई धूल प्रदूषण नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर में जागो फीडर नहर पर साइफन के मरम्मत हेतु आवश्यक कार्यवाही

131--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में जगो फीडर नहर 4 मील 4 फर्लांग पर स्थित साइफन के टूट जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15-3-82 का प्रश्नकर्त्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत साइफन को नाले में पानी ले जाने हेतु कास्तकारों द्वारा माह मई, 1981 (खरीफ) म तोड़ दिया गया था जिसको मरम्मत जून, 1982 म करा दी गई थी। परन्तु माह जून, 1982 (खरीफ) में उसी स्थान पर कास्तकारों ने पुनः साइफन तोड़ दिया। अस्थायी व्यवस्था करके नहर चलाई जा रही है। वर्तमान रबी के पश्चात स्थायी रूप से साइफन को मरम्मत हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भगवत राजबाहा से निकलने वाली शुनका माइनर, मिर्जापुर का निर्माण

132--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 10-11-81 का एक पत्र भगवत राजवाहा से निकलने वाली शुनका माइनर, जनपद मिर्जापुर के अधूरे कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध म उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

मिर्जापुर जनपद के भगवत राजबाहे की शुनका माइनर जिसकी लम्बाई 1,800 मीटर है, का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस माइनर को 1,800 मीटर आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। भूमि प्राप्त हो जाने पर निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

खैरपुर माइनर का टेल बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

133--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 3 मई, 1982 को एक पत्र उन्हें खैरपुर माइनर का टेल बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में सिरसिया ठकुराई खैरपुर, मिर्जापुर के ग्रामवासियों की प्रार्थना-पत्र के साथ दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। खैरपुर माइनर का टेल बढ़ाया जाना सम्भव नहीं पाया गया क्योंकि घनरौल बांध में पानी की उपलब्धता सीमित है।

जनपद मिर्जापुर के घोरावल राजबाहे के अधूरे पुल को पूर्ण कराए जाने का मांग

134--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में घोरावल राजबाहे के अधूरे पुल को पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 3-5-82 को एक पत्र उन्हें लिखा था ? यदि

हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां ।

पुल स्लेव लेविल तक बन चुका है । केवल स्लेव डालना शेष है, जिसके जून, 1983 तक पूर्ण होने की आशा है ।

फरहदा माइनर हेतु भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही

135---श्री रामचरण सिंह---

द्वितीय सत्र 1982 के 1ले बुधवार के अत 0 प्र0 सं0 135 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरहदा माइनर के लिए भूमि का अधिग्रहण कब तक हो जायगा ? भूमि प्राप्त करने के निश्चत अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

फरहदा माइनर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजा जा चुका है । उनके द्वारा धारा 4 का प्रकाशन हो चुका है तथा धारा 6 के प्रकाशन हेतु प्रकरण भेजा जा चुका है ।

मिर्जापुर के सुक्कुनपुर माइनर की टेल को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

136---श्री रामचरण सिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 30-10-81 का एक पत्र ग्राम सक्कूनपुर, परगना भगवत चुनार मिर्जापुर में सुक्कुनपुर माइनर निकाली जा रही है, उसको छः फर्लांग बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां ।

मिर्जापुर के भगवत रजबाहा की सुक्कुनपुर माइनर की टेल को 6 फर्लांग बढ़ाने के सम्बन्ध में भूमि अध्यापन की कार्यवाही की जा रही है । भूमि मिलने पर निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा ।

जनपद मिर्जापुर में बकहर नदी पर पम्प नहर बनाने की मांग

137---श्री रामचरण सिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में बकहर नदी पर गुरूदेव नगर के समीप लिफ्ट कैनाल बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 15-1-82 ई0 का पत्र उन्हें प्राप्त

हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । बकहर नदी पर प्रश्नगत पम्प नहर बनाने हेतु जल की समुचित उपलब्धता का परीक्षण किया जा रहा है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में मेड़र नदी पर खड़न्जा लगाने विषयक पत्र

138--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में ग्राम खैरपुर लोहर तलिया के बीच मेड़र नदी पर टक्कर लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 2 मई, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता विधायक का कथित पत्र मेड़र नदी पर टक्कर (खण्डन्जा) लगाकर आवागमन की सुविधा तथा पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में प्राप्त हुआ था ।

यह कार्य सिंचाई विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, अतः कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी ।

तद्नुसार प्रश्नकर्त्ता विधायक को अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, मिर्जापुर के पत्रांक सी-6-एम-19, दिनांक 3-12-82 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था ।

जनपद मिर्जापुर में सोन पम्प नहर परियोजना की स्वीकृति

139--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में सोन लिफ्ट योजना की स्वीकृति कब दी गयी ? यह कितने लागत की योजना है और कब तक तैयार हो जायगी ? लक्ष्य से देर होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सोन पम्प नहर परियोजना के लिए 564 लाख रुपये की स्वीकृति वर्ष 1974 में दी गई । परियोजना की क्षमता दुगुनी से अधिक करने के कारण इसकी पुनरीक्षित लागत 2,847 लाख रुपये का हो गई है । योजना में प्रत्येक स्टेज में 6 पम्प जून, 1985 तक लगाना प्रस्तावित है । योजना के लिये आगामी वर्षों में आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर प्रत्येक स्टेज के शेष 6 पम्प लगाये जायेंगे । योजना के कार्य उपलब्ध धनराशि के अनुसार किये जा रहे हैं ।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई में पिछड़े वर्ग की छात्राओं की संख्या तथा प्रदान की गयी छात्रवृत्ति

140—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या महा:-विद्यालय, हरदोई में शिक्षा सत्र 1980-81 व 1981-82 में पिछड़े वर्ग की कितनी छात्राएं थी, उसके क्या-क्या नाम थे ? क्या यह भी बतलायेंगे कि उक्त अवधि में किन-किन छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी ? उनके क्या-क्या नाम हैं ? क्या यह भी सत्य है कि पिछड़े वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार उनको छात्रवृत्ति दिलाने के लिए कौन सी कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई में पिछड़े वर्ग की छात्राओं की संख्या शिक्षा सत्र 1980-81 व 1981-82 में क्रमशः 23 व 25 थी । उनकी कक्षा-वार नामावली संलग्न है ।

उक्त अवधि में जिन छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की गयी है, उनकी कक्षावार नामावली संलग्न है ।

पिछड़ी जाति की जिन छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृति नहीं हुई है उनका वर्षवार विवरण कारण सहित संलग्न है ।

अपूर्ण व कमियों के रहते कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ट 815 पर ।)

श्री राजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व बुकिंग क्लर्क द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर कृत कार्यवाही

141—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 5व बुधवार के अता० प्र० सं०-58 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से प्रार्थना-पत्र को विधि संगत न होना पाया गया है ? क्या यह सत्य है कि श्री राजेन्द्र सिंह भू० पू० बुकिंग क्लर्क ने वर्ष 1976 के उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ के समक्ष तथा बाद में उक्त प्रधान प्रबन्धक (संचालन) के समक्ष अपना प्रत्यवेदन प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस प्रत्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एन्ड अपील रूल्स के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने के लिए छः माह का समय निर्धारित है जिसके अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह को क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये सेवा समाप्ति के आदेश की तिथि से छः माह में अपील अधिकारी को अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। परन्तु प्रत्यावेदक के लगभग तीन वर्ष तक मौन रहने के पश्चात् प्रथम अपील दिनांक

29-8-78 को प्रस्तुत की । इसलिए इसे काल-बाधित घोषित करते हुये उप प्रधान प्रबन्धक (मध्य ज़ोन) ने इस अपील को फाइल कर दिया।

1976 में क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ तथा उप प्रधान प्रबन्धक (संचालन) को कोई अलग से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री महमूद अली परिचालक का निलम्बन तथा बहाली

142--श्री चेतराम गंगवार--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता की शिकायत पर दिनांक 19-11-80 को वाहन संख्या यू0 टी0 आई0 5750 के परिचालक (श्री महमूद अली) को निलम्बित करने हेतु अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक (श्री मलकानी) को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब श्री महमूद अली को पुनः सेवा में ले लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त परिचालक को कुल कितने दिन का वेतन काट कर बहाल किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

श्री महमूद अली परिचालक को अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 17-3-1981 को सेवा में बहाल कर दिया गया ।

उक्त परिचालक का दिनांक 29-11-80 से 16-3-1981 तक की निलम्बन काल अवधि का अवशेष वेतन जब्त किया गया, इनकी एक वर्ष की वेतन वृद्धि भविष्य में प्रभाव सहित रोकी गई तथा भविष्य के लिये चेतावनी दी गई ।

श्री किसान इन्टर कालेज, घिरामयो, एटा में हरिजन छात्रवृत्ति के घोटाले की शिकायत

143--श्री पंचानन राय--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किसान इन्टर कालेज, घिरामयो एटा में हरिजन छात्रवृत्ति के घोटाले की कोई शिकायत 1 अप्रैल, 1982 से 31 अगस्त, 1982 के बीच उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

भूतपूर्व प्रधानाचार्य एवं प्रबन्ध समिति द्वारा छात्रवृत्ति में घोटाला किये जाने की शिकायत है ।

जिलाधिकारी, एटा को जांच करने के लिए लिखा गया है । आख्या प्रतीक्षित है । इसके अलावा दशमोत्तर कक्षाओं में पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति धनराशि 15,984 रुपये के मामले में शिकायत पर विद्यालय के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज की गयी है ।

ग्राम सामोपट्टी, तहसील देवरिया में गृह निर्माण हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति तथा सामेन्ट व धन का आवंटन

144--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सामो पट्टी ब्लाक रामपुर कारखाना, तहसील देवरिया में हरिजन बस्ती बन कर तैयार है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में सीमेन्ट तथा धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो वे कौन व्यक्ति हैं जिसे आवंटित किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

ग्राम सामोपट्टी, ब्लाक रामपुर कारखाना, तहसील देवरिया में वर्ष 1980-81 में (1) श्री राम किशुन पुत्र श्री तपेसर चमार (2) श्री सम्पत्ति पुत्र श्री हरिवंश दुसाध (3) श्री दीना नाथ पुत्र श्री शंकर चमार तथा (4) श्री पलटन पुत्र श्री मंगरू दुसाध को गृह निर्माण कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी इस हेतु श्री हरिश्चन्द्र लाल ग्राम्य विकास अधिकारी को 4 आवासों के निर्माण एवं सीमेन्ट हेतु प्रति आवास रु0 1127·48 के हिसाब से प्रथम किश्त के रूप में कुल रु0 4,509·92 की धनराशि दी गयी थी । श्री लाल द्वारा उक्त धनराशि में से श्री रामकिशुन तथा श्री सम्पत्ति को कुल 907 रु0 का भुगतान किया गया ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्वी जोन में घाटा तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

145--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0सं0 65 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 2,07,85,850 रुपए के घाटे के लिए क्या उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? बैटरी के अभाव से घाटे तथा 1,14,08,807 रुपए के अधिक डीजल खर्च होने का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जांच कमेटी कब गठित की गई और उसमें कौन से अधिकारी हैं तथा उसे कब तक रिपोर्ट देने को कहा गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के प्रथम बुधवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्नगत घाटे की जांच के लिए मुख्य लेखाधिकारी मुख्य यांत्रिक अभियन्ता एवं उप प्रधान प्रबन्धक (संचालन) की एक उप समिति दिनांक 11 फरवरी, 1982 को गठित की गई थी जिसे शीघ्र आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे । समिति द्वारा जांच आख्या अभी प्रस्तुत नहीं की गई है । आख्या प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ग्रामोदय उ0 मा0 विद्यालय, बढ़यापार-गोरखपुर में छात्रवृत्ति का अनियमित रूप से कथित भुगतान

146--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 96 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 7,143 रुपए का अनियमित भुगतान कब से प्राप्त किया गया? उसे वापस कराने तथा इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा न चलाने के क्या कारण हैं?

श्री गुलाब सेहरा--

संस्था को 5,739 रु0 की स्वीकृति 18-2-80 तथा 1,404 रु0 दिनांक 11-12-80 को किया गया। सम्पूर्ण मामले के पुनः परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया है कि अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उनके तार एवं पृष्ठांकन संख्या मान्यता-757-1, दिनांक 20-8-1979 में मान्यता प्रदान कर दी थी। प्रतिबन्धों व विषयों का विवरण बाद में भेजा था जोकि औपचारिक रूप में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पत्रांक आई0 बी0 (मान्य)/3-4, दिनांक 1 अप्रैल, 1980 के माध्यम से प्रदान किया गया। उक्त तार एवं अतिरिक्त सचिव की मान्यता स्वीकृति सूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न है। अतः 7,143 रु0 की छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क घाटे की अतिपूर्ति मद में किया गया भुगतान अनियमित नहीं है।

चूंकि भुगतान में अनियमितता नहीं पायी गयी है, अतएव उसे वापस कराने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "ङ०" आगे पृष्ठ 819 पर।)

जनपद मिर्जापुर में पिछड़ी जाति व हरिजन जाति तथा मोमिन अन्सार के छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति

147--श्री राम चरण सिंह--

क्या कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 में पिछड़ी जाति व हरिजन जाति तथा मोमिन अन्सार के कितने विद्यार्थियों को किन-किन विद्यालयों में छात्रवृत्ति दी गई? क्या मंत्री जी उसकी सूची विद्यालयों सहित अलग-अलग उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा--

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा मोमिन अन्सार के छात्रों को दी गई पूर्वदशम् कक्षाओं में छात्रवृत्तियों की सूची विद्यालयवार† संलग्न है।

†छापी नहीं गई।

उन्नाव-मोहान वाया हसनगंज तथा अजगैन-मलिहाबाद वाया मोहान मार्ग पर प्राइवेट बसों के जारी किए गए परमिट

148—श्री विजय सिंह राना—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1982 में जनपद उन्नाव से मोहान एवं हसनगंज तथा उन्नाव से मोहान व मलिहाबाद रोड पर कितनी प्राइवेट बसों के परमिट थे और किन-किन परमिटों पर गाड़ियां चल रही हैं एवं उनके नाम तथा पता क्या-क्या हैं? क्या यह सही है कि कुछ परमिटों के मालिकों ने अपने परमिटों को किराये पर दे रखा है और उनके पास गाड़ियां काफी अर्से से नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराकर उनके परमिट निरस्त करवाने के निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माह सितम्बर, 1982 में मार्ग उन्नाव-मोहान वाया हसनगंज पर निम्नलिखित दो स्थायी परमिट जारी थे:

(1) श्री गोकरन नाथ मिश्रा, निवासी 138, शाहगंज, उन्नाव।

(2) श्री गिरजा शंकर, निवासी सिविल लाइन्स, उन्नाव।

अजगैन (उन्नाव से नहीं) मलिहाबाद वाया मोहान के लिए निम्नलिखित पांच स्थायी परमिट जारी थे:

(1) श्री आशिक अली, मिश्रा भवन, सदर बाजार, उन्नाव।

(2) श्री यूसुफ अली, रस्सी बटान, लखनऊ।

(3) श्री बिपिन बिहारी जायसवाल, अजगैन, उन्नाव (स्थायी परमिट के नवीनीकरण के अनिस्तारित होने के कारण अस्थायी परमिट था)।

(4) श्रीमती जहांआरा बेगम, मोहान, उन्नाव।

(5) श्री मो0 इब्राहीम, मोहान, उन्नाव।

ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि परमिट धारकों ने परमिटों को किराये पर दे रखा है। परमिटों पर बसें परमिट धारकों के नाम ही पंजीकृत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यात्री कर अधीक्षक की भर्ती के सम्बन्ध में कथित-पत्र

149—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि यात्री-कर अधीक्षक की भर्ती के सिलसिले में लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद ने वर्ष 1976 में कोई पत्र उ0 प्र0 परिवहन निगम को लिखा था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यात्रो-कर अधीक्षक की भर्ती के सिलसिले में लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद से वर्ष 1976 में कोई पत्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को प्राप्त नहीं हुआ है ।

ड्रेनेज खंड, गोरखपुर के प्रथम उपखंड के सहायक अभियन्ता के कैश बुक में वित्तीय अनियमितता की जांच

150—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ड्रेनेज खंड, गोरखपुर के प्रथम उपखंड के सहायक अभियन्ता के कैश बुक से सम्बन्धित वित्तीय अनियमितता को खंडाय लेखाकार, ड्रेनेज खंड, गोरखपुर द्वारा माह फरवरी, 1982 से अगस्त, 1982 तक तीन बार अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष लिखित प्रकाश में लाया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ? वित्तीय अनियमितताओं की जांच करके क्या सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहायक अभियन्ता प्रथम उपखंड ड्रेनेज प्रखण्ड, गोरखपुर की मूल कैशबुक में कोई अनियमितता नहीं पायी गई ।

जनवरी तथा मार्च, 1982 को कैशबुक की प्रतिलिपियां तैयार में उपखंडीय लिपिक ने त्रुटियां की थी । खंडीय लेखाकार ने उक्त त्रुटियों से अधिशासी अभियन्ता को मौखिक रूप से अवगत कराया जो एकाउन्ट चेक करते समय ठीक कर लिया गया ।

मूल कैशबुक में न तो कोई वित्तीय अनियमितता पायी गयी और न ही त्रुटि पाई गई । अतः किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

उपखंडोय लिपिक को गलत प्रतिलिपि तैयार करने हेतु कड़ी चेतावनी दे दी गयी है । सहायक अभियन्ता को कैशबुक की प्रतिलिपि जांच न करने के लिए सचेत कर दिया गया है ।

गोंडा डिपो, बलरामपुर डिपो में हानि के कारणों की जांच

151—श्री मसरूर जाफरी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के गोंडा डिपो, बलरामपुर डिपो में पिछले वर्षों के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में कम आय हुई है ? इसका मुख्य कारण क्या है ? क्या इस आय की कमी का मुख्य कारण डिपो मैनेजर, बलरामपुर एवं ए0 आर0 एम0 गोंडा है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । हानि के कारणों की जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

जनपद गोरखपुर के बर्डघाट के परिचालकों के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं श्री दीना नाथ, परिचालक का निलम्बन तथा बहाली

152--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के बर्डघाट के कितने परिचालकों के विरुद्ध जनता व विधायकों ने माह अप्रैल, 1980 से माह नवम्बर, 1981 तक अशिष्ट व्यवहार करने आदि के सम्बन्ध में शिकायत मंत्री से की हैं ? क्या इसमें श्री दीनानाथ, परिचालक का भी नाम हैं ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही हैं कि उक्त परिचालक को मंत्री जी ने निलम्बित करने के आदेश दिए थे परन्तु उसे तुरन्त बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

अप्रैल, 1980 से नवम्बर, 1981 तक की अवधि में केवल प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें श्री दीना नाथ, परिचालक के नाम का उल्लेख है।

जी हां। उक्त परिचालक को मंत्री जी के आदेशों पर निलम्बित किया गया जांच कार्यवाही के दौरान विधायक महोदय के इस बयान पर कि परिचालक ने उनके साथ कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं किया इस परिचालक को अन्तिम निर्णय सुरक्षित रखते हुए सेवा में बहाल कर दिया गया।

जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर उक्त परिचालक को दण्ड स्वरूप निलम्बन अवधि की देय अवशेष धनराशि ज्प्त की गई। निलम्बन काल सेवा काल नहीं माना जायगा तथा 10 माह का सुचरित्र भत्ता भी काट लिया गया।

शारदा नहर की हरदोई ब्रांच के बन्द होने से किसानों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 5 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे आज 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं और उसमें से सब बातों को देखने के बाद मैंने पांच स्वीकार की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें जहां और शर्तें पूरी होती हैं, बहुत से माननीय सदस्यों की सूचनएं 200 शब्दों से अधिक की होने के कारण अस्वीकार कर दी जाती हैं। तो जब माननीय सदस्य 301 की सूचनाएं दें तो इस बात का ध्यान रखें कि 200 से अधिक शब्द उसमें न हों। मैंने सर्वश्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, दीप नारायण, मुहम्मद आजम खां, कुंवर सिंह नेगी तथा जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचनाएं स्वीकार की हैं।

*श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल--

माननीय, शारदा कैनाल हरदोई जनपद की एकमात्र कैनाल है जिससे पूरे जिले के किसानों की फसल की सिचाई होती है। इस समय गेहूं की फसल को आखिरी सिचाई होनी है लेकिन कैनाल विभाग ने शारदा कैनाल की हरदोई ब्रांच को तीन सप्ताह के लिए बन्द कर दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---]

पानी न मिलने के कारण सारी फसल सूखने की स्थिति में हो गई है। इस वर्ष बाढ़ एवं ओले से खरीफ की फसल पहले ही नष्ट हो चुकी है।

जनपद के किसानों में एक रोष उत्पन्न हो गया है और किसी समय भी जन-आन्दोलन हो सकता है।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि सिंचाई विभाग को, शारदा कैनाल की हरदोई ब्रांच को तुरन्त खोलने का निर्देश देने की कृपा करें।

रामपुर शहर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा 16 लाख रुपये की ग्रान्ट का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां---

सोलह लाख रुपये के खुर्द-बुर्द किये जाने के सम्बन्ध में, मान्यवर, रामपुर शहर म्युनिसिपल बोर्ड अपनी भ्रष्टता के सबब बर्बाद हो रहा है। तकरीबन 16 लाख रुपये से ज्यादा ग्रान्ट पिछले 8 महीने से बेकार पड़ा है। उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहां का आफिसर इंचार्ज जरूरत से ज्यादा रिश्वतखोर है और जिलाधिकारी ने उस पर ग्रान्ट का पैसा न खर्च करने पर रोक भी लगा रखी है। अधिकारी वर्ग की इस लड़ाई में कि पैसे का बटवारा किस प्रकार हो, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और टूटी सड़कों से जनता पीड़ित हो उठा है। 31 मार्च तक इस पैसे का खर्च सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब आधे से भी अधिक पैसा भ्रष्ट अफसर खा लें। नगरपालिका के आफिसर इंचार्ज, जो कि मंत्री जी की जातीय दिलचस्पी के सबब तीसरी बार भी अपना स्थानान्तरण रुकवाने में कामयाब हो गए हैं, इस अधिकारी और जिले के दूसरे अधिकारियों में जनता का पैसा कौन लूट कर खायेगा इसकी दौड़ है। वक्त निकल जाने पर यह पैसा बिना काम आये लैप्स ही जायेगा और शहर की दुर्दशा बनी रहेगी।

मेरी सरकार से मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों से सोलह लाख रुपये की लूट से बचाया जाय और कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि मुश्किल से हासिल किये गये पैसे को 31 मार्च से पहले सड़कों के निर्माण कार्य में ही खर्च किया जा सके ताकि अधिकारी वर्ग इसे अपनी जेब में न भर लें।

श्री बद्रीनाथ धाम में मल निकासी के स्थान में परिवर्तन की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर सिंह नेगी---

महोदय, हिन्दू धर्मावलम्बी बद्रीनाथ धाम में अपने पितरों को ब्रह्म कपाल में पिन्डदान करते हैं। पवित्र अलकनन्दा के किनारे पर ब्रह्मकपाल से लगभग सौ मीटर ऊपर सामने नरपुरी की सीमा में सीवर लाइन द्वारा मल निकासी छोड़ी जा रही है। सीवर लाइन बिछाने की योजना जल निगम द्वारा चल रही है। यद्यपि जल निगम की योजना प्रसंसनीय है, किन्तु यह देख कर बड़ा दुख होता है कि मल निकासी का स्थान अलकनन्दा के किनारे बद्रीनाथ मन्दिर के ऊपर की ओर किया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम में अलकनन्दा दक्षिण की ओर बहती है किन्तु निकासी नाली ऊपर की ओर है। यहां का पानी नारदकुन्ड एवं मन्दिर में आता है। इससे हिन्दू धर्मावलम्बियों की धार्मिक भावनाओं को भारी

आघात पहुंचा है, जिनसे लोगों में भयंकर रोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। अतएव, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर हम माननीय नगर विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं और निवेदन करते हैं कि पवित्र धाम बद्रीनाथ में मल निकासी के स्थान में शीघ्र परिवर्तन करवाने की कृपा करें।

शासकीय आदाता के भ्रष्टाचार के कारण मजदूरों में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं। गत 3 फरवरी को ही उक्त मिल के तीन मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों ने शासकीय आदाता द्वारा मजदूरों का उत्पीड़न, शासकीय धन का दुरुपयोग, नियमों, निर्देशों की खुली अवहेलना, मनमानी भर्ती तथा मजदूरों की न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में एक मांग-पत्र दिया और कहा कि यदि 15 दिन के अन्दर समस्याओं का निदान शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ तो कोई भी कदम उठाने को बाध्य होंगे। उक्त अवधि में शासन द्वारा कोई वार्ता न होने के कारण मजदूरों में काफी आक्रोश और उत्तेजना है। यदि शासन ने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया तो बाध्य होकर मजदूरों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा। इस परिस्थिति की आशंका से परिक्षेत्र के गन्ना किसानों के असंतोष और मिल चलने के प्रति आशंका उत्पन्न हो गयी है।

अतः सरकार से मांग है कि वह तुरन्त हस्तक्षेप करके मजदूरों की समस्याओं का शान्तिपूर्ण समाधान हेतु मजदूर प्रतिनिधियों से बात करें। भ्रष्ट रिसीवर को हटाकर उनके विरुद्ध लगाये गये सुनिश्चित आरोपों की खुली जांच कराये।

कतिपय सदस्यों द्वारा नियम 301 की सूचना दिये जाने का प्रयास

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूज्य बापू जी...

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम के मातहत बोल रहे हैं, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आपको अगर कुछ कहना है तो पहले मुझे लिखकर आप दें, फिर मेरी आज्ञा से आप बोल सकेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

जीरो आवर में हमें अधिकार है, आप सुन लें...

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ नियम 301 की सूचनाओं पर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय सदस्य कृपाकर बठें, मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री विजय सिंह राना—

आप 5 सूचनायें नियम 301 की स्वीकार करते हैं। आज 4 ही ली गयी हैं क्योंकि एक उपस्थित नहीं हैं। उसकी जगह पर आप दूसरी ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह अधिकार है कि जितनी भी सूचनायें नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त हों उनमें से जिन्हें मैं अधिक व्यापक और जनहित को समझूं, 5 स्वीकार करूं। जो नियम हमारे बने हुए हैं, उसके अन्तर्गत सूचनाएं ली जाती हैं और जिस जिस की सूचनाएं आई हैं, उनमें से 5 मुझे छांटनी पड़ेगी। मेरे विवेक से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो व्यापक होगा, उसे हमें देखना पड़ेगा। तमाम नियमों को देखते हुए उनको स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार से मुझको निर्णय करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जो कि अत्यधिक व्यवधान के कारण सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, शिवाजी स्मारक विद्यालय, भिटौरा, लखनजेदपुर, बाराबंकी को मान्यता के सम्बन्ध में वहां के मैनेजर ने पूरी शर्तों को पूरा करते हुए माननीय मुख्य मंत्री और डी० डी० आर० फैजाबाद तथा जिलाधिकारी फैजाबाद को पत्र लिखा कि वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस स्कूल में सभी शर्तें पूरी होने के बावजूद भी मान्यता नहीं दी तो 15 फरवरी, दिन मंगलवार से वहां के मैनेजर आमरण अनशन पर बैठे हैं....

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जो सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय जमुना प्रसाद, माननीय खैरुल बशर आप बैठिये। माननीय विजय सिंह राना कृपा करके आप बैठिये। आप लोग अव्यवस्था न करें। यह सदन का समय बहुत कीमती है। कृपा करके बैठिये आप लोग, अब जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायगा।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

माननीय, मैं अपनी सूचना पढ़ने जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । माननीय खैरुल बशर आप कृपा करके बैठिये । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

माननीय, छठवें दिन भी आपने मेरी सूचना को एलाऊ नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके बैठिये आप । इस तरह से सदन नहीं चलने पायेगा । बैठिये आप ।

(श्री अध्यक्ष के मना करने पर, व्यवधान के मध्य श्री खैरुल बशर तथा कुछ अन्य सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे, जो कि सुनाई नहीं पड़ा ।)

यह कुछ भी नहीं लिखा जायगा । आप लोग बैठिये ।

श्री खैरुल बशर--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके बैठिये आप । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित--

आपके पास कितनी राशन की दूकानें हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय खैरुल बशर जी, बैठिये आप । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित--

मऊ में कितनी राशन की दूकानें हैं, आपके पास ?

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य श्री खैरुल बशर तथा श्री अकबर अहमद और कुछ अन्य सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जो कि सुनाई नहीं पड़ा ।)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय अकबर अहमद, माननीय खैरुल बशर बैठिये आप । आप सभी लोग बैठिये ।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, यह सदन आपका है, हम और आप, चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, सब लोग नियमों में बन्धे हुए हैं । जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, उसके तहत हमको काम करना पड़ता है ।

(व्यवधान)

यह इस प्रकार से शोभा नहीं देता है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए ।

पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी, श्री चमन लाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

अब मैं मद संख्या 4, विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । मैंने मद 4 को ले लिया है ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

विशेषाधिकार की जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उसकी मैं सूचना देने जा रहा हूं । श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री खैरुल बशर, श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री मित्रसेन, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 20 अगस्त, 1982 को पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी, श्री चमन लाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के एक प्रश्न की सूचना दी थी । इसमें माननीय सदस्यों का कहना है कि 27 जुलाई, 1982 को श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, प्रधान, ग्राम रारा, जिला हरदोई द्वारा विधान सभा लेटर पैड पर लिखा एक पत्र उप पुलिस अधीक्षक को भेज कर श्री सरोज बाजपेयी के एक मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यथोचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था और पत्र वाहक द्वारा उक्त पत्र मोहम्मदी में पुलिस अधीक्षक को दिया गया । शिकायत में कहा गया है कि उक्त पत्र को लेते ही पुलिस अधीक्षक

ने उसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया तथा पत्र वाहक और उनके साथ गये हुए श्री सरोज बाजपेयी, श्री राम भरोसे आदि को हिरासत में ले लिया, और उनकी राइफलें भी जमा कराते हुए बिना लाइसेंस राइफल रखने का मुकदमा कायम करके बन्द करने के निर्देश दिये माननीय सदस्यों की सूचना में यह आरोप भी है कि उस समय पुलिस अधीक्षक ने उक्त श्री सुशील कुमार त्रिपाठी को संबोधित करते हुए समस्त विधायकों के लिये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपने इन आरोपों के समर्थन में उक्त सदस्यों ने श्री सुशील कुमार त्रिपाठी द्वारा दिनांक 28-7-82 को लिखे गये एक पत्र की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत की है।

इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी मैंने शासन से मांगी थी और शासन ने दिनांक 5 नवम्बर, 1982 के पत्र के साथ इस मामले में श्री चमन लाल, पुलिस अधीक्षक, खीरी से प्राप्त आख्या की एक प्रतिलिपि मेरे विचारार्थ अपनी अभ्युक्ति के साथ भेजी है। इस आख्या के अवलोकन से माननीय विधायकों द्वारा पुलिस अधीक्षक पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। श्री चमन लाल ने उक्त आख्या में कहा है कि श्री सुशील कुमार त्रिपाठी द्वारा माननीय विधायक जी का कोई पत्र उन्हें (अर्थात पुलिस अधीक्षक को) नहीं दिया गया। अतः उसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डालने अथवा माननीय विधायकों को अपशब्द कहने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आख्या में यह भी कहा गया है कि श्री सुशील कुमार त्रिपाठी व श्री राम भरोसे द्वारा श्री नरेश चन्द्र वर्मा, एडवोकेट, लखीमपुर खीरी के माध्यम से जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो शपथ-पत्र दिया गया है उसमें भी माननीय विधायक जी के पत्र को पुलिस अधीक्षक को दिया जाना तथा उसको फाड़ा जाना और विधायकगण को अथवा सदन के बारे में अपशब्द कहा जाना अंकित नहीं है बल्कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर 8 से इस बात की पुष्टि होती है कि उनकी गिरफ्तारी कस्बे में पुलिस अधीक्षक से मिलने के पूर्व हो चुकी थी।

माननीय सदस्य की शिकायत और उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी की अभ्युक्ति के साथ प्राप्त पुलिस अधीक्षक श्री चमन लाल की आख्या पर मैंने सम्यक रुप से विचार किया और पूरी पत्रावली भी देखी है। शिकायत में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि श्री सुशील कुमार त्रिपाठी के माध्यम से बिधान सभा लेटर पैड पर लिखा गया जो पत्र पुलिस अधीक्षक के पास भेजा गया था, वह किस माननीय सदस्य द्वारा लिखा गया था। पुलिस अधीक्षक को भेजे गये उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि भी शिकायती-पत्र के साथ प्रेषित नहीं की गयी है। विधायकों के प्रति अपमानजनक शब्दों के प्रयोग का आरोप भी एक बाहरी व्यक्ति के पत्र पर आधारित है। माननीय सदस्य की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक ने किसी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जिस व्यक्ति ने माननीय सदस्य को अपमानजनक शब्दों के बारे में सूचना दिया, वह पुलिस अधीक्षक के कथनानुसार, फौजदारी मुकदमें में अभियुक्त है और ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को प्रमाणित मानना समीचीन नहीं प्रतीत होता। इसके अतिरिक्त उक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में संगत लेखों आदि का हवाला देकर किसी माननीय सदस्य द्वारा लिखे गये पत्र को प्राप्त करने और उसे फाड़ने तथा विधायकों एवं सदन के बारे में अनुचित शब्दों के प्रयोग के इंकार किया है।

इस प्रकार प्रादर्शन में इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि दिनांक 27 जुलाई 1982 को पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा इस आदरणीय

[श्री अध्यक्ष ---]

सदन और उसके सदस्यों की गरिमा को गिराने के उद्देश्य से कोई व्यवहार किया गया अथवा अनुचित शब्द कहे गये ।

अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलन के प्रश्न पर बोलने के लिए समय की मांग

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि जब आप विशेषाधिकार की सूचनाओं के बारे में अपने निर्णय सुना रहे थे, तो आपने कहा था कि निर्णय देने से पूर्व सम्बन्धित विधायक को चन्द शब्द सदन में कहने का मौका देंगे ।

श्रीमन्, यह माता प्रसाद पाण्डेय जी का विशेषाधिकार का प्रश्न है । यह बहुत दिनों से लम्बित है । मान्यवर, कई बार उन्होंने आपसे निवेदन किया था कि उन्हें इस सम्बन्ध में कहने का मौका दिया जाय । आज परिस्थितिवश माता प्रसाद जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । तो मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने निर्णय को सुनायें, लेकिन जब 2 दिन बाद माता प्रसाद जी यहां लौटें, तो उन्हें अपनी बात कहने का मौका जरूर दें ।

मान्यवर, अक्सर यहां देखने में ऐसा होता है कि अधिकारी कुछ कहते हैं, विधायक कुछ कहते हैं और अधिकारी की बात सही मानी जाती है, विधायक की बात गलत मानी जाती है । तो मैं चाहूंगा कि आइंदा से माननीय विधायक को भी बोलने का मौका दिया जाय और यदि वह साक्ष्य भी देना चाहे तो उनको मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्नों का सम्बन्ध है, उस पर आख्या मांगी जाती है, उसके द्वारा पूरा-पूरा कार्य होता है और तब सारी चीजों को देखकर उसका निर्णय होता है । तो जब मैं यह महसूस करूं, यह स्वीकार करूं कि उनको सुनना आवश्यक है, उनको सुनना चाहिए, तभी सुना जा सकता है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं हो सकेगा । माननीय सदस्य का जहां तक सम्बन्ध है, यदि वे सन्तुष्ट न हों, तो उनके दुबारा नोटिस देने के बाद, उस आधार पर विचार हो सकता है ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधायकों की जितनी ऐसी शिकायतें होती हैं, उस पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कितनी गलत सूचना देते हैं । यह उस पक्ष के लोग भी जानते हैं । तो श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि इधर के विधायकों के मामले को जांच उधर के विधायक करें और उधर के विधायकों का मामले की जांच इधर के विधायकों से करा ली जाय । तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि किसी ऐसे माध्यम पर विचार करें, ताकि रिपोर्ट सही आ सके । श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो आख्या शासन भेजता है, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उनके लिए बाधित नहीं हूं, लेकिन मेरा अधिकार है देखने का कि शासन क्या लिखकर भेजता है। स्पष्टीकरण के लिए शासन को भेजना ही पड़ेगा। मुझे निर्णय करने का अधिकार है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, उस पीठ से निर्णय करने का अधिकार आपको है। लेकिन आपसे आशा की जाती है कि आप निर्णय वहीं करें, जो व्यवहारिक हो। लेकिन मान्यवर, ऐसा देखने को मिला है कि इस सत्र में, पूरे दो-ढ़ाई-साल के अन्दर जो कर्मचारी ने कहा दिया उसको उस पीठ ने मान लिया है। ऐसा नहीं हुआ कि जो शासन की तरफ से किसी अधिकारी का कोई जवाब आया और न मान लिया गया हो तो हमारा नम्र निवेदन है, आप से और सत्ता पक्ष से, कि अगर हम कोई गलत बात कहते हैं तो किसी सजा का प्राविधान हमारे लिए भी होना चाहिए। लेकिन यह अपमान की बात है कि माननीय सदस्य कोई बात कहें और वह झूठी पायी जाती रहे, यह एक राजनीतिक व्यक्ति का अपमान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी प्रक्रिया बना लें कि अगर कोई गलत बात कहता है तो दण्ड का भागीदार बनना चाहिए। हम कोई शिकायत करें और सरकारी कर्मचारियों का जवाब आने पर उसे सही मान कर कोई कार्यवाही न की जाये, तो यह हमारे लिए एक अपमानजनक स्थिति आती है। इसलिए जब कोई इस तरह का प्रश्न आवे तो आप उस माननीय सदस्य को अपने कक्ष में बुला कर जरूर पूछें, एक बात फिर कर लें। पिछली बार भी दो माननीय सदस्यों के साथ ऐसा हुआ। जो साख हम लोगों की बाहर जाती है उसमें हमारी छवि बिगड़ती है। इसलिए आप कृपया सम्बन्धित माननीय सदस्य को अपने कक्ष में बुलाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष—

यह आदरणीय सदन अगर इस तरह का कोई परिवर्तन करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हर मामले को बहुत गहराई के साथ, बहुत विचार करने के बाद मैं भी विधायक रहा हूं, सब जानकार हैं, लिहाजा इस बात के लिए कहना कि उसमें कोई गड़बड़ी किसी प्रकार से हो सकेगी, नियमों के आधार पर ये निर्णय करने पड़ते हैं....

(व्यवधान)

(श्री रियासत हुसैन, श्री फखरे आलम तथा संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर) अगर इस बात पर बहस होने लगेगी तो....

श्री रियासत हुसैन—

यह बहस का विषय नहीं है लेकिन जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया है, चूंकि विशेषाधिकार के प्रश्न आते हैं इसलिए उस सुझाव को आप देख लें और कोई निर्णय लेने से पहले माननीय सदस्य को आप अपने कक्ष में बुला कर उससे जरूर कन्फर्म कर लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात का सारांश समझ लिया हैं और पूरी तरह से उसका पालन किया जायेगा ।

श्री फखरे आलम--

जो फैसला आप करते हैं वह सर आंखों पर और जो फैसला करेंगे वह सही ही करगे लेकिन मैं आपका ध्यान नियम 65 के अन्तर्गत उसमें 3 जो बातें हैं उस ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें आप को जो देखना है वह यह है कि एक डेफिनिट मेटर का क्वेश्चन होना चाहिए, प्राइमाफेसी का कोई नेचर मालूम होना चाहिए और तीसरी चीज है कि जो मामला है वह सही हो जिसमें कोई इंटरवेन्शन हो । सके तो किसी विधायक के यह कहने कि ऐसा किया गया, इसकी जानकारी देना काफी है । इसलिए इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं कि सभी लोगों के मामले होते हैं, राजाना होते रहते हैं, विधायकों के साथ ज्यादती होता रहेगी, विधायकों को परेशान किया जाता रहेगा, इसलिए इसमें आप कुछ करें ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो माननीय नेता विरोधी दल या अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । जितने विधायक हैं सभी इससे प्रभावित होते रहते हैं । एक बात जहां तक माननीय नेता विरोधी दल ने कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कोई न कोई तरीका हमें अपनाना चाहिये, उस पर विचार करना चाहिये जिससे जो सम्मानित सदस्य हैं इस विधान सभा के, उनकी मानहानि की रक्षा हो सके । मैं अनुरोध करना चाहूंगा नेता विरोधी दल से तथा अन्य माननीय सदस्यों से कि जब किसी बात पर कोई निर्णय हो जाय तब उस निर्णय पर क्वेश्चन न किये जायें । अगर क्वेश्चन करने की प्रक्रिया अपना ली तो इस सदन का संचालन बड़ा मुश्किल हो जायेगा । आप अपने कक्ष में बुला लें और इस प्रकार का कोई तरीका बना लिया जाय कि सम्मानित विधायकों की बात सुनी जा सके और सही तथ्य सामने आ सके । उस प्रक्रिया में सारी चीजें हो जायेंगी । इस प्रकार से जो निर्णय होगा उसमें किसी प्रकार के क्वेश्चन या टीका-टिप्पणी की बात न होगी । इस प्रकार की टीका-टिप्पणी से तो सदन की कार्यवाही सही तरीके से न चल सकेगी । हर बात पर क्वेश्चन होगा तो काम कैसे हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के उत्तरों के बारे में एक मसले को लेकर मैंने बैठक बुलाई है उसी में विशेषाधिकार के बारे मे भी विचार कर लेंगे । जहां तक श्री माता प्रसाद जी का जिक्र है, माता प्रसाद जी और शंकर सिंह जी मेरे पास आये थे । मैंने उनकी बातों को सुना था । थोड़ी बहुत बातें कुंवर सिंह नेगी जी से भी हुई थीं । मैं प्रयत्न इस बात का करता हूं कि निर्णय लेने से पहले मैं भाव समझ लूं कि क्या है । नियमों के अन्तर्गत जो होता है उसमें ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार की ढिलाई न हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जयपति नाथ, थानाध्यक्ष, त्रिलोक पुर, जिला बस्ती एवं उनके सहयोगो, श्री पुद्दन मिश्र, निवासो विस्कोहर, जिला बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अव-हेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष —

श्री माता प्रसाद पांडेय, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 20 मार्च, 1982 को श्री जयपति नाथ, थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर, जिला बस्ती और उनके सहयोगी, श्री पुद्दन मिश्र, निवासी ग्राम विस्कोहर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । इसके पूर्व माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत दिनांक 4 मार्च, 1982 को सदन में त्रिलोकपुर, जनपद-बस्ती के थानाध्यक्ष के बिरुद्ध बलात्कार का प्रश्न उठाया था । विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना में माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से कहा है कि जब वे दिनांक 19 मार्च, 1982 को ग्राम इटवा से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो इटवा के केशरी के मन्दिर के पास थानाध्यक्ष, श्री जयपति नाथ पुलिस वर्दी में (अपने एक सहयोगी श्री पुद्दन मिश्र के साथ) मोटर साइकिल पर आये और उन्हें रोक कर अश्लील शब्दावली का प्रयोग करते हुये विधान सभा में उनके विरुद्ध किये गये संदर्भ के प्रति आक्रोश दिखाया और उन्हें जान से मार डालने की धमकी भी दी । उक्त थानाध्यक्ष के हाथ में रिवाल्वर था और उनके सहयोगी के हाथ में बन्दूक थी । इस पर माननीय सदस्य ने कहा कि यदि वे उन्हें मारना ही चाहते हैं तो चौराहे पर चलें । इस बीच इन लोगों को वहां खड़ा देखकर पास से श्री भानु, पुत्र श्री रामदुलारे, निवासी ग्राम संडवा व हाजी सफातुल्ला, पुत्र श्री यासीन, निवासी ग्राम इटवा आदि अनेक लोग वहां आ गये । कई व्यक्तियों के इस प्रकार आ जाने पर उक्त थानाध्यक्ष माननीय सदस्य, श्री पाण्डेय को धमकी देते हुये अपनी मोटर साइकिल पर चले गये । श्री पांडेय ने इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना इटवा में लिखवाई जिसकी फोटो स्टेट कापी उन्होंने अपनी सूचना के साथ संलग्न की है ।

श्री पान्डेय की सूचना की एक प्रति तत्कालीन गृह मन्त्री को वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिये भेजी गयी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 1 अप्रैल, 1982 को तत्कालीन माननीय गृह मन्त्री का एक अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ । उक्त उत्तर के साथ पुलिस अधीक्षक, बस्ती की आख्या भी संलग्न की गयी और यह सूचित किया गया कि मामले की छानबीन अभी जारी है । पुलिस अधीक्षक, बस्ती की आख्या में यह स्वीकार किया गया है कि प्रारम्भिक जांच के अनुसार श्री माता प्रसाद पान्डेय, विधायक और श्री जयपति नाथ, थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर का दिनांक 19 मार्च, 1982 को आमना-सामना हुआ था और कुछ वाद-विवाद भी होना बताया जाता है । श्री माता प्रसाद पान्डेय द्वारा नामांकित गवाह श्री भानु एवं श्री हाजी सफातुल्ला ने भी श्री पान्डेय द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट की पुष्टि की है लेकिन इन दोनों गवाहों की घटना स्थल पर मौजूदगी सन्देह से परे नहीं है । श्री पान्डेय ने पुलिस अधीक्षक को बताया था कि वे अकेले रिक्शे पर अपने घर जा रहे थे और तभी थानाध्यक्ष ने उन्हें रोक कर धमकी दी थी । बाद में और लोग आ गय थे, जब कि थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर ने अपने थाने के रोजनामचा आम में अंकित किया है कि श्री माता प्रसाद पान्डेय, विधायक ने रास्ते में उनको

[श्री अध्यक्ष—]

अपशब्द कहे और स्थानान्तरण कराने की धमकी दी । दोनों पक्षों के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई, इसकी गहराई से जांच की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में शासन को अनेक अनुस्मारक भेजे गये ताकि जांच के परिणामों की जानकारी प्राप्त हो सके । शासन के पत्र दिनांक 16-6-82 द्वारा यह सूचित किया गया कि मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है और शीघ्रता से उसकी आख्या प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

पत्र दिनांक 21-2-82, 18-1-83 तथा 14-2-83 द्वारा भी शासन ने यही सूचित किया कि अपराध अनुसंधान विभाग की अन्तिम आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके लिये कई बार स्मरण कराया जा चुका है । इस प्रकार यह मामला लगभग एक वर्ष पुराना हो रहा है और इस पर अग्रेतर प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

मैंने पूरे मामले पर विचार किया तथा उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया । मेरे विचार से इस मामले में निम्नांकित तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है—

(1) दिनांक 19-3-82 को माननीय माता प्रसाद पान्डेय तथा थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर का आमना-सामना हुआ और उनमें कुछ कहा-सुनी हुई ।

(2) माननीय सदस्य ने उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी और अगले दिन ही उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दे दी ।

(3) माननीय सदस्य ने, उपरोक्त कहा-सुनी की घटना के पूर्व थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर के विरुद्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी ।

(4) पुलिस अधीक्षक की अन्तरिम आख्या के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित दोनों साथियों ने माननीय सदस्य के कथन की पुष्टि की है ।

(5) दिनांक 19-3-82 को थानाध्यक्ष ने भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, किन्तु उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित दोनों गवाहों के बयान लेने का कोई जिक्र पुलिस अधीक्षक की अन्तरिम आख्या में नहीं किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री जयपति नाथ, थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर, जिला बस्ती तथा उनके सहयोगी श्री पुद्दन मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्राग्दर्शन में अन्तर्ग्रस्त प्रतीत होता है । अतः प्रक्रिया नियमावली के नियम 66 के अधीन इस मामले की जांच, अनुसंधान और प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं ।

खाद्य एवं रसद मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

(श्री कुंवर सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय कुंवर सिंह नेगी जो, मैंने आपसे बात कर ली है, अगर आप कुछ और बात करना चाहते हैं तो मेरे कक्ष में आइए। आपको मैंने समझाया था। कृपया बैठें।

श्री कुंवर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 7 दिसम्बर, 1982 को माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी। इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 25 अगस्त, 1982 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत उनके द्वारा एक सूचना चमोली जनपद में खाद्यान्न तथा सीमेंट की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सदन के संज्ञान में लायी गयी थी। माननीय श्री नेगी की शिकायत में आगे कहा गया है कि उनकी उक्त सूचना का उत्तर 7 दिन के अन्दर माननीय मन्त्री द्वारा दिया जाना चाहिए था और यदि किसी वजह से उक्त अवधि में उत्तर देना सम्भव नहीं था तो उसका अन्तरिम उत्तर दिया जाना चाहिये था और अन्तिम उत्तर एक माह के अन्दर अवश्य दिया जाना चाहिये था, जब कि शिकायत का तिथि अर्थात् 7 दिसम्बर, 1982 तक माननीय सदस्य को न तो अन्तिम उत्तर प्राप्त हुआ था और न ही माननीय मन्त्री ने उन्हें कोई अन्तरिम उत्तर भेजा था। श्री कुंवर सिंह नेगी के कथनानुसार माननीय खाद्य मन्त्री ने अपेक्षित उत्तर को जानबूझकर टाला है और माननीय सदन को वांछित सूचना न देकर गुमराह किया है।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय खाद्य एवं रसद मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी, जिसका उत्तर दिनांक 3 जनवरी, 1983 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में बतायी गयी स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है--

माननीय सदस्य द्वारा सदन में दिनांक 25 अगस्त, 1982 को दी गयी संदर्भित सूचना के सम्बन्ध में वांछित जानकारी तत्काल उपलब्ध न होने और चमोली राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में सीमा पर स्थित होने के कारण तुरन्त उपलब्ध भी न कराये जा सकने के कारण श्री नेगी को अंतरिम उत्तर दिनांक 1 अक्तूबर, 1982 को ही दिया जा सका और तदुपरान्त जिलाधिकारी, चमोली से सूचना प्राप्त हो जाने पर उसके आधार पर अंतिम उत्तर माह दिसम्बर, 1982 में भेजा जा सका। माननीय खाद्य मंत्री द्वारा श्री नेगी को भेजे गये उक्त दोनों उत्तरों की प्रतिलिपियां माननीय मन्त्री ने मुझे सूचनार्थ भेजी हैं।

माननीय सदस्य की शिकायत और उसके सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्री के दिनांक 3 जनवरी, 1983 के उक्त उत्तर पर विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गयी माननीय श्री नेगी की सूचना का अन्तरिम उत्तर, करण संख्या 14 (1) के अनुसार, 7 दिन के अन्दर नहीं दिया गया और एक माह की अवधि के अन्दर अन्तिम उत्तर भी नहीं दिया जा सका। वास्तव में अंतरिम उत्तर 1 अक्तूबर, 1982 को और अन्तिम उत्तर माह दिसम्बर, 1982 में दिया गया है, जो कि उक्त करण के अनुसरण में नहीं था। इस सम्बन्ध में मैं सभी माननीय मंत्रियों से यह अपेक्षा

[श्री अध्यक्ष---]

करूंगा कि वे प्रक्रिया सम्बन्धी करणों एवं अध्यक्ष पीठ से दिये गये निदेशों का भविष्य में पूर्णरूप से अनुपालन करने का प्रयास करेंगे ।

जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन की अवमानना का प्रश्न है, इस मामले में सदन को किसी प्रकार से गुमराह किया जाना निहित नहीं है क्योंकि प्रक्रिया सम्बन्धी संगत करण के अनुसार नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गयी किसी सूचना का उत्तर सम्बन्धित मन्त्री द्वारा सदन में दिया जाना अपेक्षित नहीं है, बल्कि सदन के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में सदन के पटल पर ऐसी सूची रखे जाने की आवश्यकता होती है जिसमें गत सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण हो । अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, माननीय शंकर सिंह जी वाले विशेषाधिकार की सूचना पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

उस पर अभी विचार चल रहा है और जब आवश्यकता होगी तो उन्हें भी बुलाया जायेगा ।

श्री अकबर अहमद---

मान्यवर, एक सूचना हमने भी सन् 1980 में दी थी, उस पर क्या हुआ ? मान्यवर, जरा जल्दी करवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष---

मैं उस पर भी विचार कर रहा हूं और आवश्यकतानुसार आपको भी अपने कक्ष में बुलाकर बात करूंगा जल्दी ही ।

सिंचाई मंत्री के वक्तव्य के समय उनके अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, माननीय सिंचाई मन्त्री किन्हीं कारणोंवश, आज यहां उपस्थित नहीं हैं । इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को बजाय आज के परसों ले लिया जाए ।

(व्यवधान)

कई सदस्य---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मद संख्या 6 में नियमों में यह है कि जब माननीय मंत्री जी को कोई वक्तव्य अपने किन्हीं कारणों से देने में असमर्थ हों तो वह इसकी सूचना यथासमय आपको दे देंगे और यदि वक्तव्य आना है, तो उसकी एक प्रति मान्यवर, आपको और एक प्रति हम लोगों को दे दी जाती है, परन्तु यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, न आपको वक्तव्य की प्रति दी न किसी और की और न ही इसकी सूचना मान्यवर, आपके पास यथा समय भेजी, जिस वजह यह एजेंडे में भी मुद्रित हो गया और आपने उस आइटम को बुला भी लिया तो इससे यह साफ जाहिर है कि इन्होंने इसकी सूचना यथासमय आपके पास नहीं भेजी । इस पर मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दे दीजिए । दूसरे मान्यवर, यह जानबूझकर जनपद सीतापुर में शारदा सहायक द्वारा बनी नहर से सीपेज जो हो रहा है जिससे तमाम जनता परेशान है और उनकी फसल तैयार नहीं हो पा रही है इसकी उपेक्षा माननीय मंत्री जी जानबूझकर कर रहे हैं यह हम लोगों का आरोप पहले भी था और आज यह उदाहरणार्थ सिद्ध भी हो गया, मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है कि यह सरकार बराबर इस तरह . . .

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, आज सिंचाई विभाग के प्रश्न भी थे, सिंचाई विभाग के उत्तर दिलवाने के लिए तो एक डुप्लीकेट मंत्री को यहां पर लाकर बैठाल दिया है परन्तु सीपेज की वजह से जो विभिन्न क्षेत्रों में गड़बड़ी मची हुयी है, और बहुत सी जनता परेशान है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने और उस समस्या को दूर करने के प्रयास करने ज्यादा आवश्यक थे या कहीं पर जाकर सैर-सपाटा करना ज्यादा आवश्यक था ? मान्यवर, इस बार आप अपनी व्यवस्था दे दीजिए ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अब इस विषय पर प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने का मौका तो नहीं दिया जा सकता है इसलिए शांति बनाये रखें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यहां जो सीपेज का प्रश्न है उसकी गम्भीरता को देखते हुए यह निर्णय हुआ कि माननीय सिंचाई मंत्री जी जब स्वयं मौजूद हों तब जो सुझाव दिये जायं उसका अनुपालन वे कर सकें और उसी के अनुरूप कार्यवाही हो सके। अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बात उठाई इसके लिये कम से कम इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिये था । अभी कल ही बिजली की समस्या के सम्बन्ध में इनका प्रस्ताव था और ये नहीं थे, तो हम लोगों ने उसे देख लिया था और स्वीकार कर लिया था ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी, आप कृपया बैठें । मैंने आपकी बात को सुन लिया है, कृपा करके आप बैठें ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री अपने स्थान पर खड़े रह कर बोलने का प्रयास करते रहे ।)

आप इस तरह की परिपाटी न डालें । आप नियमों को देखें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल इसी तरह से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना के सम्बन्ध में प्रश्न आया था, उन्होंने लिखकर दिया था । सदन में प्रस्ताव द्वारा वह पारित कर दिया गया और सबने उसे स्वीकार कर लिया । आज सुबह मेरे पास में माननीय गोपाल राम दास, जो सिंचाई के राज्य मन्त्री हैं, उन्होंने लिखकर यह कहा था कि इसको एक-दो दिन के लिए आगे निर्धारित कर दें । इसकी सूचना मुझको प्राप्त हो गयी थी । पहले भी इस प्रकार से हुआ है । यदि कोई माननीय सदस्य या माननीय मंत्री किन्हीं कारणों से सदन में उपस्थित नहीं हो सकते तो सम्बन्धित मद को स्थगित करा देता हूं तो मेरा कहना यह है कि यह नियमों का भंग होना नहीं है । इससे सदन को लाभ हो सकेगा जब माननीय मन्त्री जी होंगे । इसलिए मैं समझता हूं इसको इस समय समाप्त किया जाय ।

(इतना सुनते ही श्री विजय सिंह राना, श्री अकबाल हुसैन, श्री जमुना प्रसाद, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री और श्री फखरे आलम एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिसके कारण कुछ साफ सुनाई नहीं पड़ा और व्यवधान रहा ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कल मैं आपकी अनुमति ले कर गया था । सीतापुर में सीपेज से हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गयी है, फसलें नष्ट हो गयी हैं, वहां पर लोगों से तब भी मुआवजा लिया जा रहा है, उनका मुआवजा माफ नहीं किया गया है और मंत्री जी ने इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया है इसलिये मैं इसके प्रतिरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री विजय सिंह राना—

आपको यहां पर कारण भी बतलाना चाहिये कि किस कारण से वे नहीं आ सकते हैं । वे अपनी नौकरी बचाने के लिए रायबरेली गये हुए हैं माननीय मंत्री जी जिसके कारण ये नहीं आये हैं । जनता को उन्हें चिन्ता नहीं है । वह यहां क्या नहीं आये, यह आप बतला दें । वह राजीव गांधी के लिये गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

इसके लिये मैंने 24 तारीख यानी 24 फरवरी निर्धारित किया है कि इस पर वक्तव्य दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राना खड़े होकर बोलते रहे जो कि शोर के कारण सुनाई नहीं दिया ।)

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । माननीय जमुना प्रसाद जी आप भी बैठें । मैंने आप सबकी बातों को सुन लिया है ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, सीतापुर में सीवेज का जो मामला है, उससे आम लोग मर रहे हैं । हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गयी है । माननीय मंत्री जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे यहां आते और अपना वक्तव्य देते । यह इस सदन की तौहीन है, इसलिये मैं थोड़ी देर के लिये इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फखरे आलम अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

आज 23 तारीख है । यदि माननीय मन्त्री जी किन्हीं कारणों से आज नहीं आये हैं तो माननीय जमुना प्रसाद जी आप बैठें । माननीय नेता विरोधी दल, आप इनको बैठाइये ।

(नेता विरोधी दल ने श्री जमुना प्रसाद को बैठने के लिए कहा)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मान लीजिये आज किसी कारण से इस पर चर्चा नहीं होती या 4 दिन के बाद इसे लाते हैं तो इस दौरान कोई काम बिगड़ गया है क्या ?

जब 24 तारीख को निर्धारित कर दिया है तो क्यों तूल दिया जा रहा है ? यह सदन को शोभा नहीं देता है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भंडारी, जसवन्त सिंह बिष्ट और विद्यासागर नौटियाल को, पर्वतीय क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम के अन्धानुकरण के फलस्वरूप समस्त विकास कार्य ठप होने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को आसाम चुनाव व्यवस्था के लिए भेजी गयी पी० ए० सी० के जवानों को पुरस्कृत किए जाने के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र को जिला देवरिया के ग्राम सिरौसी के श्री केशव पर अराजक तत्वों द्वारा हमला किए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना सर्वश्री राम सागर और जमुना प्रसाद की जनपद बहराइच के जरवल रोड शुगर फैक्ट्री के एक हरिजन कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिए जाने के सम्बन्ध में है । पांचवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह की जनपद फैजाबाद में पुलिस की उपस्थिति में हरिजन मंदिर लूटे जाने के सम्बन्ध में है । छठी सूचना सर्वश्री रियासत हुसैन और राम गोविन्द की लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पुलिस की सहायता से नयी बस्ती स्थित मस्जिद को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना सर्वश्री फखरे आलम और ख्वाजा हलीम को भी इसी विषय पर है और आठवीं सूचना श्री

[श्री अध्यक्ष--]

अकबाल हुसैन को सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों से ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में है ।

मैंने काफी गहराई से इन सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत देखा है और नियमों के अनुसार मैं सबसे पहले राम सागर और जमुना प्रसाद को सुनूंगा, फिर सत्यपाल सिंह को और फिर रियासत हुसैन और राम गोविन्द को सुनूंगा ।

(व्यवधान)

पूरे सदन की यह सूचनायें हैं । 56 के अन्तर्गत क्या सभी सूचनायें स्वीकार हो सकती हैं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों का पालन करें ।

श्री राम सागर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक घटना हुई । पांचू प्रसाद आर्य जो हरिजन जाति का व्यक्ति है, जरवल रोड शुगर फैक्टरी में चौकीदार था । यहां के मैनेजर, जगदीश सिंह बेदी ने उसको निकाल दिया । वह न्याय पाने के लिए आपके पास भी आया । जब आपसे मिला तो आपने बड़ी कृपा की और उसको एक पत्र लिखकर दिया कि यह हरिजन व्यक्ति है गरीब व्यक्ति है और असहाय है, इसको सेवा का अवसर दिया जाय । आपके लिखने पर गन्ना मंत्री जी ने वहां के मैनेजर को लिखा और वह पत्र उनको मिल गया । इसी सम्बन्ध में माननीय गोपाल राम दास जी ने भी पत्र लिख कर दिया, और उसको भी उन्होंने रख लिया । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा कि उसको रख लिया जाय । यह सब फोटो स्टेट कापियां हैं । इस सम्बन्ध में सत्ता पक्ष के विधायक ने भी लिखा, कमला साहनी ने भी लिखा, माननीय विधायक, श्री हरदेव ने भी लिखा है और वहां के एम० पी०, श्री रणवीर सिंह ने भी लिखा है । इस प्रकार तमाम मंत्रियों और विधायकों के लिखने पर भी मैनेजर ने उसको नौकरी में नहीं रखा तो वह कर्मचारी मिलने गया ।

मान्यवर, वहां के मैनेजर ने मंत्रियों और विधायकों के पत्र हरिजन के सामने निकालकर फाड़ दिये और उनके मुंह पर फेंक दिये और कहा कि यह नेतागीरी का मामला है और मंत्रियों, विधायकों और सदस्यों से जाकर पूछो कि वे कितने दिन कुर्सी पर रहेंगे ? मान्यवर यहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । इस तरह से हरिजन उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आ रहे हैं । श्रीमन्, यह मामला किसी मंत्री का नहीं, किसी विधायक का नहीं, नेता विरोधी दल का नहीं, बल्कि सारे सदन के अवमान का मामला है । इस गम्भीर प्रश्न के ऊपर जो यह हरिजनों की हिमायती सरकार है और कहती है कि हमारी निगाह हमेशा हरिजनों की तरफ रहती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप केवल इसकी ग्राह्यता पर ही बोलें ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं इस प्रश्न को आपके सामने रखकर आपसे मांग करता हूं कि आप कार्य को रोक कर इस विषय पर चर्चा करा दें क्यों कि एक गम्भीर मामला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक समय में केवल एक ही सदस्य बोल सकता है। कृपया बैठ जायं।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम के सदन के संज्ञान में हरिजनों के ऊपर ढाये गये एक बड़े जुर्म के विषय मे कहकर कार्यस्थगन की मांग करता हूं। मान्यवर, जनपद फैजाबाद में एक गांव बहलोदपुर है वहां पर बड़ी कौम के लोगों ने हरिजनों के ऊपर हमला किया है। उन्होंने जाकर हरिजनों के मंदिरों को तोड़ दिया और वहां पर जो चढ़ावा आया था, उसे लूट लिया गया और साथ ही हरिजनों को मारापीटा भी गया। मान्यवर, सामान्य रूप से जो घटनायें होती हैं उससे भिन्न यह घटना है। विशेष बात उसमें यह है कि यहां पर जो बिवानी थाना है, उसके थानेदार और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हरिजनों के ऊपर इस तरह के जुल्म ढाये गये, उनके मंदिर तोड़ दिये गये। जब ये हरिजन लोग रिपोर्ट लिखाने के लिये थाने में जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और उनको गालियां भी दीं। मान्यवर, वहां पर मालूम हुआ कि जमीन के सिलसिले में कोई झगड़ा है और इसी से झगड़ा भी हुआ है। मुकदमा भी इस मामले में चल रहा है। इस तरह से हरिजनों के साथ पुलिस कर्मियों के समक्ष व्यवहार किया गया और उनको पीटा गया। इस तरह से हरिजनों की कैसे सुरक्षा हो सकती है। उस पर यह सरकार दावा करती है कि वह हरिजनों की हिमायती है। अतः मान्यवर, मैं इस विषय पर काम रोक कर आपसे चर्चा करवाने की मांग करता हूं।

(व्यवधान))

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, श्री सत्यपाल सिंह जी ने जनपद फैजाबाद में हरिजनों के बारे में जो बात कही और उसके सम्बन्ध में जो सूचना मिली है, उसके आधार पर हमने यहां पर डी० एम और एस० एस० पी० को सूचना भेज दी है कि वह सारे मामले की जानकारी कर लें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार का उत्पीड़न हरिजनों को नहीं होगा और यदि हुआ है तो जो लोग दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह का उनके साथ उत्पीड़न नहीं होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस पर सब लोगों को बोलने का मौका दूं, यह कैसे सम्भव है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, माननीय राम सागर जी ने जो पत्र आपको लिखा था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह मैं देखूंगा कि क्या पत्र लिखा है ? आप बैठें । अगर मेरा अपमान होगा तो सारे सदन का अपमान है ।

(श्री ख्वाजा हलीम, श्री रियासत हुसैन, श्री मुहम्मद आजम खां के एक साथ खड़े होने पर)

कौन बोलना चाहता है यह आप आपस में तय कर लें ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता के बारे में एक मिनट के अन्दर कहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब हमने निर्णय कर लिया है कि अगर एक ही विषय में कई सदस्य कार्य स्थगन का प्रस्ताव देते हैं तो एक माननीय सदस्य उसमें बोलेगा । यह पहले से तय किया गया है ।

श्री ख्वाजा हलीम--

हमारी पार्टी से एक आदमी को बुलवा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें पार्टी का सवाल नहीं होता है ।

श्री ख्वाजा हलीम--

मैं इसमें बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें ।

(व्यवधान)

हम लोगों ने आपस में एक बात तय कर ली है यदि एक कार्यस्थगन प्रस्ताव पर कई सदस्यों के नाम हैं तो आपस में तय कर लेंगे कि किसको बोलना है । एक को ही बोलने का अधिकार है । एक पद्धति हमने बना ली है । इसके खिलाफ अब कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । अगर दो बोलेंगे तो फिर चार क्यों नहीं बोलेंगे ? मैं अनुरोध करूंगा कि इस परम्परा का पालन करें जो निर्णय किया है, उसको मानें । इस सदन का समय अधिक से अधिक बचाने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मैं थोड़ा समय लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक बात का जब निश्चय हो गया है उसका पालन करना चाहिये ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं थोड़ा समय लूंगा ग्राह्यता के बारे में कहूंगा। हमारे देश में हर आदमी किसी न किसी धर्म में अपनी आस्था रखता है। आपने अभी देखा कि मन्दिर तोड़ने की बात आई। उसी तरह मस्जिद तोड़ने की बात आपके सामने आई है। माननीय राष्ट्रीय एकीकरण मन्त्री यहां पर मौजूद हैं। यह एक खास महत्व की मस्जिद है। इसको 7, 8 साल पहले एक सुखराम ने अपनी जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी थी। जब उस मस्जिद को तोड़ने के लिए डेवलपमेंट अथोरिटी के लोग पुलिस की मदद से वहां पहुंचे तो जिन लोगों ने ऐसा करने से मना किया, उसमें एक 60 साल का आदमी है, जिसको मारा पीटा गया यहां तक कि औरतों और बच्चों को भी पीटा गया एक आदमी को बन्द भी कर दिया गया। इस पर कल कई हजार आदमी हिन्दू, मुसलमान, बच्चे और औरतें जुलूस लेकर रायल होटल तक आये। डेवलपमेंट अथोरिटी के इस कार्य के खिलाफ पूरे सूबे के अखबारों में बड़े पैमाने पर चर्चा हुई है। लखनऊ ही नहीं, पूरे सूबे और देश में इस तरह के राष्ट्रीय एकीकरण की मिसाल नहीं मिलेगी जिसके लिए सरकार की तरफ से प्रशंसा होनी चाहिये थी लेकिन उस मस्जिद को तोड़ दिया गया जिसकी वजह से हिन्दू, मुसलमान औरत और बच्चों को ठेस पहुंची है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी, चूंकि यह लखनऊ का मामला है, आज या कल के अन्दर सरकार ने क्या कार्यवाही की इसका जानकारी सदन में करा दें।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, यह बहुत महत्व का है...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जांय।

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह दंगे कराना चाहते हैं, इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

एक मिनट सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें, नियमों का पालन करें।

(व्यवधान)

(श्री ख्वाजा हलीम के न बैठने पर)

आपका मामला आ गया है इसलिये हो सकता है कि उस पर विचार हो, इसलिये आप बैठ जांय।

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बिना अनुमति के बोल रहे हैं इसलिये कोई चीज नहीं लिखी जायेगी । आप लोग बैठ जायं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन, फखरे आलम और श्री खवाजा हलीम ने जो नियम 56 में सूचना दिया है, उसकी जानकारी कराई जा रही है और सारे तथ्यों की, यदि आज मिल गये तो आज, नहीं तो कल, सूचना दे दी जायेगी और जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में इस समय कहना उचित नहीं है चूंकि सारे तथ्य सामने नहीं हैं । लेकिन जो भी उचित होगा वह करेंगे ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, एक दुर्घटना हुई जिस पर हम सभी को अफसोस है और जो श्री रियासत हुसैन ने कहा है उससे हम लोग पूरी तरह से अपने को सम्बद्ध करते हैं, इसलिये इसकी पूरी विवेचना करायी जायेगी और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जायगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव बहुत गम्भीर है । वन संरक्षण अधिनियम के कारण पर्वतीय क्षेत्र में सारा विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है । इस अधिनियम के कारण सड़क, पुल, स्कूल, नहर, बिजली लाईन और पेयजल योजना का काम बिल्कुल बन्द हो गया है । सरकार एक तरफ कह रही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करके विकास कर रहे हैं परन्तु इस अधिनियम के कारण कोई भी विकास कार्य वहां नहीं हो रहे हैं । इस नियम से बन की परिभाषा में गांव की जमीन भी उसमें आ गयी है । इसलिए गांव वालों को अपनी जरूरत के लिए पत्थर निकालने में रोक है और बालू का भी लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये आप अवश्य ही इस सदन में चर्चा के लिए हमें अनुमति प्रदान करें ।

(व्यवधान)

(श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री दुर्गा प्रसाद जी आप बैठें, इस तरह नहीं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

(व्यवधान)

(श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र व श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री अध्यक्ष के मना करने पर भी साथ-साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष--

कोई भी कुछ इनका लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

आप दोनों बैठें, मैंने आपकी बात को सुन लिया है । नियम 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैंने माननीय सदस्यों की बात को सुना, नियम 56 के अन्तर्गत मैं किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं करता हूं । सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भंडारी, जसवन्त सिंह विष्ट व विद्यासागर नौटियाल की सूचना को मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज देता हूं, वह उस पर कार्यवाही करें । दूसरी सर्वश्री रामसागर व जमुना प्रसाद की सूचना को मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं, तीसरी, जहां तक सर्वश्री रियासत हुसैन, राम गोविन्द, फखरे आलम और ख्वाजा हलीम जी की सूचना का सवाल है मैं इसको भी वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं । इस पर मन्त्री जी समय, बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

एक वक्तव्य पर जो रियासत हुसैन जी ने उठाया है, मैंने बता दिया है, बाकी सूचनाओं पर दो एक दिन के बाद, 27 तारीख के बाद आ सकेगा ।

बजट साहित्य समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री भीखा लाल--

माननवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है, जिस व्यवस्था को पहले भी उठाया था और आपने उस पर निर्देश दिया था, उसी को फिर याद दिलाना चाहता हूं । आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री भीखा लाल---]

अनुदानों पर बहस हो रही है, लेकिन इसका साहित्य हमको समय पर नहीं मिलता है । सा0 नि0 विभाग के बजट से सम्बन्धित सूचनाएं पत्रकारों को कल दे दी गई हैं, लेकिन इसकी सूचना आज हमको कबूतरखाने में मिली है । अब आप बतायें उसको कब हम पढ़ें, अध्ययन करें और यहां पर विचार व्यक्त करें । इस तरह से हम कैसे चर्चा में सहयोग दे पायेंगे ? इसलिए आप पुनः इनसे कहें कि यह हमें 2/1 दिन पहले इसे दे दिया करें, ताकि हम सही तौर पर उसका अध्ययन करके बहस में अपना योगदान दे सकें ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात आपकी सही है ।

श्री हुकम सिंह---

श्रीमन्, आपके निर्देशों के बावजूद इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है । अखबारों को आप ब्रीफिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल सकता है, क्या यह सदन का अवमान नहीं है यह सूचना माननीय सदस्यों को समय पर न मिले ? यह सरकार न आपके निर्देश को मानेगी और न सदन की परम्पराओं को मानेगी । यह बहुउद्देशीय मन्त्री अम्मार रिजवी रोज यहां बैठते हैं, लेकिन साहित्य नहीं दे सकते हैं, इसके पीछे भी कोई षड़यंत्र है या साजिश है ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी---

अध्यक्ष महोदय, आपसे एक प्रार्थना है कि रोज शून्य प्रहर में यहां [× × ×] लग जाता है और [× × ×] जिनकी आवाज बुलन्द होती है, यहां से कुछ ले जाते हैं और जिनकी कमजोर होती है, वे हार जाते हैं .....

श्री रियासत हुसैन---

इस पर मेरी आपत्ति है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इन्होंने इस प्रकार का कोई अनुचित शब्द इस्तेमाल किया है, तो मैं उसको देख लूंगा और आवश्यकता हुई तो निकाल दूंगा । मैंने नेताओं से निवेदन किया है.....

(व्यवधान)

जिस माननीय मन्त्री का जिस दिन बजट हो, उसके पहले साहित्य माननीय सदस्यों को बंट जाना चाहिये, मैं चाहूंगा कि इस पर सम्बन्धित मन्त्री विशेष ध्यान दें ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन किया जायेगा ।

(शोर - व्यवधान)

नोट :---[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपा कर बैठें ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

[× × ×]

(शोर - व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । शासक दल के एक विद्वान माननीय सदस्य ने, जो बकालत कर चुके हैं, यह कहा....

(शोर - व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा है कि मैं कार्यवाही देखकर अनुचित शब्दों को निकाल दूंगा ।

[समय 1 बजकर 27 मिनट]

1983-84 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

*सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मन्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार-कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरवेक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी--]

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,64,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,95,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 1 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,70,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,10,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,18,87,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय एकीकरण, संसदीय विभाग का बजट, आपके माध्यम से, सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है । सन् 1947 में, जब भारत आजाद हुआ, हमारे यहां केवल 15,113 किलो मीटर लम्बी सड़कें थीं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आती थीं । यह विभाग बहुत पुराना है और महत्वपूर्ण विभाग है । इसी के अन्तर्गत सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जितने विभाग आज हैं, चाहे वह जल नियम हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, वह सब इसी के अन्तर्गत हैं । आज भी यही विभाग, कोआर्डिनेटिंग विभाग है । 1940 में केवल सड़कों को

जो लम्बाई थी 15,113 किलो मीटर थी। इस समय बाकी सड़कों की लम्बाई 64,600 किलो मीटर है। जो हमारे वित्तीय साधन रहे हैं, जिस प्रकार से इसमें जो प्रदेश का हमारा आकार है, उसको देखते हुए यह सड़कों की लम्बाई कोई बहुत अधिक नहीं मालूम होती। लेकिन इसके साथ-साथ जब हम यह देखते हैं कि किस जगह से हमने शुरू किया था और किस जगह पहुंचे हैं, तो मालूम होता है। जो हमारी जिले की विकेन्द्रित योजनाएं हैं, जहां-जहां जिले की योजनाएं चल रही हैं, उसके अन्तर्गत 1850 किलो मीटर सड़कें 92 नये पुल जो हैं यह उन पुलों के अतिरिक्त होंगे। जो बड़ी-बड़ी नदियों के अतिरिक्त, देवरिया, बाराबंकी, रामपुर, बहराइच के बार्डर पर है, इन पुलों के अतिरिक्त यह बड़े-बड़े पुल जो हैं, उनके अतिरिक्त 92 पुल हमारा बनाने का इरादा है।

इसी के साथ-साथ जो सड़कों पर दबाव है, हमारी आबादी बढ़ रही है, उसका दबाव कम करने के लिए, इस बात पर भी निर्णय लिया गया है कि हमारे जो जलमार्ग हैं, इनको अधिक से अधिक हम उपयोग करें। यह आपको जानकर खुशी होगी, आपके माध्यम से सारे सदन को जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जल मार्ग जो वाराणसी होते हुए पटना तक जाता है, उसको राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की योजना है। कतरनी घाट से देवरिया तक, हरदोई से कानपुर तक, मथुरा से इलाहाबाद तक, नैमियारण्य से लखनऊ तक जल मार्ग घोषित किया जाय।

एक यू0 पी0 इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन बनाने का हमारा इरादा है जैसे यू0 पी0 निर्माण निगम है, उसी तरह से शीघ्र ही इस सिलसिले में हम सारी व्यवस्था करेंगे। यह कार्य इस वजह से कर रहे हैं कि सड़कें जो हैं, वह सीमित हैं। इन सीमित साधनों के अन्तर्गत किस प्रकार से हम सुचारु रूप से प्रदेश की जनता को राहत पहुंचा सकते हैं, उनका माल, सामान एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह से सस्ते रूप में पहुंचा सकते हैं। यह मान्यवर, हमारा लक्ष्य है। इसी तरह से जो हमारे शोध कार्य हो रहे थे उसके ऊपर जो धनराशि थी, वह बहुत कम थी, केवल 50 हजार रुपया था, इस साल हमने शोध करने के लिए प्राथमिकता दी है। जो आज हमारी डिजाइनें हैं, चाहे सड़कों की बात हो या अन्य, जो आज वर्तमान युग में जिस तेजी से दुनिया आगे जा रही है, जिस तेजी से शोध कार्य हो रहा है, उसी तेजी से तमाम जो चीजें हैं उन्हें भी किया जा सके, इसलिए इस धनराशि को 50 हजार से बढ़ा कर साढ़े 12 लाख किया गया है। लखनऊ जो हमारी राजधानी है, इसमें आबादी की वजह से बड़ा अवरोध हो गया था, उसको दृष्टिगत रखते हुए एक रिंग रोड की योजना बनाई गई है। उसके बन जाने से लखनऊ में जो आबादी का घनापन है, उनको उस तरफ भेजा जा सकेगा।

[श्री अम्मार रिजवी--]

मान्यवर, यह भी प्रयास है कि जो पुल बनाये जायं वह ऐसे हों कि उनकी लागत कम आवे ताकि ज्यादा से ज्यादा पुल बन सकें और उन क्षेत्रों को खोला जा सके जो क्षेत्र अभी तक कटे हुए हैं। बहुत सा हिस्सा ऐसा है जहां पर 50 हजार से अधिक आबादी है लेकिन उन जगहों को पुलों और सड़कों के जरिये खोला नहीं जा सकता है। इसलिए वहां की जनता को राहत नहीं मिली है। हमारा संकल्प है कि हम सस्ते पुल बनायें, चाहे लकड़ी के ही बनायें ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके।

एक सदस्य--

चाहे मिट्टी के ही बनायें।

श्री अम्मार रिजवी--

वह तो जब आप थे तब आपने मिट्टी के पुल बनाये थे। आज वह सब ढह गये हैं। जनता ने उनको ढहा दिया है, कोई बचा नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि साल में कितने पुल बनायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय नरेश जो हमारे बड़े उत्साही हैं। मैंने अभी बताया कि इस समय बड़े 92 पुल हैं। छोटी पुलिया, पुल की संख्या बहुत है। इसमें आपको कोई निराशा नहीं होगी :

श्री विजय सिंह राना--

पुल मजबूत भी होंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिस पुल से आप गुजर जायेंगे वह पुल पास समझा जायेगा।

अधिष्ठाता महोदय, तो इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जो कारपोरेशन काम कर रहे हैं, जैसे यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन, उसने एशियाड, दिल्ली में 4 फ्लाई ओवर बनाये हैं। वह सब से पहले तयार हुए हैं और उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी लोगों ने आंकी है और उसकी प्रशंसा केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैली और इस प्रदेश का नाम रोशन हुआ। इसी प्रकार से राजस्थान, बिहार, गुजरात, केरल, इन तमाम जगहों में यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन काम कर रहा है और उसकी अपनी ख्याति है। हमारा लक्ष्य यह है कि 6 दिन में जो हम एक पुल तैयार करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इन दिनों को हम और कम करें। हम 5 दिन में एक पुल को तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि अधिक से अधिक पुलों का निर्माण हो सके और प्रदेश की प्रगति में हमारा विभाग सक्रिय भूमिका निभा सके।

माननीय, इसके साथ-साथ जो विदेशों में कार्य हो रहे हैं उनकी भी सराहना बराबर हो रही है। मैंने पिछले बजट में बताया था, ईराक और दूसरी जगहों पर हमारे कारपोरेशन ने जो काम किये हैं, उनकी सराहना हुई है। उनका क्वालिटी आंकने के बाद इंटरनेशनल एशिया एवार्ड, यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से निर्माण निगम ने भी विदेशों में बहुत से कार्यों को किया है और बहुत से कार्य चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह मैं एक रूपरेखा दे रहा हूं और जो माननीय सदस्य कहेंगे उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। माननीय, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस प्रदेश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। हमारा इसमें सक्रिय योगदान है और प्रयास है कि जो कार्य करें उसकी क्वलिटी और सारी चीजें जो हों वह अच्छी हों ताकि उस पर कोई टीका टिप्पणी न कर सके। इस सम्बन्ध में क्वालिटी कंट्रोल सेल और टेक्निकल सेल सक्रिय हैं। उसका हम सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं ताकि इन सब कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके और इनकी जांच की जा सके और सही चीज बने।

माननीय, इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार की बात है तो जो अधिकारी दोषी पाये गये हैं, जितने ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है मैं समझता हूं कि उतना कभी नहीं हुई है। तो इस तरह से विभाग में प्रगति लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विभाग द्वारा प्रदेश का जो डेवलेपमेंट है, उसको और तेज करने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है और बहुत छोटा नजर आता है क्योंकि 25 लाख कुछ हजार रुपया है, इसमें लेकिन जहां तक इसके महत्व का प्रश्न है, कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता। पूरे देश में इस बात की आवश्यकता है कि हम राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करें और जो ताकतें आपस में फूट डालती हैं, हम लोगों को बांटती हैं, उनको इंगित करें और कार्यवाही की जाए। इसमें एक कमेटी बनायी गई है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और तमाम जो ऐसे लोग जिन्होंने समाज सेवा की है, इसके सदस्य हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं। जहां इसके पहले जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया था, वह उसका संयोजन करे लेकिन अब निश्चय किया गया है कि इसके डिस्ट्रिक्ट कमेटीज के अध्यक्ष हमारी स्थनीय विधायक होंगे ताकि इसका सही तरीके से संयोजन, संचलन कर सकें, सेक्रेट्री खुद बना सकें, नान–आफिशियल लोग लिये जायें ताकि राष्ट्रीयता की भावना को ज्यादा मजबूत किया जा सके।

इतिहास को भी सही तरीके से पेश करना है। अंग्रेजी शासकों ने, जब वे यहां थे, यहां इतिहास को मिटाने का उन्होंने इस तरह का यहां काम किया, इस तरह से यहां के इतिहास को पेश किया जैसे अलगाववादी, चाहे कोई बात न रही हो, नफरत पैदा करने वाली कोई बात न रहा हो, लेकिन उन्होंने किया जब कि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत थी। इन सब बातों की तरफ हम जनता का ध्यान आकृष्ट करें, भारत के रहने वालों में, प्रदेश के

[श्री अम्मार रिजवी—]

रहने वालों में, एक जाति की तरह, मानव की तरह, एक परिवार की तरह जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, जो भी समस्यायें थीं, सब कुछ भूल कर भाई-भाई की तरह हो गए, इन्हीं सब उद्देश्यों को देखते हुए हमने रानी झांसी समारोह किया और 1857 में जिस युद्ध को झांसी की रानी ने लड़ा, कोई जाति की एकता मजहब की एकता की बात नहीं थी, विदेशी शासकों से लड़ाई लड़ी और उसका पूरा समारोह हमने किया । यह समारोह 8 महीने चला, जो वहां का इतिहास था, हमने उसे रखा था । इस तरह से हमने जनता का उत्साह बढ़ाया और जनता के सामने सही बात आ सके, इसका भी प्रयास इस विभाग द्वारा किया जाता है ।

इस विभाग के अन्तर्गत और भी बहुत सी संस्थायें हैं जैसे माइनारिटी कमीशन, उर्दू अकादमी । माइनारिटी कमीशन अल्पसंख्यकों के लिए बनायी गई थी और वह आज काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है । इसमें जितने भी अल्पसंख्यक हैं जैसे सिक्ख भाई हैं, जैन भाई हैं, बुद्ध भाई हैं, सब इसके सदस्य हैं और यह कमीशन काफी सक्रिय योगदान दे रहा है । उर्दू अकादमी इसलिए बनायी गई थी कि उर्दू भाषा, जो हमारी 14 भाषाओं में से है, जिसका मुल्क और प्रदेश के कल्चर में बहुत योगदान रहा है, बहुत से सिम्पोजियम किये गये और एकता वाली बातों की तरफ जनता का ध्यान दिलाया गया, उत्साह बढ़ाया गया और जनता में राष्ट्रीय एकता जागृत की गयी । मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उर्दू अकादमी ने निश्चय किया है कि दूसरे मजहब की किताबों का उर्दू में अनुवाद किया जाये । मजहब इंसान को अलग नहीं करता, लोगों में नफरत पैदा नहीं करता । अभी राम चरित मानस का अनुवाद यहां किया गया और छपवाया गया और राज्यपाल महोदय ने उसका विमोचन तिलकहाल में किया था । इसकी सूचना मान्यवर, आप को भी होगी । इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य, अनुवाद का, एक दूसरे को जगाने का काम उर्दू अकादमी द्वारा किया जा रहा है ।

इसके साथ ही साथ जो लोग ऐसे हैं, जो किसी दूसरी जाति से सम्बन्धित हैं या किसी दूसरे धर्म से सम्बन्धित हैं, वे यदि इन्टर कास्ट या इन्टर रिलीजन मैरिज करते हैं, उसको भी विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है । इसमें शर्त केवल यह है कि जिसके साथ शादी की जाय, उसका धर्म वही रहेगा, दोनों के धर्म अपने-अपने रहें, लेकिन वह शादी हो जाय । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सम्मानित सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि वे भी इसमें सहयोग दें ।

इसके अतिरिक्त, जो साउथ इंडियन लेंगुएजेज हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए भी इसमें ग्रान्ट दी जाती है । मान्यवर, राष्ट्रीय एकता की एक इबारत है एक भारत, एक हिन्दुस्तान, एक देश । इसमें जो जुबान की बैरियर्स हैं, रुकावटें मिटनी चाहिये । एक दूसरे की जुबान हमें देनी चाहिये तामिल, कन्नड और जितनी भाषाएं हैं, उनका सहायता हमारे राष्ट्रीय एकीकरण द्वारा दी जाती है । मान्यवर, हर साल नेशनल इन्टीग्रेशन एक सप्ताह तक मनाया जाता है, जबकि सुब्रहमण्यम भारती जी का पूरा साल मनाया जा रहा था, हमारे यहां भी एक महीने तक यह मनाया गया, उनके द्वारा हमने लोगों में जनजागृति पैदा करने की कोशिश की, यह बताने की कोशिश की कि राष्ट्रीय एकीकरण का कितना योगदान हो जाता है और राष्ट्रीय एकता एकीकरण, कितना महत्वपूर्ण है ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो हमने यह बजट रखा है, जो प्रदेश की प्रगति के लिए है, लोगों को आपस में मिलाने के लिए है, यहां जो हम कार्य कर रहे हैं, उनके सही तरीके से संचालन के लिए है, मुझे पूरी आशा है कि आपके माध्यम से यह सदन इस को पारित करेगा ।

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बदन सिंह--]

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव की इस परम्परा को छोड़कर के कि कोई आलोचना की जाय मैं मा0 सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि उन्हें प्रदेश के अन्दर जितनी सड़कें बनानी चाहिये थीं, उतनी सड़कें वह नही बना पाए। आजादी के समय उन्होंने बताया कि 15,113 किलो मीटर सड़कें थीं। आज 64,600 कि0 मी0 सड़कें बना दी गयी हैं। इतने से ही मान्यवर, यह सन्तुष्ट हो गये। इन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि इनका विभाग जन-जीवन से सम्बन्ध रखता है। इस विभाग से किसी न किसी तरह सभी विभाग सम्बन्धित हैं। जब तक हमारे प्रदेश के अन्दर सड़कों के द्वारा हमारे गांव नहीं जोड़े जायेंगे, उनका सम्बन्ध शहरों से नहीं किया जायगा, तब तक गांव के निवासियों को उनकी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिल पायेगा। उस वक्त तक हम प्रदेश की आमदानी नहीं बढ़ा सकते।

इस प्रदेश का क्षेत्रफल 2,64,413 कि0 मी0 है और इसकी आबादी पूरे देश की आबादी की 19 प्रतिशत है। इसमें 11,08,85,874 जो आबादी है जो कि पूरे देश की आबादी के 6वें भाग से अधिक है। पूरे प्रदेश में 1,12,561 गांव हैं जो कि सम्पूर्ण देश की आबादी के चौथे जन समुदाय को बनाते हैं। इतने बड़े प्रदेश के हिसाब से इनको कितनी सड़कें बनानी चाहिये थीं, इसका जायजा इन आंकड़ों से लिया जा सकता है। पूरे देश में 16 लाख किलो मीटर सड़कें हैं। इन्होंने केवल 66 हजार से कुछ अधिक सड़कें बनाई हैं। हमारे प्रदेश की जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सड़कों का निर्माण सही तरीके से करते तो इन्हें 1,77,777 किलो मीटर लम्बी सड़कें बनानी चाहिये थीं जिन्हें यह नहीं बना पाये। अन्य प्रदेशों के मुकाबले में इन्होंने कितनी कम सड़कें बनाई हैं। वह आप देख सकते हैं। पंजाब में 246 किलो मीटर, कर्नाटक में 213 किलो मीटर, तमिलनाडु में 203 किलो मीटर, हरियाणा में 175 किलो मीटर, महाराष्ट्र में 124 किलो मीटर, केरला में 91 किलो मीटर और उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर केवल 56 किलो मीटर सड़कें बनायी गयीं। अगर हम 100 किलोमीटर की दर से निकालें तो केवल 21 किलोमीटर सड़कें बन पायी हैं। यदि हम प्रदेश की बातों से अलग हट जायें देश को देखें तो हम पायेंगे कि 1960 से लेकर 1980 तक भारत सरकार को 51,200 किलो मीटर राष्ट्रीय मार्ग बनाना चाहिये था, लेकिन वह भी 31,385 किलो मीटर मार्ग ही बना पायी। हमारे प्रदेश में 2,474 किलोमीटर मार्ग बन पाये हैं। इसका प्रतिशत 0.84 कि0 मी0 पड़ता है। मंत्री जी ने यह बात स्वीकार की और प्रदेश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कहा कि जल मार्गों का निर्माण कराया जायेगा क्योंकि सड़कों के ऊपर भार अधिक पड़ रहा है। यह नहीं बताया कि कितना भार पड़ रहा है। मैं बतलाये देता हूं। दो दशकों में यातायात दर 14 गुना बढ़ी है और सड़कों पर चलने वालों की संख्या 11 गुना बढ़ी है। इस प्रदेश की सरकार इस दर को देखते हुए, इस बढ़ते हुए भार को दृष्टिगत रखते हुए सड़कें नहीं बना पायी। मैंने मंत्री जी का पिछला बजट भाषण देखा जो ठीक 363 दिन पूर्व इसी माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया था।

मान्यवर, उसमें इन्होंने जो धनराशि मांगी थी वह 2 अरब 6 करोड़ 23 लाख 22 हजार थी। अब जो धनराशि ये मांग रहे हैं वह 1 अरब 83 करोड़ 54 लाख 92 हजार है तो मान्यवर, इस प्रकार ये अब लगभग 23 करोड़ रुपया कम मांग रहे हैं। इस तरह से यह प्रदेश विकास नहीं कर पायेगा। मान्यवर,

में आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने संकल्प लिया था कि वे छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तगत 1500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को सड़कबद्ध कर देंगे लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक आपकी क्या स्थिति रही है, उसे आपके सामने रखना चाहता हूं ।

1--1,500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों में केवल 50 परसेन्ट सड़कें बनाई हैं ।

2--एक हजार से 1,500 तक की आबादी वाले गांवों में केवल 25 परसेन्ट सड़कें बनायी हैं ।

3--शून्य से लेकर एक हजार तक की आबादी वाले गांवों में केवल 13 परसेन्ट सड़कें बनायी हैं ।

इस तरह से आप इस प्रदेश का विकास नहीं होने देंगे । मैं समझता हूं कि 100 वर्ष आगे तक यह प्रदेश इस गति से विकास नहीं कर सकता है । माननीय मंत्री जी की मजबूरियां हैं । उन्होंने यह कहा है कि हमारे संसाधन सीमित है । तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन सीमित संसाधनों को बढ़ाने के लिये आप भारत सरकार से अधिक पैसा क्यों नहीं लेते हैं, आप इस प्रयास में क्यों पिछड़े हुए हैं ? भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर इस प्रदेश की प्रगति करवायें और ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनवायें ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जल मार्ग बनाये जा रहे हैं । तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जल मार्गों पर आप कितना व्यय कर सकते हैं और आपके पास कितना है ? यदि वह यह बता देते तो मैं भी खुश होकर उनको धन्यवाद देता ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बात यह कही कि जिला योजना के अन्तर्गत 1,850 किलोमीटर की सड़कें बनायेंगे और छोटे-छोटे 92 पुल बनायेंगे जो बड़े पुलों के अतिरिक्त होंगे । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जिला योजना विकेन्द्रीयकरण के लिये बनाई है वह अभी तक जिलों में बैठे अधिकारियों को नहीं समझायी गयी हैं कि इसे किस तरह से लागू किया जाना है और किस तरह से इस में आया हुआ पैसा खर्च करें, वे आपका मुंह देखते हैं । जिले में कोई भी काम नहीं हो रहा है, जो आपका इशारा होता है या जो संकेत होता है, उसी प्रकार से वह काम करते हैं । स्थानीय आवश्यकता के लिहाज से या उस जिले के विधायक से सलाह-मशविरा करके कोई भी काम आज जिले के अन्दर नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने शोध कार्य की चर्चा की, यह एक बड़ा अच्छा बात है । हमारे प्रदेश में रिसर्च या शोध कार्य इतना बढ़ा है कि यहां पर बनने वाले मकानों, भवनों, पुलों और सड़कों पर लगने वाले

[श्री बदन सिंह--]

अच्छे सामान की वह परीक्षा कर सके और उसके उपरान्त उसमें अच्छा सामा लगाये । लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उदाहरण आये हैं, इस शोध कार्य द्वारा कोई निकम्मा कार्य अभी तक पकड़ा नहीं गया और किस प्रकार उसके स्तर को ऊंचा किया जा सके, उस पर भी कोई कार्य इस शोध द्वारा नहीं किया गया है ।

इसके साथ ही एक बात जरूर उन्होंने कही है कि लखनऊ में रिंग रोड बनायेंगे । उत्तर प्रदेश के 1 लाख 12 हजार 5 सौ 61 गांवों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल 3 जिलों की तरफ ध्यान दिया है । एक लखनऊ का ध्यान उनको है, जिसमें यातायात की सुविधा के लिये और नगर में सुन्दरता लाने के लिये रिंग रोड बनायेंगे ।

मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य पूर्ति दिग्दर्शन में देखता हूं तो इसमें ज्यादातर कार्य लखनऊ के अन्दर ही होंगे । जैसे रिंग रोड का निर्माण अधिकारियों के रहने के लिये अच्छे-अच्छे आवास बनाये जायेंगे लेकिन इस प्रदेश के गांवों के लिये कुछ नहीं बनेगा । दूसरा, सुल्तानपुर में होगा और तीसरा सीतापुर में जरूर होगा । सीतापुर के विषय में तो यह कहा जा रहा है कि वहां पर जितने ताल-तलैया हैं और जिनमें घुटने-घुटने तक पानी है वहां पर भी पुल बने हैं । इन तीन जगहों पर तो जरूर काम करेंगे ।

इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है । उसको रोकने के लिये इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को पकड़ा है लेकिन इनके ही जिले सीतापुर में जो भ्रष्टचार हो रहा है, उसको नहीं देख पाते हैं । इनके जिले में 6 डिवीजन हैं, उनमें गिट्टी नापने के लिये जो कार्य किया जाता है, वह ऐसा किया जाता है कि उसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई कम होती है, पैसा देकर उसको ठीक लिखवा लिया जाता है । वहां के एस० ई० को प्रति डिवीजन 3 हजार रुपया और 6 डिवीजनों से 18 हजार रु० प्रतिमाह की आमदनी हो रही है । लेकिन इनकी नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, उसको नहीं देख पाते हैं । रंगीले और सरस मन्त्री हैं, इसलिये जो मिट्टी से बनने वाली सड़कें हैं, उनको नहीं देख पाते हैं ।

अब मैं इनके विभाग के द्वारा जो काम किया गया है, उसकी तरफ आ जाता हूं । सबसे पहले खीरी जिले की चर्चा करता हूं । यह सरकार हरिजनों की बड़ी हिमायती है और आंसू बहाती है । वर्ष 1980-81 में एक हरिजन छात्रावास का निर्माण हुआ और एक वर्ष ही हो पाया है कि पूरे छात्रावास में खराब सीमेण्ट और ईंट लगा दी गयी हैं और लकड़ी और लोहा तीसरे दर्जे का लगाया गया है, जिसकी वजह से उसमें से पानी आता है । बाराबंकी में इन्होंने एक पुल बनवाया जो 5 करोड़ की लागत का था घाघरा नदी के ऊपर, जिसे श्री प्रदीप कुमार यादव ने नियम 56 में 18 तारीख को उठाया था । इसके 10 नम्बर और 31 नम्बर के खम्भे चिटक गये हैं उनमें दरार पड़ गयी है । मन्त्री जी ने कहा कि उसकी मरहम पट्टी करा रहे हैं । इसके अलावा आगरा में जमुना नदी पर नेहरू पुल बनाया गया था ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर के बारे में कहा है । वास्तव में मरहम पट्टी की बात श्री प्रदीप कुमार यादव ने कही थी, आप कार्यवाही मंगवा कर देख लीजिये । मैंने कहा था कि मरहम पट्टी हटाकर देख लिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें प्लास्टर हटाकर देखने की जरूरत हो तो उसे भी देख लिया जाय ।

(हंसी)

श्री बदन सिंह--

तो मान्यवर, मैं आगरे की बात कर रहा था । इस पुल का नेहरू जी ने शिलान्यास किया और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1979 में उद्घाटन किया । 3 वर्ष में इसमें 3 स्लैब टूट गये । इसके बाद इसकी दोनों तरफ की मेहराब बदली जा चुकी हैं । इस वर्ष एशियाड के समय उसकी मरम्मत करायी गयी थी । उसके 10-12 स्लैब्स कभी इधर टूट जाते हैं कभी उधर टूट जाते हैं । वहां पर वन वे ट्रैफिक चल रहा है । यह जो ट्रैफिक चलाया जा रहा है, यह 250 मीटर तक रुक जाता है, इसलिये वहां पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करा दें । इसको अभी एशियाड में बनाया गया था, फिर टूट गया । मरहम पट्टी करने से ऐसे पुलों पर वहां पर यातायात का भार बढ़ रहा है, शक्ति नहीं आ सकती । इसके लिए यह करना पड़ेगा कि वह अच्छी सामग्री मानक के अनुसार लगाएं और जो प्रेसक्राइब रेट है, उसी के अनुसार कार्य करना होगा, तभी इन स्थानों की मरहम-पट्टी हो सकेगी ।

मान्यवर, देवरिया में एक कुर्रा नाला है जो रुद्रपुर-देवरिया के समीप है, वहां पर रिपोर्ट में यह बताया गया कि सन् 1978 में पुल उस पर बनाया गया है, लेकिन जब माननीय सदस्यों ने कहा कि वह पुल नहीं बनाया गया है और रिपोर्ट फर्जी दी गयी है, तो फिर उस मामले की जांच पी० ए० सी० द्वारा हुयी और वह पुल फर्जी पाया गया तो यह सुनकर उस अधिशासी अभियन्ता का हार्टफेल हो गया तो मान्यवर, हार्टफेल से या अपने आप भले ही कोई मर जाए लेकिन इनके लिये कुछ नहीं होता है, भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ यह कुछ नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, पिछले बजट सेशन में एक बात कोलतार के सम्बन्ध में भी कही गयी थी और इस बात को भी फिर दोहराया जा रहा है कि हमारे प्रदेश एवं देश में कोलतार की बड़ी कमी है, परन्तु मान्यवर, इस कोलतार की बड़ी चोरी हो रही है, इसके कई मामले मा० प्रकाश में लाये गये कि अक्तूबर माह, 1982 सन में एक घटना मथुरा क्रान्ति खंड में 90 ड्रम कोलतार की चोरी से सम्बन्धित घटी, जिसकी सूचना माननीय सदस्यों ने दी, फिर भी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ऐसी तालमेल है कि कोई रिपोर्ट तक नहीं की गयी, जबकि

[श्री बदनसिंह--]

काफी समय तक इंजीनियर और सहायक इंजीनियर में इन ड्रमों को लेकर खींचा-तनी चलती रही, लेकिन इस मामले में जांच तक नहीं हुयी फिर आगे की क्या कार्यवाही हो सकती है ।

इसी तरह का एक मामला मान्यवर, खैरागढ़ का है, वहां पर 80 ड्रमों की चोरी का मामला जो पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों के निर्माण के लिए दिया गया था, के बारे में माननीय विजय सिंह राना जी ने सूचना दी और जांच की मांग की, पर उस ओर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और इस तरह सारा पैसा गोलमाल हो गया ऊपर से नीचे तक की सांठ-गांठ से और इसी तरह का एक गोलमाल का मामला एशियाड में देखने को मिला । सड़कों, राष्ट्रीय मार्ग नं० 2 तथा राष्ट्रीय मार्ग नं० 11 तथा दो अन्य सड़कों के निर्माण में के निर्माण में रु० 67 लाख का हेर-फेर, की मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से आगरा में शिकायत हुई, क्योंकि यह मार्ग उत्तर प्रदेश के पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये से बनवाया गया था । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा हम इसका जायजा लेंगे और जांच करवायेंगे, लेकिन मान्यवर, इसकी जो जांच हुई वह विभागीय कर्मचारी अधिकारी द्वारा, जिन्हें 80 या 90 हजार रु० में खरीद लिया गया और इस मसले को शुद्ध कर दिया गया ।

तो इस तरह से हमको साफ भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है जिसके कुछ उदाहरण मैंने माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं । इससे समझना चाहिये कि पूरे प्रदेश में यही हो रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग का समान सीमेन्ट, लोहा, कोलतार और अन्य वस्तुएं मार्केट में बिक रही हैं ।

इसके अतिरिक्त इनकी सड़कें लम्बे जीवन वाली नहीं होती हैं । यद्यपि इन्होंने बहुत शोध कराये हैं और रिसर्च करायी हैं परन्तु फिर भी सड़कों का जीवन एक या दो साल का ही रह जाता है । पहले जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें बना करती थीं तो उनकी पहले खोदाई की जाती थी फिर उस पर गिट्टी बिछाते थे और उसके ऊपर से कोलतार गरम करके डाला जाता था । तो इस प्रकार से खड़ंजों में कोलतार भर जाया करता था और सड़क मजबूत हुआ करती थी । पर अब इनका विभाग क्या करता है कि कोलतार गरम करके गिट्टियों के साथ सान लेता है और उसे सड़कों पर फैला देता है जिससे कि थोड़े से दिन के बाद ही वह गिट्टियां उखड़ने लगती हैं और सड़क फिर टूट जाती है । पूरे प्रदेश की सड़कें इस तरह से उखड़ी हुई हैं ।

अब मैं विधायक निवास की बात पर आता हूं कि विधायक निवासों का जो भी अलाटमेन्ट किया गया है, इसमें भारी भेदभाव बरता गया है । कुछ विधायक निवास पार्क रोड पर हैं और कुछ दारुलशफा और अन्यत्र हैं । तो जो पार्क रोड वाले विधायक निवास हैं वह ज्यादा कमरे वाले हैं और उनका रख-रखाव और साज-सज्जा ज्यादा अच्छी है लेकिन जो दारुलशफा के विधायक निवास हैं...

श्री भोला पान्डेय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, तो काहे के लिये व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री भोला पान्डेय--

माननीय विधायक को जानकारी नहीं है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट है, उसके लिये तो अलग से बजट आयेगा ।

श्री बदन सिंह--

मैं मान्यवर, श्री भोला पान्डेय की बुद्धि से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से बोल रहा हूं और यह अच्छी तरह से जानता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ही राज्य सम्पत्ति विभाग भी आता है । राज्य सम्पत्ति विभाग के जो पहले राज्य सम्पत्ति अधिकारी थे जिनके बारे में यहां सदन में भी भारी आलोचना हुई थी और उनके निलम्बन के लिये मांग की गयी थी तो उनको निलम्बित न करके उन्हें एल0 डी0 ए0 में अधिकारी बना कर भेज दिया गया है । यह उनका निलम्बन नहीं बल्कि उनको ईनाम दिय गया है ।

तो मैं विधायक निवासों के बारे में कह रहा था कि दारुलशफा में एक-एक विधायक को दो-दो और तीन-तीन कमरे के निवास अलाट किये किये गये हैं जिनमें एक कमरे में वे स्वयं रहते हैं और शेष कमरे किराये पर उठाये हुए हैं । और इन विधायक निवासों का पाखना मुख्य द्वार पर ही है जिससे बड़ी असुविधा है । तो मैं चाहता हूं कि इन पाखाना को पीछे की तरफ जहां स्थान भी है, करवाने का कृपा करें और पीछे की तरफ एक-एक बरामदा भी बनवाने की कृपा करें ।

इस विधायक निवास में एक भोजन गृह की व्यवस्था की गयी है और उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी तो कभी वहां जाने का कष्ट नहीं करते हैं, नहीं तो वे जरूर देखते कि वहां पर टूटे कप, टूटी प्लेट और गन्दी चम्मच इस्तेमाल के लिये हैं । चम्मच इतने गन्दे हैं कि जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं । तो मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि बर्तनों की सफाई के विषय में ध्यान दें जिससे कि हम लोग यहां आकर जनता का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से कर सकें और रोग से बच सकें ।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली में ठहरने के लिये जो दिक्कत होती थी उसे दूर करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वहां पर यू0 पी0 भवन का निर्माण कराया है, वहां पर यू0 पी0 निवास और यू0 पी0 भवन पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा बनाये गए हैं । अभी तक यू0 पी0 निवास में कम जगह रहती थी और विधायकों को ठहरने के लिए स्थान नहीं मिल पाता था, इसलिए यू0 पी0 भवन और बनवा दिया । वास्तव में जो निवास बने हैं उसमें विधायकों के लिए अब और असुविधा हो गयी है । कमरा नं0 1 और 2 माननीय मुख्य मंत्री के लिए एलाट रहेगा, विशेष कक्ष रहेगा । कमरा नं0 4 और 5 श्री राज्यपाल के लिए आरक्षित रहेंगे ।

[श्री बदन सिंह---]

इसके अतिरिक्त जो पदाधिकारी विधान सभा और विधान परिषद् के होंगे उनके लिए रहेंगे और मान्यवर, यू0 पी0 भवन में विधायकों के लिए केवल 21 कमरे दिए गए हैं और वहां पर अधिकारियों के लिए 24 कमरे आरक्षित रहेंगे । ऐसी मान्यवर, व्यवस्था की गयी है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग अलग है । वह इसमें नहीं आता है ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी, इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री अम्मार रिजवी---

राज्य सम्पत्ति विभाग इस समय मेरे पास नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी इसको देख रहे हैं । यह इससे अलग है ।

श्री अधिष्ठाता---

जब इस विभाग का बजट पेश हो तब आप इसको रखें ।

श्री बदन सिंह---

यह अभी तक इसी में था इसीलिए मैं कह रहा था । मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की बुद्धि बड़ी तीव्र और तेज है । इसलिए वह हमारे सुझावों को अवश्य ही कार्यान्वित करेंगे और इन पर ध्यान देंगे और आज जो इस कटौती के प्रस्ताव पर जितने भी माननीय सदस्यों के बयान आयें उनको नोट करेंगे और फिर उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे ।

मेरा पहला सुझाव यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे भवनों का निर्माण हो, चाहे पुलों का निर्माण हो या सड़कों का निर्माण हो, यह उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए किया जाना चाहिए । यह दिल्ली के संकेत पर न किया जाए और राजनैतिक आधार पर नहीं होना चाहिए । मान्यवर, यह पूरा बजट सुल्तानपुर और सीतापुर को ऊटनी लेकर न चले । विधायक अपने क्षेत्र में जहां पर राय दें कि भवन बने या सड़क बने तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए इनका निर्माण होना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए ।

मान्यवर, 12 जिले डाकग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं और पुलिस सुरक्षा पहुंचने के लिए, घायलों को जल्दी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, उस क्षेत्र में सड़कों का बनाना आवश्यक है और उनमें से आगरा जिला एक है । मान्यवर, प्रदेश में आर0 सी0 सी0 के पाइप रख कर पुल बनाए जाते हैं जिसको हम रपटा कहते हैं । यह सीमेन्ट के ह्यूम पाइप लगाकर बना दिए जाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से रपटों को न बनाया जाये क्योंकि उनमें बाढ़ के समय जल कुम्भी, घास फूस आकर अटक जाता है और फिर अगल-बगल के क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है । इसलिए इन रपटों पर खम्भे लगाकर उन्हें आप प्राचीन पद्धति के अनुसार बनाए ।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। प्रदेश के अन्दर जो दलदली स्थान हैं, जो नमी के स्थान हैं वहां पर आप उन सड़कों को बनाने में बालू का फर्स्ट कोट करे जिससे वह बालू जमीन में शुष्कता लाने का काम करती है। उसके बाद आप बड़ी गिट्टी और छोटी गिट्टियों का प्रयोग करके बाद में अपनी जो आपकी प्रक्रिया है, उसका प्रयोग करें। राष्ट्रीय मार्गों पर सड़कों की आज ऐसी हालत है कि आगरा से जब आप फतेहपुर सीकरी की तरफ जायें तो ऐसी जर्राकिंग रोड वहां पर है कि यदि एक बार भी कोई गर्भवती स्त्री उस मार्ग पर मोटर से जाय तो उसका गर्भपात हो जाय। इस तरह के झटके वहां पर सड़क पर लगते हैं। उस सड़क पर विदेशों से आये पर्यटक भी चलते हैं जो आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। इसलिए ऐसी सड़कें आप न बनायें जिससे आपके प्रदेश की छबि गिरती हो। मान्यवर, मैंने अभी आपको बताया कि 16 लाख किलोमीटर लम्बी सड़क भारतवर्ष में है। भारत सरकार ने केवल 40 प्रतिशत ही ऐसी सड़क बनवाई हैं जो समतलीय हैं। इसलिए इस तरफ आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

भ्रष्टाचार को रोकथाम के लिए आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। इस विभाग के अन्दर कितना भ्रष्टाचार है यह सब जानते हैं। मैं उनका वर्णन करके सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। केवल सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर जितनी सड़कें और पुल बनवाए जायं उनकी एक सूची आप तैयार करवा लें और वह सूची जूनियर इंजीनियर से लेकर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर तक होनी चाहिए। उनसे इस तरह का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि अगर इन सड़कों या पुलों के निर्माण कार्यों में किसी तरह की क्वालिटी या क्वान्टिटी में कमी रहेगी तो उसके लिए वे उत्तरदायी समझे जायेंगे। 15 जून से पहले-पहले पूरे प्रदेश में आप इस सूची को देख लें और नियमों के अन्दर यदि वह काम सही न हुआ हो तो जिन अधिकारियों ने उस कार्य के सर्टीफिकेट दिए हों, उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मैं माननीय विधायक से अनुरोध करूंगा कि वे सुलहकुल फतेहपुर सीकरी की सड़कों के बारे में भी कुछ कह दें।

श्री बदन सिंह—

जो हां, कहूंगा। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का यह दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है कि उसको कुछ अन्य विभागों की सड़कें भी अपने विभाग में लेनी पड़ती हैं, दूसरे विभागों की सड़कें इनके द्वारा बनायी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी सड़कें बनायी जायं चाहे वे जिला परिषद् की हों या राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत बनायी गई हों और चाहे कृषि मंडी की हों, इन सब का अनुदान एक ही कर लिया जाय और सार्वजनिक निर्माण विभाग से ही इन

[श्री बदन सिंह--]

सरी सड़कों का निर्माण कर्य कराया जाय । इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि पी0 डब्लू0 डी0 को शहरी अंचल में जल निगम से और बिजली विभाग से तथा टेलीफोन विभाग से समन्वय करना चाहिए और ग्रामीण अंचल में उसका समन्वय सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग से करना चाहिए।

हम देखते हैं कि जल निगम और बिजली विभाग वाले सड़कों को खोद डालते हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग से यह कहकर बहाना बनाते हैं कि इन्होंने खोदना शुरू करवा दिया है । मान्यवर, जब समन्वय हो जायगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो पायेंगी और इस तरह से प्रदेश के ग्रामीण अन्चल में जो सड़कें बनती हैं, नाले और नदियों पर जो पुल बनाये जाते हैं, वे नीचे बनते हैं । मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं । मान्यवर, वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन महुवरपुर में जो कि आगरा-फतेहपुर रोड पर है एक पुल बना हुआ है । उसके सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री जी भी वहां गये थे । उनके दिमाग में यह बात थी। अभी दो-तीन दिन पहले भी मैंने उनसे इस के बारे में कहा था । उन्होंने कहा कि इसमें सिंचाई विभाग ने शिथिलता बरती हुई है इसलिए आप उनको लिखें । मैं कहना चाहता हूं कि जब दोनों का तालमेल होता तो फिर इस प्रकार की बात नहीं होगी और जो पुलों के नीचे बन जाने से बाढ़ आती है, वह भी नहीं होगी।

राजस्व विभाग जो किसानो की भूमि अध्याप्त करता है उसके लिए उचित मुआवजा नहीं मिलता है अगर आपका और उस विभाग का आपस में तालमेल हो तो जो किसानों की कीमती भूमि आप लेते हैं उसका सही मुआवजा देंगे ।

अब मैं थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । अभी माननीय नेगी जी ने सवाल उठाया था कि केन्द्र का वन संरक्षण अधिनियम जो है उसके अन्तर्गत वहां पर जितनी प्रांट जाती है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर 68 प्रतिशत भूमि में वन घोषित कर दिए गए हैं और केवल 3 प्रतिशत भूमि बचती है जिसमें से 10 प्रतिशत सिंचित और 22 प्रतिशत असिंचित भूमि रह जाती है तो प्रति व्यक्ति आधा एकड़ जमीन आती है । जब वहां पर जमीन ही नहीं है तो आप कैसे सड़क, भवन या दूसरे विकास के काम करेंगे । इस प्रकार वहां के लिए जो पैसा दिया गया है वह बिलकुल ब्लाक पड़ा रहता है । या तो उसको बहाना लेकर पुरानी सड़कों पर खर्च कर रहे हैं या फिर वह अधिकारियों की जेब में चला जाता है । यदि वास्तव में आप पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो जो इस अधिनियम के तहत पाबंदी लगी है, और जो 68 प्रतिशत भूमि पर वन घोषित कर दिये गये हैं, उसको शिथिल करवाइये, नहीं तो वहां का विकास नहीं होगा ।

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, यह कितना बोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बदन सिंह जी समय का अवश्य ध्यान रखें औरों को भी मौका मिल जाय, इसका ख्याल करें वैसे प्रतिबंध तो कोई नहीं है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं 5 मिनट में खतम करूंगा। बाकी जब बाद में बोलने का मौका मिलेगा, उसमें कहूंगा।

अब मैं राष्ट्रीय एकीकरण पर आता हूं। यहां पर कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो यह चाहता है कि इस देश और प्रदेश की अखंडता पर किसी प्रकार से आंच आये किसी तरह से जाति-बिरादरी के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर या छोटे-बड़े के नाम पर कोई दंगे हों। राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिये माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने कुछ अन्तर्जातीय शादियां करवाई। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत केवल 177 दम्पतियों को पुरस्कृत किया गया हैं। इस वर्ष केवल 17 को पुरस्कृत किया है और तीन दम्पतियों को 15-15 हजार का कर्जा बिना ब्याज के दिया है, इस प्रकार 45 हजार रुपया ही खर्च किया है। इसमें यह बहाना लेंगे कि जब कोई अन्तर्जातीय विवाह करने के लिए तैयार न हो तो वह किसको पैसा दे देंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने इसके लिए अकादमी खोली है उनका काम इस तरह का होना चाहिये कि ज्यादा लोग इसके लिए प्रोत्साहित हों।

सुलहकुल की बात डा0 कौशल साहब ने कही। मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में 31 अक्तूबर, 1980 को एक तमाशा किया गया। सुलहकुल के नाम पर करोड़ों रुपये की धनराशि वहां पर खर्च की गयी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पर गयी। उस क्षेत्र की जनता में बड़ी आशा थी कि देश की प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय एकीकरण के ऊपर जो वक्तव्य देंगी उसको सुनने के लिए उस क्षेत्र की जनता को मौका मिलेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी आदमी को उनकी सभा में नहीं आने दिया और गिने-चुने लोग एक ही पार्टी के जो थे, उनको आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं जितने कार्यक्रम चलाये गये उसके अन्तर्गत उनके अध्यक्ष जितने बनाये गये, वह एक ही राजनीतिक पार्टी के बनाये गये। आप राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते हैं, अच्छा काम है लेकिन सभी राजनैतिक पार्टियों को इसके लिये प्रोत्साहित किया जाय और प्रदेश की एकता के लिए हम सभी भरसक प्रयत्न करें। मान्यवर, राष्ट्रीय-एकीकरण की बात कहूं कि मौलाना आजाद के नाम से इस प्रदेश में एकादमी खोली गयी, उसका साहित्य और सामग्री जो उपलब्ध है, उसका लोग पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। सभी काम लखनऊ में सीमित कर देंगे तो उससे पूरे प्रदेश की जनता फायदा नहीं उठा पायेगी।

मान्यवर, उर्दू भाषा के सम्बन्ध में कहा गया कि देश की 14 भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा है। उसके प्रचार के लिए मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे जानकारी है कि प्रदेश में 8 इन्टरमीडिएट कालेज खोले गये हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति यह है कि उप उर्दू के विषय में कि कहीं उर्दू को पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं है और जहां अध्यापक हैं, वहां पढ़न

[श्री बदन सिंह—]

वाला कोई नहीं है । इसलिये आशा करूंगा कि आप वास्तव में उर्दू को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो सही मानों में दें तो ठीक है । मान्यवर, मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि उर्दू अध्यापकों का विधान सभा के सामने एक अनशन चल रहा है जिसकी ओर मन्त्री जी ध्यान दें ।

मान्यवर, इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है तो यह क्यों है सड़क विभाग का विकेन्द्रीयकरण सही मानों में क्यों नहीं किया जा रहा है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, कितना समय इनको दिया है ?

श्री अधिष्ठात—

कोई समय कटौती पर निर्धारित नहीं है किन्तु यह शीघ्र ही समाप्त करने जा रहे हैं ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, विकेन्द्रीकरण करने के लिये इन्होंने जोन्स बना दिया तो यह ठीक है लेकिन लिमिट नहीं बनायी, इसलिये विकेन्द्रीकरण आप नहीं कर रहे हैं प्रदेश में भवन, सड़कों और पुलों के लिये जो सामान खरीदा जाता है उस में आयुक्त, उद्योग विभाग के अध्यक्ष एवं सचिव का उसमें हिस्सा 20 प्रतिशत का होता है । एक तो विभागीय रेट फिक्स करने के लिए 10 प्रतिशत, एक माल की आपूर्ति के लिये 10 प्रतिशत बधा रहता है । इस लिए यह विकेन्द्रीकरण नहीं होने देंगे । मान्यवर, प्रत्येक स्तर पर चाहे जो निर्माण करने की बात हो, सड़क या भवन, वहां सामान समय पर नहीं पहुंचाया जाता है । इसके साथ ही कमीशन का पैसा जो बन्धा है, उसके रेट हैं, जैसे 5 प्रतिशत जूनियर इंजीनियर, 5 प्रतिशत सहायक इंजीनियर, 2 प्रतिशत अधिशासी अभियन्ता, एक प्रतिशत अधिशासी अभियन्ता के यहां पर ए0 जी0 के आफिस का एकाउन्टेन्ट का कमीशन बंधा होता है, जो सही काम हो इसको देखने के लिये आता है, लेकिन एक प्रतिशत कमीशन मिलते ही गलत काम सही हो जाता है, एक प्रतिशत अधीक्षण अभियन्ता 1/2 प्रतिशत चीफ इंजीनियर कमीशन लेते हैं और मन्त्री जी जितना प्रभावशाली हो उतना लेता है, इस लिये इस विभाग का कल्याण नहीं होने वाला है । मैंने यह सुझाव अपने कटौती के प्रस्ताव में रखे हैं और मैं पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वह अपने-अपने और सुझाव देंगे जिनके अनुसार माननीय मन्त्री जी कम करें । इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि मेरे प्रस्ताव का सर्वसम्मति से माननीय सदस्य समर्थन करें ।

[समय 2 बज कर 35 मिनट]

श्री सतीश अजमानी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी के द्वारा रखे गये बजट का मैं स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । किसी भी क्षेत्र का विकास वहां की सड़कों, रास्तों पर आधारित होता है । हर रोज अकसर हम रेडियों में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह पर आज किसी पुल या सड़क का शिलान्यास किया

गया या वहां पर आज किसी पुल का उद्घाटन किया गया। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निघासन निर्वाचन क्षेत्र, जिला लखीमपुर खीरी में जनता नहीं रहती है, जो वहां पर कोई पुल या सड़क नहीं बनवाई जाती है ? मेरे बार-बार कहने पर भी अभी तक वहां पर न तो कोई नई सड़क बनवाई गई है और न कोई पुल बनवाया गया है। ऐसा क्यों ? मैं यह अपने सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से जानना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। एक तरफ शारदा नदी, घाघरा नदी, सुहेली, जरहा और घाघो पांच-पांच नदियां हैं, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हो कर निकलती हैं। इन पांच-पांच नदियों की वजह से हर साल अधिक से अधिक उस क्षेत्र में बाढ़ आती है और उसकी वजह से रास्ते और सड़कें टूट जाती हैं। लेकिन उनको दुबारा बनवाने में यह विभाग इन्ट्रेस्ट नहीं लेता है। आज वहां पूरी की पूरी सड़कें स्पीड-ब्रेकर की तरह बन गई हैं, जिन पर 20 किलो मीटर प्रति घंटा से अधिक कोई भी वेहिकिल वहां से गुजर नहीं सकता है। पूरी सड़क पर लहरें सी बनी हुई हैं। और ऐसा लगता है कि मन्त्री जी ने पूरी सड़क पर स्पीड-ब्रेकर बनवा रखे हैं।

वहां दुधवा नेशनल पार्क मेरे क्षेत्र में है, जिससे अकसर वहां पर वी० आई० पी०, विशेष अतिथि आते रहते हैं और जब वह लोग उन सड़कों पर 20 किलो मीटर प्रति घन्टा की चाल से अपनी गाड़ियां चलाते हैं, तो वहां के विधायक को तो बुरा-भला कहते ही हैं साथ ही, हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री को भी अकसर तमाम बातें सुनने को मिलती है कि कैसा यह पी० डब्लू० डी० मन्त्री है जो दुधवा नेशनल पार्क के चारों तरफ की सड़कें ऐसी बुरी दशा में पड़ी हुई हैं। इसी तरह से लखीमपुर खीरी से खजुरिया तक वाया निघासन और पलिया तक जो सड़क चली जाती है, वह बहुत खराब हालत में पड़ी हुई हैं। इस बारे में वहां के इंजीनियर साहब से जब हम शिकायत करते हैं तो वह कभी कहते हैं कि तारकोल नहीं है और कभी कुछ कहते हैं, कभी गिट्टी बिछवा देते हैं। जो गिट्टी पड़ने से अधूरी सड़कें बनती हैं, उन पर चलने वाली गाड़ियों के टायर दो साल चलने के बजाए दो महीने में बेकार हो जाते हैं। गन्ने की गाड़ियां भी उन पर से गुजरती हैं, उनके टायर भी इसकी वजह से बहुत जल्द बर्बाद हो जाते हैं। लखीमपुर से लेकर वाया निघासन, बिलराइां और तिकुनिया तक यही हालत है, यहां पर एक शुगर फैक्ट्री बनी है, जिससे वहां पर बहुत आवागमन रहता है। मशीनें बड़ी-बड़ी जाती हैं, लेकिन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है।

मान्यवर, पहले ट्रक 75 क्वीन्टल तक वजन लेकर चलते थे, अब वे 175 क्वीन्टल वजन लेकर चलते हैं, पर सड़कों की हालत वैसी ही है। ओवरसियर अपने नौकरों, रिश्तेदारों के नाम से ठेके ले लेते हैं, खुद पैमाइश, नपाई आदि करते हैं, खुद ही टेन्डर पास करते हैं, खुद ही कमीशन खाते हैं और पूरे का पूरा पैसा हजम कर जाते हैं। अगर ईमानदारी से सारे बजट का

[श्री सतीश अजमानी--]

50 प्रतिशत पैसा भी यह निर्माण कार्य पर खर्च कर दें तो भी प्रदेश का भला हो सकता है और प्रदेश की दशा बहुत हद तक सुधर सकती है ।

(व्यवधान)

जनता पार्टी ने तो ढाई साल के अन्दर जो तबाही मचाई उसको मैं कहना नहीं चाहता । पहले ओवरसियर और इन्जीनियरों तक रिश्वत चलती थी, जब जनता पार्टी का राज्य आया तो मिनिस्टर तक वह रिश्वत चलने लगी ।

(व्यवधान)

मैं अब अपने यहां के कुछ पुलों के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां सिघाई से खैरीगढ़ तक सड़क बन गयी है पर बीच में पुल जो अति आवश्यक है, वह नहीं बना है । उसे बनवा दिया जाय । इसके न होने से 10–15 गांव बरसात में प्रदेश से बिलकुल कट जाते हैं । दो पुल घाघी नदी पर होने चाहिये । यह बहुत ही आवश्यक है । बथुआ से राजपुर दरेरी और खरैटिया से माझा तक सुहेली नदी पर भी पुल का बनना बहुत आवश्यक है ।

एक सुझाव में मीराबाई मार्ग के बारे में देना चाहता हूं । उस मार्ग पर साल भर काम होता रहता है । जितने भी अतिथि आते हैं वे गेस्ट हाऊस में ठहरते हैं और उसी मार्ग से जाते हैं । उस सड़क को अगर देखा जाये तो उसमें हजारों टुकड़े लगे हुये मिलेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार से एक गरीब अपने कपड़ों में कट जाने पर पबन्द लगाये रहता है । इसे ठीक कराया जाय ।

हजरतगंज शहंशाहों और बड़े–बड़े लोगों का बाजार कहा जाता है । बड़े–बड़े लोग और मन्त्री कारों पर वहां जाते हैं । पर आम गरीब आदमी अमीनाबाद जाता है । अगर मंत्रियों को कभी अमीनाबाद जाने का अवसर मिले और वे जायें तो निश्चय ही अमीनाबाद जाते–जाते झटकों के मारे उनका सारा बदन दर्द करने लगेगा । अमीनाबाद तक की सड़क बहुत ही खराब है । उसे सुधारा जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । मैं माननीय नेता विरोधी दल की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । सड़कें प्रदेश के विकास के लिये बहुत आवश्यक हैं । जहां सड़कें बनाई जाती हैं वहां देश और प्रदेश का विकास होता है । इस विभाग में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है । माननीय मन्त्री जी ने कुछ कार्य ऐसे किये हैं जिसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करती हूं, लेकिन उनके विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ उन्हें सख्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में सड़कों और पुलों की हालत बड़ी ही दयनीय है। इसके कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कौड़ी राम की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में कई एक सड़कें हैं, इसके बारे में मैं कई बार माननीय मन्त्री जी को पत्र दे चुकी हूं और सदन में भी बोली हूं और पुनः इसको दोहरा रही हूं, वहां की सड़कों की हालत ऐसी है कि आये दिन वहां पर दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। वहां पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर आदमी का भी चलना तो मुश्किल है, सवारी की कौन कहे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। कौड़ीराम हमारा जो क्षेत्र है, वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कौड़ीराम में एक डाक बंगला है, उसमें साल भर से काम चल रहा है, पता नहीं कौन सा आदमी उस काम को करा रहा है? वह उसी तरह से पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी अगर उधर जायेंगे, तो उनको भी ठहरने का मौका मिलेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि उसको तत्काल बनवा दिया जाय।

आमी नदी पर एक पुल की बहुत सख्त आवश्यकता है। वहां की सड़क रवीन्द्र सिंह मार्ग 10 किलोमीटर है, कैलाश प्रसाद जी का क्षेत्र भी उससे जुड़ा हुआ है। आमी नदी पर उनमाल कुशमौल रोड पर पुल बन जाय, तो जनता को बड़ी सुविधा होगी। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में एक और पुल की आवश्यकता है, वह पिपरौली ब्लाक में पड़ेगा, जब हमारे स्वर्गीय सिंह जी थे, ग्राम समाज का 44 हजार रुपया जमा है, अब वह करीब 1 लाख तक होगा, वहां पर पुल की आवश्यकता है। बरसात में बाढ़ के समय जनता को आने-जाने में बड़ी कठिनाई होती है, जनता का आना-जाना बड़ा असम्भव हो जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं और पुल हैं जहां पर जनता को आने-जाने में बड़ी असुविधा होती है माननीय मन्त्री जी तत्काल उसको बनवाने की कृपा करें। हमारे क्षेत्र में तमाम पुलों और सड़कों की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से कहना चाहती हूं, मैं इससे पहले भी कई बार कह चुकी हूं कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है।

इस विभाग में बहुत से भ्रष्ट अधिकारी हैं, उस पर माननीय मन्त्री जी ध्यान नहीं देते हैं। वह लूट-खसोट मचाये हुए हैं और ऐसे अधिकारी वे हैं जो कि बहुत ही भ्रष्ट हैं, लेकिन उस पर माननीय मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे

[श्रीमती गौरी देवी—]

हैं । मैं कई बार कह चुकी हूं कि उनके बारे में जांच करा कर उनको तत्काल हटा दिया जाय । मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसको देखने से यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए उनके मन में एक अजीब लगन है और उस लगन को कार्यान्वित करने के लिए, जैसा कि हम लोगों को, अपने मंत्री एवं राज्य सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी पर भरोसा है, उनको तजुर्बा है, हमें भी विश्वास होता है कि हमारे प्रदेश का विकास होगा । इसीलिये, मैं इस प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूं । हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो महत्वपूर्ण विभाग हैं । एक तो राज्य सेतु निगम और दूसरा है राजकीय निर्माण निगम । इन दोनों विभागों के कार्य से इस प्रदेश को देश और विदेशों से प्रशंसा मिली है । हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने कहा कि ऐसा आभास होता है कि शायद कोई भी अच्छा कार्य नहीं हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो बजट प्रस्तुत है और जो पुस्तिका वितरित की गयी है, उसमें पहली बार स्पष्ट रूप से चित्र भी प्रदर्शित किये गये हैं । जो कार्य हम कर चुके हैं या जो कार्य हम कर रहे हैं, उनका विवरण उसमें दिया गया है । राजधानी में ही निर्माण निगम द्वारा सहकारिता भवन, एनेक्सी बिल्डिंग बनायी गयी है और इसी तरह से अन्य कई भवन कर रहे हैं । सेतु निर्माण निगम ने एशियाड के दौरान दिल्ली में जो फ्लाई ब्रिज बनाये हैं, उनकी प्रशंसा न केवल देश में ही बल्कि विदेशों में भी हुयी है ।

सेतु निगम में, जब आप गोंडा जाते हैं तो जाते समय घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कर रहा है । आप देखें कि वास्तव में उसमें काम किस तेजी से हो रहा है । बड़े ही प्रोत्साहित होकर सेतु निगम कार्य कर रहा है और जो हमारे एचीवमेंट्स, लक्ष्य होते हैं, समय से ही उसको प्राप्त किया जा रहा है । एक बात बजट में और भी प्रशंसनीय है । जहां तक मुझे विश्वास है कि 1,850 कि0मी0 जो नयी सड़कों को बनाने की योजना रखी गयी है, उससे प्रत्येक सदस्य चाहे इधर का बैठने वाला हो या उधर के बैठने वाला हो, उसके विधान सभा क्षेत्र में करीब 10 कि0मी0 सड़क मिलेगी । इसी तरह से इस साल 92 पुलों की योजना है । जो यह 10 कि0मी0 सड़कें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को मिलेंगी, इससे उस क्षेत्र का विकास होगा ।

माननीय, सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री इस समय उपस्थित हैं । मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी सड़कों का निर्माण कार्य किया जाय उस संबंध में उस जनपद का क्षेत्रफल और सड़कों की लम्बाई का अवश्य ध्यान रखा जाय । इसी तरह से 1981-82 के सड़कों तथा क्षेत्रफल के आंकड़े विभिन्न जनपदों के मैं रखना चाहता हूं । गोंडा जनपद का क्षेत्रफल 7331 वर्ग कि0 मी0 है और बनी हुई पक्की सड़कों की लम्बाई 1037 वर्ग कि0 मी0 है । वाराणसी का क्षेत्रफल 5091 वर्ग कि0 मी0 है और बनी हुई पक्की सड़कों की लम्बाई

2114 वर्ग कि0 मी0 है। इलाहाबाद का क्षेत्रफल 7253 वर्ग कि0 मी0 है तथा सड़कों की लम्बाई2389 वर्ग कि0 मी0 है जौनपुर का क्षेत्रफल 4040 वर्ग कि0 मी0 है तथा बनी हुई सड़कों की लम्बाई 1002 वर्ग कि0 मी0 है। बरेली का क्षेत्रफल 4125 वर्ग कि0 मी0 है तथा सड़कों की लम्बाई 1196 वर्ग कि0 मी0 है। मान्यवर, इन आंकड़ों की ओर में आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 1850 कि0 मी0 सड़क दी गयी हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि उस जनपद का क्षेत्रफल कितना है और वहां पर सड़कें कितनी हैं। इसी अनुपात में सड़कों को बनाने का कार्यक्रम रखा जाय। मान्यवर, एक और योजना जो भारत सरकार द्वारा ली गई, वह है, जल परिवहन निगम। जिसके तहत हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो योजना बनाई है, वह अति प्रशंसनीय है क्योंकि आज बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यदि जल परिवहन निगम को शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित कर दिया जाय, तो जो सड़कों पर यातायात बढ़ता चला जा रहा है उससे हमें काफी फायदा मिलेगा।

मान्यवर, अभी कहा गया कि पुल के निर्माण में बहुत कमी है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे उदाहरण के रूप में 50 लाख के अन्दर बने हुए पुलों का अवलोकन करें वे देखेंगे कि जनपद जौनपुर, उन्नाव, हरदोई, मुजफ्फरनगर तथा बहराइच में दो पुल निर्मित हुए हैं, जिनकी लागत 50 लाख रुपए के लगभग आयी है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कही गयी। इस संदर्भ में मैं भी कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जितनी भी पुलिया, पुल और सड़कें बनती हैं उनके निर्माण आदि कार्यों में जूनियर इन्जीनियर, ठेकेदार और इंजीनियर लगे रहते हैं और उन्हीं की निगरानी में यह सब कार्य होते हैं तो यदि अवधि के अन्दर वह पुल टूट जाता है, बैठ जाता है तो ऐसे समय में न केवल सस्पेंशन हो, बल्कि जिस जूनियर इंजीनियर की निगरानी में ठेकेदार ने कार्य कराया है, जिस इंजीनियर ने उस कार्य को देखा है, ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। कोई ऐसा भी तरीका निकाला जाय जिससे पेनल कोड के अन्तर्गत उनको सजा मिल सके। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई शिकायत दी जाती है, तो मात्र उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है। इस तरह से वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर फिर वही अपना रवैया अपना लेते हैं। यह रिकार्ड विभाग में मौजूद रहता है कि फलां पुल किसकी निगरानी में बना, तो यदि वह पुल उद्घाटन होने के बाद ढह जाता है, बैठ जाता है, तो उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने में कौन सी असुविधा होती है, उनके ऊपर क्यों नहीं ऐक्शन लिया जाता है? मान्यवर, एक बात सभी लोग जानते हैं, जो भी कार्य होते हैं उसमें ठेकेदार से लेकर सब स्तर तक प्रतिशत लेते हैं। अगर ठेकेदारी प्रथा में कोई सुधार नहीं

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--]

हुआ, तो जितना आप बजट लेकर आये हैं, उससे हमारे कार्य पूरे नहीं होंगे। मान्यवर, हमारा बजट चाहे जितना अच्छा हो, प्रदेश की जनता के लिए उनकी सुविधा के लिए जो निर्माण कार्य लिए जाते हैं, यदि उस जनता तक इसकी सही किरण नहीं पहुंची तो जो हमारा यह बजट है, उसका कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो पायेगा।

मैं पुनः आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा पर बोलने का समय दिया। श्रीमन, मैं इस प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और साथ-साथ विपक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भी इसका समर्थन करें।

श्री धर्मवीर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, जो माननीय बदम सिंह जी ने इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। एक माने में इसके ऊपर गांव की समृद्धि जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की कुछ सड़कों के सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां जनपद मेरठ में एक ओल्ड जी० सी० रोड के नाम से सड़क बन रही है। यह बहुत बड़ी सड़क है, बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। मान्यवर, यहां एक हिंडन नदी बहती है लेकिन अभी तक वहां पुल के बनने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जहां पर सड़क का निर्माण आरम्भ हो गया है वहां पुल की कोई योजना नहीं है, उस पर ध्यान दें।

1977-78 में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में एक सड़क स्वीकृत हुई थी यह मेरठ-बड़ौत मार्ग से ग्राम सिलसिली जो बहुत बड़ा गांव है, की लिंक रोड थी की कुछ कलर्कल मिस्टेक हो जाने से कोई अन्य सड़क डुप्लीकेट हो गई और यह सड़क नहीं बनाई गई। 1982-83 की जो सडकें हैं जिला स्तर से दुबारा स्वीकृति हो चुकी हैं लेकिन यहां से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं जा पायी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 1982-83 में जो सड़कें बनायी जानी ह उनकी स्वीकृति शीघ्र भेज दी जाय ताकि निर्माण कार्य शुरू हो जाये। 1969 में बरनावा कान्स्टीट्यूवेंसी में एक सड़क बरनावा से बाहा स्वीकृत हुई थी, वह पूरी नहीं हो पाई है, इस पर भी शीघ्रता से कार्यवाही होनी चाहिये।

जिस तरह से इस विभाग में कार्य किया जाता है और जिस तरह से सड़कें, पुल, भवन आदि बनाये जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है। इस संबंध में एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। आगरा जिले में 3 पुल यमुना पर है। उसमें दो पुल मुगल पीरियड, अंग्रेजों के जमाने के हैं और एक पुल नया सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाया है। उन दो पुलों में अभी तक, हालांकि उनका समय पूरा हो गया है लेकिन उसके बाद भी वे इतने मजबूत और इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि उनमें रोजाना मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ती और जो इनके विभाग द्वारा आजादी के बाद पुल बनवाया गया है सन् 1971 में उसमें रोजाना मरम्मत चलती रहती है।

तेरहमोरी वहां पर एक पुल है जो आगरे से, जमुना पर, भरतपुर और आगरा वाली सड़क पर है, बड़ा मजबूत बना हुआ है, उसमें एक स्पैन को तोड़ कर देखा कि टेक्निकल नो हाऊ किस तरह से यह बनाया गया, उसके बारे में जानकारी मालूम हो सके। जब से उसको तोड़ा है, कई बार बन चुका है लेकिन किस तरह वह बनाया जाय, ये बना नहीं सके और करीब-करीब हर बरसात में इनको उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। अगर इसी तरह से इतना बड़ा इस विभाग का बजट है, रुपये की बरबादी और पब्लिक एक्स्चेकर, अधिकारियों की जेब में जाता रहे तो देश की कोई प्रगति किसी तरह से सम्भव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और कोई न कोई जिम्मेदारी, किसी न किसी पर फिक्स होनी चाहिये जो भी आदमी काम करे, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये।

अभी मेरा अमेरिका जाने का भी सौभाग्य हुआ। वहां पर देखा कि प्राइवेट फर्म्स हैं जो सड़कें, पुल बनाती हैं, किसी को कोई सड़क खराब हो जाय, पुल खराब हो जाय, अनियमित हो जाय, काम खराब हो जाये तो इतना हेवी पेनाल्टी लगायी जाती है कि उस फर्म का दिवाला निकल जाये। इसी तरह से किसी भी विभाग में, पी0 डब्लू0 डी0 है या दूसरा कोई विभाग हो, इस तरह की जिम्मेदारी इस तरह की लाइबिल्टीज अगर नहीं रखी जाती हैं

(एक सदस्य के कुछ कहने पर, व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस तरह की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिये। जिस आदमी ने एक कार्य किया तो जो उसका टाइम रखा गया है, उसके अन्दर यदि वह गिर जाता है या खराब हो जाता है तो जिस अधिकारी ने उसे बनवाया चाहे वह रिटायर हो गया हो, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिये। रिटायर होने के बाद भी उसको जिम्मेदारी से अलग नहीं किया जा सकता। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण विभाग के बजट का समर्थन करता हूं। किसी भी सूबे के विकास के लिये वहां की सड़कों एवं भवनों का सही निर्माण करना आवश्यक है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। ऐसे माननीय सदस्य ने इस कटौती के प्रस्ताव को रखा है, जिन्हें, इस विभाग की जिम्मेदारी किस पर है, सरकार क्या काम कर रही है, यह तक नहीं मालूम। इस विभाग के पास जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह दो माने जा सकते हैं, भवन निर्माण कराना तथा सड़कों और पुलों का निर्माण सन् 1977 से 1980 तक जो सड़कों का निर्माण किया गया, उनमें खाद्यान्न योजना के सम्बन्ध में विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, विशेष रूप से उन्हीं से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भोला पाण्डेय---]

कहना चाहता हूं कि उन्हीं को पार्टी के सदस्यों ने इस खाद्यान्न योजना को खाओ-खरो को संज्ञा दी थी। मान्यवर, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो भी सड़कें बनाई गई हैं, जिन्हें गांव को जोड़ने का नाम दिया गया, उनकी इन्क्वायरी कराई जाये कि उनसे किसानों के कितने खेतों का दुरुपयोग हुआ है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। मैं मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी सड़कों से गांव को जोड़ने का जो काम हुआ है, इस योजना से जो सड़कें बनाई गई हैं, उनको तत्काल पक्की सड़कों में परिवर्तित करना आवश्यक है, गांव में अगर आप चले जायें तो आप देखेंगे कि गांव में चोरी की सुविधा जनता पार्टी सरकार ने बना दी थी। बड़ी सड़कों से जो छोटी-छोटी सड़कें मिलाई थीं उनसे होकर चोरी आसानी से की जा सकती है।

एक सदस्य---

इनका ध्यान इसी ओर गया।

श्री अधिष्ठाता---

आप बोलते रहें।

श्री भोला पाण्डेय---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने सड़कों के बारे में कहा। 1860 किलो मीटर राजकीय मार्ग बन रहे हैं, मैंने इस विभाग के सचिव महोदय से पूछा था। मान्यवर, बड़े हर्ष का विषय है, शासन के किसी भी विभाग ने ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा जिसमें नये संगत तरीके से, निष्पक्ष तरीके से 425 विधान सभायी क्षेत्रों में तीन से चार किलो मीटर सड़कें बनाई जा सकें। निष्पक्ष बंटवारा किया गया। यह प्रसंशा के योग्य है। इनकी प्रसंशा होनी चाहिये।

मान्यवर, पुलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पुलों का निर्माण कई जगहों पर कराया जा रहा है इस विभाग के द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जहां पुल बनाया जाना हो, उसका सही तरीके से प्रस्ताव होना चाहिये। पटना से बनारस, गाजीपुर होते हुये लखनऊ की तरफ आने वाली, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर जय प्रकाश नगर में मांझी पुल चार वर्षों से विचाराधीन है। जनता पार्टी की सरकार के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष, चन्द्र शेखर जी ने झूठा प्रयास करके उसका शिलान्यास कर दिया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पुल का शिलान्यास करके जनता को बरगलाने का प्रयास किया है। जिस पुल का बनाने के नाम पर जनता पार्टी के अध्यक्ष जनता का गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में मैं बहुत देर से कटौती के प्रस्ताव को सुन रहा था – भ्रष्टाचार और नौकरशाही का बात इस विभाग के अन्दर कर रहे थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह एक विभाग है जो प्रदेश के अन्दर काम कर रहा है। इसमें भ्रष्टाचार है लेकिन कोई इस प्रकार का सुझाव विपक्ष की तरफ से नहीं आया कि उस भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से और शासन से यह कहना चाहता हूं कि जब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग से ठेकेदारी की प्रथा समाप्त नहीं की जायेगी तब तक किसी भी भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, कार्यवाही की बात कही यह बिल्कुल सही है और यह व्यापक पैमाने पर

होना चाहिये । मैं चाहूंगा कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को एक कमेटी बनायें चाहे वह जिलास्तर पर हो । एक विकेन्द्रीयकरण की योजना, सड़क कहां पर बनाई जाय, उसकी जिला योजना के अन्तर्गत व्यवस्था कराई जाय ।

मान्यवर, जहां तक भवनों के निर्माण का और पुलों के निर्माण का प्रश्न है, मैं फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि इस विभाग से सम्बन्धित सेतु निगम प्रदेश में ही नहीं, देश के पैमाने पर विदेशी मुद्रा लाता है । इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रशंसा करना उतना ही जरूरी है जितना किसी को उत्साहित करने की आवश्यकता होती है । जनता पार्टी को सरकार के समय चाहे वह सहकारिता भवन हो, चाहे वह जवाहर भवन हो और चाहे वह मिनी सेक्रेटिरियेट का भवन बनाया गया हो तो किस तरह से माननीय मन्त्रियों ने उस समय उनमें हस्तक्षेप कर भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपये का गोलमाल किया था ।

श्रीमन्, आज भ्रष्टाचार हर विभाग में है । भ्रष्टाचार को दूर कैसे किया जा सकता है । भ्रष्टाचार कब नहीं था । इसका सही तरीके से आकलन करने की आवश्यकता है । मैंने सबसे पहले कहा था कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिये और दूसरा एश्योर्ड सड़कें और एश्योड भवन बनाये जायं ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन् दो मिनट का मौका और दे दें । अभी मुझे राष्ट्रीय एकीकरण पर भी कुछ कहना है ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया है । एक मिनट में आप अपनी बात खतम कर दें ।

श्री भोला पाण्डेय––

श्रीमन्, यहां सुलहकुल की बात कर रहे थे । आयं चले जाय फतेहपुर सीकरी । मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह फतेहपुर सीकरी जो 400 वर्ष पुराना था, फिर से वहां जब यह योजना की गई थी तो फिर से हिन्दुस्तान के इतिहास को और इस सरजमीं के इतिहास को उजागर किया गया । चाहे वह झांसी का कार्यक्रम रहा हो या सुलहकुल का रहा हो ।

मान्यवर, भाषा के सम्बन्ध में यहां पर कोई बात नहीं कही गई है । उर्दू को वरीयता दी जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि उर्दू को बढ़ावा दिया जाय, उसके स्कूल खोले जायं, मदरसा बनाये जायं लेकिन हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दी पर कोई भाषा नहीं लादी जानी चाहिये । अन्त में मैं इन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं तथा इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री लल्लू सिंह चौहान––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, काफी साथी बोलना चाहते हैं, फिर भी आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं चाहूंगा कि 5-5 मिनट में आप लोग अपनी बात समाप्त कर लें ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

श्रीमन्, यह जो राष्ट्रीय एकीकरण विभाग है, जिसे माननीय मन्त्री जी सम्भाले हुये हैं, इसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं । यह जो सुलहकुल और झांसी की रानी का समारोह है, यह प्रशंसनीय हो सकता है, इससे काफी लाभ होगा और प्रेरणादायक होगा सारे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये । लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी तमाम क्रान्तिकारी, तमाम षडयंत्र केस के मामले जैसे कानपुर षडयंत्र का केस है, जैसे मैनपुरी की कान्सप्रेसी हुई, जो काकोरी काण्ड है मैनपुरी के श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का नाम और अनेक क्रान्तिकारियों के नाम उसमें थे । मैनपुरी के इतिहास में जो प्रातः स्मरणीय व्यक्ति आता है जो गजेटियर्स में भी मिलत है और स्वतंत्रता इतिहास में भी मिलता है, वह है मैनपुरी के राजा तेजसिंह । इन्होंने 250 अंग्रेजों को अपनी तलवार से काटा था । इनको अंग्रेजों ने बहुत मुश्किल से पराजित किया था । इसके साथ के लोगों को गद्दार बनाकर इस राजा को पराजित किया था इन्हें जीवन भर बनारस में कैद में रखा गया था ऐसे क्रान्तिकारी राजा की स्मृति में कुछ न कुछ इस सरकार को अवश्य करना चाहिये । चाहे उनके नाम से साइन्स का डिग्री कालेज खोल दें या जो नया हास्पिटल मनपुरी में बनाया है, उसी का नाम उनके नाम पर रख दें । इसके अलावा श्री राम प्रसाद बिस्मिल, जो काकोरी केस के क्रांतिकारी थे, जो कोसमा के रहने वाले थे, उनके नाम से भी कोई चिकित्सालय, रोड या पुल बनवा दें, जिससे शहीदों की स्मृति जीवित रह सके और राष्ट्रीयता तथा देश भक्ति को प्रेरणा दे सके ।

भाषा का विकास भी उर्दू और हिन्दी पर लड़ने से नहीं होगा । विद्वान चाहे जिस भाषा का हो, जो निष्ठा के साथ शिक्षा में लगा हुआ है, ऐसे लोगों को सरकार को पेन्शन वगैरह देनी चाहिये ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के विषय में मैं कुछ नीतिगत बात उठाना चाहत हूं । दो जिलों को जोड़ने वाली सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना चाहिये । आगरा और मैनपुरी की जो सड़क जोड़ती है, यहां पर एक पवित्र स्थान बटेश्वर है । यहां जमुना पर पुल की बहुत मांग है । जहां मानसिंह नाम का डाकू हुआ करता था और आज भी हजारों डाकू वहां निवास करते हैं । इस कारण यह पुल नितान्त आवश्यक है । विगत 50 साल से यह मांग हो रही है कि इस पुल को बनाना चाहिये ताकि दोनों जिलों के लोग आ जा सकें । भनऊ घाट का पुल जो मैनपुरी से अलीगंज को जोड़ता है, इसकी भी अत्यन्त आवश्यकता है । मैनपुरी से अलीगंज की तरफ जाने के लिए 70 कि0 मी0 चलना पड़ता है, जब कि इस पुल के बन जाने पर यह दूरी सिर्फ 30 कि0 मी0 होगी । इसी के साथ जैथरा, जहां के माननीय लटूरी सिंह जी सदस्य हैं, यह एटा जिले में है । मैनपुरी से यह 25 कि0 मी0 है, जबकि एटा होकर यह 50 कि0 मी0 पड़ता है । यहां पर भी पुरावली से जैथरा के बीच काली नदी पर पुल बना दिया जाय, तो लोगों को सहूलियत होगी । इसी के साथ, छिबरामऊ और किशनी के बीच रामनगर पर अगर ईसन नदी का पुल बना दिया जाय तो इसमें भी 20 कि0 मी0 की बचत होगी ।

जी0 टी0 रोड से शिकोहाबाद पर राष्ट्रीय मार्ग को कनेक्ट किया है, यह टूरिस्ट रोड है, जो भोगांव से शिकोहाबाद को जोड़ती है। यह सड़क आधी चौड़ी हो चुकी है, इसको भी पूरा चौड़ा किया जाना चाहिये। यह 50 कि0 मी0 की सड़क है, जबकि 25 कि0मी0 का चौड़ीकरण हो चुका है।

खड़न्जा जो आप लगाते हैं, जिस पर 85 हजार रुपया एक कि0 मी0 में लगता है, इसके स्थान पर 4" या 5" का पत्थर डाल कर सीलिंग में इस्तेमाल करें तो यह कार्य 20-25 हजार रुपया प्रति कि0 मी0 में हो सकता है और काफी पैसा बच सकता है। पत्थर में ज्यादा भ्रष्टाचार भी नहीं होगा।

यह जो आप ह्यूम पाइप लगाने का काम हर जगह करते हैं, श्रीमन्, हजारों की संख्या में जो सड़कों के किनारे ह्यूम पाइप पड़े हुए हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है और वह वहां पड़े-पड़े चोरी भी चले जाते हैं, तो इस ओर मैं अनुरोध करूंगा कि इन ह्यूम पाइप का इस्तेमाल वहीं पर करें जहां पर इसकी बहुत आवश्यकता हो अन्यथा नहीं करना चाहिये और ईंट, सीमेन्ट की आर्च पुलियां ही बनानी चाहिये।

श्रीमती किशोरी शुक्ला--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज सार्वजनिक निर्माण विभाग पर हो रही चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। वैसे उत्तर प्रदेश की सड़कों की आज हालत तो बहुत दयनीय है लेकिन जिन योजनाओं के साथ यह बजट माननीय मंत्री जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रस्तुत किया है, उससे यह प्रतीत होता है कि इस ओर जो पैसा केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, उसका सदुपयोग होगा और

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, हमारी यह शासन की नीति गंगा जल के समान पवित्र है और प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व व देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंन्दिरा गांधी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत देश और प्रदेश का विकास जिस रफ्तार से हो रहा है वह किसी से छिपी नहीं है मान्यवर, मैं यह मानती हूं कि जिले में जितने अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बजट जिलों को भेजते हैं, वह मैं पहले ही कह चुकी हूं और फिर निवेदन करूंगी कि वे लोग जब तक जिले के प्रशासन को चुस्त नहीं करेंगे, तब तक इसी प्रकार बजट का दुरुपयोग होता रहेगा और इस प्रकार क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध रहेगा।

दूसरे, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि कहा यह जाता है कि अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और इस-इस विभाग में इतना-इतना भ्रष्टाचार है और इन विभागों की आवश्यकता नहीं है तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि आपका

[श्रीमती किशोरी शुक्ला--]

कर्मचारियर आई० ए० एस० और पी० सी० एस० तथा पुलिस प्रशासन के भी नहीं चल सकता है, विभाग दोषी नहीं होता है व्यक्ति दोषी होता है और दोषी व्यक्ति को सजा देनी चाहिए । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विधान सभाई क्षेत्र सहजनवां की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं । इस क्षेत्र में दो पुलों का निर्माण के सिलसिले में सन् 1980 में जब से आई थी तब से मांग कर रही हूं । इन पुलों का शिलान्यास भी भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव जी द्वारा हो चुका है जिसमें से एक पुल कुलावल घाट वाला यहां के सचिव एवं मुख्य अभियन्ता से मैं कई बार मिली और प्रार्थना की, इन लोगों ने इस प्रार्थना को सुना और उसकी तो मंजूरी दे दी है, जिसके लिए सचिव, निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता बधाई के पात्र हैं । परन्तु अभी पाली ब्लाक पटनाघाट वाले पुल को मंजूरी नहीं मिल सकी है, जिसके कारण वहां की समस्त जनता को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वहां के किसान अपनी खेती भली प्रकार से नहीं कर पाते हैं, आवागमन का रास्ता अवरुद्ध है, बच्चों को स्कूल जाने, किसी बच्चे वाली औरत को अस्पताल आदि जाने में नावों का सहारा लेना पड़ता है, जो जल्दी सुलभ नहीं हो पाता है, जिसके कारण अनेक कठिनाइयों से रोजना वहां के निवासी को गुजरना पड़ता है । यदि इस समय आप वहां पक्का पुल बनवाने की स्थिति में नहीं हैं तो कम से कम पाइप ब्रिज ही फिलहाल स्वीकृत कर दीजिए ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जो जब मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे तो उन्होंने मेरे क्षेत्र में 20 कि० मी० रोड दिया था लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि सिसई--भक्सा--चरणांव मार्ग और पाली--सुरगहना--कोदरी मार्ग जो कि स्वीकृत है, परन्तु अधिशासी अभियन्ता श्री वी० के० बनर्जी ने इस पर कोई कार्य नहीं किया है । एक गोवरहिया नाले पर पुलिया बनाई जानी थी, वह बनी और दो महीने के बाद ही वह टूट भी गई । जब मैंने इसकी शिकायत की तो उसकी जांच की गई और जांच करने के बाद अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया पर पता नहीं किस तरह से कुछ स्वार्थी लोगों के कहने से उनका स्थानान्तरण रोक दिया । मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यदि सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी चलें तो मैं उसे दिखा सकती हूं कि वहां पर 7 फुट का खड्डा हो गया है । आज जो लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों की अवहेलना करते हैं, जो प्रशासन में चुस्ती नहीं लाते, जो अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन की बातों का पालन नहीं करते, जिम्मेदारी से काम नहीं करते, उनकी जांच करनी चाहिये और उसे तुरन्त जिले के बाहर स्थानान्तरित किया जाना चाहिये तथा दण्डित किया जाय ।

अब मैं आपके माध्यम से अपने सहजनवां विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं । मेरा क्षेत्र पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां पर हर पर गुदहट खड़न्जा नहर का 9 किलोमीटर तक का किनारा पक्का बनवाने की आवश्यकता है । मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस किनारे को तुरन्त पक्का बनवाने की कृपा करें क्योंकि इस सड़क पर बस चल रही है । यदि यह ठीक नहीं किया जायेगा तो बसों का चलना रुक जायेगा और जो जनता वहां की चलती है वह बसों के चलने से शासन का 28 हजार का प्राफिट होगा । तथा जनता की सुख सुविधा छिन जायेगी ।

इसी तरह से जंगल कोडिया में गोपलापुर रवता नाले के बीच में पुलिया बनाने के तत्काल निर्देश देने का कष्ट करें ताकि हमारे यहां जो 40 हजार जनता का आवागमन बन्द सा है, उसे सुविधा हो सके ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया, अब जो आप बोलेंगी वह लिखा नहीं जायेगा।

श्रीमती किशोरी शुक्ला—

इसके साथ ही मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी के बजट का समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपन मुझे बोलने के लिए समय दिया। श्रीमन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में बहुत कुछ हमारे माननीय मित्रों ने कहा है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आज आपसे सबसे बड़ी आवश्यकता जो देश की है और जो चुनौती के रूप में हमारे देश के सामने है, उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान और माननीय मन्त्री जी का ध्यान जो कि राष्ट्रीय एकीकरण के भी मन्त्री हैं, आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी जरा आप अपना ध्यान फाइल से हटा लीजिए और मेरी बात को सुनिए।

आप को विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण की बड़ी आवश्यकता है जबकि देश के अन्दर पंजाब एक तरफ जल रहा है, आसाम में जो कुछ हो रहा है श्रीमन्, उसको आप देख रहे हैं। देश में साम्प्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं और जब हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं तो हमें इसका हल बहुत ही ठंडे दिल से और गम्भीरता के साथ सोचकर कार्यक्रम बनाना चाहिए दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को और सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, सिर्फ यह कह देने से कि अन्तर जातीय शादियां करा देने से ही राष्ट्रीय एकीकरण हो जाएगा, मैं समझता हूं कि यह एक देश की राष्ट्रीय एकता की समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता, अखन्ड धर्म निरपेक्षता को हम कायम नहीं रख सकते हैं।

श्रीमन्, इसके लिए भाषा भी जिम्मेदार है। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि आज जितनी भाषायें इस प्रदेश में पढ़ाई जा रही हैं, या जितने प्रकार के स्कूल अलग अलग आज चलाए जा रहे हैं। क्या उनको देखने से पता नहीं चलता कि इसमें साम्प्रदायिक तथा अलगाववादी भावना नहीं है, क्या इसमें एक दूसरे को अलग करने की भावना नहीं है, क्या कभी सरकार ने इस पर विचार किया है कि भाषा की नीति क्या होनी चाहिए और एक तरह की पद्धति बनाकर शिक्षा पद्धति को लागू करना चाहिए लेकिन आज 35 साल हो गए और उस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया और मैंने इसी लिए इस सदन से निवेदन किया है कि उस पर लोग विचार करें।

[श्री ऊदल—]

मान्यवर, आज साम्प्रदायिक भावनायें किस तरह से देश के अन्दर पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से फैल रही हैं, क्या सरकार ने कभी विचार किया कि ऐसे पत्रों को देखें, ऐसी पत्रिकाओं को देखे जो देश के अन्दर साम्प्रदायिक भावनायें पैदा कर रही हैं या देश की अखन्डता को खंडित कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मान्यवर, कोई कार्यवाही नहीं की गई, आज भी नहीं की जा रही है। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, देश के बड़े-बड़े कर्णधारों के प्रति। श्रीमन, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी एक बार काशी में गए और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने पन्डो के पैर पकड़ा तो नेहरू जी बहुत ही नाराज हुए, लेकिन वह कुछ कह न सके। पं० जवाहर लाल जी इस चीज को खत्म करना चाहते थे, क्या आज हमारे कर्णधार उन आदेशों को कायम कर रहे हैं। मैं एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी संगम में इसी मकर संक्रान्ति में हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्रीपति मिश्र गये थे। मैं कहना चाहता हूं, जिनकी आप दुहाई देते हैं, देवरहवा बाबा के पैर पकड़े। क्या इससे साम्प्रदायिकता समाप्त होगी और सद्भावना बढ़ेगी ? हमारी सरकार बराबर कहती है कि साम्प्रदायिकता खत्म हो, परन्तु इस तरह से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सरकार इस पर विचार करे और गम्भीरता के साथ विचार करें।

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आपके यहां अफसर जिलो-जिलों में हैं इस साल वाराणसी में राष्ट्रीय एकीकरण की मीटिंग हुई आप ताज्जुब करेंगे, केवल मैं उसमें गया, कोई भी विधायक नहीं आया। 3 अफसरों के अलावा और कोई नहीं आया था शिक्षा विभाग का कोई भी अफसर नहीं आया जब कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राष्ट्रीय एकता के बारे में उन्हीं की होती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा देश के अन्दर राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है, अखन्डता की आवश्यकता है, समानता की आवश्यकता है और धर्म निर्पेक्षिता की आवश्यकता है और जितनी सेवरिस्ट फोर्सेज हैं उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। माननीय डाक्टर अम्बार रिजवी और उनकी सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रश्नों पर वह विचार करें और देश की अखंडता और धर्म निरपेक्षता को कायम रखें और राष्ट्रीयता को आगे बढ़ावें।

[समय 3 बजकर 35 मिनट]

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके पूर्व कि कुछ मैं कहूं मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं—

सुबह का अफसाना कहकर शाम से खेलता हूं गर्द अय्याम से।
लोगों की तमन्ना, लोगों की आरजू और लोगों के गम
कुल मिलाकर काटता हूं जिन्दगी आराम से॥

मान्यवर, अभी मैं अपने एक सम्मानित सदस्य का भाषण सुन रहा था लेकिन यहां पर समय मिलना दुर्लभ होने के कारण बोलने का मौका नहीं मिल पाता है लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की पैदाइश सन् 1844 में हुई और सन 1854 से इस पर कार्य शुरू हुआ। 1887 में यह व्यवस्था जिलाधिकारी और आयुक्त के माध्यम से इस विभाग में ले ली गई और तब से इस विभाग को उसके विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता तथा सचिव के हाथों में सौप दी गई। मान्यवर, चलते-चलते 1938 में सिंचाई विभाग भी इससे ले लिया गया और इसका कार्य अलग कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से खास तौर से दो काम होते हैं। पहला काम यह है कि भवन का निर्माण और दूसरा काम है सड़कों का निर्माण। कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका विभाग से सीधा सम्बन्ध तो नहीं है लेकिन उनका अनुरक्षण करना विभाग का कर्तव्य है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अन्दर ही नहीं, देश के अन्दर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति अर्जित की है। इतिहास इस बात का साक्षी होगा। मान्यवर, सड़कों का नाम बताने लगेंगे तो उसके लिए काफी समय की आवश्यकता होगी। इस विभाग ने पूरे देश को पूर्वांचल से लेकर दक्षिणांचल तक जोड़ दिया है। मान्यवर, इन सड़कों को विभाग ने मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया है पूर्वी, मध्य, उत्तरी तथा पर्वतीय। इन चारों भागों में मुख्य अभियन्ताओं का सृजन किया गया और उन सबकी देखभाल करने के लिए प्रमुख अभियन्ता यहां पर बैठे हुए हैं जो उन सबके कामों की देखभाल करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए यह कहना कि कोई काम नहीं किया है, उचित नहीं है। जहां चलने के लिए मार्ग नहीं थे, रास्ते नहीं थे, वहां आज इंदिरा गांधी की सरकार ने आजादी के बाद देश को एक कोने से दूसरे कोने तक मिला दिया है--उत्तर प्रदेश को बिहार से, आसाम को उत्तर प्रदेश से और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ दिया है। इसलिए यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि विभाग ने बहुत कुछ किया है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इनकी सरकार आयी थी, खाद्यान्न योजना के माध्यम से सड़कें बनाई गई थीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके अन्तर्गत जो गेहूं बांटा गया था और एक भी सड़क बनी हो, यह नहीं कहा जा सकता। जितने धन का अपव्यय किया गया उसके हिसाब से बिलकुल भी काम नहीं हुआ। मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह बात सही है कि जब हम उनसे यह कहते हैं कि हमारे यहां सड़क नहीं है, पुल नहीं हैं, पुलिया नहीं है तो वे कहते हैं कि इसका विकेन्द्रीकरण कर दिया गया, नियोजन विभाग में जाइये, जिलों में जाइए, वहां मीटिंग में जाइए और वहां कहें। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इन ढाई साल के दरमियान एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, एक भी पुल और पुलिया का निर्माण मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। दो सालों से मैं निरंतर लिखता चला आ रहा हूं।

[डा0 बृज किशोर मिश्र—]

एक सड़क हारे यहां है जो सीधे बिहार को उत्तर प्रदेश से मिलाती है उसके अलावा वहां आने-जाने के लिए कोई साधन नहीं है, मैंने उसके लिए लिखा भी है सिधुवा से हारेयापुर-मोतीहलहा-शिवपुर तक है, उसको पक्का बना दिया जाय। लेकिन आज तक वह सड़क नहीं बन पायी है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि माधो-कोठिलवा घाट पर वाणी नदी पर पुल बनाया जाय। इसके बन जाने से उत्तर प्रदेश बिहार से जुड़ जायेगा। मेरा क्षेत्र पडरौना बहुत गरीब क्षेत्र है वहां पर भी कोई पुल नहीं है। अंत में मैं इस बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे काम करने हैं उन सब का करने के लिए आपने पैसा कम मांगा है, इसके लिए और ज्यादा पैसा होना चाहिये जिससे सब काम सुचारु रूप से हो सकें।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, जो आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जो कटौती का प्रस्ताव माननीय बदन सिंह जी ने रखा है. उसका स्वागत और समर्थन करता हूं।

मान्यवर, आज संसदीय कार्य मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री जी ने जो तीन विभागों का बजट एक साथ रखा है, उसमें मैं सबसे पहले राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव उनके सम्मुख रखना चाहता हूं।

आज यह देश जिन परिस्थितियों मे गुजर रहा है उसमें देश के बारे में चिंतन करने वाले सभी लोग चिंतित हैं। देश के अंदर एकता लाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की बहुत आवश्यकता हो गयी है। आज देश म जो कुछ बातें हो रही हैं खुदा न करे हमारे प्रदेश में हों, आज पंजाब में जो परिस्थितियां हैं भगवान करे वैसी कोई बात हमारे यहां न हो। भाषा के नाम पर लड़ाने का काम यहां होता है। इनके मंत्रिमंडल में तरह-तरह के मतभेद हैं, खासकर उर्दू के सम्बन्ध में आपकी सरकार ने फरवरी, 1981 में एक निर्णय लिया, हाफ मिलियन जांच के अन्तर्गत उर्दू टीचर्स को स्थायी बनाया था। लेकिन एक साल बाद पुनः सितम्बर, 1982 में आपने फिर एक राजाज्ञा जारी कर दी उसमें जो उर्दू टीचर्स जो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, समाप्त करने की बात की। आज वह संघर्ष कर रहे है जिस बात को आपने एक साल तक लागू किया उस चीज को बदल दिया गया जिससे वे उर्दू टीचर्स अपने को असुरक्षित समझते हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि आप उर्दू की ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, उर्दू भाषा अच्छी है और विकास करना चाहते हैं तो दो साल पहले जो निर्णय लिया उसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उन एक हजार टीचर्स को पदोन्नति देने के बजाय तनज्जुली की तरफ भेज दिया। मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू के विकास के लिए पहले से जो कदम उठाये गये हैं, उनको तुरन्त वापस करने का कोई औचित्य नहीं है।

इसके साथ-साथ जो आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का इतना महत्वपूर्ण विषय है, जिसका बजट आज सदन में पेश हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहता हूं आज 36 सालों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में चौगुनी सड़कें आपने कर दिया, इनके लिये मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन यह प्रगति बहुत कम है। आज हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल है, उस पर चलने के लिये हमारे प्रदेश के लगभग 11 करोड़ आदमी हैं जिनको चलने के लिये आप साधन देते हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस विभाग ने आसाम, बिहार हरियाणा और पंजाब का जोड़ा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को सड़कों से आज आप जोड़ दें तो सबसे बड़ा काम हो जायेगा। मान्यवर, जो योजनायें हैं, स्वीकार हो जाती हैं, जो भवन और पुल एवं सड़कें स्वीकार हो जाती हैं, आप चाहे प्रशंसा करें, लेकिन मेरे जनपद गोंडा में उतरौला तहसील भवन बनना स्वीकार हुआ 1970-71 में और उस समय लागत केवल 9 लाख रुपये थी और आज 1983 में भी वह भवन तैयार नहीं हुआ और उसकी लागत 40 लाख रुपये हो गयी है, आप देखें तो चौगुनी कास्ट बढ़ गयी है, इसलिये मंत्री जी समयबद्ध योजना के अन्तर्गत काम करायें।

मान्यवर, जहां तक पर्वतीय क्षेत्र की बात है तो बहराइच और गोंडा हिमालय के नजदीक हैं, वहां नदियां आती हैं, इसलिये बहराइच और गोंडा में पुलों के निर्माण में प्राथमिकता देनी चाहिये और उतरौला से तुलसीपुर मार्ग पर पिपराघाट पर, राप्ती नदी पर, पुल बनायें चूंकि जनता की मांग है और 36 सालों से इसको टाला जा रहा है। इसी के साथ-साथ गोंडा में बूढ़ी राप्ती नदी पर धोबहा घाट पर पायल पुल बनायें।

मान्यवर, जहां सड़कें नहीं हैं चूंकि क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की बात मंत्री जी ने कहा है इसलिये, प्राथमिकता के आधार पर अपूर्ण सड़कों को पूरा किया जाय। इसके साथ ही, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे गांव को जाने वाली जो सड़क है उसके सम्बन्ध में मंत्री जी को एक शेर माननीय जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती' के सौजन्य से सुनना चाहता हूं :--

गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी,

ऐ खाना बरनदाज चमन, कुछ तो इधर भी।

धन्यवाद।

श्री मुईद अहमद--

अध्यक्ष जी, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस बजट के समर्थन में बोलते हुये विरोध पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करते हुये इतना कह सकता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और उसके काम स्वयं इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसकी अच्छाई और बुराई एक तरफ है लेकिन इस विभाग की इतनी महत्ता है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की प्रगति इस पर निर्भर करती है।

[श्री मुईद अहमद---]

मान्यवर, जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है अन्य प्रदेशो के मुकाबले उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए । लेकिन गर्व के साथ में कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जब 1947 में बजट रखा गया था तो उस समय 15 हजार किलोमीटर सड़कें थीं और आज 64,600 किलोमीटर सड़क हैं, इसके बावजूद मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जितनी तरक्की होनी चाहिय वह नहीं हुई है । तो इस विभाग की महत्ता पर और इसमें जो सड़कों को महत्ता है जिसके ऊपर प्रदेश और देश का विकास निर्भर है, तो उस के नाते में आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले बजट सत्र में भी कहा था कि इस विभाग को प्रोडक्टिव विभाग मान लिया जाये। मगर वह नहीं माना गया। मैं आज भी उसके लिए कह रहा हूं और साथ ही साथ इसको प्रायरिटी सेक्टर घोषित कराया जाए, क्योंकि सारा डेवलपमट सड़कों पर निभर करता है । सड़कों का विकास नहीं होगा तो प्रदेश का विकास नहीं होगा बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब पूरा प्लान बनने लगा था और उनकी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भी था, जो 43 परसेंट हुआ मगर इस सार्वजनिक निर्माण विभाग को उसमें से केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि मिली है । यह विभाग के लिए शर्म की बात है और इतने महत्वपूर्ण विभाग के लिए यह वृद्धि जीरो है ।

जहां तक बजट की बात है, 1982-83 में हम जीरो भी रहे, 1981-82 में भी रहे, लेकिन 1983-84 के बजट से लगता है कि मंत्री जी एन0 आर0 ई0 पी0 के माध्यम मे हम लोगों के यहां पुल, पुलिया बनवाने वाले हैं और नहरों की पटरियां भी वह 200 किलोमीटर दे रहे हैं । जो कुछ भी मिल जाए, उसके लिए म मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । जहां तक सेतु निगम की बात है, इसकी तारीफ सब लोगों न की है । बात सही है, इसने जहां देश में इतनी ख्याति प्राप्त की है, विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की है । 80 करोड़ की लागत से बड़े-बड़े पुल विदेशों में बनने हैं । 16 पुल बनने हैं, 6 बन गये हैं । इसके साथ ही एशियाड के अवसर पर नई दिल्ली में सेतु निगम ने जो फ्लाई ओवर बनवाये हैं, उससे भी विदेशों में उसकी ख्याति गई है । आप पुल बहुत दे रहे हैं, इन पुलों के सम्बन्ध में मैं इतना ही कह रहा हूं कि मेरे भी जिले में कुछ पुल स्वीकृत हुए हैं मगर उस पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो मैं मंत्री जी निवेदन करूंगा कि सारे पुलों पर कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जाए । जिससे उनका जो वर्तमान एस्टीमेट है, वह बढ़ने न पावे और उसके निर्माण में कोई बाधा न पैदा होने पाये । रिंग रोड आदि भी सराहनीय कार्य हैं । शोध कार्य भी में भी आपने 50 लाखसे साढ़े 12 लाख के बजट का प्राविधान किया है । लेकिन खुद भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि यहां का बजट बढ़ाना चाहिए । यहां का बजट 98 करोड़ रुपये का योजना आयोग से स्वीकार हुआ है और भारत सरकार के योजना आयोग न कहा कि यह 110 करोड़ रुपया होना चाहिए । तो इससे यह साबित होता है कि कहीं पर इस विभाग को महत्व देने वाले लोगों की कमी है जो इस पर ध्यान देना चाहिए था ।

जहां तक करप्शन की बात है इस विभाग में, दुनिया जानती और सब लोग जानते हैं कि इस विभाग के इंजीनियरों में कितना करप्शन है । इस विभाग में आज कमीशन प्रथा घर कर गई है, जिसके चलते वह आज कमीशन नहीं रह गया है वह उनका हक और दस्तूर बन गया है । इतना ही यह करप्शन करें, हम और दस्तूर तक ही रहें तो भी कहीं पर गड़बड़ नजर न आए, लेकिन यह आज उससे बहुत आगे निकल गये हैं । उसको कोई रोक नहीं पाता है । (लाल बत्ती होने पर) एक मिनट में आपका और लूंगा एक....

(व्यवधान)

संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मन्डल), अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) तथा अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

गबड़या का जो पुल स्वीकृत है कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय । इन शब्दों के साथ में राष्ट्रीय एकीकरण का और सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार को उसके लिए बधाई देता हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं बदन सिंह जी के प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, गत वर्ष पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो बजट आबंटित हुआ है, उसमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया है । मैं समझता हूं कि उस बजट का खर्चा होना तो किसी प्रकार से दिखा दिया जायेगा ही । एक बहाना लिया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम की वजह से विकास कार्यों में रुकावटें आती हैं । यह सही है कि इस अधिनियम का बहुत ही अन्धानुकरण हो रहा है । इसके कारण बहुत सा कार्य ठप पड़ा हुआ है । कुछ सड़कें जो काफी समय पूर्व स्वीकृत हो चुकी हैं, जिन पर काफी कार्य आरम्भ भी हो चुका हैं, कुछ तो ऐसी हैं कि दोनों तरफ से 40-50 किलोमीटर बन गयी हैं, पर बीच में वन विभाग की भूमि आ जाने के कारण, चारे वह आधा किलोमीटर की ही क्यों न हो, सारा कार्य रुक जाता है, वह सड़क बेकार हो जाती है और उस पर खर्च किया गया करोड़ों रुपया बेकार हो जाता है । यह वन संरक्षण अधितियम, 1980 में पारित हुआ । उसके बाद जो सड़कें 1981-82 या 1982-83 में आपने स्वीकृत कीं उसमें इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया इसमें कहीं वन विभाग तो अड़चनें नहीं डालेगा, वन विभाग भूमि तो कहीं नहीं आ रही है । इस बात का परीक्षण आपने क्यों नहीं कराया ? बिना इसके आपने काम शुरू करया दिया और आगे चलकर वह रुक गया ।

हमारे यहां की देवाल-सूयालकोट, नारायणबढ़-चोपता मार्ग, चमोली-सरतोंली मार्ग व थराली-घाट मार्ग ऐसे हैं जिन पर कुछ कार्य हुआ, बाद को अचानक रोक दिया गया । देवाल-सूवालकोट मार्ग पहले वन विभाग का ही था, बाद को यह सार्वजतिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया । इसमें थोड़ा रुपया गढ़वाल चुनाव के समय खर्च किया भी गया । इस मार्ग पर कोई पेड़ आदि भी कटवाने की जरुरत नही है । मेरा निवेदन है कि इस मार्ग को आप तुरन्त ठीक करवां दें ।

एक सड़क नारायणबगड़-चोपता जो कैश प्रोग्राम में ली गयी थी । उसमें भी कोई सुधार नही हुआ है, उसे पूरा कराया जाय ।

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनेक प्रपत्र आदि भर कर केन्द्रीय सरकार को भेजने पड़ते हैं । तब वहां से स्वीकृति मिलती है । इनको भेजने में आपके यहां बड़ी देरी लगती है । इनको जल्दी से जल्दी भेजा जाय, ऐसे आदेश आप करने का कष्ट करें ताकि विलम्ब न हुआ करे ।

हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में जो मुख्य अभियन्ता भेजे गये हैं, वे ऐसे वृद्ध महानुभाव हैं जो शीघ्र ही सेवा से निवृत्त होने वाले हैं । पेन्शन का लाभ आदि उनको मिल जाये इसलिए उनको भेज दिया गया है । उसका असर यह है कि उनका अपने कर्मचारियों पर कोई असर ही नहीं है, कोई उनके आदेश को मानता ही नहीं है और न ही उनको अपने कर्मचारियों की चरित्रपंजिका आदि में कुछ अंकित करने का अधिकार है । उनका नियन्त्रण न होने के कारण काम नहीं हो पा रहा है । उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भेज जाय ।

हमारे यहां जूनियर इन्जीनियर तथा ड्राफ्ट मैनों के बहुत से पद खाली पड़े हुये हैं । काफी समय पूर्व प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे और यह कहा गया था कि पर्वतीय संवर्ग अलग से बनाया जायेगा । अभी तक उन पदों पर कोई नियुक्तियां नहीं की गयी हैं । इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें ।

पिछले वर्ष हमारे यहां इन्टरमीडिएट-हाई स्कूलों के भवन निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था । निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, पर पता नहीं किन कारणों से वह बीच में ही रुक गया । आधा काम हुआ पड़ा है । इसमें तो वन संरक्षण अधिनियम रुकावट नहीं डाल रहा है ? इसे क्यों नहीं आप शीघ्र पूरा करवाते हैं ? मान्यवर, फिर वहां के कामों में देरी इसलिए आती है कि जो भवनों का कार्य होता है आपके प्रदेश में एक ही आर्किटेक्ट है, जो लखनऊ में बैठते हैं, कोई भी भवन की योजना आयेगी, तो वह आर्किटेक्ट के पास वही जायेगी, इसलिये देर होती है । मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि आप मंडलीय स्तर पर भी एक आर्किटेक्ट का और एक ज्योलाजिस्ट की नियुक्ति करें ताकि इन कामों में अवरोध न हो ।

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से निवेदन भी किया था । आपके यहां व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग में है कि आप हाउस लोन देते हैं, इसमें दो प्राथमिकतायें रहती हैं कि उस आदमी की सर्विस के 15 साल बाकी होने चाहिए या उसके दो बच्चे होने पर उसने नसबन्दी करा लिया हो । इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये कोई प्राथमिकता नहीं है । वे गरीब लोग हैं, मेरा सुझाव यह है कि इन प्राथमिकताओं में उनकी प्राथमिकता भी बढ़ा दी जाय । मान्यवर, आपके विभाग ने यह कर दिया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए । वह बहुत अच्छा है, परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में यह निवेदन कर दूं कि वहां की कुछ शर्तें आपकी ऐसी हैं, जिनमें जैसे सीमेन्ट की मिक्सिंग मशीन की वहां पर कोई जरूरत नहीं है । मेरा निवेदन है कि उन शर्तों को कुछ सरल कर दिया जाय ताकि वहां के जो छोटे-मोटे ठेकेदार हैं, वह ठेका ले सकें ।

[समय 4 बजकर 2 मिनट]

*श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट कई खंडों में प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण संस्थान कार्य सभी के बजट में सम्मिलित हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बहुत प्रगति से समीक्षात्मक ढंग से अपना बजट प्रस्तुत किया। मैं उनको बधाई देता हूं। जो सड़क और कुल को लोग सुलह पुल तक का काम देखते हैं, वह बधाई के पात्र हैं। तो मान्यवर, जब भी हम माननीय मंत्री के पास हम लोग जाते हैं, अपनी इच्छाओं को नदी लेकर, उस पर वह आश्वासनों का पुल बना देते हैं। हम उसके लिए भी उनको बधाई देना चाहते हैं। कभी हम लोग निराश नहीं होते हैं और इनकी जोड़ी भी बहुत बढ़िया है, माननीय राजा समथर। इस पर मैं एक शेर सुना दूं।

"चमन में तुमसे रौनक है, बहारें तुमसे जिन्दा हैं।
तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता ॥

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं इस शेर में। मान्यवर, सड़के, पुलों की बातें बहुत की गयी हैं। बहुत सी कमियां निकाली गयी हैं। माननीय अकबाल हुसैन साहब ने बुराइयों की तरफ इशारा किया है। मैं कहता हूं कि बुराई आपकी तरफ भी है, भले दिखाई न पड़े। जहां तक राष्ट्रीय एकीकरण का सवाल है, इसमें उर्दू, हिन्दी की बात बहुत आती है उर्दू-हिन्दी का सवाल बहुत उठता है। यह हमारी धरोहर है, समानता है। दोनों भाषाओं के बारे में शफीक जौनपुरी जो शायर हैं, उन्होंने जो कहा है, वह मैं सुना देता हूं।

"उर्दू भी हमारी है, हिन्दी भी हमारी है।
ये भी हमें प्यारी है, वह भी हमें प्यारी है।
एक हाथ में है शाना, एक हाथ में पैमाना।
एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है।

तो मान्यवर, इस तरह से हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, आज के सन्दर्भ में कहा गया है :--

इस उर्दू और हिन्दी में बस फर्क है तो इतना,
वह ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह अपने कामों को बहुत अच्छी तरह से अन्जाम देते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेत'--]

इसी के साथ मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात भी कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में, जो 129 कटेहरी, फैजाबाद है, वह 5 नदियों के बीच में बसा है। घाघरा, मड़हा, बिसुई और अन्य दो नदियां हैं। मड़हा, बिसुई के संगम के बीच के दोआबा क्षेत्र के 40 गांवों के लिये आने जाने का रास्ता नहीं है। आवागमन के साधन न होने से जनता को दिक्कत होती है। मड़हा-बिसुई के संगम पर श्रवण तीर्थ पर दो पुल, पहले के माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने उन्होंने बनाने के आदेश किये थे। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि दोनों पुल बनकर तैयार होने वाले हैं। इसके लिये मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। इसमें जो लिंक रोड बनाया गया है उसमें गड़बड़ी की गयी है। लोगों की शिकायत है कि पीली ईंट लगायी गयी है तो इसको दिखवा लें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि मेरा जो दोआबा का क्षेत्र है वहां पर जगह-जगह पर गांव बसे हैं वहां पर जो नदिया हैं, उन पर सोजनल पुल सार्वजनिक विभाग की तरफ से बना दिये जायं तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पहले जिला परिषद् बनाता था लेकिन इस समय उनकी हालत खस्ता हो गयी है। सेमराघाट, इनौना, नारायणपुर, गावों में पुलों की जरूरत है। मिझोड़ा गांव वहा पर बहुत बड़ा है। इस पर मान्यवर, पुल बनाने की कृपा की जाय। मैं इनके लिये मन्त्री जी से कह भी चुका हूं और आज भी नोट करा रहा हूं कि यह काम करा दिया जाय जिससे आने जाने का रास्ता खुलेगा। मान्यवर, मांगे तो बहुत लम्बी चौड़ी हैं, हमारे विरोधियों की मांगे तो लम्बी चौड़ी हैं, कहां तक भरी जायेगी, लेकिन देखा जायगा। अन्त में मैं अकबाल साहब ने जो शेर पढ़ा है उसका जवाब देता हूं।

घिरा है भीड़ में साकी तो नाउम्मीद मत होना,
जो मैखाने के बाहर हैं उन्हें भी जाम मिलता है।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिये 3-4 बातों को मैं सूत्र में कहूंगा। मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और 85 फीसदी जनता गावों में रहती है तथा कृषि पर निर्भर करती है। जब तक कृषि की उन्नति नहीं होती है तब तक हमारे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। जहां कृषि के लिये कृषि विभाग का दायित्व है कि वह अच्छ बीज दे, खाद दे, उपकरण दे वहीं पर सिंचाई विभाग का उत्तरदायित्व है कि वह पानी और सार्वजनिक निर्माण विभाग का दायित्व है कि उन गावों को सड़कों से जोड़े ताकि किसान अपना उत्पादन मंडी तक पहुंचा सकें। इसलिये सार्वजनिक निर्माण विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा भारी योगदान और बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कोई मुझे एतराज नहीं है कि आप लखनऊ में रिंग रोड बनायें, कानपुर में रिंग रोड बनायें, लेकिन गावों को लिंक रोड से जोड़ें। गांवों के लिंक रोड का ध्यान रखें। मान्यवर, सड़कों का काम दो तरीके से हो रहा है। एक हमारा ग्राम्य विकास विभाग बनाता है दूसरा पी० डब्लू० डी० विभाग बनाता है। जनता शासन काल में खाद्यान्न योजना चलाकर लिंक रोड के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस शासन ने उस काम को एन० आई० पी० योजना में रखा: मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मान्यवर, इन दोनों विभागों में तालमेल होना चाहिए। आप कल्पना करें 1977 में अगर किसी सड़क पर मिट्टी क

काम हुआ था और आज तक वह पक्की नहीं हुई है, तो छः साल के बाद उसकी हालत क्या होगी, उसमें जितनी भी मिट्टी भरी गई होगी, वह बरसात के समय में पानी से बहकर बराबर हो जायगी । इस तरह से सारा पैसा जो उस मिट्टी की भराई में लगा होगा वह व्यर्थ चला जायेगा । इसलिए मान्यवर, तालमेल बैठना जरूरी है । इस तरह से यदि दोनों विभागों की नीति में तालमेल हो जाय कि ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से सड़क कच्ची बना दी जाय और एक बरसात खाने के बाद अगले वर्ष पी० डब्लू० डी० विभाग उसको पक्का करने हेतु जरूर ले ले ।

दूसरी बात मान्यवर, एन० आर० ई० पी० की योजना में पैसा जिलों में गया है, हर विभागों को दिया जा रहा है, उसमें कुछ पी० डब्लू० डी० विभाग को भी दिया जा रहा है, उसमें मान्यवर, कुछ खड़ंजे लगने चाहिए, कुछ पुलियों का निर्माण होना चाहिए, कुछ सड़कें लेपन होनी चाहिए । मान्यवर, एन० आर० ई० पी० योजना का एक सिद्धान्त है कि उसमें 60 और 40 का अनुपात होना चाहिए । 60 फीसदी मजदूरी में जाना चाहिए और 40 फीसदी मेटेरियल में जाना चाहिए । आप कल्पना करें अगर पी० डब्लू० डी० विभाग को पुलिया बनाने के लिए दी गयी है तो उसमें मेटेरियल में ज्यादा लगेगा या मजदूरी में ज्यादा लगेगा । इस प्रोपोर्शन में, इस रेशियो में, इस अनुपात में कुछ परिवर्तन करें । वर्ना हो क्या रहा है हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग जिलों में एन० आर० ई० पी० की बहुत सी योजनाएं लेने में संकोच करता है । उसमें सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उसका कहना है कि 60 और 40 के रेशियो में हम नहीं दे सकते । तो वे किसी तरह से काम चलाते हैं । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें ।

मान्यवर, हमने एक विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाया है । उसके दो लक्ष्य हैं एक जनता को इस योजना के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा भागीदार किया जाय । दूसरा है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना । मान्यवर, क्षेत्रीय असंतुलन दो-तीन तरीकों से हो जाता है कि आज जिस जिले का मंत्री हो गया, उस जिले में ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य होते हैं, माननीय रिजवी साहब भी इससे इंकार नहीं करेंगे । शासक पार्टी का यदि कोई विधायक प्रभावशाली है, तो उसके क्षेत्र में ज्यादा निर्माण कार्य हो जाते हैं सड़कें बन जाती हैं और जो कम प्रभावशाली हैं, उनके यहां से कम निर्माण कार्य होते हैं और जो विरोधी दल के हैं, उनकी बिल्कुल उपेक्षा की जाती है । यह असंतुलन दूर करने के लिए जरूरी है इस प्रकार की जो उपेक्षा बरती जाती है, उसे दूर किया जाय । मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक सड़क है जो अजगैन से तहसील हसनगंज को जाती है जो जिले को जोड़ती है, 35 साल के बाद भी वह अभी तक कच्ची है, पक्की नहीं हो पायी है । बहुत सी नयी सड़कें बना दी गयी, लेकिन वह ज्यों की त्यों है । क्योंकि मान्यवर, उस क्षेत्र में संयोग से 1957 से आज तक एक टर्म के अलावा शासकीय पार्टी का कोई कैन्डीडेट जीता नहीं ।

[श्री भोखा लाल--]

मान्यवर, इस तरह से यह सरकार उस जनता से बदला लेना चाहती है कि चूंकि तुम हमारे कैन्डीडेट को नहीं जिताते हो इसलिए हम यह सड़क नहीं बनने देंगे। तो अगर यही नीति है तो जनता से बदला लेने के बजाय भोखा लाल को हराने की कोशिश करे कि भोखा लाल अगली बार विधान सभा में न आ सकें। तो मान्यवर, आप देखें कि अगर वहां की जनता शासकीय पार्टी के कन्डीडेट को नहीं जिताती तो वहां सड़क नहीं बन रही है। लेकिन वहां की जनता भी कहती है कि ठीक देखेंगे हठधर्मी आप कब तक करते रहेंगे। मान्यवर, पिछली बार जब मुख्य मंत्री जी उन्नाव गये थे, तो मैंने उनसे इसका जिक्र किया था तो उन्होंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को एक पत्र लिखने की कृपा की। तो मान्यवर, विभाग की ओर से 11 किलोमीटर सड़क, जो दो साल से स्वीकृत है, उसके तहत इस साल टोकन के रूप में डेढ़ लाख रुपया दिया है और मंत्री जी ने वायदा किया है कि अगले साल हम और देंगे में इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे अगले साल के बजट में हमारे क्षेत्र के लिए ज्यादा धन दें ताकि यह 11 कि0 मी0 सड़क, जो दो साल से स्वीकृत है, पक्की बन जाय। चूंकि हम विरोधी दल के थे इसलिए हमारे साथ उपेक्षा की गई। हमारी तहसील में एक क्षेत्र ऐसा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ-कानपुर रोड जाती है एक सड़क चकलवंशी से संडीला जाती है, एक सड़क उन्नाव से बांगरमऊ जाती है, एक सड़क अजगैन से मुंशगंज जाती है, इन चार सड़कों के मध्य 30 कि0 मी0 लम्बे और 20 कि0 मी0 चौड़े क्षेत्र में एक इंच भी सड़क पक्की नहीं है। अजगैन से जनसार होते हुए रायपुर गढ़ी तक 0 कि0 मी0 सड़क है, उस पर मिट्टी का काम हुआ 4 कि0 मी0 तक और अब वह बह रही है। अगर इस सड़क को जोड़ना है तो पी0 डब्लू0 डी0 उसे अपने विभाग में ले ले।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी। भ्रष्टाचार है, यह सरकार इसे नहीं रोक पायी और न रोक सकती है। अभी एक सदस्य कह रहे थे कि जब से जनता पार्टी शासन में आयी, भ्रष्टाचार अधिक आया। कमीशन पहले नीचे के अफसर लेते थे, अब वह ऊंचे अफसरों तक जाता है। लेकिन मेरा तो ख्याल यह है कि अब कांग्रेस शासन में मन्त्रियों तक आने लगा है। आपके विभाग में मानक है कि इतने रुपये में एक किलोमीटर सड़क बनेगी। रुपया सैंक्शन हो जाता है लेकिन उतनी सड़क बनती नहीं, क्यों ? क्योंकि 50 प्रतिशत कमीशन में निकल जाता है। 25 फीसदी कमीशन और 25 फीसदी ठेकेदार ले लेता है। इसलिए ये कमीशन को लेकर के भ्रष्टाचार को रोकें। मैंने ये सुझाव दिये हैं और मुझे उम्मीद है कि इनका ध्यान मंत्री जी रखेंगे और मेरे पिछड़े हुए क्षेत्र के साथ जो राजनीतिक भेद-भाव किया जा रहा है, वह नहीं करेंगे।

श्री दीना नाथ--

मान्यवर, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने बड़ा ही क्रान्तिकारी बजट प्रस्तुत किया और जो आंकड़े पेश किये हैं कि इतनी सड़कें हो गई हैं, तो मेरा कहना तो यह है कि मेरे क्षेत्र में न तो कोई पुल बना और न एक किलोमीटर सड़क बनी और न कोई भवन बना।

एकीकरण विभाग आपके जिम्मे है । उसका बजट पेश किया है । इसमें अपने अन्तर्जातीय और अन्तर धार्मिक लोगों के विवाह पर एक हजार रुपया पुरस्कार और लघु उद्योग लगाने के लिए स्वीकृति दी है । मैं आपका आभारी हूं । जिन जिलों में साम्प्रदायिक तनाव है, वहां के जिलाधिकारियों का यूथ-सेन्टर खोलने के लिए निर्देशित किया है, जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, ताकि विभिन्न सम्प्रदाय के लोग यूथ सेन्टर में आय और एक दूसरे के विचारों से परिचित हों ।

उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए आपने 10 लाख से बढ़ाकर 18 लाख का अनुदान किया है । सड़कों के रख-रखाव तथा निर्माण के लिए आपने धन मांगा है, मेरे हिसाब से वह कम है । मेरे बस्ती जिले में 3 तहसीलों में बाढ़ आयी, सड़कें नेस्तनाबूद हुईं, मरम्मत आज तक नहीं हुई । बांसी तहसील का भवन जो कई सालों से निर्माणाधीन है, बन नहीं सका, ईंटें, सीमेन्ट, लोहा वहां से बिक रहा है ।

मान्यवर, हमारे बांसी तहसील में कारागार नहीं है । जो मुलजिम तहसील कोर्ट में, मुन्सिफ कोर्ट में आते हैं, उनको रोकने का वहां जगह नहीं है । वहां के कर्मचारियों के रहने को जगह नहीं है । चौथा बजट पेश होने जा रहा है । चारों बजटों में मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान बांसी-धानी मार्ग की ओर आकर्षित किया लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ । 29 किलोमीटर लम्बा मार्ग है, जिसमें तीन किलोमीटर पिच हो चुका है, आठ किलोमीटर खड़ंजा हो चुकी है, बाकी में कोई प्रगति नहीं हुई । मेरा आग्रह है कि इस पर कार्य शुरू किया जाये । जिगनहवा-चेतिया मार्ग के लिये तीन लाख रुपया स्वीकृत हुआ था । एक लाख जनता शासन में खाद्यान्न योजना के तहत लिया गया लेकिन वह सड़क आज भी नहीं बनाई गयी । हर वर्ष आश्वासन मिलता है कि वह सड़क बन रही है । मैंने सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी को पत्र लिखा था कि जब से मैं विधायक हुआ हूं मुझे बता दें कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने किलोमीटर सड़क बनाई गयी । जवाब आया कि आपके विधान सभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़क निर्माणाधीन है । पुनः लिखा कि किस जगह निर्माणाधीन है । मान्यवर, इसका जवाब अभी तक नहीं आया ।

बजट हर साल पास करते हैं । बजट का पैसा क्या होता है, यह पता नहीं चलता । मेरे जिले में तो बजट दिखाई नहीं देता । न पुल बनते हैं, न मकान बनते हैं, न ही किसी सड़क की मरम्मत होती है और न ही कोई निर्माणाधीन है । सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट कहां जाता है पता नहीं । मैंने मन्त्री जी का कार्यक्रम लेना चाहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चले चलें जिससे उनका ध्यान सड़कों की तरफ आकर्षित कर सकूं लेकिन वह नहीं जा सके और क्षेत्र की स्थिति वहीं की वहीं बनी रही । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया साथ ही मंत्री जी के बजट को समर्थन देता हूं । यह एक क्रान्तिकारी बजट है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, एक प्रस्ताव है । महत्वपूर्ण विभाग है, समय कम है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय । जिससे समस्याओं पर राय सभी विधायक व्यक्त कर सकें ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, इसमें समय बढ़ा दिया जाय ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक प्रस्ताव आ गया है वह विचाराधीन है । माननीय नन्दराम जी को बोलने की आज्ञा दे दिया है । (श्री हरदेव के खड़े होने पर) आप बैठें, आपको बोलने का आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री हरदेव--

यह लिस्ट नहीं बनेगी । हम लोगों के नाम काट दिये जाते हैं । लिस्ट नहीं बनेगी, इसका मैं विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

कैसे लिस्ट नहीं बनेगी ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

उनको बोलने दीजिये । उनका समय जा रहा है ।

*श्री नन्दर म--

मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं किया गया । इन पन्द्रह पन्नों में मान्यवर, पढ़कर देखें । बहुत थोड़े से चुने गये हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग में 4 हैं, राज्य सेतु निगम में 7 हैं । अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है । दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र की ओर जहां से चुनकर आया हूं, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जो फरीदपुर (बरेली) से रोड जाती है बीसलपुर को, उससे एक शाखा निकलती है ओर कन्याचंकला को । वहां पर एक नाला है, उस नाले में कई बार 4-4 हजार के बैल डूब गये हैं लेकिन अभी तक उस पुलिया को नहीं बनाया गया है । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस पुलिया को बना दिया जाय । टिकरे कला रामपुर यह पिछड़ा क्षेत्र है यह पिछड़ा क्षेत्र तीन-तीन हजार गांव वाला है । इसमें 50 परसेन्ट हरिजन जाति के लोग रहते हैं, यहां पर कोई रास्ता नहीं है । मान्यवर, जब पिछड़ा जाति का आरक्षण दिया जाता है तो पिछड़े क्षेत्र को क्यों नहीं दिया जाता है । इस पिछड़े क्षेत्र में कोई आवागमन का रास्ता नहीं है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि यह रोड बनवाई जाय, जल्दी से पक्की करवाई जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, एक दूसरी रोड है, यह सीतापुर जिले में है । सीतापुर जिले के नजदीक एक सरायन नदी है जिसके ऊपर पुल बनवाया गया है जिसमें काफी दिनों से टैक्स पड़ रहा है, इस टैक्स को समाप्त किया जाय । मान्यवर, एक तीसरी रोड है सीतापुर जिले में वहां पर रोज दुर्घटनायें होती हैं । नेशनल हाई वे पर बाई पास विचाराधीन है, इस बाई पास को बनवाया जाय । अन्त में मैं माननीय श्री बदन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग बैठें । सदन में यह प्रस्ताव आया है कि इस ग्रान्ट का एक घन्टे का समय बढ़ा दिया जाय । माननीय मन्त्री जो आपको कुछ कहना है, उसके बाद ही मैं तय करूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, वैसे तो परम्परा यह रही है कि बजट का समय निश्चित रहता है । कल जो कुछ समय बढ़ा दिया गया वह असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया गया था । लेकिन माननीय सदस्यों को इसमें रुचि है और हर एक बजट में माननीय सदस्य को रुचि रहेगी लेकिन इसमें सिर्फ एक वजह से कि यह मेरा स्वयं का बजट है और कहेंगे कि इसमें समय नहीं बढ़ा रहे हैं, इसे आधे घन्टे के लिए बढ़ा दिया जाय लेकिन आगे मान्यवर, इस दृष्टान्त को न बनाया जाय । वोटिंग जिस समय होनी चाहिये उसी समय होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें चर्चा का समय आधे घन्टे और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय एकीकरण के बजट के समर्थन में दो शब्द कहने के लिये आपने जो अवसर मुझे दिया है, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । हमारे माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री जी ने यह बजट बहुत ही सूझबूझ और इस दृष्टिकोण से रखा है कि सारे अंचलों की सड़कों का लाभ मिल सके और सड़कों की जो उपादेयता है, उसे हम पूरा कर सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज कुमार राय--]

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह विभाग बहुत पुराना है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो एजेन्सियां हमारे प्रदेश में काम कर रही हैं, उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग और इसके ब्रिज कारपोरेशन तथा राजकीय निर्माण निगम निश्चित रूप से अन्य एजेन्सियों से एक कदम आगे हैं। हमारे प्रदेश का सु-नाम हो रहा है। दूसरे प्रदेशों में तथा दूसरे देशों में जब हम उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन का नाम सुनते हैं, तो सर ऊंचा उठ जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव माननीय मन्त्री जी को दूंगा जिन पर वह अमल करने की व्यवस्था करेंगे। 1977 से 1979 तक प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें बनी थीं, आज वे सड़कें कट-पिट रही हैं बह रही हैं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने सदन में बताया कि उनकी योजना है कि एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्दर सड़कों को बनवायेंगे। मैंने एक साल पहले एक पत्र मुख्य मन्त्री जी को लिखा था कि प्रदेश के अन्दर जितने भी निर्माण कार्य होने हों, उसका एक एजेन्सी बनायी जाय। 20 एजेन्सियों से काम कराने का मतलब होता है कि कोई एक एजेन्सी उसकी जिम्मेदार नहीं होती है। खाद्यान्न योजना में जो सड़कें बनीं, आज उनकी मरम्मत कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, आज कोई पूछने वाला नहीं है। सड़कें कैसे बनी हैं इस बारे में कुछ कहना नहीं है। खाद्यान्न योजना के अन्दर बनी सड़कों के आधार पर एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्दर सड़कों और नहरों को बनाने का बीड़ा उठाया है, यह बहुत ही अच्छा काम किया है। शासन की रुचि इस ओर है कि गरीब आदमी, भूखा आदमी, दो खांचे मिट्टी उठा कर काम करे और भूखों न मरे। आप भी अनुभवहीन नहीं हैं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री भी अनुभवहीन नहीं हैं। एन0 आर0 ई0 पी0 में जितना पैसा खर्च होता है, उसमें सारे मस्टर रोल फर्जी बनते हैं। वाटर्स लिस्ट लेकर मरे हुए लोगों तक के नाम मस्टर रोल में रख लिये जाते हैं। हो सकता है कि आज जो लोग सदन में बैठे हैं, उनका नाम मस्टर रोल में हो। कहीं धर्म सिंह मिट्टी ढोते नजर आ रहे हों, कहीं राज कुमार राय मिट्टी फेंकते नजर आ रहे हों। एन0 आर0 ई0 पी0 का काम ठेकेदारों में होता है। जो चीज सरासर झूठ हो, प्रैक्टीकेबिल न हो, केवल कागजों पर चल रही हो, उसको देख कर भी सारा सदन चुप रहे, इसका मैं कोई मतलब नहीं समझता। सदन के अन्दर एक प्रस्ताव होना चाहिए, पैसा चाहे और ज्यादा दिया जाय, उस पैसे से गरीब आदमी को तो 1 रु0 मजदूरी ज्यादा मिल नहीं जायगी और न उनके काम का बोझा ही हल्का हो जायगा क्योंकि उस मजदूर के नाम से तो बिल बनता नहीं है, बिल बनता है असिस्टेन्ट इन्जीनियर के नाम से। वही पैसा ठेकेदार को देता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए पूरे सदन को एक राय होकर विचार करना चाहिये।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं सार्वजनिक निर्माण विभाग का सैकड़ों सालों का इतिहास है, प्रदेश के अन्दर जितना निर्माण कार्य हुआ है, उसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बहुत कार्य किया है। लेकिन अगर इसके खन्ड कर दें, तो ठीक रहेगा। क्योंकि कहीं सिंचाई विभाग काम कर रहा है, कहीं भूमि संरक्षण विभाग काम कर रहा है। किसी जगह से किसी को समझना मुश्किल है और जितना घटिया काम होता है, दूसरे विभाग वाले कराते हैं और कोई लेखा जोखा नहीं हो पाता है। इसलिये निवेदन करूंगा कि सारे निर्माण के कार्यों की

एक एजेन्सी बनाने की कृपा करें, विचार करें और पूरे सदन की सहमति लेकर उसको पारित करने की व्यवस्था करें।

(इस समय 4 बज कर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

दूसरे मान्यवर, मैं कुछ सुझाव मात्र रखना चाहता हूं कि आप इस कार्य का एक निश्चित फार्मूला तैयार करा लें कि जिन स्थानों पर सड़कें या किसी भी प्रकार के मार्ग बनाने जाये उससे पहले यह देख लें कि यह स्थान कहीं तराई का, सीलन का तो नहीं है, यदि है तो यह निश्चित कर लें यह स्थान जब बनाया तो इसमें बालू अवश्य डाल दी जाय, इसमें किस इंजीनियर की राय फिर शामिल न की जाय कि यह फलां मजबूत का है, इस लिए ऐसा-ऐसा कर दिया जाय, यह नहीं होना चाहिए। दूसरा सुझाव के रूप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई काम किसी इंजीनियर को सुपुर्द किया जाय तो प्रारम्भ से आखिर तक जिस तरह समयबद्ध योजना होती है कि फलां वक्त पर फलां काम हो जायगा, तो आप उस वक्त में और उतने पैसे में करने में बाध्य होते हैं, इसी प्रकार एक इंजीनियर की जिम्मेदारी पर वह कार्य कराया जाय जिससे जब कोई बात आए तो यह आसानी से मालूम हो सके फलां इंजीनियर ने यह काम कराया है, वरना अधिकारी रिटायर हो जाते हैं और यह पता नहीं होता है कि किस अधिकारी द्वारा कार्य कराया गया है। और जहां तक जिला सेक्टर के अन्तर्गत सड़कें बनाने की बातें हैं, अब हमें आवश्यक से आवश्यक सड़कें बनाने की आवश्यकता होती है और उनकी मांगों को लेकर आते हैं तो वह कह दिया जाता है कि जिला सेक्टर को जाएं, वहां से सम्पर्क करें, उन्हें इसके अधिकार दिये गये हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या जिला योजना की मीटिंग्स होनी चाहिये वर्ष में, वह अपने निश्चित समय या बाद में होती हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की या नहीं, अगर नहीं हो पाती है तो जिला योजना हमें हम अपनी बात कैसे रखें? इसलिये इस ओर कम्पलशन होना चाहिए कि वहां पर मीटिंग्स हों और जो सड़कें पहले ली जा चुकी हैं, उन्हें पहले सीनियारिटी के आधार पर ली जाय केवल प्रायरिटी की सड़कों को छोड़ कर या किसी विशेष स्थान पर विशेष स्वीकृति की बात हो, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे यहां चकौत क्षेत्र के लिए एक रोड की बात पहले भी कह चुका हूं, उसमें खड़ंजा आदि तो लगा दिया गया है, बाकी आगे की कार्यवाही उसमें होनी है, मान्यवर, उसे भी करवा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय हो गया है, कृपया दूसरों को मौका दीजिये, समय बहुत कम है और बोलने वाले ज्यादा हैं। एक मिनट में आप केवल अपनी बात को कह लें।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एकीकरण का बजट बहुत ही अच्छे संदर्भ के साथ और उदाहरणों के साथ एक अच्छा सामंजस स्थापित किय हैं कि उर्दू हमारे प्रदेश की दूसरी भाषा होनी चाहिए। इसको माननीय मंत्री जी एवं चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों, ज्यादातर इस बात को स्वीकार किये हैं और मान्यवर, मैंने तो एक तारांकित प्रश्न भी इस आशय का किया था कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा घोषित कर दी गई है, यदि हां, तो क्य जूनियर हाई स्कूलों, हायर सेकेन्ड्री स्कूलों तथा अन्य पाठशालाओं में क्या उर्दू पढ़ाये जाने की व्यवस्था कर दी गई है तो उत्तर आया कि 'जी नहीं, ।

(शोर)

श्री अम्मार रिजवी--

आपका प्रश्न माननीय सदस्य यह था कि क्या उर्दू को दूसरी राज्यभाषा घोषित कर दिया गया है, तो उसका उत्तर दिया गया था 'जी नहीं, यदि आप यह पूछते कि क्या उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी भाषा घोषित किया गया है या नहीं, तो उसका जवाब दिया जाता है 'हां' में ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरा ख्याल है कि समय सीमित है इसलिये गौरी शंकर भैय्या, आप संक्षेप में ही बोलें ।

श्री गौरी शंकर मैय्या--

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं भूमिका बांधने में न पड़ कर सीधे बलिया जिले पर आना चाहता हूं । हमारे जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास 6 महीने मे काम करने के लिये एक नया पैसा नहीं है, कोई कैश क्रेडिट नहीं है । पिछले साल यहां पर जब 1981-82 का बजट इन्होंने जो पेश कराया था उसमें हम लोगों का कटौती के प्रस्ताव का एक रुपया भी इन्होंने ले लिया था लेकिन जब काम करने की बात आई तो हमारे जनपद में 6 महीने से पी0 डब्लू0 डी0 के पास कोई कैश क्रेडिट नहीं है काम करने के लिए पैसा नहीं है । माननीय मन्त्री जी यह आपके विभाग की ही बात है ।

अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 में काम करने पर 25 परसेन्ट कमीशन चला जाता है । यहां के जो जूनियर इंजीनियर हैं, अधिशासी और अधीक्षण अभियन्ता हैं और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनके पास यह पैसा चला जाता है, बाकी पैसे को ठेकेदार लूटता है । कोई काम ठीक से नहीं होता है । जैसा कि अभी माननीय राजकुमार राय जो कह रहे थे कि यहां तक होता है कि सारा का सारा काम कागजों पर ही दिखा दिया जाता है और पैसा का भुगतान कर दिया जाता है और मौके पर कोई काम ही नहीं होता है । यदि माननीय मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं इसकी सूची दे सकता हूं उनको जहां पर सिर्फ कागजों पर ही सड़कें बनाई गई हैं, धरती पर नहीं बनी हैं ।

माननीय भोला पाण्डेय जो बैठे हैं, वो भी हमारी मदद करेंगे कि हमारे जिले में घाघरा नदी है, तो उसके लिये बिहार सरकार और भारत सरकार मिल कर एक बड़ा पुल बनाने वाली थी जिसका नाम जय प्रकाश पुल रखा जाना था लेकिन वह आपको पसन्द नहीं आया शायद आप उसका नाम संजय गांधी या इन्दिरा गांधी पर रखना चाहते थे लेकिन उस पुल की हालत यह है कि उस पर एक ईंट भी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नहीं रखी गई है ।

इसी तरह से बलिया में कनहर नाला है वह 6 महीने दक्षिण से उत्तर और 6 महीने उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है उसकी दोहरी धारा है, उसकी धारा बदल जाती है उसके लिये पुल की व्यवस्था होनी चाहिये । उस पर दो पुल होने चाहिये । एक बलिया से लखनऊ रोड जो आती है और एक बलिया से सिकन्दरपुर आता है, इन दो मार्गों का निर्माण होना चाहिये क्योंकि यह दोनों पुल जर्जर हो गये हैं और वहां पर लकड़ी डाल दी गई है । वहां पर तीन वर्ष से काम कराये जाने की कोशिश की जा रही है, इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं ।

कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक हैं, श्री राम नगीना सिंह जी जो मन्त्री हुए थे उन्होंने एक योजना सड़क के लिये बनाई थी । एक गंगा घाट-कथरिया मार्ग जो कि दोनों ओर को सड़क को मिलाता है तो वहांपर सड़क के बनने के नाम पर मिट्टी डाल दी गई है एक किलो मीटर तक या एक फर्लांग तक जबकि 500 फर्लांग तक उसका निर्माण किया जाना चाहिये, तो इसे कृपा करके मन्त्री जो आप पक्का करवा दें ।

एक गड़वार से रतसड़ मार्ग है, उस पर कमर से ऊपर तक की मिट्टी डाल करके उसे ऊंचा किया गया है । वहां घुटने भर मिट्टी के पड़ जाने से मार्ग मिट्टी के दबने से ऊंचा नीचा हो गया है जिससे कि यातायात में बड़ी असुविधा होती है वह यातायात के काबिल नहीं रह गया है । तो मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो आपने मिट्टी डलवायी है तो उसे कुटवा भी दें तो कम से कम मार्ग यातायात के काबिल तो हो जाय और साथ ही उसकी सोलिंग करवा दें ।

साथ ही जो मार्ग गड़वार--बलिया को मिलाता है उसमें भी मिट्टी ही पड़ी हुई ह उसे कृपा करके पिच करवा दें । उसको चार वर्षों से कुटाई नहीं हुई है इसलिये वह सड़क भी चलने के काबिल नहीं रह गई है ।

बैना--कर्नई मार्ग तथा नरही-दोलतपुर मार्ग अधूरे पड़े हैं । इसी प्रकार जमीन पर काम हो गया है, उस पर मिट्टी पड़ गई है, परन्तु अभी तक वह पिच नहीं की गई है । उस सड़क पर जो पुलिया पड़ती है उनको भी नहीं बनाया गया है ।

मान्यवर, सोहांव ब्लाक में भरोली से नसीरपुर तक सड़क बननी है, उसके लिए जमीन एक्वायर कर ली गई है और इस ब्लाक को 30 लाख रुपया भी इस

[श्री गौरी शंकर भैय्या---]

सड़क के लिये दे दिया गया है । परन्तु उस पर अभी तक कार्य नहीं प्रारम्भ किया गया है । चांद नाला पर जो पुलिया बनी है वह गंगा के बाढ़ से टूट जाती है, अतः पुलिया के स्थान पर एक बड़े पुल की आवश्यकता है ।

श्री भोला पाण्डेय---

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

गंगा की बाढ़ जब आती है तो उसको तोड़ देती है । तीन महीने की बाढ़ में ही वह टूट जाता है । पिछली बार भी मैंने कहा था ...

श्री भोला पाण्डेय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इनके सदर थे जनता पार्टी के चन्द्र शेखर ...

श्री अधिष्ठाता--

स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है ।

श्री भोला पाण्डेय--

मैं जानकारी देना चाहता हूं । वह जनता पार्टी के समय में स्वीकृत नहीं किया गया था और चन्द्र शेखर ने जनता को गुमराह करने के लिये यह कहा था ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन्, पन्तपत जो नेशनल हाईवे है वह खटीमा तक नहीं बन ई गई है । खटीमा से सितारगंज तक बनना बाकी है, लेकिन हमारे प्रदेश के अधिकारी कान में उंगली डाले बैठे हुये हैं । उसका टेन्डर हो गया है । उस पर आये दिन एक्सीडेन्ट हो रहे हैं, अभी तक यह नहीं बना है । ओखला कांडा से खन्स्यू तक फारेस्ट रोड है । कुछ समय पूर्व भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह वहां पर गये थे और उन्होंने कहा था कि इसको फारेस्ट से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा, परन्तु अभी तक नहीं किया गया है । एक पी० एच० सी० पहाड़पानी में है, इसकी बिल्डिंग अभी उसको हस्तान्तरित नहीं की गई है और उस में दरार पड़ गई है । पता नहीं हमारे प्रदेश के अभियन्ता क्या करते हैं । हमारे यहां पर एक अधिशासी अभियन्ता बागेश्वर से आया है, वह न कहीं जाता है और न कहीं आता है, जिससे कोई कार्य हो नहीं पा रहा है । नानकमता में एक पी० एच० सी० बननी है और वहां पर एक टूरिस्ट होम बनना है । दुलीगढ़ से टनकपुर तक की रोड बननी बहुत ही आवश्यक है । पुण्यागिरि मंदिर तक यह सड़क जाती है । ढुलीगाढ़ से मन्दिर तक पैदल पटिया बनाने की बड़ी जरूरत है । ओखल कांडा से सूनो बैंड तक रोड है, उसकी पिच होना बहुत आवश्यक है । खन्स्यू से पतकोटे तक मेटल रोड की बड़ी आवश्यकता है ।

संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मन्डल), अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

माननीय मन्त्री जी की तरफ से खटीमा क्षेत्र के लिये बजट दिया गया मान्यवर, वह माननीय नारायण दत्त तिवारी केन्द्रीय उद्योग मन्त्री का क्षेत्र भी है । जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां पर आपने भेजा है, उसे आपने क्या घर पर बैठने के लिए भेजा है ? हमारे क्षेत्र में तपेड़ा से नानकमत्ता एक किलोमीटर रोड है जो पिछले साल से स्वीकृत है लेकिन अभी तक उसमें काम शुरू नही हुआ है । मान्यवर, इस तरफ आप ध्यान दें । एक बात और कहना चाहता हूं कि पुण्यागिरी से जो रोड जाती है उसमें अक्सर दुर्घटनायें होती हैं । उसका निर्माण भी अभी तक नहीं हुआ है । खटीमा में पी0 एच0 सी0 के लिये अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है । मान्यवर, अन्त में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि 31 मार्च के दिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर इतने चेक कटते हैं जितने कि पूरे साल भर में नहीं काटे जाते हैं । क्यों काटे जाते हैं इसके बारे में माननीय मन्त्री जी भी जानते हैं और सभी जानते हैं । इस पर मन्त्री जी को रोक लगानी चाहिये । इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले वर्ष का महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण मैंने पढ़ा था और उसमें लिखा था कि हमारे प्रदेश के इंजीनियर्स ने विदेशों में कीर्तिमान स्थापित किया है और बहुत बढ़िया पुल उन्होंने वहां बनाये हैं । इससे सारी दुनिया में हमारा नाम हुआ है । मान्यवर, एशियाड में भी इस समय इस विभाग द्वारा बड़े-बड़े पुल बनाये गये और हमारे इंजीनियर्स का नाम हुआ । लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब हमारे पास इतने कुशल, योग्य और प्राविधिक रूप से दक्ष तथा काबिल लोग हैं तो क्या कारण है कि माननीय बदन सिंह जी को कटौती का प्रस्ताव लाना पड़ा और क्या कारण है कि सत्ता पक्ष के लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं । मुझे यह निवेदन करना है कि जहां पर हमारे इन्जीनियर्स इतने योग्य काबिल और कुशल हैं वहां पर वे उतने ही नम्बर एक के चोर भी हैं । कोई अपवाद स्वरूप ही ऐसा इंजीनियर हो जो कि रिश्वत न लेता हो, बाकी पूरे विभाग के लोग रिश्वत लेते हैं ।

मान्यवर, और विभाग तो ऐसे हैं जिनमें टेम्परेरी रिश्वत ली जाती है लेकिन इस विभाग में तो 25 से लेकर 30 प्रतिशत तक रिश्वत खुले आम ली जाती है ? झूठी एम0 बी0 बनाई जाती हैं, सैकड़ों गड़बड़ियां की जाती हैं जिसका अन्जाम यह होता है कि जो हमारे मंत्री जी हैं कैबिनेट के हैं और दूसरे जो राज्य मंत्री हैं वे बड़े कुशल और प्रभावी व्यक्ति हैं किन्तु फिर भी वे अपने विभाग के ऊपर वैसा असर नहीं डाल पाये हैं । मैं आपके माध्यम से एक बात मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारे जिले में एक छोटी सी पुलिया बननी थी और हमारे शिवराज सिंह जी मंडलीय मंत्री नियुक्त किये गये, हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्यपाल सिंह---]

जिले को वह पुलिया तक नहीं बन पायी । हमारा जिला शहीदों का जिला है । वहां पर राम प्रसाद बिस्मिल और चन्द्र शेखर सरीखे शहीद पैदा हुये हैं तब भी वहां के लिये यहां के हर मंत्री का दृष्टिकोण बहुत संकुचित है, किसी का ध्यान उन शहीदों की सरजमीं पर नहीं जाता है । माननीय मंत्री ने उस क्षेत्र पर विचार करना छोड़ दिया है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मंत्री जी उस ओर भी ध्यान दें । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री कमला प्रसाद सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शम्भूनाथ---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि किसी विधायक को बोलने का अवसर न मिला हो तो उसके लिये क्या व्यवस्था है ? अधिष्ठाता महोदय, आप तो मुझे बड़ा प्यार देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । हर माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिलेगा । कृपा करके आप बैठें । मैंने उनका नाम ले लिया है ।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ---

मुझे भी दो मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता---

मौका मिलेगा ।

*श्री कमला प्रसाद सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूं । मान्यवर, जनता शासनकाल में मेरे क्षेत्र में एक विद्यालय बनाया गया, उस समय 1977 में मैं भी विधान सभा में चुन कर आया था । आप ताज्जुब करेंगे वह विद्यालय जो बना है उसमें बांस की टहनियां लगा कर स्लेब डाला गया है जहां पर लोहे की सरिया लगनी चाहिये थी और उसकी हालत आज यह है कि वह धाराशायी हो रहा है । मेरी क्षेत्रीय जनता ने जब शिकायत की तो मैं उस विद्यालय को देखने के लिए गया । जब मैंने उसकी हालत को देखा तो मैंने कह दिया कि इसमें बच्चों की पढ़ाई मत करिये क्योंकि उसमें खतरा है । मैं निवेदन करूंगा कि उसकी जांच कराई जाय और जिस इंजीनियर ने उसे बनाया है, वह चाहे कहीं हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय तथा उस विद्यालय की नयी बिल्डिंग बनाई जाय । यह मेरे यहां धर्मसारी गांव का प्राइमरी विद्यालय है जिसमें बांस की टहनियां लगी हैं । आज भी वह टहनियां आपको देखने को मिलेंगी तो इस तरह से किसी अधिकारी ने जनता के पैसों और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है ।

हमारे नगर क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें मिर्जापुर शाहगंज होते हुए लखनऊ तक आती हैं ।

(लालबत्ती होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मेरा बहुत समय बरबाद हुआ मैं अपनी बात जरूर कहूंगा मैं अभी तक नहीं बोला हूं इसलिए दो मिनट मुझे जरूर समय दें। हमारे नगर क्षेत्र में नगरपालिका के अतर्गत जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, उस पर कभी कोई काम नहीं होता है। वह सड़क तो बरबाद हो चुकी है उस सड़क पर चला फिरा तक नहीं जाता है, बाकी सवारियों का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से उस सड़क का उद्धार होना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं हमारे निर्वाचन क्षेत्र में छबीलेपुर से छुन्छा घाट तक एक सड़क है जिसमें मिट्टी का काम हो चुका है, सड़क पूरी कर ली गयी है। उसमें एक नाला है जिस पर ब्रिज बनना है उसका सर्वे हो चुका है। उस पुल के न बनने से वहां का आवागमन अवरुद्ध है इसलिए उस पुल को भी बना दिया जाय।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिला परिषद् से कई बार इस तरह के प्रस्ताव पास होकर आये हैं कि सिद्दीकपुर से जमवाई तक 11 कि0 मी0 की एक सड़क है उसमें बीच में एक डिग्री कालेज है, उस सड़क की हालत बड़ी दयनीय है और मैंने भी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि उस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग ले ले। अगर वह सड़क बन जाती है तो उस क्षेत्र का भला हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि सिद्दीकपुर से जमवाई तक जिसमें एक डिग्री कालेज आता है, जो केवल 11 कि0 मी0 की सड़क है जिसके लिए जिला परिषद् का प्रस्ताव भी आया है, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ले लें और उसे बना दिया जाय। मान्यवर, बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो भीषण बाढ़ आने के कारण बह गयीं जिसको मंत्री जी और सभी लोग जानते हैं कि सबसे भीषण बाढ़ जौनपुर में आयी जिससे सारी सड़कें समाप्त हो गयीं। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को विशेष अनुदान देकर उनको बनवायें। इसी के साथ हमारे यहां बरैया से आदमपुर तक 4 किलोमीटर सड़क जो पहले स्वीकृत हो चुकी थी, उस पर आज तक काम नहीं हुआ इसलिये इसको बनवाने की ओर शीघ्र मंत्री जी ध्यान दें। इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, समय को ध्यान में रखते हुये मैं केवल तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में स्वाभिमान पैदा करने के लिये मेधावी और बुद्धिमान लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वह प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सफल हो सकें, इसके लिये मंत्री जी हर जिले में अनुसूचित जाति और जनजातियों के मेधावी छात्रों को चुने और उनको हर नौकरी के लिये प्रशिक्षित करें जिससे वह प्रतियोगी परीक्षा में आ सकें और आपकी संदिच्छा प्रकट हो गयी मात्र यह कहना कि सूटेबिल कैन्डीडेट नहीं है यह कोई संदिच्छा की बात नहीं है।

मान्यवर, 1976 में एक आयोग गठित कर दिया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का लेकिन अभी तक उसकी एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

जिससे आयोग के सुझावों से यह सदन वंचित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आयोग की जितनी अभी तक रिपोर्ट हैं, उनको प्रकाशित किया जाय और प्रतिवर्ष प्रकाशित करें ताकि उसके सुझावों को सदन जान सके।

मान्यवर, दूसरी बात आपके ठेकेदारी सिस्टम से भ्रष्टाचार मिटना असंभव है। इसीलिये कटौती के प्रस्ताव में हमने आपसे कहा है कि हर चीज का मानकीकरण कर दें। मानकीकरण करके एक अच्छा मकान बनायें जिसको सभी देखें और स्टैन्डर्ड सामान उसमें लगे जिसका अलग-अलग हिसाब रखें। आपके इंजीनियर उसको बनायें और बाद में बने मानकीकरण का मकान पहले बने मकान से खराब या कम मजबूत बने तो इंजीनियर की नौकरी समाप्त कर दें अन्यथा ठीक है। मानकीकरण सड़कों पर भी लागू करें। इसमें टेंडर लेने की जरूरत नहीं है। जब जब मैटेरियल के दाम बढ़ेंगे तब-तब आप भी दाम मकानों या सड़कों के ज्यादा कर देंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मानकीकरण की बात को स्वीकार करें और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें।

मान्यवर, तीसरी बात जो सड़कें कम बनती हैं उसके संबंध में माननीय सदन के समक्ष एक आंकड़ा रखना चाहता हूं कि सरकार कितनी ज्यादती कर रही है और कहती है कि विकास की योजना के लिये पैसा नहीं है। मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में, रिपोर्ट में लिखा है कि जितना रोड टैक्स से पैसा आयेगा उसका 40 प्रतिशत सड़कों के विकास पर खर्च करेंगे और 60 प्रतिशत मुनाफे में डाला जायेगा। यह विचित्र बात है। इसलिये रोड टैक्स का पैसा सड़क पर आपको लगाना चाहिये जिससे नई-नई सड़कें बन सकती हैं। सड़कों के बारे में मेरा कहना है कि सारे प्रदेश को खोल दें यानी पुल बना दें जो कच्ची सड़कें बनें उनको आप मुख्य मार्गों और पुलों से जोड़ दीजिए इससे सारे प्रदेश में जाया जा सकेगा यदि आपने इन बढ़िया बातों को ठुकराया तो मैं अब आपको यही कहूंगा,

'हर बात को ठुकराते हैं, इन्कार से अपने
ये क्या करें मजबूर है किरदार से अपने।'

(व्यवधान)

(श्री राम भजन लाल का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

मैं भी बोलूंगा, हमारा हक है, हमें नहीं बोलने देंगे तो एक परम्परा टूट जाएगी

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

और मेरा अधिकार है कि मैं कहूं और आप विराजें।

(व्यवधान)

श्री रामभजन लाल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

मैं भी बोलना चाहता हूं, मुझे मौका दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

हरदेव जी आप बैठें, यह बड़ी गलत बात है कि आपके दल के एक सदस्य बोल रहे हैं और आप उसके बीच में खड़े हों ।

श्री रामभजन लाल--

रिजवी साहब ने जो बजट पेश किया है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और उनकी सराहना करता हूं ।

बसौगन्ध गुफ्तन कि जर मगरबीस्त,

चेहाजत मुहोकखुद बिगोयद किचोस्त,

श्री अधिष्ठाता--

आपने जो फारसी की शेर पढ़ा है, उसका आप तर्जुमा भी कर दीजिए ।

श्री रामभजन लाल--

ठीक है, यह सोना पश्चिम देशों का है, इसको कसम खाकर कहने की कोई जरूरत नहीं है । वह खुद ही बताएगा, जब उसे कसौटी पर कसा जाएगा तो वह खुद ही बताएगा कि वह कैसा है, खरा है या खोटा । हमारे देश और प्रदेश के अन्दर सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है और जो इस पर कार्य हुआ है, वह कागज-फख है । मैं मंत्री जी को इस बात के लिए दाद देता हूं और सराहना करता हूं । उनका भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण था । उनके भाषण में जहां सब चीज का वर्णन था, यह मैं देख रहा था कि कहीं उनकी जबान लगती है या नहीं । मैंने देखा कि कहीं पर भी उनकी जबान नहीं लगी और न वह कहीं जरा भी झिझके। यह ऐसी चीज है जिससे 80 प्रतिशत जो हमारे देहातों के रहने वाले लोग हैं, वह लाभान्वित होंगे । आज चाहे जितना अच्छा से अच्छा कार्य किया जाए, सड़कें न होने के कारण सारा कार्य बेकार हो जाता है । सभी चीजें बिजली, ट्यूबवेल, शिक्षा आदि भी जरूरी हैं, लेकिन सड़क ऐसी चीज है, जहां कहीं आप उसे पहुंचा देंगे वहां पर तरक्की का दरवाजा खुल जायगा तरक्की का दरवाजा खोलने के लिए यह सबसे पहली और आवश्यक चीज है । लेकिन हमारे विरोधी दल के लोग हमारी सारी चीजों पर मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं । इसके लिए मैं उनसे कहता हूं कि यह जो उनका रवैया है, वह मुझे कोई ज्यादा पसन्द नहीं आता है । मैंने पन्त जी से लेकर अब तक सारे चीफ मिनिस्टर्स को देखा है और उनके समय में एम0 एल0 ए0 रहा हूं । आज कल

[श्री राम भजन लाल---]

यहां जो होहल्ला मचा हुआ है वह असेम्बली की कोई चीज नहीं है, और न ऐसा कभी पहले देखा है ।

जुजांबस नदानम निमोख्वाहकन,

कि रोशन कुनद बरमन आहुयमन,

अर्थात्, मैं उस शख्स को भी नेकख्वाह समझता हूं जो मेरी बुराइयों को भी मेरे ऊपर रोशन करे । मैं चाहता हूं कि जो चीज हो, जो आलोचना हो, वह रचनात्मक हो ।

हमारा जिला खीरी बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन बहुत लम्बा चौड़ा है, उसका रकबा बहुत है, लेकिन वहां पर सड़कों की बहुत कमी है । वहां पर कोई सड़क नहीं बनी है, जिस पर फख्र कर सकें और जनता को इस बात के लिए रजामन्द कर सकें कि हमारे यहां भी रिजवी साहब ने कुछ किया है । उन्होंने बंशीधर साहब के क्षेत्र में तो एक पुल का शिलान्यास किया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में उन्होंने यह भी नहीं किया । यहां पर बरबर-औरंगाबाद रोड पर गोमती नदी पर पैंटून का एक ब्रिज बना दिया जाए, ताकि हमारे जिले की तहसील मोहम्मदी के दो परगने--कस्ता और औरंगाबाद के लोगों के लिये मौहम्मदी पहुंचना आसान हो सके ।

श्री अध्यिष्ठाता--

माननीय राम भजन लाल जी, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राम भजन लाल--

मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं । मैं लिख कर भी श्री अम्मार साहब को दे चुका हूं । मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । आपसे यह भी प्रार्थना है कि आप हम लोगों को मौका देते रहें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, वह तो इस प्रदेश में व्याप्त है । सरकार यह निर्देश करे कि वर्ग-1 और वर्ग-2 में जो भी सरकारी नौकरियां आती हैं, उन सब में अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जो लोग हैं, उनको नौकरी में लाय, अन्यथा ऐसे लोगों को नौकरी न दें । दूसरी बात यह मैं कहना चाहूंगा कि जो भी पुल बनाये जा रहे हैं, अगर कोई पुल में गिर जाता है, तो बनाने वाले के खिलाफ 302 का केस और इन्जर्ड होता है, तो 30 का केस और अगर कोई नहीं भी मरता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए । जिन मार्गों पर मिट्टी पड़ी है, उन पर कंकड़, मिट्टी डाल कर, ईंटा लगाकर तारकोल से पेन्टिंग की जाय, नहीं तो जो पैसा उस पर खर्च किया जाता है, वह पैसा पानी में बह जाता है । हरिश्चन्द्रपुर--बिघूना सड़क पर पुल बनाने की आवश्यकता है ।

(श्री बंशीधर राज का नाम पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शम्भूनाथ--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको नहीं बुलाया है । मैंने बंशीधर राज को बुलाया है ।

श्री बंशीधर राज--

मान्यवर, इस प्रदेश में टेक्निशियन्स और इंजीनियर्स निर्माण कार्य जो कर रहे हैं, वास्तव में प्रदेश के अलावा देश और विदेश में भी ख्याति अर्जित कर रहे हैं । इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके विभागीय अधिकारियों को भी बधाई देता हूं । हमारे क्षेत्र म जो मगलगंज-सितौली के बीच में कठना नदी पड़ती है, जिसमें पुल न होने के कारण 4-5 माह मार्ग अवरुद्ध रहता था, इस पुल को स्वीकृत कर, इस पुल का शिलान्यास भी माननीय मंत्री जी ने किया है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं । सड़क और पुल निर्माण के लिए वर्ष 1982-83 की अपेक्षा वर्ष 1983-84 में लगभग 400 लाख अधिक धन की व्यवस्था इस वर्ष की गयी है । इसके लिए भी माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं और 4,186 लाख रु0 जो जिला सेक्टर में दिया गया है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं और यह सुझाव देता हूं कि जिला सेक्टर में सड़कों के कार्यान्वयन और अनुश्रवण हेतु विधायकों की एक कमेटी गठित की जाय जिसमें क्रमानुसार विधायक अध्यक्षता करें और उनको जिले के समस्त कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में अधिकार दिया जाय, ताकि वह देखते रहें कि हमारे जिले में जो पैसा गया है, उसका सही उपयोग हो रहा या नहीं ।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का राज्य में जो नियुक्तियां की गयी हैं, वह समूह (क) में केवल 4·80 प्रतिशत है और समूह (ख) में 4·85 प्रतिशत हैं । इस तरह से निगमों में बहुत ही कम नियुक्तियां हुई हैं, जो नहीं के बराबर हैं ।

मान्यवर, मैं राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । अगर आप देखें तो आज भी हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं राजकीय नियुक्तियों में हैं उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ है । वर्ग क तथा ख को देखें । 4·80 परसेंट ही इनकी नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व हुआ है जबकि इनका अनुपात 18 परसेंट होना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि पूर्व के मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था दी थी कि जब तक हरिजनों का अनुपात पूरा नहीं होता है तब तक 18 परसेंट को पूरा करने के लिए 25-30 परसेंट वर्ग क और ख में नियु-

[श्री बंशीधर राज—]

क्तियां होती रहेंगी । इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि इनका अनुपात जब तक 18 परसेंट न हो जाय तब तक 30 परसेंट के बजाय 50 परसेंट कर दिया जाय ताकि इनका कोटा पूरा हो जाय । यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि इनका कोट अब तक पूरा नहीं हुआ है तो आगे भी पूरा नहीं हो सकता है । माननीय मंत्री जी बहुत जागरूक हैं और सराहनीय कार्य करते हैं, गरीबों तथा छोटे लोगों के दुख दर्द को देखते हैं इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है । मैं कहूंगा कि 50 परसेंट इनका कोटा नियुक्तियों में कर दिया जाय ताकि इनका 18 परसेंट कोटा पूरा हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं । मान्यवर, शासन की नीति के अनुसार 1 हजार से लेकर 15 सौ आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की नीति है । मान्यवर, औरंगाबाद से ककरहा मार्ग जाता है जिस पर 4 हजार से ऊपर आबादी वाले गांव हैं लेकिन वह सड़कों से क्या मुख्य मार्ग से जुड़े नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप स्थान ग्रहण करें ।

(श्री बदन सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री बंशीधर राज—

उनको मुख्य मार्ग बनाकर सड़कों से जोड़ने की कृपा करें । इसके अलावा औरंगाबाद बरवर मार्ग जाता है उस पर गोमती नदी पड़ती है उसमें टम्पोरेरी ब्रिज बना दिया जाय तो यातायात चालू हो जायगा । औरंगाबाद-बरवर मार्ग, महम्मदी-पुवायां मार्ग पर पट करवाने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे यहां करुना नदी पर पुल का शिलान्यास किया । मैं पुनः उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और स्वागत करता हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, बहुत से लोग इस पर अपने सुझाव देना चाहते हैं । तो समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मैं सदन त्याग करता हूं । मैं समझता हूं आपके उस चेयर पर रहते हुए हम लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती । मुझे बड़ा खेद है, इस खेद के साथ मैं सदन त्याग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी अनुमति के बगैर बोलेंगे तो लिखा नहीं जायगा । आप सदन त्याग कर सकते हैं ।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री बदन सिंह—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन बजट पर इस तरफ और उस तरफ से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मान्यवर, प्रदेश के विकास के लिए सड़कें महत्वपूर्ण हैं लेकिन उन सड़कों के बनाने में कोर्ट से स्टे लेने के कारण उनका निर्माण कार्य रुक जाता है। इसके लिए विभाग के अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। जब कोई किसान एतराज करता है तो अधिकारियों से मिलने पर उनको संकेत मिल जाता है कि तुम अदालत चले जाओ स्टे ले लो। तो बहुत कुछ कार्य अधिकारियों के इशारे पर स्टे लेने का होता है। विभाग की तरफ से उस स्टे को वैकेट कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो इस विषय में सतर्क होकर अधिकारी कार्यवाही करें और स्टे वैकेट कराये ताकि सड़कों का निर्माण न रुक सके और विकास कार्य हो सके। मान्यवर, जब किसान की जमीन सड़क के लिए ले ली जाती है तो उसको मुआवजा समय पर नहीं मिलता है। तो किसान को उसकी जमीन का मुआवजा शीघ्र दे दिया जाय ताकि यह अपनी जीविका हासिल करने के लिए कोई दूसरा उद्यम कर सकें। मान्यवर, जहां पर चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर चकबन्दी के अन्दर सड़कों के निर्माण के लिए जमीन छोड़ दी जाय। जिससे कि किसी एक ही किसान के ऊपर उस जमीन का भार न पड़े और सब किसानों में वह भार विभाजित हो जाय। इसके साथ ही साथ मान्यवर, जिले की सड़कों की प्रगति देखने के लिए पहले एक प्रगति समीक्षा कमेटी होती थी प्रत्येक जिले में। उस कमेटी के कार्य की वजह से जिले की सड़कों की प्रगति बहुत ज्यादा निर्भर करती थी। उस कमेटी से यह फायदा होता था कि अगर कोई सड़क बनने से अधूरी छूट गई है, तो उसे कमेटी में उठाकर, उसे पहले पूरा कराने का प्रयास किया जाता था। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि जिले में अन्य विभागों की तरह से, जिले में सड़कों की प्रगति समीक्षा देखने के लिए कमेटियों का गठन होना चाहिये। मान्यवर, उससे हमारे प्रदेश की सड़कों के मामले में, सामूहिक रूप से प्रगति होगी।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, सेतु निगम के कार्यकलापों की बहुत प्रशंसा की गई।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बदन सिंह जी आपको केवल 10 मिनट दिये जा रहे हैं।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मुझे मेरे हक का तो समय मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं भी सेतु निगम की प्रशंसा करूंगा। श्रीमन्, जो मेधावी इंजीनियर अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता का विदेशों को, अन्य प्रदेशों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनका हमारे प्रदेश के सेतु निर्माणों में अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। इनको अपने प्रदेश के पुलों को बनाने में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह--]

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

लगनी चाहिए । इसके साथ ही, मान्यवर, इस प्रदेश में ऐसे बहुत से पुल हैं, जिनको बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन उनमें टोल टैक्स वसूला जा रहा है । मैं उदाहरणार्थ बरेली-बदायूं जिले की बात करता हूं। बरेली से बदायूं के बीच मार्ग में राम गंगा पर एक पुल है, जिसको बने हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन उस पर अभी तक टोल टैक्स खत्म नहीं किया गया, जबकि उसके बाद के बने पुलों पर मे टोल टैक्स खतम कर दिया गया है । मैं चाहूंगा कि उस पुल पर से भी टोल टैक्स हटना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बदन सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठें । साढ़े पांच बजे यह चर्चा समाप्त होने के बाद अगली मद लेनी है । अब केवल आठ मिनट रह गये हैं । मंत्री जी को भी बोलना है ।

श्री बदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी ने मुझे अभी 10 मिनट का समय दिया है उसके अनुसार मुझे बोलने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, कुछ बातें मैं अपने क्षेत्र और जनपद के बारे में कहना चाहता हूं । श्रीमन्, जिस प्रकार से लखनऊ में रिंग रोड बन रहा है, उसी प्रकार से आगरा में भी रिंग राड बना दिया जाय । अगर रिंग रोड बन जायेगी, तो आने-जाने के साधन सुगम हो जायेंगे । इसके साथ ही मान्यवर, आगरा जिले की तहसील किरावली में खारी नदी पर चेकों राम घाट पर एक पुल बनवा दिया जाय ।

इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं उन सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया ।

[समय 5 बजकर 22 मिनट]

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस बजट की चर्चा में हिस्सा लिया और माननीय श्री बदन सिंह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये । समय बहुत कम है इसलिए यह संभव नहीं हो पायेगा कि मैं हर माननीय सदस्य को जवाब दे सकूं । लेकिन जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, हर एक चीज को मैंने स्वयं देखा है या मेरे सहयोगी माननीय श्री रणजीत सिंह जूदेव जी ने देखा है, उस पर जो आवश्यक कार्यवाही होगी, वह अवश्य होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जैसा कि माननीय बदन सिंह जी ने कहा कि पंद्रह सौ और एक हजार की आबादी के जो गांव हैं, उनको जोड़ने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, इस वक्त जो पन्द्रह सौ से अधिक की आबादी वाले और एक हजार से अधिक की आबादी वाले गांव हैं—उनकी संख्या 10 हजार 8 सौ 99 है और इनको शत प्रतिशत 1990 तक जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। जो 11 हजार से 15 हजार की आबादी के गांव हैं ये 5 हजार 6 सौ 98 गांव हैं, वे जुड़ जायेंगे। यह मान्यवर, शत प्रतिशत होता लेकिन मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं हमारे साधन सीमित हैं।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कही गई और मैं इससे इंकार नहीं करता कि कोई विभाग भ्रष्टाचार से बिल्कुल अलग है। जो सामाजिक ढांचा है उसमें हम सब हैं। 1981-82 में 412 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। यह खुद इस बात का द्योतक है कि विभाग और शासन पूरी तरह से जागरूक है। उन समस्याओं की तरफ जिनके प्रति माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है। मांझी घाट के बारे में जो माननीय सदस्यों ने बताया, भोला पान्डे जी ने डाक्टर मिश्रा जी ने भी कहा, मांझी पुल अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने स्वीकृत किया और हमें उम्मीद है जल्दी ही उसका काम प्रारम्भ हो जायेगा। बिहार सरकार से बातचीत चल रही है। दो राज्यों का मामला है, कौन सी एजेन्सी बनाये, यह सब तय होना है। इसी तरह से इन्टरस्टेट रोड्स जो हैं उसके अन्दर नेशनल हाई-वे है, शत-प्रतिशत सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिलता है बाकी सड़कें प्रदेश की हैं और उसमें जो सीमित साधन हमारे हैं, उनके हिसाब से मेन्टीनेन्स हो पाता है . . .

(श्री लल्लू सिंह चौहान द्वारा कुछ कहने पर व्यवधान)

इन-लैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बदन सिंह जी ने कहा कि कोई प्राविधान नहीं किया गया। इसमें एक करोड़ स्टेट और सेन्ट्रल का एक करोड़ है। कुल दो करोड़ का प्राविधान किया गया है। सर्वेक्षण किया जायेगा और किस प्रकार से इसको और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जाये ये तमाम सब खर्चे इस मद में आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जो मन्त्री हैं, प्रभावशाली सदस्य हैं या सत्ता दल के हैं, उनको इस बात का अधिकार है और वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर के जिला योजना में अपने यहां के कार्य करा लेते हैं। तो मान्यवर, डी-सेन्ट्रलाइज प्लानिंग जो है, इसकी सारी प्लानिंग जिला स्तर की है और वहीं से बनती है यह नहीं कि राज्य स्तर से सारी प्लानिंग की जाय। इसके पीछे जो फिलासिफी है वह यही थी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेम्बर जैसे इस दल के विधायकगण हैं उसी तरह से उस तरफ के विधायकगण हैं किसी प्रकार के भेद-भाव की बात नहीं है। सारी प्लानिंग जिला स्तर से बनती है और जैसा राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा, इधर के लोगों का उतना ही अधिकार है जितना उधर के लोगों का है। ऐसा कह कर मैं समझता हूं उन्होंने न्याय नहीं किया है।

श्री बदन सिंह---

यह सही है कि जिले की कमेटी में चाहे वह शासन की पार्टी के आदमी हों या विरोधी पक्ष के विधायक हों, रखे गये हैं । जो जिले के अधिकारी हैं, नहीं जानते कि किस प्रकार जिले की योजनायें तैयार की जाये, तो इसके लिए कोई प्राविधान किया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इन्होंने एक व्यावहारिक बात कही है। सुझाव बड़े गम्भीर होते हैं बदन सिंह जी के, अगर कोई अधिकारी नहीं जानता है तो उनको बताया जायेगा । लल्लू सिंह जी ने यह बात कही कि जहां के प्रशासनिक स्वीकृतियां जाने में विलम्ब होता है वहां पर वे नहीं बन पाते हैं । इसके लिए मीटिंग हुई थी जिसमें सारे प्रदेश के जिलाधिकारी और आयुक्त आये थे, उसमें विचार-विमर्श हुआ था कि सारे अधिकारी किस प्रकार से डी-सेन्ट्रलाइज प्लानिंग जो है, वह किस प्रकार जिलों को दी जाय । यह पहला साल था, पहले साल डी-सेन्ट्रल इज प्लानिंग जिले में लागू की गई । जब किसी भी नई योजना को लागू किया जाता है तो कुछ दिक्कतें जरूर होती हैं। पहले ये व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आयीं, उनका समाधान होगा । मान्यवर, 5 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय, यह मेरा प्रस्ताव है । इसी तरह से कुछ पुलों के बारे में बदन सिंह जी ने कहा । एक जमुना पुल है मान्यवर, पुल बन रहे हैं । घाघरा नदी पर पांच करोड़ की लागत से बन रहा है । यह हमारे देश और प्रदेश के बड़े पुलों में से है । जो शिकायतें की गयीं, उनकी जांच कराई गई किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई । मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने शिकायत की है, वे बतायें संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी । हम सहयोग चाहते हैं । अगर कोई गलत बात है तो सहर्ष हम उसका निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए तैयार हैं ।

ऊदल जी ने बड़ा मूल प्रश्न उठाया । जिन शिक्षण संस्थाओं में कुछ पार्टियां अलगाव की बात करती हैं, यह ट्रेनिंग देती हैं, मनुष्य से मनुष्य के बीच दीवार खड़ी करती हैं, उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसके व्यापक परिणाम होंगे। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कुछ बातें कहीं थीं । मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि सैद्धान्तिक रूप से जो माननीय ऊदल जी ने कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं ।

भोखालाल जी ने अपने जिले की समस्यायें सामने रखीं । उन्होंने कहा कि उनके यहां सड़क इस कारण नहीं बन पा रही है कि वह वहां से चुने जाते रहे हैं । मैं कहता हूं कि वह सड़क केवल इस कारण बनेगी कि माननीय भोखा लाल जी वहां से चुने जाते हैं । वहां की जनता ने भोखा लाल जी जैसा जबरदस्त वकील चुना है । तेज सिंह के नाम पर नामकरण करने की बात एक विधायक ने कही । तेज सिंह जी ने 1857 में वाराणसी में क्रान्ति की थी । उनके नाम पर रखने के सुझाव पर विचार किया जायेगा । राजकुमार जी ने शंका व्यक्त की कि उर्दू के साथ अन्याय हो रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उर्दू की शिक्षा के संबध में कोई कमी नहीं है । उर्दू शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है । बराबर उर्दू के उत्थान की ओर ध्यान दिया जा रहा है । हर जबान को चाहे वह उर्दू हो, चाहे तामिल या अन्य कोई जबान फलने-फूलने का मौका मिलेगा । एन० आर० ई० पी० के संबंध में सुझाव आये । भोखा लाल

जी ने 40 और 60 के रेशियों के बारे में कहा। इसमें मुझे भी कठिनाई हो रही है। केन्द्र सरकार ने रखा है। अब इसमें कुछ रिलीफ मिली है, वह यह है कि सारे जिलों की योजनाओं को एक साथ लेकर 40 और 60 प्रतिशत की बात की जाय। इससे बहुत हद तक यह कठिनाई दूर हो जायेगी। एन0 आर0 ई0 पी0 के संबंध में बहुत सी बातें हैं जिनको दूर करने में हम कामयाब होंगे। ठेकेदारों के बारे में बहुत से प्रश्न आये। बहुत सी जगहों पर ठेकेदार इस बात का प्रयास करते हैं कि जोर जबरदस्ती करके किसी तरह टेंडरिंग पर कब्जा कर लें। इसमें बहुत से अधिकारियों को जान से हाथ धोना पड़ा, कई जख्मी हुये। टेंडर के रजिस्ट्रेशन की ओर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यह ठीक प्रकार से हो सके और अधिकारियों का जीवन सुरक्षित हो सके। जो भी सुझाव आये उनको स्वीकार करता हूं चाहे वह टीका टिप्पणी हो क्यों न हों। माननीय बदन सिंह जी ने शुरू में एक बात कही थी कि वह कटौती का प्रस्ताव उस तरह से नहीं लाना चाहते जिस तरह से दूसरे लोग लाते हैं। बदन सिंह जी बड़े ही सुलझे हुये व्यक्ति हैं। मेरा विश्वास है कि वह न्याय करेंगे। अपोजीशन में होते हुये भी वह अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे और अपना कटौती का प्रस्ताव आत्मा की आवाज को सुनते हुये वापस लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री बदन सिंह जी आप वापस लेंगे या नहीं ? हां और न में उत्तर दें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इसलिये वापस नहीं लूंगा कि इसमें भ्रष्टाचार को दूर करने की बात नहीं कही गई है।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

हिन्दी और उर्दू साहित्य के विद्वानों को प्रोत्साहन हेतु पशन देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मन्डल) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मन्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,64,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,95,26,000 रुपये के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चौ अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,70,39,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालयिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण भवन (कार्यालयिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,10,21,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार-साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 समाप्त को होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75---सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,18,87,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहली सूचना श्री रेवती रमण सिंह जी की जो कि इलाहाबाद जनपद में 200 सरकारी नलकूप खराब होने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की झांसी नगर में आग्नेयास्त्र बनाने की फैक्ट्री बरामद होने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना सर्वश्री रियासत हुसैन, अकबर हुसैन तथा श्री सरदार सिंह की हरिद्वार के एक होटल में एक युवती की हत्या के सम्बन्ध में है।

मैंने इनको देखा है और पहली सूचना, जो श्री रेवती रमण सिंह जी की है इलाहाबाद जनपद के बारे में, मैंने वक्तव्य के लिए उसको स्वीकार किया है। शेष सभी को अस्वीकार करता हूं किन्तु श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की सूचना की ओर मैंने शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, नियम 51 में मेरी जो सूचना आपने स्वीकार की है, उसके सम्बन्ध में 200 नलकूप इलाहाबाद में 3-3, 4-4 महीने से खराब पड़े हैं। आप मंत्री जी को निर्देशित करें कि वे 3 दिन के अन्दर वक्तव्य दें और उन ट्यूबवेलों को ठीक कराने की कृपा करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, उसका प्रबन्ध किया जायगा। वक्तव्य के लिए तीसरा दिन लग नहीं सकता क्योंकि उस दिन सदन नहीं है। इसे या तो सोमवार को लिया जा सकता है ...

श्री रेवती रमण सिंह---

डी० एम० से रिपोर्ट मंगवाइएगा, सिंचाई विभाग से नहीं।

श्री अध्यक्ष--

इसे मंगलवार को रखना सम्भव हो सकेगा।

श्री अम्मार रिजवी---

जो हां, मान्यवर, ठीक है।

[समय 5 बजकर 45 मिनट]

उत्तर प्रदेश में खेलकूद की स्थिति में प्रगति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मा0 अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर इस सम्बन्ध में चर्चा शुरू हुई है। वह महत्वपूर्ण विषय खेलकूद का है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब मुल्क में खेलकूद के सम्बन्ध में विचार होने लगा है और यह महसूस होने लगा है कि हमें खेलकूद का विकास करना चाहिए। खेलकूद को आगे ले जाने की ओर इस ओर प्रगति की आज बहुत आवश्यकता है, ऐसा आज हमें महसूस होने लगा है। क्योंकि हमारे प्रदेश की हालत खेल-कूद जगत में कुछ बहुत अच्छी नहीं है अभी एशियाड में क्रिकेट में चार महिलाएं, चार बच्चे और पुरुष क्रिकेट में 3 लड़के और इसी प्रकार बैडमिंटन में दो लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किये हैं, परन्तु किसी ने भी हमारे प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से कोई भी पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है बल्कि यूं कहिए कि इज्जत बच गई। इस प्रदेश में 11 करोड बसने वाले नागरिकों में किसी एक ने भी कोई पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से नहीं हासिल किया न ही किसी व्यक्ति का कोई विशेष योगदान रहा। हमारी इस चर्चा का मकसद है कि इस ओर क्या नीति अपनाई जाए कि इस प्रदेश का स्तर इस ओर कुछ उठे, कुछ पहले से बेहतर हो। ताकि और देशों की भांति यहां भी हर क्षेत्र में, साहित्य में, खेलकूद में व अन्य मामलों में कोई नोबुल पुरस्कार या इस क्षेत्र से कोई विशिष्ट स्थान हासिल करे, ऐसा अहसास होता है दूसरे मुल्कों के लोगों को देखकर, उनकी प्रगति और उत्साह को देखकर कि यहां भी ऐसे लोग हों जैसे कि हमारे रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्री जगदीश चन्द्र बोस आदि थे, जिन पर हम गर्व करते हैं और गर्व करने की बात भी है कि इन्होंने नोबुल पुरस्कार प्राप्त किये थे। इसी तरह फिर इस प्रदेश में इस ओर तरक्की हो, प्रगति हो। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए एक मार्गदर्शन होना चाहिए और जो माननीय सदस्य इसमें भाग लेंगे कि किस तरह से खेलकूद का स्तर बढ़ाया जाए।

इस सिलसिले में मैं चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं कि खेलकूद की जो नीति है, वह हम सबके सामने है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए एक आटो कोआपरेशन कायम किया जाए, यह बहुत ही जरूरी है, जिसमें अधिकारी व गैर अधिकारी दोनों का सहयोग होगा और इन दोनों के परस्पर सहयोग से ही प्रगति सम्भव है, क्योंकि कहीं पर भी यदि आप अधिकारी को शामिल कर दें और इन्हें अधिकार दे दें, तो वहां पर कुछ न कुछ ब्योरो-क्राइटेशन की झलक अवश्य मिलेगी, यह स्वाभाविक भी है। इसलिए इस पर इन्डिपेंडेंट कोआपरेशन के बनने से खेलकूद में अवश्य विकास होगा तरक्की होगी और फिर यह हमारे प्रदेश की एक अच्छी प्रगति होगी। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हम जो शिक्षा से सम्बन्धित लोग हैं, जो राजनीति से सम्बन्धित लोग हैं और जो दूसरे क्षेत्रों से सम्बन्धित लोग हैं, उन सबको मिल करके आपस में विचार-विमर्श करके एक नीति बनानी चाहिए कि हमारे खेल-कूद कैसे आगे बढ़ेगा। तीसरी चीज यह है कि हमको भी उस तरफ ध्यान देना चाहिए और उसी तरह से काम्पलेक्स, उसी तरह का स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जैसा कि दिल्ली में हुआ है। यह काम्पलेक्स चाहे उस स्तर का न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

हो, उससे कुछ छोटा ही हो क्योंकि उतनी बात तो यहां आ नहीं पायेगी फिर भी हम अपनी राजधानी में, कैपिटल में ऐसा काम्पलेक्स तैयार जरूर कर । स्कूलों में इसके लिए फीस जरूर ली जाती है लेकिन वहां यह कम्पलसरी नहीं है । स्कूलों में खेल-कूद के लिए मैदान नहीं है । पहले खेल-कूद एक कम्पलसरी था । हम लोगों से उस जमाने में इसमें भाग न लेने पर एक आना जुर्माना किया जाता था परन्तु अब वह अनिवार्य नहीं रह गया है । अब उसको अनिवार्य कर देना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है ।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक अहसास होता है । कुछ राजनीति इतनी छा गई है हमारे विश्वविद्यालय में कि यहां पर 19 यूनीवर्सिटीज हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी कोई भी यूनीवर्सिटी के अन्दर हमारे प्रदेश की ओर से खेल-कूद में किसी ने भाग नहीं लिया । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । इसके विपरीत चाईना और जापान के जो लड़के आये थे, वे सब वहां की यूनीवर्सिटीज से सम्बन्धित थे । लेकिन हमारे यहां इतनी यूनीवर्सिटीज के होते हुए भी क्या कारण है कि हमारे छात्र आगे नहीं आ रहे हैं । इसके कुछ कारण हैं कि राजनीति इतनी ज्यादा छा गई है कि शायद दूसरी तरफ किसी अच्छे काम में वह अपना ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं । मैं इतना कहूंगा अपने नौजवानों से और साथ ही इस सदन के माध्यम से उनसे अपील भी करना चाहता हूं और अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में कभी भी कोई वक्त ऐसा नहीं रहा जो सिर्फ अकेले नौजवानों का रहा हो । जो बुजुर्ग हैं और जो नौजवान हैं, दोनों की यह दुनिया है । दोनों आपस में मिलकर, चलकर प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं एक दूसरे से सहयोग करते हुए । लेकिन हमारे छात्र शायद इसको भूल गये हैं कि--

लाइफ इज मच लार्जर दैन पोलीटिक्स,

एक चीज और हो गई है कि वे पालिटीशियन्स के हाथ में बिल्कुल खेलते जा रहे हैं । अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ कारण हमारे यहां हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अभी बाद में भी आप बोलेंगे तब कहियेगा ?

माननीय मंत्री जी क्या आप कुछ उत्तर देना पसन्द करेंगे ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इसमें कुछ और लोगों को भी तो सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आपको अधिकार होगा अपनी बात को कहने का ।

श्री शम्भूनाथ--

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि समय को बढ़ा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

अभी समय कहां से बढ़ा दिया जायेगा । आप बैठे । माननीय मंत्री जी को मैंने बुला लिया है । वे खड़े हैं ।

श्री बिहारी लाल--

और लोगों को भी मौका दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 54 के अनुसार इस पर चर्चा होनी है ।

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--]

मैं दो शब्द कह दूं, फिर आप अपने विचार रखें । श्रीमन्, इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि खेल-कूद राष्ट्रीय चरित्र का द्योतक है और दुर्भाग्य से य सत्य है कि हमारे प्रदेश में और देश में खेल-कूद का स्तर गिरा हुआ है । इसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, यह प्राकृतिक चीज है । तीन चीज प्रकृति देती है, उनको मुखरित करने का प्रयास किया जाना चाहिये । एक खेलना, छोटा बच्ची भी खेलती है, दूसरी चीज हंसना, छोटा बच्चा भी हंसता है और तीसरी चीज रोना । तो मान्यवर, खेलन और गाना इन दो को मुखरित करना चाहिये और इससे राष्ट्र का जो चरित्र है, वह बढ़ता है । मैं एक शब्द कह कर बैठ जाऊंगा, एक ऐतिहासिक घटना है, नेपोलियन को जब ड्यूक आफ विलिंग्टन ने जब हराया और जब वह अपने देश लौटकर गया तो उसके देश में उस समय उसका नाम इंगलैंड था अब ग्रेटब्रिटेन है, लोगों ने पूछा कि नैपोलियन को उसने कैसे हराया तो उस पर उसने कहा कि हमारे यहां पर दो बड़ी शिक्षा संस्थायें हैं-- इटन और हेरो--उनके मैदान में ट्रेनिंग दी थी । हमारे खिलाड़ियों का चरित्र होता है ।वह अनुशासित होते हैं । वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाते हैं । वह उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्साह से आगे बढ़ते हैं, जो किसी एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है । मैं इन शब्दों के साथ आपके विचार सुनने का अभिलाषी हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल-कूद से राष्ट्रीय स्वाभिमान, सम्मान, अपमान और एक उत्साह की भावना जुड़ी हुई है । मुझे ऐसा लगा जब एशियाड में भारत की टीम पाकिस्तान से पराजित हुई तो स्वाभाविक है कि माननीय लाल प्रताप सिंह जी को दुख हुआ । जिन लोगों को यह जानकारी हुई या जिनको इसमें रुचि थी। उन सभी को दुख हुआ । मान्यवर, उसी तरह से जब पाकिस्तान में भारत की क्रिकेट टीम गई तो वहां बहुत ही अपमान जनक स्थिति में भारत की टीम को पराजय का मुंह देखना पड़ा । मान्यवर, इससे भारत का सम्मान गिरा और भारतवासियों के स्वाभिमान पर ठेस भी लगी ।

आज जरूरत इस बात की है कि हमारा प्रदेश भारत वर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है और इसकी सबसे ज्यादा आबादी है । मान्यवर, यह देखकर तकलीफ होती है कि एशियाड में हमारे प्रदेश को जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये था, वह दुर्भाग्य से नहीं हो सका । हमारे उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कालेज भी चल रहे हैं और सरकार उन पर पैसा भी व्यय कर रही है । हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश ने कपिलदेव जैसे गेंदबाज को पैदा किया है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा होते हुये भी इस मामले में पिछड़ा हुआ है । आखिर इसके पीछे कोई न कोई कारण होंगे ही जिसके कारण हमको अपमान का सामना करना पड़ रहा है । सरकार पैसा भी खर्च कर रही है । तो मैं यह चाहूंगा कि

[श्री मोती लाल देहलवी--]

माननीय लाल प्रताप सिंह जी की भावनाओं का आदर करते हुये यह सरकार कम से कम इस बात की जांच करें कि आखिर क्या कारण हैं कि उत्तर प्रदेश से खिलाड़ियों का दिन प्रति दिन ह्रास होता चला जा रहा है और अच्छे खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार इतना पैसा भी इन पर खर्च करती जा रही है। इसका जांच पड़तांल होनी चाहिये और मुनासिब होगा कि इसके लिये आप एक जांच आयोग बैठा दें ताकि जो यह राष्ट्रीय अपमान की बात इसी प्रदेश के लिये हैं, वह कम से कम दूर हो। यहां के अधिकारी और मन्त्री अगर माननीय लाल प्रताप सिंह जी की भावनाओं का आदर करते हैं और यह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का अपमान हो रहा है तो कम से कम एक आयोग बैठा दें जो इस बात का जांच करें कि क्यों हमारे प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी नहीं निकल रहे हैं। ताकि यहां भी अच्छे खिलाड़ी निकले। इससे हमारे प्रदेश का देश और विदेश में नाम होगा, यश मिलेगा, जिसकी आज कमी है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस खेलकूद के विषय पर विस्तार से चर्चा हो जायेगी इसलिये इस पर चर्चा के लिये एक घन्टे का समय और बढ़ा दें।

श्री लोकपति--

हमें कोई ऐतराज नहीं है, आधे घन्टे के लिये मान्यवर, सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस मद के लिये आदरणीय सदन का समय आधे घन्टे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लोकपति--

श्रीमन्, हर माननीय सदस्य के लिये 5 मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने इस आदरणीय सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के खेलकूद की ओर आकर्षित किया, उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि यह विषय शिक्षा विभाग से सम्बद्ध है फिर भी खेलकूद के माननीय मन्त्री, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के रूप में वे उपस्थित हैं। मान्यवर, आज जब इस आदरणीय सदन में खेलकूद की बात आई है तो यह इस आदरणीय सदन में मेरा पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज प्रदेश में खेलकूद को क्या हालत हो रही है। खेलकूद के नाम पर प्रदेश में क्या हो रहा है। मान्यवर, राज्य सरकार के कोष से जो अपार धन खर्च होता है खेलकूद के नाम पर, उस सम्बन्ध में मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है और माननीय मन्त्री जी बुरा नहीं समझेंगे क्योंकि वह इसके पुराने मन्त्री रह चुके हैं।

आज खेलकूद के नाम पर यहां पर एक निदेशलय की स्थापना की गई है। उस निदेशालय के तहत बहुत से क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुए हैं। पहले तो एक मात्र ठेकेदार स्वर्गीय के0 डी0 सिंह बाबूजी थे। कभी उन्होंने हाकी में तीर मारा था। उस चेक को वह जीवन भर भुनाते रहे और इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई का पैसा अपनी अय्यासी में फूंकते रहे। आज मान्यवर, उस खेलकूद निदेशालय में एक मिलिटरी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब बैठाये गये हैं, जो ठेके पर काम करते हैं। मान्यवर, उनके लिये यह बताया गया कि आप इतने समय तक काम करेंगे और आपको यह पैसा मिलेगा। उनके नीचे 3-4 उप निदेशक हैं। एक तो झम्मन लाल हैं, दूसरे बी0 एस0 चौहान हैं। दोनों के काम के बारे में मैं आदरणीय सदन में विश्वास के साथ कहता हूं कि सिर्फ खेल के साथ मजाक करना, सचिवालय में चक्कर लगाना और अय्यासी और फैयाजी में खेल के नाम पर राष्ट्रीय धन को फूंकना।

इसी निदेशालय के तहत शासन की ओर से स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना हुई है। उस पर बहुत पैसा व्यय होता है। एक तो मान्यवर, कभी खेलकूद के बारे में चर्चा नहीं हो पाती है। सन् 1980 में एक बार चर्चा हुई थी। उसके बाद बजट ऐसे ही पास मान लिया जाता है। लोग सोचते हैं कोई चर्चा नहीं हुई है तो जैसा चाहो वैसा करो। इस बार इस प्रस्ताव के तहत कहने का मौका मिला है। मान्यवर, अभी एशियाड की चर्चा हमारे आदरणीय देहलवी साहब ने की है जिसने सारे देश की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है परन्तु इस उत्तर प्रदेश में, यह प्रदेश अपने में यह मिनी भारत है, जहां खेलकूद के नाम पर केवल राजनीतिक तिकड़मबाजी हो रही है। केवल अय्यासी और फैयाजी हो रही है। ऐसी दशा में मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से पुरजोर शब्दों में कहना चाहूं कि वह इस तरफ ध्यान दें। जितने उप निदेशक हैं, यहां बैठे हुये हैं और प्रदेश की छाती पर दाल दल रहे हैं उनको आप रीजन्स में भेजें और दौड़ा करें तथा देखें कि काम होता है या नहीं। लेकिन इस तरफ किसी को ध्यान नहीं जाता है। जो सम्बन्धित मन्त्री जी हैं, उनके पास वह आते हैं, आंकड़े समझा देते हैं और वह समझते हैं कि सारे खेलकूद की इतिश्री हो गई। मैं व्यक्तिगत रूप के खेल से संबद्ध रहा हूं इसलिये मुझे खेलकूद की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में है, उसको देखकर बड़ा दुख होता है। मैं अपने दुख को किन शब्दों में बयान करूं। इस खेलकूद निदेशालय में एक महिला छात्रावास चलाया जा रहा है, जिसकी वारडेन जबसे उनकी नियुक्ति, के0 डी0 सिंह बाबू ने, उनकी निजी सेवा के लिये की, लेकिन आज तक वह लखनऊ में मौजूद हैं।

एक सदस्य—

उनका स्वर्गवास हो गया है।

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

मैं तो बात सही कहता हूं कोई मर गया हो या जिंदा हो। महात्मा गांधी जी भी मर गये हैं लेकिन उनका नाम लेकर हम आज भी जी रहे हैं। मान्यवर, अभी वहां से 2 लड़कियां गायब हो गयीं। उनके गारजियन ने लिखकर दिया है कि जब तक यह बूला गांगुली रहती हैं तब तक मेरी लड़कियां नहीं जायेंगी। मान्यवर, मैंने कई पत्र लिखे लेकिन वहां पर किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। आज मन्त्री जी मुझ पर नाराज हो रहे हैं। नाराज होने का उनका अधिकार है जितनी बातें मैं कहता हूं, मैं तो तथ्य की बातें कर रहा हूं। यह कहकर मैं अपने कर्तव्य को पूरा करता हूं। मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझको बोलने के लिए समय दिया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, लाल प्रताप सिंह जी ने उ0प्र0 में खेलकूद की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा का एक अवसर यहां उत्पन्न किया जिसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। उसके बाद यह वक्तव्य भी कहना चाहता हूं कि शासन की रुचि खेल की प्रगति में कितनी है, उसका परिचायक है खेलकूद मन्त्री की यहां अनुपस्थिति। दूसरे मन्त्री जी द्वारा यह सही है कि ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी के नाते कोई दूसरा मन्त्री उत्तर दे सकता है लेकिन औचित्य का तालुक है, इसलिये खेलकूद मन्त्री जी को यहां होना चाहिये था।

मान्यवर, मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। श्री श्यामलाल बाजपेयी जी ने अच्छे मुद्दे उठाये जिनकी जांच होनी चाहिये। मान्यवर, आर साधक मन्त्री ने उपदेशात्मक चीजें रखी हैं, वह सही हैं लेकिन सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर रही है तो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा। मान्यवर, उ0 प्र0 सरकार ने घोषणा किया थी, एशियाड की चर्चा हुई, उसमें उ0 प्र0 के खिलाड़ी भाग लेंगे और विजयी होंगे, पदक प्राप्त करेंगे, उ0 प्र0 की शान को आगे बढ़ायेंगे तो उन्हें उ0 प्र0 सरकार पुरुस्कार देगी। लेकिन आजतक सरकार ने उन्हें पुरस्कार नहीं दिया। यह मामला नियम 301 के माध्यम से यहां सदन में उठाया तो आज ही सुबह शिक्षा मन्त्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के हस्ताक्षर से पत्र मिला तो मालूम हुआ कि नियम 301 का कोई असर नहीं हुआ इसलिये मेरा आरोप है कि सरकार संवेदनशीलता को नष्ट कर चुकी है। मान्यवर, उत्तर मिला है कि यह सही है कि पुरुस्कार देने की घोषणा किया था लेकिन यह पुरस्कार मार्च, अप्रैल, मई में दिये जायेंगे। यह आश्चर्य की बात है। घोषणा किया तो तत्काल क्यों नहीं देते हैं। इससे खिलाड़ियों के मन में हतोत्साह पैदा होगा। मन्त्री जी मेरी इस बात का जवाब देंगे।

मान्यवर, दूसरी उ0 प्र0 सरकार की घोषणा थी कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर झाकी खिलाड़ियों को आगे बढ़ायेंगे और इसके लिये कृत्रिम घास के मैदान बनाने के लिये घास को बाहर से इम्पोर्ट करेंगे लेकिन इसके बारे में शासन का क्या कहना है। शासन ने फारेन इक्सचेंज का क्या प्रबन्ध किया है। मेरी जानकारी के अनुसार इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है।

मान्यवर, तीसरी घोषणा एशियाड खेलों के दौरान उ0 प्र0 सरकार की शिक्षा मन्त्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी का समाचार पत्रों में विज्ञापन आया, जिसकी कटिंग मैंने रख लिया था और मैं समझता हूं कि सभी ने उसको पढ़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा कि उ0 प्र0 के सभी जिलों में खेल के स्टेडियम बनाये जायेंगे, यह घोषणा हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जिला सीतापुर में स्टेडियम का मामला कितने दिनों से छिपा पड़ा है, इस सम्बन्ध में मैं खेल मन्त्री, निदेशक, सचिव और उप सचिव सभी से मिला कि जमीन उपलब्ध नहीं है तो गवर्नमेंट इंटर कालेज के पास बहुत जमीन पड़ी है, जिसमें यह स्टेडियम बना दिया जाये। इसी तरह फैजाबाद, लखीमपुर खीरी का मामला था। यह मामला कैबिनेट में गया लेकिन तीन वर्ष से यह मामला पत्रावली में पड़ा हुआ है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने घोषणा किया है तो उनका पालन मन्त्री जी करें अन्यथा प्रगति आप क्या करेंगे।

मान्यवर, श्री लाल प्रताप सिंह ने अच्छे सुझाव दिये किन्तु उनका पालन तभी होगा जबकि सरकार अपनी नीयत साफ करके घोषणा करे और जैसे खिलाड़ियों को पुलिस, रेलवे आदि में प्रोत्साहन मिलता है उसी प्रकार सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये। आज हो यह रहा है कि यह स्कूलों को मान्यता देते हैं लेकिन उनके पास जमीन और उपकरण नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सरकार ने जो घोषणायें की हैं, उनका पालन करें। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी हमारी बातों का जवाब अपने उत्तर में देंगे। धन्यवाद।

श्री आम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री लाल प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। श्रीमन्, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए आज सबसे ज्यादा इसी की आवश्यकता है कि किसी राष्ट्र के युवकों को ऐसे काम में लगा दिया जाय कि जिससे राष्ट्रीय चरित्र की बुनियाद के लिए आधारशिला बन सके। श्रीमन, आपने वर्तमान वातावरण में देखा होगा कि युवक ट्रेन में चेन पुलिंग कर रहे हैं, गैंग बनाकर डकैतियां डाल रहे हैं और इसी तरह के तमाम अपराधी प्रवृत्ति में लग रहे हैं। इसका दोष सामाजिक वातावरण को दिया जा सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी जो आज सामाजिक विघटन में लगी हुई है, उसको किसी न किसी तरह से एक टर्न देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है प्रदेश में युद्ध स्तर पर एक जेहाद चलाया जाय, जिससे सारे युवकों, लोगों का माइण्ड, ध्यान डायवर्ट होकर संगीत, कला और स्पोर्ट्स में लग जाय, ताकि हमारे देश में एक टैलेन्ट पैदा हो सके। लाल प्रताप सिंह जी ने जो भावना व्यक्त की, उसी के साथ में भी कहना चाहता हूं कि आप यह करें, जिससे 1992 में होने वाले ओलम्पिक में उत्तर प्रदेश की यह स्थिति न रहे, जो इस बार हुई है। मेजर ध्यानचन्द, के0 डी0 बाबू, रूप सिंह आदि की मृत आत्माएं आज निश्चित रूप से आसमान में बैठी हुई इस तरफ एक आस लगाये हुए देख रही हैं कि उनके आने वाले उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश का नाम कहां ले जाते हैं। लेकिन हम आप देख रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, कि वह टैलेन्ट आज पैदा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज प्रदेश की बड़ी आबादी को देखते हुये यहां पर पांच-सात अच्छे स्तर के इंस्टीट्यूट होना आवश्यक है। झांसी में जिमनास्टिक के काफी टैलेन्टेड लोग हैं, इसलिये वहां पर जिमनास्टिक और स्वीमिंग खेलों की तैयारी के लिये एक-एक इंस्टीट्यूट खोला जाय।

लखनऊ में हाकी का इंस्टीट्यूशन खोला जाना चाहिये। बनारस में फुटबाल का, इसी तरह से बुन्देलखण्ड में झीलें बहुत हैं, इसलिए वहां पर रोइंग

[श्री ओम प्रकाश रिछरिया---]

की व्यवस्था की जाये और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की जो बोट्स हैं, उनपर रोइंग की प्रैक्टिस कराई जाय । ताकि आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में तथा 1992 के ओलम्पिक में उत्तर प्रदेश एक गौरवपूर्ण स्थिति में आ सके । एस्ट्रोटर्फ की ग्राउन्ड पर लखनऊ, मेरठ और झांसी में हाकी की प्रैक्टिस कराई जाये । झांसी वह स्थान है, जहां पर एक समय हाकी का खेल गलियों-गलियों में खेला जाता था । इस तरह का एस्ट्रोटर्फ बनाया जाना चाहिये ताकि उत्तर प्रदेश के प्लेयर्स अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिये तैयार हो सकें । यहां पर विभिन्न रीजन म विभिन्न मैस्क्यूलर के फिजिक के लोग हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम पैदा कर सकते हैं । मेरठ व आगरा रीजन में जाट समुदाय के अधिकांश लोग हैं, जिनकी फिजिक्स को रेशलिंग के लिये अच्छी स्थिति में बनाया जा सकता है । इसलिए इन स्थानों पर अखाड़े और व्यायामशालायें अधिकाधिक संख्या में खोलकर, इनको अनुदान और सहायता देकर पहलवानों को प्रोत्साहित किया जाय तो वहां के लोग अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं ।

इसी तरह से बस्ती व गोंडा एरिया के आदमी एथेलेटिक्स में काफी अच्छे निकल सकते हैं । वहां पर, अब जो सिन्थेटिक थ्रेड चला है, उस तरह का कोई स्टेडियम बनाकर, उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिये । इसमें खास बात यह है, आपने 'एशियाड' में देखा होगा कि अपने यहां के प्लेयर्स में एक बड़ी कमी थी, जिसको मैंने देखा था । यहां के खिलाड़ी का स्टेमिना, बाद में खेल के अन्त में जाकर खत्म हो जाता था, वह एक्जहास्ट हो जाता था । इसका कारण है उनके समुचित और स्वास्थ्यवर्धक खान-पान का न होना, उनका मेडिकली शुरू से फिट न होना और उनकी ट्रेनिंग बहुत लेट शुरू होना । यदि प्राइमरी स्तर पर ही गेम को कम्पलसरी किया जाए और उसके टैलेन्ट को तब से उभाड़ा जाय और उनको साइन्टिफिक रूप में समझाया जाये, तो वह सारे के सारे आदमी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं । इन शब्दों के साथ में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर वह विचार करें और ऐसे काम किये जाय जिससे प्रदेश के युवकों का चरित्र निर्माण हो सके ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

माननीय, मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा । इस सरकार से पहले जो सरकार थी उसमें मैं खेल-कूद विभाग का मंत्री रहा हूं, इस कारण मुझे कुछ व्यक्तिगत जानकारी है । मैंने अपने समय में एक योजना बनायी थी कि शिक्षा विभाग जो रुपया खेल-कूद के लिये सहायता के रूप में शिक्षा संस्थाओं को देता है, उस पर नियन्त्रण खेल कूद विभाग का रहे । वास्तविकता यह है कि जो रुपया खेल-कूद के मद में खर्च दिखाया जाता है उस सम्पूर्ण रुपये का दुरुपयोग हो जाता है । ऐसे कुछ ही विद्यालय होंगे, जहां इस धनराशि का थोड़ा बहुत सदुपयोग होता हो । जब यह वर्तमान सरकार आयी तो इस पर कोई निर्णय अमल नहीं हुआ, वह समाप्त हो गया ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि खेल-कूद के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम एवं समारोह एवं प्रतियोगिता होती रहती हैं और मंत्री लोग, सचिव या खेल-कूद विभाग के अधिकारी उनमें आमंत्रित किये जाते हैं । परन्तु खेलकूद मंत्री के विवेकाधीन कोष में केवल 5 हजार की धनराशि रहती है । यदि मंत्री किसी खेल-कूद की प्रतियोगिता के लिये किसी को कुछ धनराशि देना भी चाहे तो वह सम्भव

नहीं होता है क्योंकि धनराशि रहती ही नहीं है । इसके लिये तत्कालीन मुख्य मंत्री जो ने यह तय किया था कि इसको बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दिया जाय । इस पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त एक योजना यह भी बनायी गयी थी कि जगह-जगह तहसीलों में मिनी स्टेडियम बनाये जायें । 3 लाख रुपये में एक मिन स्टेडियम तैयार हो सकत है । कम से कम तहसील हेडक्वार्टर पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जा सकता है । यह कार्यवाही भी रुक गयी ।

लखनऊ में एक स्पोर्ट्स कालिज है । उसमें से बहुत से अच्छे लड़के खिलाड़ी बन कर तैयार हो कर निकलते हैं । इनके लिये एक कठिनाई यह है कि वहां पर बी० ए० की कक्षा नहीं है जिसके कारण काफी समय तक खेल-कूद का प्रशिक्षण लेने के बाद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कालिज छोड़ कर जाना पड़ जाता है । यह देखा गया है कि 6-6 साल की ट्रेनिंग पाये हुए लड़कों को मजबूरी में स्पोर्ट्स कालेज छोड़ कर जाना पड़ा है । इसी कालेज में निरन्तर अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी खिलाड़ी निकल सकते हैं ।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि खिलाड़ियों के लिये रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती । लड़कियों के लिए विशेषकर इसकी उचित व्यवस्था होना चाहिये । इसके अभाव में बहुत सी लड़कियां खेलकूद में भाग लेने के लिये नहीं आ पातीं लखनऊ में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स में इन लड़कियों का रहने का स्थान वह है जहां घोड़े बंधते थे मेरी जानकारी में हाकी की खिलाड़ी एक लड़की शर्मा थी, जो आल इंडिया टीम में चुनी गयी थी, पर वह इसी कारण से मैच में नहीं भेजी जा सकी क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन की खेलकूद में उदासीनता रहती है ।

एक बात और कहना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है । हिन्दुस्तान में क्रिकेट टेस्ट मैच 5 जगह हुआ करते हैं । उत्तर प्रदेश से यह क्रिकेट टेस्ट मैच हटाकर कर्नाटक में बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद ले जाने की कोशिश होती रहती है । यहां पर ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में टेस्ट मैच होता है उसका संचालन एक बड़े पूंजीपति श्री गौड़हरी सिंहानिया करते हैं मोदी स्टेडियम के जिलाधिकारी, कानपुर अध्यक्ष हैं । श्री सिंहानिया 5 दिन टेस्ट मैच का केवल 12 हजार रुपये ही सरकार को देते थे जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के 12 लाख रुपये खर्च होते हैं । मैंने इस धनराशि को बढ़ाकर 6 लाख रुपया किया था । यह कहा जा रहा था कि यू० पी० क्रिकेट एसोशियेशन उत्तर प्रदेश में टेस्ट मैच को नहीं करायेंगे । क्योंकि उन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है ।

यदि माननीय मुख्य मन्त्री जो उस समय हस्तक्षेप न करते तो उत्तर प्रदेश से मैच चला जाता और सदैव के लिए उत्तर प्रदेश उससे वंचित हो जाता । मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 25 लाख रुपया गवर्नमेंट ने मोदी स्टेडियम को दिया 25 लाख रु० की जमानत बैंक को गवर्नमेंट ने दी । मेरी ऐसी जानकारी है कि 25 लाख रुपया पुनः दिया गया है । इस कारण मोदी स्टेडियम का पुनर्गठन करके उसमें डाक्टर सिंहानिया का नाम सदस्यता से हटाइये, अन्यथा उत्तर प्रदेश से क्रिकेट टेस्ट मैच भी चला जायगा । मान्यवर, खेलकूद के प्रति हमारी सरकार की बड़ी उदासीनता है । जैसा कि श्री श्याम लाल बाजपेयी जी ने कहा कि सन् 1980 में इसकी बहस हो गयी थी । मान्यवर, मैंने उसमें अत्यधिक रुचि ली थी । जितने छोटे-छोटे स्थानों ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतियोगिता हुई, जितना में

[श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--]

उनमें गया, उतना कोई अन्य मन्त्री भी नहीं गया । विरोधी पक्ष में रहते हुए जहां कटौती का प्रस्ताव हम एक रुपया का प्रस्तुत करते हैं, वहां हम यह नम्र निवेदन करते हैं कि स्पोर्ट्स विभाग का बजट बढ़ाया जाय । जब तक बजट न बढ़ाया जायगा, तब तक कोई ठोस कार्य किया ही नहीं जा सकता है । एक कठिनाई की ओर पुनः ध्यान आकर्षित करता हूं यहां पर ऐसा नियम है कि कोई भी प्रतियोगिता किसी भी खेल की हो, उस प्रतियोगिता को उसी समय विभाग से ऐड मिलेगी, जब उसके एसोशियेशन उसकी संस्तुति करे । जैसे क्रिकेट, हाकी, वालीबाल आदि एसोशियेशन हैं, अगर किसी भी स्तर की कोई भी प्रतियोगिता रखी जाय, जब तक एसोशियेशन के लोगों से संस्तुति नहीं करायेंगे और यह नहीं कहेंगे कि आधा रुपया एसोशियेशन को देंगे, तब तक संस्तुति नहीं होगी और यदि नहीं देंगे, तो वह संस्तुति ही नहीं करेंगे ।

इस तरह से विभाग के भ्रष्टाचार में आधा रुपया अनावश्यक चला जाता है । इस तरह से कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिसके बारे में मैंने चन्द समय में सुझाव दिया है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो इस पर ध्यान दें । खेलकूद सचिव जी भी दीर्घा में नहीं हैं । लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे लोकपति जी, जिनकी इसमें विशेष रूप से रुचि है, वह अपना प्रभाव मंत्रिमन्डल में डाल कर इन सुझावों पर ध्यान दिलाने की कृपा करेंगे ।

[समय 6 बजकर 27 मिनट]

श्री शम्भूनाथ--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझको बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो खेल-कूद की स्थिति में प्रगति के सम्बन्ध में जो चर्चा का समय लिया, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । खेल-कूद प्रतियोगिता कई विभागों द्वारा कराई जाती है । शिक्षा विभागा द्वारा, खेलकूद विभाग द्वारा और युवक कल्याण विभाग द्वारा यह प्रतियोगिता कराई जाती है । मान्यवर, युवक कल्याण विभाग द्वारा जो खेल कराये जाते हैं, उसमें गांव के नव-जवानों को, चाहे वह विद्यालय में हों, चाहे वह विद्यालय के बाहर हों, उनको खेलने का अवसर मिलता है,, चाहे गांव में कबड्डी हो, चाहे तैराकी हो, चाहे ऊंची कूद हो, चाहे व्यायाम शालाओं इत्यादि के चलाने का प्राविधान हो और अधिक जगहों पर चलाई भी जा रही हैं, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि खेलकूद को आगे बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था जो है, वह बहुत ही कम है । मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ब्लाक स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है, हमारे मंत्री जी भी उसमें जाते हैं, विधायकगण भी जाते हैं । उसमें तमाम नौजवान उत्साहपूर्वक खेलते हैं और उनको मिलता क्या है ? 100 रुपया पुरस्कार देने के लिए ।

मान्यवर, ब्लाक के अधिकारियों को जो खेलकूद के इंचार्ज होते हैं और जो खेलकूद करवाते हैं, वह लोग प्रतियोगितायें कराते हैं लेकिन केवल 100 रुपया पुरस्कार के लिए दिया जाता है । इतनी धनराशि में एक फटबाल भी नहीं मिलता है । जो क्लब हैं उनको एक वालीबाल भी देने के लिये सुविधा नहीं है । पुरस्कार देने की जब बात आती है तो सर्टीफिकेट दे दिया जाता है क्योंकि उसमें कोई व्यय नहीं होता है । इसी तरह से जिला स्तर पर जब टीम आती है तो केवल 100 रुपये में ही आने का किराया शामिल होता है । इतन कम धनराशि से खलकूद को बढ़ावा देना सम्भव नहीं है । ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से भी कार्यक्रम कराया जाता है । जो प्रदेश के नौजवान हैं, उनका स्वास्थ्य खेलकूद के

माध्यम से बनता है और उनके चरित्र का निर्माण होता है । जिले से जो नौजवान आते हैं उसके लिये नाश्ता या खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि धनराशि कम होती है । खाना शाम को नहीं मिलता है भखे पेट घर को वापस चले जाते हैं । तो क्या वह सोचते हैं, कैसे यह दिल्ली में मैच कर सकते हैं और कैसे वह चैम्पियनशिप जीत सकते हैं ? उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं किया जाता है । इसी प्रकार से स्टेट रैली होती है । नौजवान रैली में आते हैं । उनको दूध नहीं मिलता है, बादाम नहीं मिलता है । तो मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री शम्भूनाथ –

मान्यवर, खेल–कूद के लिये प्रत्येक ग्राम सभा को एक एकड़ जमीन का आदेश गया था । ग्रामीण युवकों के खेल की व्यवस्था के लिये यह आदेश दिया गया था । 8 महीने हो गये हैं लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया है । इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस आदेश का पालन करवायें । मान्यवर, 1978–79 में मैदानी क्षेत्रों में जनता पार्टी के हुक्म से एक कार्यक्रम बन्द कर दिया गया था । लेकिन हमारी सरकार ने 1980–81 में उस कार्यक्रम को शुरू किया । लेकिन पर्वत पर आज भी वह कार्यक्रम बन्द है । मैं चाहूंगा कि पर्वतीय नौजवानों को सुविधा दी जाय और वहां खेल शुरू होना चाहिये । वहां के नौजवानों को खेल का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठें । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कोई चीज नहीं लिखी जायेगी ।

श्री शम्भू नाथ––

[× × × ×]

*श्री रियासत हुसैन––

माननीय लाल प्रताप सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उनका अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठायी है । श्रीमन्, किसी भी देश के चरित्र निर्माण के लिये 3 चीजों की आवश्यकता होती है ।

1––अनुशासन, डिसिप्लिन ।

2––पंक्चुअलटी, समय की पाबन्दी ।

3––स्प्रिट को यानी टीम स्प्रिट ।

यह तीन चीजें आवश्यक होती हैं ।

नोट––[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन—]

श्रीमन्, किसी भी देश के चरित्र के लिए यह तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जब निगाह डालते हैं, तो हम इन तीनों चीजों की कमी पाते हैं, अपने प्रदेश के नवयुवकों में। बच्चे के लिए पहले जो स्कूल हुआ तो वह उसके लिए प्ले ग्रांउड हुआ। दूसरा जो स्कूल हुआ, तो हम देखते हैं कि उसमें यूथ इनर्जी आयी, इनर्जी क्रियेट हुई। तो वह इनर्जी कहां खर्च होगी, कहीं न कहीं तो खर्च होगी ही। तो प्ले ग्रांउड हैं नहीं। हर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, नवयुवक हैं, वे प्ले ग्रांउड में ही इन तीनों चीजों को पा सकते हैं और प्ले ग्रांउड हैं नहीं। तो नेचुरेली बच्चा जो इनर्जी क्रिएट करता है वह कहीं न कहीं खर्च करेगा, वह रेल की जंजीर खींचेगा, सिनेमा हाल के पोस्टर उखाड़ेगा, आपस में लड़ाई-झगड़ा करेगा या गाली-गलोज करेगा। तो जो इनर्जी क्रिएट हुई है, उसको खर्च करना है।

मान्यवर, साढ़े ग्यारह करोड़ की आबादी है, इस प्रदेश की यानी जापान से भी ज्यादा, कोरिया से भी ज्यादा, दोनों से ज्यादा है। अभी श्रीमन्, एशियाड हुए। छोड़िये चीन को लेकिन हम जापान से बुरी तरह से पिट गये, कोरियन्स से बुरी तरह से पिट गये। तो कब तक हम जिन्दा रहेंगे स्वर्गीय ध्यान चन्द्र जी का नाम लेकर, स्वर्गीय के0 डी0 सिंह बाबू जी का नाम लेकर कब तक यह प्रदेश जिन्दा रहेगा। इससे तो आगे के लिए काम नहीं चलेगा। मान्यवर, स्कूलों में छात्रों से गेम्स फीस के रूप में शुल्क लिया जाता है, फंड आता है। तो जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि प्रिंसिपल साहब और अन्य लोगों ने उस पैसे को किस तरह से वेस्ट करते हैं। दिखा देते हैं कि इतनी स्टिकें खराब हो गयी थीं, उनके स्थान पर इतनी नयी हाकी की स्टिकें खरीदी गयीं, खेलकूद के नाम पर फलां-फलां चीजें खरीदी गयीं। स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है, गवर्नमेंट से लिया जाता है लेकिन प्ले ग्रांउड हैं नहीं, स्कूलों के पास।

अभी एक साल हो गया श्रीमन्, स्कूल को ढूढ़ नहीं पाये कि वह अलीगढ़ की कन्या पाठशाला किस स्थान पर स्थित है जिसको यहां से बराबर अनुदान दिया जा रहा है। तो अगर प्ले ग्रांउन्ड होते तो पता चल जाता कि फलां प्ले ग्रांउड इस स्कूल के पास है। अनुदान ले रहे हैं तो यह एक प्रोफेशन सा हो गया है। श्रीमन्, इन सब बातों पर सोचना जरूरी है। माननीय मन्त्री जी निश्चित तौर से इस बात को कीजिए कि प्रत्येक जिले में स्टेडियम बनाइये। श्रीमन्, दो साल के अन्दर कोई आपका जिला आपके प्रदेश की कोई ऐसी जगह न रहे, जहां एक लाख की आबादी हो और स्टेडियम न हो। आप तहसील लेबिल को मत लीजिए लेकिन जहां एक लाख की आबादी है, तो वहां 10-5 स्कूल जरूर होंगे, शिक्षा का प्रबन्ध जरूर होगा, वहां स्टेडियम हो। लेकिन मान्यवर, आज हो क्या रहा है, आज इन्टरेस्ट पैदा हो गया है कल्चरल प्रोग्राम्स का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का। ताकि स्टेज के ड्रामें में लड़के हों, लड़कियां हों और आपका नाम ऊंचा हो। मान्यवर, चूंकि देश की प्रधान मन्त्री एक औरत है और औरतों की हाकी की टीम ने बल्डं में आपका नाम ऊंचा किया। कम्पटीशन्स में औरत, अपने इक्जामिनेशन्स में औरतें, राजनीति में औरतें तो फिर आप 55 परसेंट किस मर्ज की दवा हैं?

श्री लोकपति—

हम लोग निकम्मे हैं।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है इसमें ध्यान देने की जरूरत है । हर खेल के अन्दर चाहे वह बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, हाकी हो, फुटबाल हो, वालीबाल हो, इतने खेल हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश की ग्यारह करोड़ की आबादी है, कहीं तो हमारा नाम निकल कर आये । हाकी में नाम है नहीं, टेनिस में नाम है नहीं, फुटबाल में नाम है नहीं, यहां तक कि आपका कबड्डी और गुल्ली डंडे तक में नाम नहीं है, कहीं आप स्टैंड ही नहीं करते हैं ।

इन शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय श्री लाल प्रताप सिंह जी द्वारा रखे गये इस इश्यू पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अग्निहोत्री जी, क्या कह रहे हैं आप ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मेरा निवेदन है और मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो चर्चा चल रही है उसमें आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मन्त्री जी, प्रस्ताव आया है चर्चा पर समय बढ़ाने का कि आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाय, कुछ कहना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

काफी समय हो चुका है और थोड़ी-सी जो पहले चर्चा हो चुकी है, वह काफी हो चुकी है । कुछ माननीय सदस्य जाना चाहते हैं । मेरा ख्याल है अब समय बढ़ाने का औचित्य नहीं है ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा कुछ कहे जाने पर ।)

(व्यवधान)

वह खेल नहीं खेले हैं जो राजेन्द्र जी खेले हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन्, इन को पुरानी बात याद आ रही है, यूनिवर्सिटी की ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अग्निहोत्री जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त के साथ जो खेल खेलते हैं, उनको वह याद आ गया ।

(हंसी)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, एक शेर सार्वजनिक मन्त्री जी को सुना दें । "हम तो चुप थे मगर अब मौजे सबा के हाथों, फैल जाती है तेरे-हुश्न की खुशबू-हरसू ।

(हंसी)

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मकसद यह था कि इस तरफ ध्यान जाये प्रदेश का और हमारा सदन और माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे । मैंने शुरू में सुझाव रखा था कि एटानामी बाडी बनायी जाय उसमें शिक्षक, राजनेता, राजनीतिज्ञ, डिफेंस के लोग रखे जायें और एक नीति निर्धारित की जाये । पहले क्या हो चुका है, इसे नहीं देखना है, आगे क्य हो, यह सोचें । हमारे यहां ओलम्पिक भी होने वाला है, इसकी सम्भावना है ओलम्पिक हों । लास एंजिल्स में नेक्स्ट इयर होने जा रहा है । भारतवर्ष की टीम भाग लेगी । प्रदेश की उपलब्धि बहुत खराब नहीं रही है, 5वां नम्बर था हमारा एशियन गेम्स में और उसके लिए प्रयास भी बहुत किया जा रहा है । वहां हांलांकि मिनिस्ट्री कायम हो गयी है, बूटा सिंह को अध्यक्षता में और उन्होंने कहा कि खेल के लिए बहुत पैसा दिया जायेगा । खेल संविधान में राज्य सरकार से सम्बन्धित है लेकिन सेन्ट्रल कहता है पैसा दिया जायेगा ।

हमारे यूथ का, नवयुवकों का दिशा भ्रम हो गया है । वह जब से स्वतंत्रता हुई है, तब से आज तक मैं नहीं कह सकता कितने आन्दोलन, कितने एजीटेशन विद्यार्थियों ने किये, बड़ा गहरा दुःख होता है उनकी इनर्जी को कैनालाइज और चैनालाइज करने की आवश्यकता है और उसे गेम्स के माध्यम से कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत भी कर सकते हैं । इससे हमारा बहुत बड़ा मकसद पूरा होगा । इसमें अगर कुछ टैक्स भी लगा दें तो मैं समझता हूं कि कोई भी उसे देने में गुरेज नहीं करेगा यदि हम नौजवानों को अच्छे रास्ते पर ला सकें ।

बहुत से सदस्यों ने कहा कि अलग से सेपरेट मिनिस्ट्री कायम की जाय । मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इससे प्रगति हो सकेगी । लेकिन कुछ न कुछ नवीन बातें लायी जाय, नीति निर्धारित की जाय ताकि हम प्रगति कर सकें ।

एक चीज अन्त में निवेदन करूंगा कि नेहरू युवक केन्द्र जिलों में कायम हैं । उनका भी काम है नवयुवकों को ट्रेन्ड करना, खेल कूद में रुचि जागृत करना, रचनात्मक कार्य में लगाना लेकिन मेरा सुझाव है कि इसमें तरमीम की आवश्यकता है । नेहरू युवक केन्द्र जो हैं वह आफिशियल हो गये हैं और वे उतनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनको करनी चाहिए ।

मैन्यवर, उसको आफीशियल और अनाफिशियल दोनों कर दिया जाय तो बेहतर होगा । अभी कुछ लोग मुझसे मिले थे उन्होंने कहा कि एक समारोह हुआ था 10-11-82 को । ब्रजनेव का देहान्त हो गया उसी दिन जिससे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका । वह अभी तक नहीं हो सका । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उदासीनता क्यों । प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिये । यह भी मालूम हुआ कि रेजीमेन्ट की टीम जो जाती है वह अभी तक नहीं गयी, जानी चाहिये ।

एक चीज मैं आखिर में कहूंगा, वह यह कि हर साल या कम से कम दूसरे साल यूनिवर्सिटी और कालेजेज के स्टूडेन्ट्स की गेदरिंग यहां पर होनी चाहिये । यदि कालेज के स्टूडेंट्स न हो तो कम से कम यूनिवर्सिटी के तो हों ही । सम्भव हो तो हर साल हो । कम से कम दूसरे साल तो होना ही चाहिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मैं समझता हूं कि हम प्रगति कर सकते हैं। एक इंग्लिस पोयम के साथ मैं समाप्त करता हूं :--

वी शैल नाट सीज फ्राम मैन्टल फाइट

वी शैल नाट पुट आन सोर्ड इन हैण्ड

अंटिल वी मेक् इण्डिया ए ब्युटिफुल एण्ड प्लीजेन्ट लैण्ड

श्री अध्यक्ष---

इसको हिन्दी कर दीजिये।

श्री लाल प्रताप सिंह---

उस वक्त तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम प्रदेश और देश को खूबसूरत और मनमोहक नहीं बना देते।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, एक मिनट।

झांसी में जो व्यायामशाला है।...

श्री अध्यक्ष--

आपको इजाजत नहीं दी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

झांसी के व्यायामशाला का जिमनास्टिक के अन्दर देश और प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान है।

श्री लोकपति--

धन्यवाद, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। औरों से आप इसकी बात कह सकते हैं, मुझसे नहीं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर्वतारोहण संस्थान खोलने के लिये राजी है जिसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाये? उत्तरकाशी में है। हमारे बच्चों के लिये स्थान आरक्षित नहीं है, उसमें हमारे बच्चे नहीं जा सकते। पर्वत के अन्दर अलग से संस्थान खोलें जिसमें 10 हजार से 20 हजार की ट्रेनिंग हो सके।

श्री लोकपति--

एक अच्छा विचार है । विचार कर लिया जायेगा ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में खेलकूद एक अलग विभाग के नाम से 1972 से कार्य करना शुरू किया और 1975 में खेलकूद के कार्यक्रमों का विस्तार हुआ । लखनऊ, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली, कानपुर, वाराणसी इन स्थानों पर स्टेडियम कायम किये गये । भिन्न-भिन्न जनपदों में भिन्न-भिन्न खेलों के । मेरठ में हाकी, एथेलिटिक और कुश्ती के, आगरा और कानपुर में क्रिकेट के, बरेली, वाराणसी में फुटबाल के मैदान हैं । (विपक्ष की ओर संकेत करते हुये) वह चले गये नहीं तो मैं उनको एक कहानी बता देता ।

एक सदस्य--

कह दीजिये ।

श्री लोकपति--

पीठ पीछे बात नहीं की जाती । किसी दिन उनके सामने कह दूंगा । दुर्भाग्य से हमारे यहां जितने राजनेता हैं वह जब भाषण करने उठते हैं तो पहला शब्द निकलता है, भ्रष्टाचार दूसरी शब्दावली नहीं आती । सम्भवतः शब्द भ्रष्टाचार प्रेरणा का स्रोत हो । जिसकी प्रेरणा का स्रोत हो भ्रष्टाचार शब्द से होगा, वह क्या कर सकता है । माननीय, आज हिन्दुस्तान में जूनियर नेशनल हाकी की टीम किसकी है । 11 में से 10 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के हैं । नेशनल हाकी टीम, जो एशियन हाकी खेला, उसमें 11 में से 5 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के हैं । नेशनल जूनियर हाकी चैम्पियनशिप, नेशनल जूनियर फुटबाल चैम्पियनशिप आज किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है । एक टीम हमारी निकली जिसके 5 खिलाड़ी नेशनल रिप्रेजेन्टेटिव होंगे । जहां तक क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, क्रिकेट में भी लड़के निकल रहे हैं । चूंकि हाकी में हमारी नेशनल प्रेस्टिज इनवाल्व्ड है अगर गोल्ड मैडल की बात करनी है उसमें हमारे जो श्री रियासत हुसैन भाई ने कहा है कि कोरिया, चीन और जापान, हम उनसे ज्यादा गोल्ड मैडल ले सकते हैं । उन्होंने कुछ खेलों को कनसन्ट्रेट किया है, उन्होंने जिमनास्टिक को कनसन्ट्रेट किया है, उन्होंने स्वीमिंग को कनसन्ट्रेट किया है और उन्होंने एथेलिट को कनसन्ट्रेट किया है आज यदि आप इन तीन मेन खेलों को ले लें तो उनके सोने के पदकों की संख्या डेढ़ सौ से ऊपर हो जाती है ।

हम केवल हाकी और फुटबाल को लेकर विश्व में नहीं जा सकते हैं । वैसे एशियन गेम में बाक्सिंग में उत्तर प्रदेश को रजत पदक मिला । कुश्ती में उत्तर प्रदेश को रजत पदक मिला और हाकी में सारी टीम को रजत पदक मिला, एशियन गेम में हम हार गये लेकिन मेरी भावना यह है, चाहे वह गलत हो, क्योंकि उस कम्पेटा से मैं भी सम्बद्ध हूं, जो फीलिंग की भावना, अगर भारतवर्ष उस दिन पाकिस्तान से जीत गया होता तो भारतवर्ष से खेल-कूद समाप्त हो जाता, यह इस देश के लिये बड़ा वरदान सिद्ध हुआ, हम जागे और हम में चेतना आयी । हमारे माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी ने कहा कि दूसरी बार यहां बात हो रही है । क्योंकि हमारे पूर्वजों और हमारे भारतवासियों के विभाग में यह चीज थी कि "पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे बनोगे खराब" जहां पर एक बच्चे को इस प्रकार की भावना के बीच रखा जायेगा तो वह क्या

कर सकता हैं । एशियन गेम का सबसे बड़ा लाभ इस देश को यह हुआ कि सारे राष्ट्र में खेल-कूद के प्रति भावना जागी । भारत सरकार ने उस भावना को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग मंत्रालय की स्थापना की । उत्तर प्रदेश में तो यह मंत्रालय 1972 से है, जिसमें सचिव भी हैं, और निदेशालय भी है ।

नेशनल स्पोर्ट्स की नीति बनाने का सवाल है जब तक नीति बने क्या तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें ? नहीं । चारगाह कहां है जिनसे हमें बिनना है - वह हमारे प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल हैं । उसके ऊपर के बच्चे को ट्रेनिंग देने में कठिनाई होती है और उनकी हड्डियां कड़ा होने लगती हैं । अब प्राइमरी स्कूलों में भी इसे शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है, एनवल मीट और खेलकूद विभाग वहां से बच्चों का चयन करता है कि कौन उनमें उदीयमान है । 8 साल में बच्चे को आपको लाना पड़ेगा और आपको उसको 10 वर्ष तक प्रशिक्षित करना पड़ेगा । उसको खेलकूद के हिसाब से और उस मानक के हिसाब से आपको उसे भोजन देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनके लिये आपको ट्रेनिंग की व्यवस्थ करनी पड़ेगी, पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी । उसको रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, छोटी में ही सही । माननीय बाजपेयी जी ने कहा सब खा जाते हैं । एक बच्चा स्पोर्ट्स कालेज म या छात्रावास में दाखिल होता है, हर 6 महीने बाद उसकी नाप, वजन और ग्रोथ की जाती है । क्षमा कीजियेगा, आप ही जैसे लोग सचिवालय में भी बैठे हैं, जो इसको बरबादी समझते हैं । 1975 म जब मैं स्पोर्ट्स मंत्री था उस समय खाने की कीमत तय हुई 6·50 रु0 या 7 रु0 प्रति बालक। उसके बाद हम लोग जब चले गये तो एक सरकार बनी जिसमें यह बात हो गयी कि यह पैसा वेस्ट होता है, स्पोर्ट्स कालेज को जनरल स्कूल में बदल दिया गया, लेकिन कुछ सीनियर मेम्बर्स थे, उन्होंने इस प्रस्ताव का अपोजीशन किया, नहीं तो स्पोर्ट्स कालेज साधारण विद्यालय हो गया होता ।

80 से प्रयास कर रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं 6·-50 रु0 में नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से 12 रु0 हुआ है, एक बच्चे को 4500 कैलोरी चाहिये । हमारी टीम खेल रही थी, किसी सज्जन ने कहा कि एक समय के बाद हमारे खिलाड़ियों का स्टैमिना उखड़ने लगता है, होना यह चाहिये कि अगर 45 मिनट खेलना है तो सवा घन्टे का स्टैमिना होना चाहिये । एक 10 हजार मीटर का धावक था विजय सिंह, अबकी बार 10 हजार मीटर में दौड़ा तो उसको 25 राउन्ड लेने थे, 12 राउन्ड तक तो वह आगे चला, 13वें राउन्ड से पिछड़ने लगा, 25वें राउन्ड में उसका 20वां राउन्ड हो रहा था जब कि अन्य लोगों ने 25 राउन्ड पूरे कर लिये थे । यह प्रैक्टिस हमको बच्चों की 8 साल की उम्र से शुरू करनी होगी और 10 साल उसे ट्रेन्ड करना होगा । आज अगर हम कार्यक्रम चलाते हैं तो 1992 में ओलम्पिक में उतार सकते हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

हां, अगर वह शराब न पीने लगे तो ?

श्री लोकपति / –

नहीं ऐसा नहीं है । एक खिलाड़ी जिस काम में लग जाता है, उसम लग जाता है । अगर वह खेलने में लगे तो उसकी रुचि उधर ही हो जाती है । अगर वह एक साल सीनियर है तो स्पोर्ट्समैन स्प्रिट जरूर होती है लेकिन अगर वह अपने जूनियर से पिछड़े जाता है तो उसे मानसिक शाक लगता है हालांकि यह डिप्रेशन वाली स्थित नहीं होती है।

[श्री लोकपति---]

हमारे यहां नट लोग होते हैं उनके बच्चों को आप देखिये। एशियन गेम्स में जिसने ढाई समर साल्ट लिये वह नेशनल चैम्पियन हो गया। अब वह जो हैं छोटे-2 बच्चे नटों के एक मिनट में न जाने कितने शाट ले लेते हैं, हमें उनको ट्रेन्ड करना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि बुन्देलखड जिमनास्टिक में कुछ आगे हैं और लाल साहब ने कहा कि उसके इस खेल को शौक को आगे गति दी जा सकती है यदि उत्तर प्रदेश शासन को झांसी के व्यायामशाला दे दी जाये तो उसे अवश्य ही एक आदर्श जिमनास्टिकशाला के रूप में विकसित किया जा सकता है कुछ ही समय में। "कुश्ती" के बारे में अब हमारे यहां जैसे खेल विश्व में नहीं होते कि मिट्टी पर कुश्ती हो, वहां तो रेसलिंग मैट्रेस पर होते हैं। अब अगर हमें अपने युवकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है तो हमें भी कुश्ती के लिए मैट्रेस जिमनास्टिक के लिए, हाकी के लिए टर्फ बिछान पड़ेंगे लगाने होंगे, चाहे इसके लिए एक बार 60 लाख रु0 खर्च करके इसकी व्यवस्था करानी पड़े और एस्टो टर्फ करने होंगे जो 10 लाख के आते थे। 1976 में मैं खेलकूद मंत्री था। हाकी के खेल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए मैंने तीन एस्ट्रो टर्फ, एक लखनऊ, दो झांसी और तीसरा पिथौरागढ़ में लगवाना था। इसका इम्पोर्ट लाइसेन्स मिल गया था। उस समय एक एस्ट्रोटर्फ 10 लाख रुपए का आता था। अभी एशियन गेम में एक एस्ट्रोटर्फ लगा जिसकी कीमत 60 लाख रुपये आयी। जब तक इम्पोर्ट लाइसेन्स मिले प्रदेश की सरकार भंग हो गई और नई सरकार बन गयी। श्री के0 डी0 सिंह खेलकूद निदेशक थे। तत्कालीन मंत्री जी निदेशक को बुलाकर सिर्फ नहीं पूछा करते थे कि इस टर्फ के मंगाने में कितना कमीशन किसको दिया और कितना तुमने लिया। श्री के0 डी0 सिंह, वह प्रथम एशियायी थ जिन्हें टेन्स फोर्ड एवार्ड विश्व के प्रथम और उत्तम खिलाड़ी के नाते मिला। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्य मत्री सभी के0 डी0 सिंह बाबू की इज्जत करते थे। राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के सम्मान से आभूषित किया था। तत्कालीन खेलकूद मंत्री जी के व्यवहार से इतने दुखी हुए कि बन्दूक की नाल की गोली से आत्महत्या कर ली, एक आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति थे। अगर आप उत्तर प्रदेश के अन्दर खेलकूद में विकास, प्रगति चाहते हैं तो इन गंदगियों को निकलना पड़ेगा हमको तो अच्छाई को देखना चाहिए कि इसमें अच्छाई क्या है, अब हम खाना खाते हैं। खाने में दो चीज बनती हैं, एक तो गंदगी, जिसे हम और आप सुबह-शाम बाहर निकालते रहते हैं और उससे जो दूसरी चीज बनती है वह है जिस्म को ताकत पहुंचाने वाली कैलोरीज। तो हम वह देखें कि इसमें गंदगी क्या निकली या यह देखें कि हमने खाया क्या था और उससे कितने काम की चीज बनी। हमें तो यह देखना चाहिए कि अच्छाई कितनी है ना के गंदगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। साथ ही माननीय लाल साहब, जिन्होंने चर्चा शुरू की, माननीय रिछारिया जी, माननीय रियासत साहब को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ठोस सुझाव दिए।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11·00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
23 फरवरी, 1983

भालचन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 651 पर)

अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की कालीन प्रशाखा, भदोही द्वारा 1974-75 से 1981-82 तक किये गये कारोबार का विवरण :—

मद	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
क्रय	37·18	94·98	225·90	172·60	161·32	97·28	47·46	30·47
निर्यात	36·09	93·53	175·44	161·73	110·42	115·15	30·19	44·42

वर्ष 1974-75 से 1981-82 तक कालीन के अलावा अन्य मदों पर किये गये व्यय की वर्षवार सूचना ।

मद	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
वेतन पर व्यय	0·10	0·43	0·65	0·87	1·15	1·62	1·56	1·52
मकान पर व्यय	0·10	0·18	0·33	0·42	0·58	1·05	1·11	1·07
रखरखाव तथा ट्रांसपोर्ट पर व्यय	0·01	0·15	0·68	0·90	1·31	0·93	0·71	0·31
योग ..	0·21	0·76	1·66	2·19	3·04	3·60	3·38	2·90

अतिरिक्त

811

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 652 पर ।)

कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की जनपदवार सूची :

क्रमांक	जनपद	केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1	आगरा	2
2	इलाहाबाद	3
3	अलीगढ़	2
4	आजमगढ़	3
5	बदायूं	1
6	बरेली	2
7	देवरिया	1
8	एटा	4
9	फैजाबाद	6
10	गाजीपुर	1
11	गाजियाबाद	1
12	गोरखपुर	1
13	हरदोई	2
14	जालौन	5
15	झांसी	3
16	कानपुर	1
17	मथुरा	4
18	मुजफ्फरनगर	2
19	पीलीभीत	1
20	प्रतापगढ़	1
21	रामपुर	1

1	2	3
22	रायबरेली	1
23	सहारनपुर	1
24	शाहजहांपुर	4
25	सीतापुर	1
26	सुल्तानपुर	2
27	वाराणसी	2
	योग	58

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 688 पर)।

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में बुन्देलखण्ड में उद्योगों के लिये भारत सरकार द्वारा जारी किये गये लेटर आफ इंडेन्ट की सूची

1981-82

1--मेसर्स यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स, कानपुर (एन0यू0)।

2--मेसर्स एस0 डी0 शर्मा, न्यु दिल्ली (एन0 यू0)।

3--मेसर्स यू0 पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लि0, कानपुर (एस0ई0)।

1982-83

4--मेसर्स टावर्स एन्ड ट्रान्सफारमर प्रा0 लि0, न्यू दिल्ली (एन0यू0)।

5--मेसर्स उमा शंकर, न्यू दिल्ली (एन0 यू0)।

6--मेसर्स श्री अनिल गौड़, 3751, पहाड़ी धीरज, दिल्ली (एन0यू0)।

7--मेसर्स अशोक कुमार जैन द्वारा अशोक स्टील, झझर रोड, रोहतक, हरियाणा (एन0यू0)।

8--मेसर्स विनोदन कुमार अग्रवाल, 3177 पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली।

9--मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0, झांसी, यू0पी0 (एन0यू0)।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 697 पर ।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई

पिछड़े वर्ग के छात्राओं की सूची

शिक्षा सत्र 1980-81

(क) बी० ए० प्रथम वर्ष –

(1) कु० सुनीता देवी ।
(2) ,, प्रभादेवी वर्मा ।
(3) ,, मंजू रानी कश्यप ।
(4) ,, आशा वर्मा ।
(5) ,, कुसुम चौरसिया ।
(6) ,, शशि लता ।
(7) ,, स्वदेश कुमारी ।
(8) ,, लक्ष्मी देवी ।
(9) ,, साफआबी ।
(10) ,, निर्मला देवी ।
(11) ,, मंजुलता ।
(12) ,, रागिनी कादियार ।
(13) ,, सीमा रानी ।
(14) ,, पालती सिंह पवार (ओ०बी०सी०) ।
(15) ,, कनकलता ।

(ख) बी० ए० भाग-दो––

(1) कु० प्रेमा देवी ।
(2) ,, उर्मिला देवी ।
(3) ,, हसरतुननिशा अंसारी ।
(4) ,, सीमा रस्तोगी ।
(5) ,, मंजू देवी ।
(6) ,, ऊषा देवी ।
(7) ,, ताहिरा बानो।
(8) ,, मंजु कुमारी ।

कुल तेईस (23) छात्राएं ।

शिक्षा सत्र–1981–82

(क) बी0 ए0 भाग–1––

(1) कु0 रजनी कन्नौजिया ।
(2) ,, माधुरी देवी ।
(3) ,, ऊषा यादव ।
(4) ,, सुनीता कटियार ।
(5) ,, सुषमा देवी ।
(6) ,, किरन कन्नौजिया ।
(7) ,, मधुरानी जायसवाल ।
(8) ,, ऊषा देवी ।
(9) ,, कंचनलता सैनी ।
(10) ,, सुनीता देवी (ओ0 बी0 सी0) ।
(11) ,, पूनम सिंह (ओ0 बी0 सी0) ।

कुल पच्चीस (25) मात्र ।

(ख) बी0 ए0 भाग–दो––

(1) कु0 कुसुम चौरसिया ।
(2) ,, रागिनी कटियार ।
(3) ,, प्रभादेवी वर्मा ।
(4) ,, सुनीता देवी ।
(5) ,, शशिलता ।
(6) ,, आशा वर्मा ।
(7) ,, लक्ष्मी देवी ।
(8) ,, सीमा रानी ।
(9) ,, मंजू लता ।
(10) ,, स्वदेश कुमारी
(11) ,, सफियाबी ।
(12) ,, मंजू रानी कश्यप ।
(13) ,, मालती सिंह पवार (ओ0बी0सी0) ।
(14) ,, कनकलता (ओ0बी0सी0) ।

पिछड़े वर्ग की छात्राओं की सूची जिन्हें छात्रवृत्ति वितरित की गयी
शिक्षा सत्र 1980–81

1—कुमारी मालती सिंह पवार, बी० ए० भाग एक ।

2—कुमारी कनकलता, बी० ए० भाग एक ।

3—कुमारी हसरतुननिशा अंसारी, बी० ए० भाग एक ।

केवल तीन (3) छात्राएं

शिक्षा सत्र 1981–82

1—कु० सुषम देवी ।

2—कु० रजनी कनौजिया ।

3—कु० सुनीता कटियार ।

4—कु० किरन कनौजिया ।

5—कु० ऊषा देवी ।

6—कु० मधूरानी जायसवाल ।

7—कु० ऊषा यादव ।

8—कु० माधुरी देवी ।

9—कु० सुनीता देवी ।

10—कु० पूनम सिंह ।

11—कु० मालती सिंह पवार ।

12—कु० कनकलता ।

बारह (12) छात्रायें केवल

पिछड़ी जाति की जिन छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृति नहीं हुई है

वर्ष 1980–81

क्र० सं०	छात्र का नाम	कक्षा	अस्वीकृत का कारण
1	2	3	4
1	कु० निर्मला देवी	बी० ए०, प्रथम वर्ष	निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत योग्यता क्रम में नहीं आई ।
2	कु० सीमा रानी	,,	,,

1	2	3	4
3	कु0 सोपआर्ब	बी0 ए0, प्रथम वर्ष	निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत योग्यता क्रम में नहीं आई।
4	कु0 उर्मिला देवी	बी0 ए0 भाग-2	,,
5	कु0 प्रभा देवी वर्मा	बी0 ए0, प्रथम वर्ष	पिता/अभिभावक की आय निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण।
6	कु0 निशारानी सक्सेना	,,	,,
7	कु0 रागिनी कटियार	,,	,,
8	कु0 शशिलता	,,	,,
9	कु0 सुधारानी सक्सेना	बी0 ए0, भाग-2	,,
10	कु0 लक्ष्मी देवी	बी0 ए0, प्रथम वर्ष	आमदनी प्रमाण-पत्र तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
	वर्ष 198 -82		
1	कु0 कंचन लता सैनी		आमदनी तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
2	कु0 शशिलता		आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त हुआ।

नत्थी 'ड'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 146 का उत्तर पीछे पृष्ठ 700 पर)

स्वीकृति की सूचना

मा--1

राजकीय

तार,

प्रबन्धक,

ग्रामोदय उ0 मा0 वि0,

बढ़यापार,

गोरखपुर ।

वर्ग की मान्यता स्वीकृति (1)

प्रतिबन्धों विषयों का विवरण अलग से भेजा जायेगा ।

इन्टरमीडिएट

तार नहीं किया जायेगा

अतिरिक्त सचिव,

पृष्ठांकन संख्या-मान्यता/757--1

इलाहाबाद, दिनांक 20-8-79

उक्त तार की प्रतिलिपि पुष्टिस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--प्रबन्धक, ग्रामोदय उ0 मा0 वि0, बढ़यापार, गोरखपुर ।

2--जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय, निरीक्षिका ।

3--इस कार्यालय के कोष विभाग को ।

ह0 अपठनीय,

20/8

अतिरिक्त सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0,

इलाहाबाद ।

प्रमाणित

ह0

14-9-82

(मोहर)

सहायक निदेशक,

हरिजन तथा समाज कल्याण,

वाराणसी मंडल, वाराणसी ।

पी0 एस0 यू0 पी0--41 वि0 सभा--10-10-83--813 (पी0डी0)